लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र
Tenth Session]

Preservation Unit
Fumigated
On 3-2-84
Parliament Library

[खंड 36 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XXXVI contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 6, शुक्रवार, 27 फरवरी, 1970/8 फाल्गुन, 1891 (शक)
No.—6, Friday, February 27, 1970/8 Phalgun, 1891 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
123. देत्तारी खानों से पारादीप पत्तन तक एक्सप्रेस मार्ग	Express way from Daitari Mines to Paradeep Port	1—4
124. केन्द्रीय सरकार के भारतीय सिविल सेवा/भारतीय प्रशासन सेवा/राजपत्रित अधिकारियों के लिये सुरक्षा गारद	Security Guards for ICS/IAS/Gazetted Officers in the Central Government	4—6
125. उत्तर प्रदेश के दौरे के समय प्रधान मन्त्री पर हुए व्यय का अंश वहन करना	Sharing of expenditure incurred on Prime Minister's Tour to Uttar Pradesh	6—13
128. असम के पहाड़ी क्षेत्रों को राज्य का दर्जा दिया जाना	Statehood for Assam Hills	13—15
129. पश्चिम बंगाल में सी० आई० ए० की गतिविधियां	CIA activities in West Bengal	15—18
130. केरल में केन्दीय रिजर्व पुलिस	CRP in Kerala	18—19

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
121. लन्दन स्थित इण्डिया आफिस लाइब्रेरी से संस्कृत के ग्रन्थ, कलाकृतियां आदि प्राप्त करना	Securing Sanskrit Volumes, Paintings etc. from India Office Library, London	19
122. दिल्ली परिवहन उपक्रम के प्रशासन में सुधार के लिए उपाय	Measures to improve DTU Administration	19
126. पूना के निकट प्राचीन मूर्तियों को अपवित्र करना	Descretion of Ancient Idols near Poona	20
127. भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा बहुत बढ़िया कारों का आयात	Import of Luxury Cars by India Tourism Development Corporation	20
131. छोटी सदड़ी स्वर्ण काण्ड	Chhotti Sadari Gold Case	21
132. राष्ट्रीय सेवा कौर	National Service Corps	21—22
133. भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) तथा अन्य राजनीतिक दलों द्वारा गठित स्वयंसेवक दल	Volunteer Forces Organised by C. P. I. (M) and other Political Parties	23
134. केन्द्रीय सड़क निधि में से मध्य प्रदेश को धन का नियतन	Allocation made to Madhya Pradesh from Central Road Fund	23—24
135. भारतीय संविधान की उपेक्षा	Disregard to Indian Constitution	24
136. चंडीगढ़ के प्रश्न पर हुए उपद्रवों में जान तथा माल की हानि	Loss of Life and Property in Disturbances over Chandigarh Issue	24—25
137. विदेश गये संसत्सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल में (संगठन) कांग्रेस को उचित प्रतिनिधित्व न दिया जाना	Under Representation given to Congress (O) in Delegation of M. Ps. sent abroad	25
138. पत्राचार विश्वविद्यालयों की स्थापना	Setting up of Postal Universities	25

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
139. अन्दमान की काल कोठरी में कैद किये गये स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों को पेंशन	Pensions to Freedom Fighters who were imprisoned in Cellular Jail, Andaman	25—26
140. श्री अतुल्य घोष की अस्तियों के बारे में जांच	Investigation into the Assets of Shri Atulya Ghosh	26
141. अन्तर्देशीय जल परिवहन समिति का प्रतिवेदन	Inland water Transport Committee Report	26—27
142. अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक संघ	Akhil Bharatiya Hindi Prakashak Sangh	27
143. भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में भारतीय पुलिस सेवा तथा केन्द्रीय सेवा के अधिकारियों का लिया जाना	I. P. S. and Central Services Officers to be taken into IAs Cadre	27—28
144. कोचीन में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा	International Airport at Cochin	28
145. केन्द्र द्वारा पश्चिम बंगाल समस्याओं की उपेक्षा	Neglect by Centre of Problems of West Bengal	28
146. निवारक निरोध अधिनियम की समाप्ति पर बन्दियों की रिहाई	Release of Detenus on Expiry of Preventive Detention Act	29
147. माओ के इश्तिहारों का प्रदर्शन	Display of Mao Posters	29
148. अन्दमान विशेष वेतन	Andaman Special Pay	30
149. इटली के भारतीय दूतावास द्वारा पर्यटकों को भारत सम्बन्धी साहित्य उपलब्ध करने में असमर्थता	Inabiltiy of Indian Embassy in Italy to supply Literature about India to Tourists	31
150. भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के नेताओं के चण्डीगढ़ में सेना की तरह का प्रशिक्षण दिये जाने के बारे में तमिल नाडु के मुख्य मन्त्री का कथित वक्तव्य	Reported Statement of Tamil Nadu Chief Minister re. C.P.I. (M) Leaders Undergoing Ministry Type Training in Chandigarh	31

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
अतारांकित प्रश्न संख्या		
U. S. Q. No.		
801. पाकिस्तान एवं चीन से संघर्ष तथा भूमि स्खलन के कारण सीमा सुरक्षा दल के कर्मचारियों की मृत्यु	Death of Border Security Men due to Land Slides and Hostiles by Pakistan and China	31—32
802. पुलिस द्वारा हथियार बनाने के कारखाने का पता लगाया जाना	Unearthing of Arms Factories by Police	32—33
803. भारतीय औद्योगिकी संस्थान का कार्यकरण	Working of Indian Institutes of Technology	33—34
804. यूनेस्को तथा भारत के शैक्षिक और सांस्कृतिक संगठनों के बीच करार	Agreements between Educational and Cultural Organisations and UNESCO	34
805. अशोका, जनपथ, लोदी तथा रणजीत होटलों का प्रस्तावित एकीकरण	Proposed Amalgamation of Ashoka, Janpath, Lodhi and Ranjit Hotels in New Delhi	34
806. दिल्ली में परीक्षा पत्रों पर बिक्री कर की वसूली	Levy of Sales Tax on Examination Papers in Delhi	34—35
807. हिमाचल प्रदेश को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Himachal Pradesh	35—36
808. संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन पर व्यय	Expenditure on Administration of Union Territories	36—37
809. निजी थैलियों का समाप्त करना	Abolition of Privy Purses	37
810. ईंटों का उत्पादन	Production of Bricks	37
811. नई दिल्ली में पुराने किले के निकट ऐतिहासिक स्मारकों का खुदाई कार्य	Excavation of Historic Monument near Purana Qila, New Delhi	38
812. दिल्ली प्रशासन की लाटरी योजना	Lottery Scheme of Delhi Administration	38—39
813. हुसैनीवाला सीमा पर निर्माण	Constructions at Hussianiwala Border	39

ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
8 4. चम्बल तथा यमुना नदियों पर पुलों का निर्माण	Constructions of Bridges over Chambal and Yumna Rivers	39—40
815. हरियाणा सरकार को राजधानी, निर्माण के लिये ऋण और अनुदान	Grant and Loan to Haryana Government for construction of State Capital	40
816. राज्य विधान सभा के दो सत्रों के बीच अन्तराल के बारे में संवैधानिक उपबंधों में संशोधन	Amendment of Constitutional Provision regarding time gap between two Sessions of a State Assembly	40—41
817. गैर-सरकारी क्षेत्र में होटलों के बारे में सरकार की नीति	Policy of Government regarding Hotels in Private Sector	41
818. हीरे तथा जवाहरतों के के परीक्षण के लिये प्रयोग-शाला की स्थापना	Setting up of a Laboratory to test precious stones and gems	41
819. उच्च न्यायालों तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतनों का पुनरीक्षण	Revision of Salarie of Judges of High Courts and Supreme Court	42
820. भारतीय विश्वविद्यालयों में नाभिकीय भौतिकी का अध्ययन	Study of Nuclear Physics in Indian Universities	42
822. गाँधी दर्शन प्रदर्शनी और गांधी दर्शन स्मारि ा का विषय समन्वयन	Theme coordination of Gandhi Darshan Pradarshani and Souvenir on Gandhi Darshan	43
823. मणिपुर स्कूल मदर्स एसोसिएशन का ज्ञापन	Memorandum by Manipur School Mothers Association	43
824. प्रधान मंत्री की शक्तियां	Powers of Prime Minister	43—44
825. कुशल प्रशासन सुनिश्चित करने हेतु कर्मचारियों का बारी-बारी लगाया जाना	Rotation of Staff to ensure efficient Administration	44
826. आम चुनावों में पराजित भूतपूर्व मंत्रियों तथा संसद्-सदस्यों की निगमों, स्वायत्त-शासी निकायों और सरकारी उपक्रमों में नियुक्ति	Former Ministers aad M. Ps. Defeated in General Elections, given appointments in Corporations, Autonomous Bodies and Public Undertakings	45

अतां० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
827. इण्डियन फैडरेशन आफ ट्रांसपोर्ट आपरेटर्स से ज्ञापन	Memorandum from Indian Federation of Transport Operators	45—46
828. औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री का हैदराबाद में वक्तव्य	Address by Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs at Hyderabad	46—47
829. बेरोजगार इंजीनियरों और तकनीशियनों को आर्थिक सहायता तथा प्रशिक्षण देने सम्बन्धी योजना	Scheme to provide Financial Aid and Training to unemployed Engineers/ Technicians	47—48
830. नरेन्द्रपुर, रामकृष्ण संस्थान को केन्द्रीय अनुदान	Central Grant to Narandrapur Ram-Krishna Institute	48—49
831. गांधी दर्शन प्रदर्शनी	Gandhi Darshan Exhibition	49
832. पारादीप पत्तन के विकास के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में व्यय	Fourth Plan Expenditure for Development of Paradeep Port	49—50
833. महाराष्ट्र मैसूर सीमा विवाद	Maharashtra-Maysore Border Dispute	50
834. दिल्ली में अपराधों में वृद्धि	Increase in Crime Cases in Delhi	50—51
835. एयर इण्डिया की उड़ानों की समय सारिणी	Scheduled of Air India Flights	51—52
836. विश्वविद्यालय प्रशासन में विद्यार्थियों का भाग लेना	Students' Participation in University Administration	52—53
837. भारत में पाकिस्तानी राष्ट्रजन	Pakistani Nationals in India	53
838. तकनीकी पदों पर भर्ती के लिये साक्षात्कार बोर्डों के चेयरमैनों की नियुक्ति	Appointment of Chairmen of interview Boards for Recruting Candidates for Technical Posts	53—54
839. जहाजरानी संगठन का पुनर्गठन	Reorganisation of Shipping Organisation	54
840. दिल्ली परिवहन की बसों द्वारा न लगाये गये फेरे	Trips Missed by DTU Buses	54—55

तारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
842. एयर इंडिया के अध्यक्ष का पर्यटक उद्योग के विकास सम्बन्धी वक्तव्य	Statemement by Chairmen, Air India Regarding Development of Tourist Industry	55—56
843. सरकारी कर्मचारियों के स्थानीयकरण के विभागीय परीक्षा	Departmental Examinations and Confirmation of Government Employees	56—58
844. चौथी योजना के दौरान बड़े पत्तनों तथा नई परियोजनाओं के विकास के लिये परिव्यय	Outlay for Development of Major Ports and New Projects in Fourth Plan Period	58—59
845. राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा अनुसंधान संस्थानों में अप्रयुक्त पड़े आयातित उपकरण	Imported Instruments Lying Idle in National Laboratories and Research Institutions	59—60
846. इंडियन एयरलाइन्स की विमान परिचारिकाओं द्वारा हिन्दी उच्चारण	Hindi Pronunciation by Air Hostesses of Indian Airlines	60—61
848. भारत में जम्बो जैटों की उड़ानों के लिये अन्तर-राष्ट्रीय हवाई अड्डों का विकास	Developments of International Air Port for Jumbo Jets	61
849. पश्चिमी बंगाल में राजनैतिक हत्यायें	Political Murders in West Bengal	62
850. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का पुन: नौकरी पर लगाया जाना	Reinstatement of Central Government Employees	63
851. प्रतिभा सम्पन्न लोगों का विदेशगमन	Brain Drain	64—66
852. इण्डियन एयरलाइन्स के नाइजीरिया में प्रतिनियुक्त अधिकार के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप	Corruption Charges Against Airlines Officer on loan to Nigeria	66—67
853. चार प्रादेशिक भाषा संस्थाओं की स्थापना	Setting up of Four Regional Institutes of Languages	67—68

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
854. नगरों में सार्वजनिक परिवहन के तेजी से विस्तार के लिये परियोजना	Scheme for Rapid Expansion of Public Transport in Cities	68
855. "पी" फार्म पर प्रतिबन्धों के कारण इण्डियन एयर लाइन्स द्वारा अर्जित किये जाने वाले लाभ पर प्रभाव	Effect on Profit made by Indian Airlines Due to 'P' form Restrictions	68—69
856. पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री का राज्य की कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में वक्तव्य	West Bengal Chief Minister's Statement Regarding Law and Order Situation in the State	69
857. चंडीगढ़ में जासूसी गिरोह	Spying in Chandigarh	69—70
858. ग्रांड ट्रंक रोड का नाम बदल कर नेताजा ग्रांड ट्रंक रोड रखना	Renaming of Grand Trunk Road as Netaji Grand Trunk Road	70
859. शिक्षा संस्थाओं में नैतिक शिक्षा देना	Imparting Moral Education in Edudational Institutions	71
860. मध्य प्रदेश की महिलाओं को अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण	Compulsory Military Training to Women in Madhya Pradesh	71
861. मध्य प्रदेश में हवाई अड्डे और हवाई पट्टियां	Aerodromes and Airstrips in Madhya Pradesh	71—72
862. मध्य प्रदेश में पर्यटक केन्द्रों का विकास	Development of Tourist Centres in Madhya Pradesh	72
863. भारत में साक्षरता, तथा नगरीय व पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार	Literacy in India and spread of Education in Rural and Backward Areas	72—73
864. भारतीय छात्रों द्वारा विदेशों में तथा विदेशी छात्रों द्वारा भारत में प्राप्त की जाने वाली शिक्षा का स्वरूप	Types of Education received by Indian Students Abroad and by Poreign Student's in India	73
865. युवकों के लिये सुविधायें	Facilities for Youths	73—74
866. शिक्षा संस्थाओं के अनुदान मंजूर करने संबंधी नियम	Rules Regarding Sanctioning of grants to Educational Institution	74

तारां० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
867. राष्ट्रीय झंडे का जलाया जाना	Burning of National Flag	74—75
868. गोआलपाड़ा जिले (आसाम) में पाकिस्तानी सीमा पुलिस का भारतीय सीमा सुरक्षा दल पर हमला	Attacks by Pakistani Border Police on Indian Border Security Force in Goalpara District Assam	75
869. सीमा सुरक्षा दल और केन्द्रीय आरक्षित पुलिस का पंजाब में भेजा जाना	Movement of B S F and C. R. P. in Punjab	75—76
870. भिलाई में साम्प्रदायिक दंगे	Communal Riots in Bhilai	76
871. सितम्बर, 1968 की हड़ताल के संबंध में कुछ संसद सदस्यों पर मुकदमा चलाया जाना	Prosecution of some Members of Parliament in Connection with Strike of September, 1968	76—77
872. गया नगर के निकट रामशीला पहाड़ी का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास	Development of Ramsheela Bill near Gaya Town as Tourist Resort	77
873. सरकारी क्षेत्र के होटलों द्वारा लाभ अर्जित किया जाना	Eearning of Pofit by Hostels in Public Sector	77—78
874. अंडमान, निकोबार प्रशासन में अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों से निजी कार्य करवाना	Utilisation of Employees by Officers for Private Work in Andaman and X Nicobar Administration	78
875. दुर्गापुर में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल का तैनात किया जाना	Employment of Central Industrial Security Force at Durgapur	78—79
876. मद्रास पत्तन पर गौदी परियोजना	Dock Project at Madras Harbour	79
877. आसाम के पुलिस मैनों द्वारा नागालैंड के गांव का जलाया जाना	Burning of Nagaland Village by Assam Policemen	80

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
878. 11 जनवरी, 1970 को सैनिकों द्वारा हड़ताल करने वाले रेलवे कर्मचारियों पर मुगलसराय स्टेशन पर गोली चलाया जाना	Fire by Army Men on Strking Railway Workers at Mughal Sarai on 11-1-70	80
879. राजस्थान में पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना	Police Firing in Rajasthan	81
880. आर्थिक लाभ के पदों पर काम करने वाले कर्मचारी	Employees Working Against Posts Carrying Pecuniary Benefits	81
881. अतिरिक्त लाभ के पदों पर काम करने वाले अधिकारी	Officers Working Against Posts Carrying Additional Pecuniary Benefits	82
882. प्रशासन सुधार आयोग का 14वें प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों का लागू करना	Implementation of Recommendations contained in Fourteenth Report of ARC	82
883. शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय के अधीन स्वायत्त-शासी संस्थायें	Autonomous Institutions under the Ministry of Education and Youth Services	82
884. दिल्ली में हिप्पी	Hippies in Delhi	82—83
885. संग्रहालयों से पत्थर तथा पकाई हुई मिट्टी की मूर्तियों की चोरी	Theft of Stones and Terracotta Idols from Museums	83—84
886. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के संबंध में गजेन्द्रगडकर समिति की सिफारिशें	Recommendations of Gajendragadker Committee on Banaras Hindu University	84
889. अलग कच्छ राज्य की मांग	Demand for Separate State of Kutch	85
890. भारत की कम किराये पर यात्रा करवाने वाले संगठन	Organisation Specialised in Cheap Round Trips of India	85
891. दिल्ली परिवहन की बसों के लिये फालतू पुर्जों का उपलब्ध न होना	Non-availability of Spares for D T U Buses	86
892. भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिये आवेदन पत्र	Applications for Grant of Indian Citizenship	86
893. बम्बई की गोदियों में अग्नि-कांड	Fire Incident in Bombay Docks	87—88

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
894.	मध्य प्रदेश फलाइंग क्लब के पुष्पक विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना	Crash of Pushpak Aircraft of Madhya Pradesh Flying Club	88
895.	राष्ट्रीय एकता को प्राप्त करने के उद्देश्य से शिक्षा नीति का पुनर्गठन	Reorientation of Education Policy to Achieve National Integration	88
896.	दिल्ली नगर निगम के अध्यापकों के वेतन की बकाया राशि	Arrears of Pay of Delhi Municipal Corporation Teachers	89
897.	शिक्षा मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों तथा सूचना कार्यालयों में अधिकारी	Officers in Various Divisions and Bureaux in Education Ministry	89
898.	लखनऊ में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के विरुद्ध जांच	CBI Enquiry Against IAS Officer in Lucknow	89—90
899.	राष्ट्रीय स्वस्थता कोर प्रशिक्षकों का काम पर लिया जाना	Absorption of National Fitness Corps Instructors	90
900.	स्नातक इन्जीनियरों के लिये रोजगार	Jobs for Graduate Engineers	90—91
901.	सितम्बर 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों के मामले	Cases of Employees who Participated in September, 1968 Strike	91—92
903.	19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी	Central Government Employees who Participated in 19th September, 1968 Strike	92
9 4.	चंडीगढ़ स्थित केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन से चोरी हुए दस्तावेजों की जांच	Inquiry into Missing of Documents from Central Scientific Instruments Organisation, Chandigarh	92—93
905.	नेशनल लाइब्रेरी, कलकत्ता सम्बन्धी पुनर्विलोकन समिति का प्रतिवेदन	Review Committee Report on National Library, Calcutta	93

तारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
906. इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन द्वारा विमानों की खरीद	Purchase of Aircaft by IAC	93—94
907. पारादीप बन्दरगाह में माल घाटों का निर्माण	Construction of Cargo Berths at Paradeep Port	94—95
908. पंजाब और हरियाणा के लिये सीमा आयोग की नियुक्ति	Appointment of Boundary Commission for Punjab and Haryana	95
909. हरियाणा की राजधानी के लिये स्थान	Site for Capital of Haryana	95
910. गौहाटी असैनिक हवाई अड्डे पर धावनपथ की लम्बाई	Length of Runway at Gauhati Civil Airport	96—97
911. निजी थैलियों की समाप्ति	Abolition of Privey Purses	97
912. दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक	Meeting of Southern Zonal Council	98
913. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल	Central Industrial Security Force	98—99
915. मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायों का भारतीयकरण	Indianisation of Muslims and other Minority Communities	99
916. केरल की स्नातक पूर्व परीक्षा	Pre Degree Examination of Kerala	100
917. नई दिल्ली में कनाडा की लड़की की गिरफ्तारी	Arrest of a Canadian Girl in New Delhi	100
918. दिल्ली में शान्ति विश्वविद्यालय की स्थापना	Setting up of Peace University in Delhi	101
919. जामिया मिलिया, नई दिल्ली में अग्निकांड के बारे में जाँच	Enquiry into Jamia Millia, New Delhi Fire	101
920. बेरोजगार इन्जीनियरों की सहायता करने के लिये दिल्ली प्रशासन की योजना	Delhi Administration Plan to Help Unemployment Engineers	101—102

अतां० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
922. इन्डिया आफिस लाइब्रेरी, लन्दन का अधिग्रहण	Acquisition of India Office Library, London	102
923. राजनीतिक हत्यायें	Political Murders	102—103
924. केरल और पश्चिम बंगाल में अराजकता में वृद्धि	Increase in Lawlessness in Kerala and West Bengal	103
925. सरकारी डिपों में रखे गये सामान का निपटान	Disposal of Stocks kept at Government Depots	103
926. सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी परिवहन अभिकरणों/उपक्रमों पर व्यय	Expenditure of Government of Semi-Government Transport Agencies/ Undertakings	104
927. मणिपुर में ग्रामीण स्वयं सेवक दल के कर्मचारियों के विरुद्ध मामलों का पंजीकरण	Registration of Cases against Personnel of V. V. F. in Manipur	104—105
928. मणिपुर राज्य परिवहन की वार्षिक आय	Annual Earnings of Manipur State Transport	105
929. इम्फाल में डाक विश्वविद्यालय केन्द्र स्थापित करना	Setting up of a University Centre at Imphal	106
930. सितम्बर, 1965 में इम्फाल में पुलिस गोली कांड के बारे में मित्रा समिति का प्रतिवेदन	Mitra Committee Report on Police Firing at Imphal in September, 1965	106—107
931. चंडीगढ़ के मामले में अकाली नेता की धमकी	Akali Leader's Threat on Chandigarh	107
932. आई० आई० टी० में प्राद्योगिकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश	Admission to Technological Courses in I. I. T.	107
933. गृह-मन्त्री की महाराष्ट्र की यात्रा	Visits to Maharashtra by Home Minister	108
935. गुजरात में तटीय राजपथ का निर्माण	Construction of Coastal Highway in Gujarat	108—109
936. प्रधान मन्त्री के उत्तर प्रदेश के दौरों पर व्यय	Expendiure on tours of Prime Minister to U. P.	109—110

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
937. प्रधान मन्त्री के उत्तर प्रदेश के दौरों के दौरान हैली-पैडों की व्यवस्था	Provision of Helipads during Prime Minister's Tours to U. P.	110—111
938. कोचीन में जहाज बनाने का दूसरा कारखाना	Second Shipbuilding Yard at Cochin	111
939. चण्डीगढ़ में हिमाचल प्रदेश का हिस्सा	Share of Himachal Pradesh in Chandigarh	111—112
940. श्री बलदेव सिंह की हत्या	Murder of Shri Baldev Singh	112
941. उत्तर प्रदेश में अध्यापकों के वेतन तथा भत्तों का बढ़ाया जाना	Revising of Pay and Allowances of Teachers in Uttar Pradesh	112—113
942. शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय के भाषा प्रभाग का भारसाधक अधिकारी	Officer-in-charge of Language Division of Ministry of Education and Youth Services	113—114
944. विश्वविद्यालयों के गैर शिक्षक कर्मचारियों की सेवा की शर्तों का संहिताकरण	Codification of Service Conditions of Non Teaching Staff of Universities	114—115
945. सहायक हवाई अड्डा अधिकारी कलकत्ता की ओर से असैनिक उड्डयन विभाग के विरुद्ध अभ्यावेदन	Representaion from Assistant Aerodrome Officer, Calcutta against Civil Aviation Department	115
946. तुती कोरिन सेलिंग वैशल ओनर्स एसोसियेशन की ओर से अभ्यावेदन	Representation from Tuticorin Sailing Vessel Owners' Association	115—116
947. प्रधान मन्त्री की हत्या का षड्यंत्र	Plots to kill Prime Minister	116—117
948. सिलीगुडी में दंगे	Riots in Siliguri	117
949. दिल्ली विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा तथा परीक्षा का माध्यम के रूप में अंग्रेजी	English as Medium of Instruction and Examination in Law in Delhi University	117—118
951. पुलिस द्वारा गोली चलाई जाना	Police Firings	118

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
952.	पुरी में संस्कृत विश्वविद्यालय	Sanskrit University at Puri	118—119
953.	चन्डीगढ़ विवाद पर केन्द्रीय निर्णय के बारे में पंजाब और हरियाणा सरकारों की प्रतिक्रिया	Reaction of Punjab and Haryana Governments to Central Decision on Chandigarh Issue	119
954.	पौड़ी जिला गढ़वाल में पर्यटक कार्यालय	Tourist Office at Pauri Garhwal District	119—120
955.	व्यापारी बेड़े के लिये कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु एक नए जहाज का निर्माण	Construction of a new Ship for Training of personnel for Merchant Navy	120
956.	स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों के लिये पेंशन योजना	Pension Scheme for Freedom Fighters	120—121
957.	भारत में सी आई० ए० की गतिविधियां	CIA Activities in India	121
958.	दिल्ली में हुआ विश्वधर्म सम्मेलन	Vishwa Dharma Sammelan held in Delhi	121
959.	सीमा सुरक्षा दल में भरती तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों की संख्या	Recruitment to Border Security Force and number of SC and ST Persons in them	121
960.	लाल किला तथा कुतुब मीनार के प्रवेशपत्रों की दरों में वृद्धि	Increase in Rates of Tickets at Red Fort and Qutab Minar	122
961.	श्री भुट्टो के चित्र वाले गुब्बारों का वितरण	Distribution of Balloons Bearing Photo of Mr. Bhutoo	122—123
962.	विश्वविद्यालय के कार्यों में विद्यार्थियों द्वारा भाग लेना	Students Participation in University Affairs	123
963.	जयपुर में पाकिस्तानी नागरिकों की गिरफ्तारी	Arrest of Pakistani Nationals in Jaipur	123—124
964.	आसाम नागालैंड सीमा विवाद	Assam-Nagaland Border Dispute	124—125

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
965. एयर इण्डिया तथा इन्डियन एयर लाइन्स के एकीकरण के बारे में प्रस्ताव	Proposal Regarding Amalgamation of Air India and Airlines	125
966. दिल्ली के कालेजों के दाखिला	Admission to Delhi Colleges	125
967. मंत्रियों के दौरे	Tours by Ministers	125—126
968. वाहनों के संख्या पट्टों पर केवल संख्या लिखने का प्रस्ताव	Proposal to have only Numbers in number plates of Vehicles	126
969. छात्र संसदों के माध्यम से विद्यार्थियों को संसदीय प्रणाली में प्रशिक्षित करना	Educating Students in Parliamentary System through Mock Parliaments	126—127
971. परीक्षाओं को रद्द करने के बारे में केन्द्रीय सचिवालय के कर्मचारियों की मांग	Demand by Central Secretariat Employees for Cancellation of Examinations	127
972. राज्यपालों का कार्य	Role of Governors	127
973. संविधान के अनुच्छेद 370 का निराकरण	Abrogation of Article 370 of the Constitution	127—128
974. भाषा प्रौद्योगिकी की आवश्यकता	Need for Language Technology	128
975. इण्डियन कमेटी फार कल्चरल फ्रीडम (सांस्कृतिक स्वतंत्रता की भारतीय समिति)	Indian Committee for Cultural Freedom	128—129
976. मिजो पहाड़ी क्षेत्रों की आर्थिक दशा का बिगड़ना	Economic Distress in Mizo Hill Areas	129—130
977. ट्रांसपोर्ट भवन, नई दिल्ली में प्रवेश के लिये संवाददाताओं को पास प्राप्त करने में कठिनाई	Newsmen Facing Difficulty in Getting Passes for Entry into Transport Bhawan, New Delhi	130
978. केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर के निदेशक का त्यागपत्र	Resignation of Director, Central Food Technological Research Institute, Maysore	130

तारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
979.	चण्डीगढ़ के भारतीय वायु-सेना के अधिकारियों द्वारा जासूसी के कृत्य / Espionage Activities of IAF Officers of Chandigarh	131—132
980.	रैवरैन्ड एडवर्ड सिन्हा की हत्या / Murder of Reverend Edward Sinha	132—133
981.	दिल्ली के सिनेमा गृहों में राष्ट्रगान सुनाया जाना / Playing of National Anthem in Delhi Cinemas	133
982.	पश्चिम बंगाल में बैंकों में डकैतियां / Bank Robberies in West Bengal	133
983.	मणिपुरी युवकों को सैनिक प्रशिक्षण / Military Training to Manipur Youth	133—134
984.	गोपालपुर का एक छोटा पत्तन के रूप में विकास / Development of Gopalpur as Minor Port	134
985.	चौथी पंचवर्षीय योजना में निरक्षरता उन्मूलन / Eradication of Illiteracy during Fourth Five Year Plan	134—135
986.	प्रधान मन्त्री के उत्तर प्रदेश के दौरे के समय सुरक्षा व्यवस्था / Security Arrangements during Prime Minister's Tour of Uttar Pradesh	135—136
987.	मैसूर में कारवाड़ पत्तन का विकास / Development of Karwar Port in Mysore	136
988.	बड़ौच बन्दरगाह / Broach Port	136—137
989.	अध्यापकों को प्रादेशिक भाषाएं पढ़ाने के लिये केन्द्रों की स्थापना / Setting up of Centres for Teaching Regional Languages to Teachers	137
990.	हवाई अड्डा आपरेटरों का चयन / Selection of Aerodrome Operators	137—138
991.	वर्ष 1970 को शिक्षा वर्ष के रूप में बनाया जाना / Observance of Education Year, 1970	138—139
992.	"युनेस्को" द्वारा भारतीय उपन्यासों को सम्मान / Honour to Indian Novels by "UNESCO"	139—140
993.	वैज्ञानिक विभागों के संबंध में प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन / Administrative Reforms Commission Report on Scientific Departments	140

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
994. गृह कल्याण केन्द्र	Grih Kalyan Kendras	141—142
995. विद्यार्थियों और अध्यापकों को यात्रा करने का अनुदान	Grants to Students and Teachers for conducting Tours	142
996. स्टेट बैंक आफ इंडिया की कलकत्ता शाखा में डकैती	Robbery in Calcutta Branch of State Bank of India	143
997. राष्ट्रीय राजपथ संख्या 6 को राष्ट्रीय राजपथ संख्या 26 और 7 से मिलाने वाली सड़क को राष्ट्रीय राजपथ घोषित करना	Declaring Road Connecting, National Highway No. 6 with National Highway Nos. 26 and 7 as a National Highway	143
998. मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथ	National Highways in Madhya Pradesh	143—144
999. राष्ट्रीय राजपथ संख्या 12 का निर्माण	Construction of National Highway No. 12	144
1000. शिक्षा मंत्रालय में कार्य करने वाले अधिकारी	Officers Working in Ministry of Education	144—145
22 नवम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1789 के उत्तर में शुद्धि करने वाला एक विवरण	Correcting Statement to U. S. Q. 1789 dt. 22-11-69	145
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Pubtic Importance	145—148
एयर इन्डिया द्वारा भारतीय यात्रियों को रियायतें देने के निर्णय के विरुद्ध विदेशी एयर लाइनों द्वारा प्रतिक्रमात्मक कार्यवाही	Reported Retallatory Action by Foreign Airlines Against Concession to Indian Passanger by Air India	145—148
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	148—152
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee	152
एक सौ पांचवा प्रतिवेदन	Hundred and Fifth Report	152
लोक-लेखा समिति	Public Accounts Committee	152
अट्ठासीवां और नब्बेवां प्रतिवेदन	Eighty eighth and Ninetieth Reports	152—153
सरकारी उपक्रम संबंधी समिति	Committee on Public Undertakings	153
सत्तावनवां और अट्ठावनवां प्रतिवेदन	Fifty-seventh and Fifty-eighth Reports	153

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
एकस्व विधेयक	Patents Bill	153
(एक) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	Report of Joint Committee	153
(दो) साक्ष्य	Evidence	153
(तीन) अध्ययन टिप्पणी	Study Notes	153—154
सभा का कार्य	Business of the House	154—156
समितियों के निर्वाचन	Elections to Committees	156
(एक) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्	All India Council for Technical Education	156
(दो) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, और	Central Advisory Board of Education ; and	156
(तीन) संयुक्तलाभप्रद समिति	Joint Committee on Offices of Profit	157
बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक, 1970 पुरःस्थापित	Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Bill 1970—Introduced	157—163
बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश, 1970 के बारे में वक्तव्य	Statement Re: Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Ordinance, 1970	163
श्री प्र० चं० सेठी	Shri P. C. Sethi	163
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	Motion of Thanks on the President's Address	163
श्री हेम बरुआ	Shri Ram Barua	163—165
श्री शिव कुमार शास्त्री	Shri Shiv Kumar Shastri	165
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members' Bills and Resolutions	166
57वां प्रतिवेदन	Fifty-Seventh Report	166
पुरःस्थापित विधेयक	Bills Introduced	166—175
(एक) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1970 (अनुच्छेद 85 का संशोधन) श्री श्रीनिबास मिश्र का	The Constitution (Amendment) Bill, 1970 (Amendment of Article 85) by Shri Srinibas Mishra	166

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
(दो) नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 1970 धारा 9, 10 का संशोधन और नई धारा 10-क का रखा जाना, श्री एम० नारायण रेड्डी	The Citizenship (Amendment) Bill, 1970 (Amendment of Sections 9, 10 and Substitution of New Section 10-A) by Shri M. Narayana Reddy	166—167
तीन) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1970 (आठवीं अनुसूची का संशोधन) श्री एम० मेघचन्द्र का	The Constitution (Amendment) Bill, 1970 (Amendment of Eighth Scheduled) by Shri M. Meghachandra	167
(चार) नागर विमानन (लाइसेंस देना) विधेयक, 1970, श्री स० चं० सामन्त का	The Civil Aviation (Licensing) Bill, 1970 by Shri S. C. Samanta	167
(पांच) संसद ग्रंथालय विधेयक, 1970 —श्री स० चं० सामन्त का	The Parliament Library Bill, 1970 by Shri S. C. Samanta	168
(छः) दानकर (संशोधन) विधेयक, 1970 (धारा 22 23, आदि का संशोधन), श्री स० चं० सामन्त का	The Gift Tax (Amendment) Bill, 1970 Amendment of Sections 22, 23, etc.) by Shri S. C. Samanta	
(सात) कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 1970 (नई धारा 43-ख का रखा जाना और धारा 224, 237 आदि का संशोधन), श्री स० चं० सामन्त का	The Companies (Amendment) Bill, 1970 (Insertion of New Section 43B and Amendment of Sections 224, 237, etc.) Shri S. C. Samanta	168—169
(आठ) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1970 (अनुच्छेद 330 और 332 का संशोधन), श्री सूरज भान का	The Constitution (Amendment) Bill, 1970 (Amendment of Articles 330 and 332) by Shri Suraj Bhan	169
(नौ) मातृ वंशावलि विधेयक, 1970, श्री मधु लिमये का	The Mother's Lineage Bill, 1970 by Shri Madhu Limaye	182
(दस) संविधान (संशोधन) विधेयक, 1970 (अनुच्छेद 168 के स्थान पर नये अनुच्छेद का रखा जाना तथा अनुच्छेद 169 आदि का हटाया जाना), श्री भोगेन्द्र झा का	The Constitution (Amendment) Bill, 1970 (Substitution of Article 168 and Commission of Article 169, etc.) by Shri Bhogendra Jha	183

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
(ग्यारह) न्यायाधीश (कतिपय मामलों में सुनवाई पर प्रतिषेध) विधेयक, 1970, श्री अमर सिंह सहगल का	The Judges (Prohibition on Hearing in certain cases) Bill, 1970 by Shri A. S. Saigal	183
संविधान (संशोधन) विधेयक—(प्रवर समिति को निर्दिष्ट) (अनुच्छेद 32 और 226 का संशोधन), श्री तेन्नेति विश्वनाथम का	Constitution (Amendment) Bill Referred to Select Committee) (Amendment of Articles 32 and 226) by Shri Tenneti Viswanatham	169
विचार का प्रस्ताव	Motion to Consider	169
श्री दत्तात्रेय कुन्ते	Shri Dattatraya Kunte	169
श्री शिव चन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	170
श्री विक्रम चन्द महाजन	Shri Vikram Chand Mahajan	170
श्री स० कुण्डू	Shri S. Kundu	170
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	170—171
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha	171
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी	Shri S. S. Kothari	171
श्री एस० एन० मिश्र	Shri S. N. Misra	171
श्री मुहम्मद युनस सलीम	Shri M. Yunus Saleem	171
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम	Shri Tenneti Viswanatham	173
विदेशी सहायता (लेखा रखना) विधेयक—श्री कंवर लाल गुप्त का ।	Foreign Aid (Maintenance of Accounts) Bill—by Shri Kanwar Lal Gupta	176
विचार का प्रस्ताव	Motion to Consider	176
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	176—178
श्रीमति इला पालचौधरी	Shrimati Ila Palchoudhuri	178
श्री फ० गो० सेन	Shri P. G. Sen	178—179
श्री रा० ढो० भण्डारे	Shri R. D. Bhandare	179
श्री नन्द कुमार सोमानी	Shri N. K. Somani	179— 180

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री वेदव्रत बरुआ	Shri Bedabrata Barua	180—181
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha	181—182
श्री तुलसी दास जाधव	Shri Tulshidas Jadhav	182—183
आधे घंटे की चर्चा	Half an Hour Discussion	184
चौथी पंचवर्षीय योजना में वृद्धि का प्रभाव	Impact of Increase in the Fourth Five Yeer Plan	184—186
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी	Shri S. S. Kothari	186
श्री प्र० चं० सेठी	Shri P. C. Sethi	186—187

लोक-सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 27 फरवरी, 1970/8 फाल्गुन, 1891 (शक)
Friday, Feb. 27, 1970/Phalguna 8, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
Mr. Speaker *in the Chair.*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

दैतारी खानों से पारादीप पत्तन तक एक्सप्रेस मार्ग

+

*123. **श्री एस० एम० कृष्ण :** **श्री लखन लाल कपूर :**
श्री मंगलाथूमाडोम :

क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में दैतारी खानों से पारादीप पत्तन तक के 14 2 किलो मीटर लम्बे एक्सप्रेस मार्ग का निर्माण करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने ऋण दिया था;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि दी गई थी;

(ग) क्या सड़क इस बीच पूरी कर ली गयी है; और

(घ) दैत्तारी खानों से पारादीप पत्तन को प्रतिनिधि कितना लोह अयस्क भेजा जाता है तथा तत्सम्बन्धी महीने वार आंकड़े क्या है?

संसद्-कार्य, नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री के० रघुरमैया) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) और (ख). पारादीप एक्सप्रेसवे राज्य सड़क है और उड़ीसा सरकार ने सामान्य राज्य योजना परियोजना के रूप में शुरू किया है। इस निर्माण-कार्य के लिये भारत सरकार ने कोई विशिष्ट ऋण सहायता नहीं दी है ।

(ग) और (घ). जी हां। एक्सप्रेसवे फरवरी 1969 में चालू की गयी थी। तब से जनवरी 1970 के अन्त तक जैसा कि नीचे दिया गया है दैतारी टोमका खानों से 3, 65, 795 टन खनिज लोहा पारादीप पत्तन पर लाया गया :

मास और वर्ष	मात्रा
फरवरी 1969	51576 टन
मार्च, ,,	20219 ,,
अप्रैल, ,,	28974 ,,
मई, ,,	21775 ,,
जून, ,,	26823 ,,
जुलाई, ,,	27948 ,,
अगस्त, ,,	28644 ,,
सितम्बर, ,,	26320 ,,
अक्तूबर, ,,	41530 ,,
नवम्बर, ,,	24882 ,,
दिसम्बर, ,,	38059 ,,
जनवरी, ,,	30053 ,,
	3,65,795 टन

श्री एस० एम० कृष्णा : उड़ीसा की दैतारी खानों में अयस्क के भारी भण्डार हैं, इसे सब स्वीकार करते हैं। इस विवरण से प्रकट होता है कि फरवरी 1969 से जनवरी 1970 तक 3.65 लाख मीटरी टन अयस्क की वहां से निकासी की गई है। यह चिन्ता का विषय है कि उसमें काफी कमी हुई है। फरवरी में केवल 28 दिन होते हैं, तब भी निकासी 51000 मीटरी टन रही जबकि जनवरी, 1970 में 31 दिन हैं, तो भी निकासी 30000 मीटरी टन रही। क्या सरकार इस कमी के कारण बताएगी?

श्री इकबाल सिंह : यातायात पर पथ-कर लगाने के कारण ही भारी कमी हुई है। उसके कारण कोंडगांव जाने वाले और भुवनेश्वर तक आने वाले यातायात को कटक के मार्ग से आना पड़ा है। उस कमी के कुछ और भी कारण हो सकते हैं।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या पारादीप पत्तन परियोजना विकास में अरुचि और उसके विकास और उसकी देख भाल के लिये समुचित सरकारी सहायता का न दिया जाना ही दैतारी खानों से लोह अयस्क की पारादीप निकासी में कमी होने का कारण नहीं है?

श्री इकबाल सिंह : पत्तन के विकास के बारे में दो मत नहीं हैं। उस पत्तन के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार अपने सब साधनों के साथ पत्तन के विकास में सभी प्रयत्न कर रही है। हमने एक भाँडागार की मंजूरी दी है और हम सब प्रकार से उसका विकास कर रहे हैं। पारादीप के मार्ग से लोहे अयस्क के आयात का एक नया करार भी किया गया है।

जहां तक कमी का प्रश्न है, हमने राज्य सरकार पर जोर डाला है कि ट्रकों पर लगाये गये पथ-कर को समाप्त किया जाये क्योंकि इससे लोह अयस्क की निकासी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यदि राज्य सरकार इसे हटा देती है, तो अधिक निकासी सम्भव है।

श्री श्रद्धाकार सूपकार : क्या वही एक मात्र कारण है?

श्री इकबाल सिंह : यह एक कारण है। कुछ और भी कारण हो सकते हैं। दैतारी खानों का विकास राज्य सरकार ने किया है और उसी ने इस पर काफ़ी धन लगाया है और एक्सप्रेसवे की देखभाल भी वही कर रही है।

श्री ई० के० नायनार : मन्त्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर से प्रकट होता है कि सरकार उड़ीसा से लोह अयस्क के निर्यात घटने के तथ्य को गम्भीरता से नहीं देख रही। भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण के अनुसार कालीकट में 30 लाख मीटरी टन लोह अयस्क का भंडार है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार वहां से लोह अयस्क का निर्यात करके विदेशी मुद्रा कमाना चाहती है।

श्री इकबाल सिंह : मुझे इसकी कोई सूचना नहीं है। मुख्य प्रश्न का सम्बन्ध दैतारी खानों और पारा द्वीप पत्तन से हैं।

श्री रंगा : माननीय मंत्री ने बताया है कि उड़ीसा सरकार ने एक्सप्रेसवे पर पथ कर लगा दिया है जो विकास कार्यों में गतिरोध का एक कारण है क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने एक्सप्रेसवे पर जो धन लगाया है वह उसे वसूल करना है और जो ऋण उसके लिए लिया है, उसे वह एकत्र करके भारत सरकार को लौटा देना चाहती है? इस पथ-कर के अतिरिक्त और कौन से कारण हैं, जिनके कारण माननीय मित्र द्वारा उल्लेख की गई सुविधाएं नहीं दी जा रही?

संसद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघु रामैया) : एक्सप्रेसवे का निर्माण राज्य सरकार द्वारा किया गया था। अन्तिम तीन मीलों को छोड़ कर शेष का निर्माण पत्तन ने किया और राज्य सरकार के खाते में डाल दिया गया है। मैं समझता हूँ कि उसका निर्माण उस समय हुआ था जब पारा द्वीप पत्तन का विकास राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा था। तत्पश्चात् पत्तन का निर्माण भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने पूरे एक्सप्रेसवे को नहीं, अपितु उसके केवल 47 मील के क्षेत्र को, जोकि राष्ट्रीय राजपथ पर पड़ता है, केन्द्र द्वारा अधिकार में लिये जाने के लिए अनुरोध किया है, क्योंकि वह इसकी देख भाल नहीं कर पाते।

उस पर विचार किया जा रहा। इसलिये यह कहना कि हम पारा द्वीप का ध्यान नहीं रख रहे, ठीक नहीं है। हाल ही में मैंने वहां एक भांडागार का शिलान्यास रखा था और इससे मुख्य मन्त्री अत्यन्त प्रसन्न थे।

श्री कार्तिक उरांव : क्योंकि यह सड़क खान क्षेत्रों से होकर जाती है इसलिए इसपर खानों के धंसने का खतरा बना रहता है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या खानों के धंसने से बचने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है और यदि हां तो सड़क के निर्माण का प्रति मील खर्च कितना बैठता है।

श्री इकबाल सिंह : यह पृथक प्रश्न है। इसका उससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न संगत नहीं है।

श्री कार्तिक उरांव : यह प्रश्न संगत है।

श्री रघु रामैया : अयस्क के सम्बन्ध में प्रश्न पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय से पूछे जायें क्योंकि यह उस मन्त्रालय से सम्बन्धित विषय है।

केन्द्रीय सरकार के भारतीय सिविल सेवा/भारतीय प्रशासन सेवा/राजपत्रित अधिकारियों के लिए सुरक्षा गारद

*124. **श्री नारायण स्वरूप शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे भारतीय सिविल सेवा तथा भारतीय प्रशासन सेवा और केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारियों की संख्या कितनी है जिनके निवासस्थानों पर सुरक्षा गारद की व्यवस्था की गई है ;

(ख) इस संबंध में प्रति वर्ष कितना धन व्यय हो रहा है ;

(ग) क्या सम्बन्धित अधिकारियों से उक्त व्यय वसूल करने का सरकार का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या इसके स्थान पर अन्य अधिकारियों को कुछ विशेष भत्ता देने का सरकार का विचार है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). अब तक की प्राप्त सूचना का एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है। अन्य राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों, इत्यादि से सूचना प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) और (घ). सुरक्षा गारद की व्यवस्था केवल उन अधिकारियों के लिए की जाती है जिनको अपने पद के नाते सुरक्षा का खतरा है। अतः जिनके लिए गारद की व्यवस्था की गयी है उनसे व्यय वसूल करने और जिनके लिए गारद की व्यवस्था नहीं की गयी है उनको कोई विशेष भत्ता देने के प्रश्न ही नहीं उठते।

विवरण

भारतीय सिविल सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा समेत केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के लिए सुरक्षा गारद का प्रबन्ध राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों इत्यादि से प्राप्त उत्तर ।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/ केन्द्रीय पुलिस संगठन का नाम	उन अधिकारियों की संख्या जिनके निवास स्थानों पर सुरक्षा गारद की व्यवस्था की गयी	वार्षिक व्यय
1. गुजरात	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2. हरियाणा	कुछ नहीं	कुछ नही
3. मध्य प्रदेश	कुछ नहीं	कुछ नहीं
4. मैसूर	कुछ नहीं	कुछ नहीं
5. उत्तर प्रदेश	कुछ नहीं	कुछ नहीं
6. मणिपुर	राजनिवास	रु० 84,000 प्रति वर्ष
7. लक्कादीप, मिनिकाय और अमिनदिवी द्वीपसमूह	कुछ नहीं	कुछ नहीं
8. हिमाचल प्रदेश	कुछ नहीं	कुछ नहीं
9. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	मुख्य आयुक्त	रु० 20,076,09
10. चण्डीगढ़	एक	रु० 19,130,00
11. पांडिचेरी	कुछ नहीं	कुछ नहीं
12. गोआ	1. उप-राज्य पाल) 2. न्यायिक आयुक्त) 3. मुख्य सचिव)	कोई व्यय नहीं हुआ नियमित पुलिस बल से व्यवस्था की गयी ।
13. दिल्ली	1. गृह सचिव, भारत सरकार) 2. उप-राज्यपाल) 3. उप-आयुक्त, दिल्ली) 4. पुलिस महा-निरीक्षक तथा) दो पुलिस उप-महा) निरीक्षक)	कोई अतिरिक्त व्यय नहीं हुआ । गारदों की व्यवस्था दिल्ली पुलिस के वर्तमान स्वीकृत बल से की जाती ।
14. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस	1. महा-निदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस । 2. पुलिस के क्षेत्रीय महा-निरीक्षक-दो ।	

Shri Narain Swarup Sharma (Domaria Ganj): It is long since I gave notice of this question, by now all the information from the States should have been collected. I would like to know from the Hon. Minister, the relevant provisions of law under which Security Guards are provided for various officers.

I would also like to know the category of public of which officers are afraid of and how it becomes necessary to provide the Security Guards. Is it not that the officers are suspected to be the spies and it becomes necessary to keep a watch over them ?

Shri Vidya Charan Shukla: No special law is necessary to provide for the Security Guards. It is done under the normal administrative duties. I have already stated in reply to the original question that Security Guards are provided for only those officers who by virtue of their duties are exposed to security risks. No question of fear is involved in it. Administration has the discretion to decide as to where the Security Guards should be provided and where not.

Shri Narain Swarup Sharma: The Hon. Minister has stated that it is the nature of work which necessitates the provisions of Security Guards. I would like to know whether it is inevitable to spend 20 thousand rupees on an I. A. S. officer in Chandigarh.

Shri Vidya Charan Shukla: I think he is referring to the Security arrangements provided at the Chief Commissioner's residence at Chandigarh. I shall reply to it after going through the details.

उत्तर प्रदेश के दौरे के समय प्रधान मंत्री पर हुए व्यय का अंश वहन करना

*125. **श्री वि० नरसिम्हा राव :** **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री जनेश्वर सिंह देव :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधान मन्त्री द्वारा किये गये उस राज्य के दौरे के समय उनकी सुरक्षा के लिए किये गये विस्तृत प्रबन्धों पर हुए व्यय का अंश वहन करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) 1969 से लेकर अब तक प्रधान मन्त्री के उत्तर प्रदेश के दौरे के समय उनका संबंधी व्यवस्था पर कुल कितना व्यय हुआ है ; और

(घ) क्या उन्होंने ये दौरे सरकारी कार्यों अथवा दलगत कार्यों के लिए किये थे ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) प्रधान मन्त्री का किसी राज्य के दौरे के समय उचित सुरक्षा व्यवस्था करना उस राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है और यद्यपि केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्य सरकारों को सलाह दी है कि प्रबन्ध खर्चीले नहीं होने चाहिए तो भी व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है ।

(ग) राज्य सरकार के अनुसार मध्यावधि चुनाव के समय प्रधान मंत्री के दौरों के दौरान सुरक्षा प्रबन्धों पर कुल 35 लाख रुपये व्यय हुआ था । बाद के दौरों पर राज्य सरकार द्वारा बताया गया कुल व्यय लगभग 3.33 लाख रुपये हैं किन्तु इस राशि में से सुरक्षा प्रबन्धों पर

किया गया कुल व्यय पृथक रूप से नहीं बताया गया है। इस कुल राशि के ब्यौरे राज्य सरकार से मांगे गये हैं।

(घ) मध्यावधि चुनाव के सम्बन्ध में लगाये गये चुनाव दौरों के अलावा तीन दौरे गैर-सरकारी थे और शेष सरकारी थे।

श्री एस० एम० कृष्ण (मंडया) : भाग (ग) में केवल उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी है कि वहाँ 35 लाख रुपये व्यय हुये हैं। कुल कितना व्यय किया गया है, इस सम्बन्ध में कुछ नहीं बताया गया।

अध्यक्ष महोदय : पहले श्री पाटोदिया को अपना पूरक प्रश्न पूछने दीजिये।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया (जालोर) : सारे देश को पता है कि हाल ही में प्रधान मन्त्री अपने पद का दुरुपयोग करती रही हैं। प्रधान मन्त्री के रूप में उन्हें जो सुविधायें मिलती हैं उनका उन्होंने दलगत कार्यों के लिये प्रयोग किया है। यह बात विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के दौरे के सम्बन्ध में कही जा सकती है, गुप्तचर विभाग के हजारों कर्मचारियों को प्रधान मंत्री की सुरक्षा के लिये लगाना पड़ा तथा हैलीकोप्टर उतारने के अनेक स्थानों का निर्माण किया गया। क्या यह सच है कि सम्बन्धित राज्यों के मंत्रियों से परामर्श किये बिना ही केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्रधान मन्त्री के लिये सुरक्षा व्यवस्था करने के सम्बन्ध में अनुदेश दे दिये जाते हैं। इस विषय में मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या उत्तर प्रदेश के सुरक्षा व्यवस्था में पिछले कुछ महीनों में काफी वृद्धि की गयी है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहाँ तक प्रधान मन्त्री के लिये सुरक्षा व्यवस्था का प्रश्न है, वह सरकारी, गैर-सरकारी, राजनीतिक, गैर राजनीतिक चाहे किसी भी प्रकार के दौरे पर जायें, उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिये राज्य सरकार ही उत्तरदायी है। प्रबन्ध कितना किया जाये यह बात राज्य सरकार की अपनी इच्छा पर निर्भर करती है। स्थिति की पूरी तरह जांच वे ही कर सकते हैं। प्रधान मन्त्री के दौरों के औचित्य के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने जो कहा है, वह मेरे विचार से संगत नहीं है।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : मेरा प्रश्न यह नहीं था। मैंने पूछा था कि क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार से परामर्श किये बिना उसे अनुदेश क्यों दिये थे।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : वास्तव में यह व्यवस्था पिछले 23 वर्ष से चली आ रही है। इसलिये परामर्श करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रंगा : यह जानने के लिए परामर्श किया जाना चाहिये था कि क्या प्रधान मन्त्री के दौरे के समय उनकी सुरक्षा व्यवस्था करना राज्य सरकार के लिये सुविधाजनक रहेगा ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : प्रधान मन्त्री को दौरे पर जाना चाहिये या नहीं, इस संबंध में परामर्श नहीं किया जाता।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : दूसरा प्रश्न पूछने से पहले मैं अपने पहले प्रश्न के सम्बन्ध में

स्पष्टीकरण चाहता हूं। क्या अपने आप अनुदेश दे दिये जाते हैं ? आप 'हां' या 'नहीं' में उत्तर दीजिए। क्या केन्द्रीय सरकार के कहने पर सुरक्षा व्यवस्था में कई गुना वृद्धि की गई थी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : किस समय क्या प्रबन्ध किये जायें यह निश्चय करना स्थानीय सरकार तथा स्थानीय अधिकारियों का काम है। कोई विशेष अनुदेश नहीं दिये जाते हैं परन्तु सामान्य सुरक्षा व्यवस्था के लिये निस्सन्देह कुछ अनुदेश दिये जाते हैं।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : वे प्रबन्ध क्या हैं। क्या सभा-पटल पर उसकी एक प्रति रखी जायेगी।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : वे नियम गोपनीय हैं, उन्हें सार्वजनिक रूप से नहीं बताया जा सकता।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि प्रधान मन्त्री ने उत्तर प्रदेश के इतने अधिक दौरे किये हैं, जिनकी तुलना चुनाव के समय किये जाने वाले दौरों के साथ ही का जा सकती है। क्या वह इस बात को स्वीकार करते हैं कि ये दौरे मुख्यतया दलगत प्रचार के प्रयोजन से ही किये गये थे ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य के ऐसे विचार हो सकते हैं, किन्तु मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। प्रधान मन्त्री दौरे पर जाते समय जनता के सामने सामान्य राजनीतिक स्थिति तथा राष्ट्रीय नीतियों को ही रखती हैं। जनता के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना काफी हद तक प्रधान मन्त्री का ही उत्तरदायित्व है।...(**अन्तर्बाधा**)

श्री क० प्र० सिंह देव : 1967 के पश्चात केन्द्र राज्य सम्बन्धों के नये मानक स्थापित हो रहे हैं और सरकारी दौरों तथा दलगत कार्यों के लिये किये गये दौरों में बहुत ही सूक्ष्म अन्तर रह गया है। इस बात को देखते हुए क्या मैं जान सकता हूँ कि (क) आजकल जैसी भ्रान्ति उत्पन्न हो रही है, उसे दूर करने के लिये क्या गृह-कार्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों से परामर्श करके कोई फार्मूला तैयार किया है ; और (ख) प्रधान मन्त्री के हाल ही के दौरे के समय हैलीकोप्टर उतारने की कितनी जगहों का निर्माण किया गया था। क्या ऐसा उनके लिये व्यक्तिगत रूप में अथवा उत्तर प्रदेश के संसद सदस्य होने के नाते अथवा प्रधान मन्त्री होने के नाते किया गया था, उनपर कितना धन खर्च आया था। क्या उन्हें खेतों में बनाया गया था और उनसे धान की कितनी फसल की हानि हुई तथा इन स्थानों का निर्माण करने के लिये कितनी भूमि का प्रयोग किया गया ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूँ कि केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बीच कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गयी हैं। क्योंकि राज्य सरकार ने यह प्रश्न उठाया है, इसलिये इस पर विचार किया जायेगा। इसमें कोई सन्देह की बात नहीं है।

जहां तक हैलीकोप्टरों को उतरने के लिये पट्टियों का सम्बन्ध है, मैंने आज इस बारे में एक अतारांकित प्रश्न का उत्तर दिया है और माननीय सदस्य उसे देख सकते हैं। जहां तक मुझे याद है इस प्रकार की पांच-छः पट्टियां बनाई गई हैं। इनके निर्माण में अधिक कार्य नहीं करना पड़ता।

इनमें थोड़ी व्यवस्था करनी पड़ती है और इनके निर्माण पर व्यय भी बहुत कम होता है । उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री को भेजे गये एक पत्र में मैंने बताया है कि हम इन पट्टियों के निर्माण पर होने वाले व्यय का कुछ भाग देने के लिये तैयार है ।

Shri Tulshidas Jadhav : May I know whether these tours are of the same nature which were made by the former Prime Minister ?

Shri Y. B. Chavan : Yes, Sir.

Shri Madhu Limaye : May I know whether he is aware of the speech made by Mahatma Gandhi in Banaras Hindu University when he entered the political field that the Viceroy had lost the confidence of the public and they had been spending huge amount on his security ? The figures before us indicate that the expenditure being incurred at present has surpassed even that limit. May I know whether hon. Minister would give an assurance to this House that keeping in view the economic conditions of the country he would look into huge expenditure being incurred on security and make efforts to reduce it in consultation with states ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : हमारे प्रधान मन्त्री अथवा किसी देश के प्रधान मन्त्री की सुरक्षा व्यवस्था की तुलना वाइसराय की रक्षा व्यवस्था से नहीं की जा सकती, क्योंकि वाइसराय को जनता से अलग ही रखा जाता था । प्रधान मन्त्री जनता से मिलने के लिये जाया करते हैं । मैं समझता हूँ कि आज हम केवल किसी प्रधान मन्त्री की सुरक्षा व्यवस्था पर ही विचार नहीं कर रहे हैं । चाहे प्रधान मन्त्री किसी भी दल का हो हम उसकी सुरक्षा व्यवस्था के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं । वर्तमान स्थितियों में अथवा किन्हीं परिस्थितियों के प्रधान मन्त्री की सुरक्षा के लिये अपेक्षित व्यवस्था करनी ही पड़ती है । इस प्रश्न पर सदा विचार किया जा सकता है कि क्या इस पर अधिक व्यय हो रहा है अथवा क्या इस व्यय को कम किया जा सकता है ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : गृह-कार्य मन्त्री ने व्यय के जो आंकड़े दिये हैं, वे देश की निर्धनता को देखते हुए बहुत अधिक हैं । मैं समझता हूं कि प्रधान मन्त्री को चाहे वह कोई भी हो, दौरों पर आठ लाख रुपये व्यय कर देश के हित में किसी भी प्रकार उचित नहीं है । क्या इस बात को देखते हुए तथा देश में हो रही तीव्र प्रतिक्रिया को देखते हुए क्या सरकार इस बात के लिये कोई कार्यवाही करेगी कि प्रधान मन्त्री की सुरक्षा के नाम पर उनके दौरों पर अनावश्यक व्यय नहीं किया जायेगा ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : इस संबंध में सभा को कुछ अधिक संतुलित दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए । जो आंकड़े दिये गये हैं, उनके बारे में मुझे विस्तारपूर्वक पता नहीं हैं । माननीय सदस्यों ने जो 35 लाख रुपये के आंकड़े दिये हैं, इनके बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह राशि प्रधान मन्त्री की निजी सुरक्षा व्यवस्था पर ही व्यय नहीं की गई है । मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्यों ने अन्य मदों पर हुए व्यय को भी इसमें मिला कर राशि 35 लाख की बताई है । सार्वजनिक सभाओं, भीड़ नियंत्रण आदि पर भी व्यय हुआ है । हो सकता है कि इन सब मदों पर 35 लाख रुपये व्यय हुआ हो । किन्तु जब तक हमें पूरी जानकारी न मिले मैं कुछ नहीं कह सकता । मैं माननीय सदस्यों की इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि अनावश्यक व्यय न किया जायें । हम इस पर अवश्य विचार करेंगे ।

Shri Kanwar Lal Gupta : I agree with the hon. Minister that the Prime Minister has got the right to tour in states for educating the public or for placing her viewpoint before the public. May I know whether it is not a fact that during her tour of U. P. in the recent past, she used Government helicopter and Air force planes and she criticised Jan Sangh, U. P. Government, tried to topple the Government there, and held talks with M. L. As. although she was on official tour. All this was done at the cost of Government. May I know whether these things are not against propriety and norms. If so, whether Government have looked into it with a view to lay down norms in this regard.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : जहां तक सरकार को गिराने का सम्बन्ध है, प्रधान मंत्री ने अपने दौरों के समय यह स्पष्ट कर दिया था कि उनके दौरा का वहां की सरकार को गिराने से कोई सम्बन्ध नहीं है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि लोगों को राष्ट्रीय नीतियों को बताते समय यदि किसी दल की आलोचना करना आवश्यक हो जाये तो उसमें कोई गलत बात नहीं है।

श्री रंगा : यह थोडी राहत की बात है कि गृह-कार्य मंत्री ने माना है कि व्यय कम करने के बारे में पुनर्विचार करने की आवश्यकता है और इसलिये सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी। किन्तु इसके साथ-साथ देश में परिवर्तित राजनैतिक वातावरण, विशेषत: उन राज्यों में, जहां एक से अधिक दलों की सरकारें शासन चला रही हैं, देखते क्या सरकार इस मामले पर नये दृष्टिकोण से विचार करेगी और तब राज्यों के मुख्य मंत्रियों से परामर्श करके कोई नीति बनायेगी, जिससे प्रधान मंत्री राज्यों में जाकर राज्यों द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों की आलोचना कर के राज्यों में परस्पर मतभेद उत्पन्न न कर सके और कानून और व्यवस्था की अवहेलना न कर सके ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : माननीय सदस्य के लिये इस प्रकार की बात करना उचित नहीं है। मैं यह बता चुका हूँ कि व्यय के बारे में हमें सदा ध्यान रखना होगा।

श्री रंगा : क्या प्रधान मंत्री के लिये यह उचित है कि वह राज्यों में जा कर स्थानीय सरकारों की नीतियों, कार्यक्रमों तथा दृष्टिकोण को आलोचना करे ?

श्री प० मु० सईद : प्रधान मंत्री को, विशेषकर कांग्रेस के विभाजन के पश्चात् मिले धमकी भरे पत्रों और इन तीन दलों में हुए गठजोड़ की दृष्टि में रखते हुए प्रधान मंत्री की सुरक्षा के लिए क्या विशेष प्रबन्ध किये गये हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जब भी प्रधान मंत्री की सुरक्षा के सम्बंध में सरकार को कोई संकेत अथवा जानकारी मिलेगी तो स्वभावत: सरकार इस बारे में हर प्रकार आवश्यक कार्रवाई करेगी।

श्री स० कुण्डू : जब प्रधान मंत्री मध्यावधि चुनावों अथवा आम चुनावों के दौरान दौरे पर जाते हैं तो उसपर जितना रुपया खर्च होता है, उसका अधिकतम भाग प्रधान मंत्री के अपने राजनैतिक दल के कार्यों का निर्वाह करने में खर्च होता है। इन सब बातों को देखते हुए क्या उस राजनैतिक दल से, जिस से प्रधान मंत्री सम्बन्धित होता है, धन की प्रतिपूर्ति करने के लिये कहने का सरकार का विचार है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहां तक चुनाव के सम्बंध में प्रधान मंत्री के दौरों का संबंध

है, इस मामले पर पुनर्विचार किया जा चुका है। खर्च दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के खर्च को तो वैध रूप से दल के हित में खर्च किया हुआ कहा जा सकता है, जैसे सार्वजनिक सभा में भाषण करने की व्यवस्था ; माइक्रोफोन, मंच आदि की व्यवस्था करना। इन मामलों पर तो राजनैतिक दलों को स्वभावतः खर्च करना ही पड़ता है। परन्तु सभा में अन्य प्रकार की व्यवस्था सरकार को ही करनी पड़ती है, क्योंकि प्रधान मंत्री का भाषण सुनने के लिए बहुत अधिक जनता इकट्ठी होती है। मान लो कल यदि श्री रंगा प्रधान मंत्री बन जाएं तो उन्हें भी इन व्यवस्थाओं की आवश्यकता होगी।

श्री बलराज मधोक : तो आप यह मानते हैं कि "श्रीमती इन्दिरा गांधी" नहीं बल्कि "प्रधान मंत्री" ही जनता की भीड़ आकर्षित करती है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : आपको ईर्ष्या क्यों होती है ? मैं प्रधान मंत्री के पद का वर्णन कर रहा हूँ न कि प्रधान मंत्री का। जब प्रधान मंत्री कहीं बाहर जाते हैं तो यह स्वाभाविक होता है कि उनसे बहुत अधिक जनता आकर्षित होगी जैसा कि इस मामले में हुआ है। वर्तमान प्रधान मंत्री को बहुत अधिक जनता का आकर्षण है और इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन का कर्त्तव्य हो जाता है कि जनता की उस भीड़ का समुचित रूप से प्रबन्ध करे और इसके लिए कुछ प्रबन्ध करने पड़ते हैं। राज्य को भी स्वाभाविक रूप में यह कार्रवाइयां करनी पड़ती हैं।

Shri Sheo Narain : I want to know whether the Home Ministry is responsible only for the protection of the Prime Minister or it is responsible for the security of every of Member of Parliament also ?

Shri Y. B. Chavan : We are responsible for the protection of all of them.

Shri M. A. Khan : Is it a fact that after the split in the Congress party there was police arrangement in U. P. when the leaders of the Congress (o) *viz.* Shri Morarji Desai and Shri Nijalingappa toured Uttar Pradesh ? I want to know what was the expenditure incurred on police arrangement in that connection ? Is it not affect that in view of the misunderstandings that has been created about us by the leaders of the Congress (o) it was necessary for the Prime Minister to tour U. P. and other states inorder to remove these misunderstandings and to inform the people of her receives and the Government's stand on various matters ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस बारे में सरकार को कुछ नहीं कहना। जहां तक अन्य व्यक्तियों पर हुए खर्च का सम्बंध है हमारे पास कोई जानकारी नहीं है।

Shri S. M. Joshi : The hon. Home Minister has stated that we should make arrangements for the security of the Prime Minister who so ever he may be. We admitted that responsibility when we held demonstration against the tour of the then Prime Minister Shri Jawahar Lal Nehru in Maharashtra. The hon. Home Minister has stated that Rs. 32 lakhs or Rs. 34 lakhs were spent on the tours of the Prime Minister during mid-term elections. We should think whether is it proper for a poor country like ours to incur so heavy expenditure on the security of Prime Minister ? When so much expenditure was incurred during the mid-term elections the extent of expenditure being incurred in the general elections can be well-imagined. Every Prime Minister, who so ever he may be should realised as to whether so heavy expenditure is justified. I want to know whether some criterion has been fixed in the matter about the extent of the election-tours of the Prime Minister and the extent of expenditure State Government has to bear ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : इस संबंध में कठिनाई यह है कि 35 लाख रुपये का जो खर्च दिखाया गया है, वह राज्य सरकार ने दिखाया है । हमने उसका विस्तृत विवरण नहीं देखा है कि कितना धन प्रधान मंत्री की सुरक्षा पर खर्च हुआ और कितना सामान्य शांति तथा व्यवस्था पर खर्च हुआ । जब तक हमें इस बात की जानकारी नहीं मिलती 35 लाख रुपये के आंकड़े स्वीकार नहीं किये जायेंगे । मैं इस बात को रिकार्ड में लाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक ये आंकड़े स्वीकार नहीं किये हैं । परन्तु इन आंकड़ों को वास्तव में राज्य सरकार ने ही दिया है । और इन्हें यहां बताना मेरा कर्त्तव्य है । जहां तक प्रधान मंत्री के खर्च का सम्बन्ध है हम उन्हें कैसे यह कह सकते हैं कि वह किसी निश्चित स्थान तक ही जायें और अन्य व्यक्तियों से मिलने न जायें । राष्ट्रीय दल के नेता की हैसियत से प्रधान मंत्री से आम चुनावों के समय राज्यों का भ्रमण करने और अधिक से अधिक लोगों से मिलने की अपेक्षा की जाती है ।

श्री पीलु मोदी : वह खर्च कितना है ?

श्री एस० कण्डप्पन : प्रधान मंत्री के दौरों के विषय में दिए गए उत्तर को दृष्टि में रखते हुए मैं गृह-कार्य मंत्री से प्रधान मंत्री द्वारा लोगों को सरकार की नीतियों की जानकारी कराने के औचित्य के बारे में जानना चाहता हूं कि क्या वह इस बात पर विचार करेंगे कि चुनावों के दौरान लोगों को सरकार की नीतियों के बारे में जानकारी देने के लिए इस प्रकार के शैक्षिक दौरे उचित नहीं हैं ? सम्भवत: उस समय लोग सरकार की नीतियों को समझने में ग्रहणशील न हों और उनका मूल्यांकन करने को भी तैयार न हों । कम से कम उन्हें चुनावों के समय दौरे नहीं करने चाहिएं और राज्य सरकारों को उस समय खर्च उठाने को नहीं कहना चाहिए । इस उद्देश्य के लिए यदि प्रधान मंत्री अथवा अन्य कोई मंत्री चुनावों के समय राज्य में दौरा करे तो चुनावों के समय उन दौरों के जो खर्च प्रस्तुत किये जाएं, वह राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार के द्वारा उठाये नहीं जाने चाहिये बल्कि सत्तारूढ़ दल के द्वारा उठाये जाने चाहिये ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जैसा कि मैंने स्पष्ट किया है कि खर्च का जितना भाग उचित रूप से दल के खर्च पर डाला जा सकता है, उस खर्च को दल उठाता है । परन्तु यदि प्रधान मंत्री चुनाव के दौरान राजनीतिक प्रचार के निमित्त दौरे पर जायें तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल दल पर ही नहीं होती, वह तो राष्ट्रीय जिम्मेदारी होती है ।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि जब कभी प्रधान मंत्री किसी विशेष राज्य के दौरे पर जाती हैं तो उन्हें उस राज्य के मुख्य मंत्री से अनुमति लेनी पड़ती है और यदि मुख्य मंत्री प्रधान मंत्री को वहां न आने के लिए कहता है तो उन्हें अपना कार्यक्रम रद्द करना होता है ? यह घटना वर्ष 1969 में आसाम में घटी थी । उस वर्ष सितम्बर में प्रधान मंत्री आसाम की यात्रा करना चाहती थी परन्तु आसाम के मुख्य मंत्री ने उन्हें बताया था कि वह उस समय न आएं, और उन्हें अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी थी । इस सन्दर्भ में मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या प्रधान मंत्री ने उत्तर प्रदेश की यात्रा का निश्चय करने से पूर्व वहां के मुख्य मंत्री से परामर्श किया था । यदि मुख्य मंत्री से परामर्श किया गया था और यदि वह यात्रा सरकारी तौर पर की गई थी तो इस तथ्य को देखते हुए कि वह खर्च बहुत ही अधिक और अनुचित था, इस खर्च को राज्य सरकार कैसे बहन करे और यदि यह खर्च दल के कार्य पर हुआ तो उसे वह दल बहन करेगा ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहां तक प्रधान मंत्री के दौरों का सम्बन्ध है, सामान्यतया ये कार्यक्रम पहले से ही राज्य सरकारों को भेज दिए जाते हैं। कुछ मामलों में मुख्य मंत्रियों को प्रधान मंत्री को सलाह देने का अधिकार होता है और प्रधान मंत्री को भी उस सलाह को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का पूरा अधिकार होता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्हें उनका खर्च उठाने को कहा जाता है।

असम के पहाड़ी क्षेत्रों को राज्य का दर्जा दिया जाना

*128. **श्री वेणीशंकर शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असम प्रदेश पहाड़ी नेता संघ ने शिलांग में हाल में हुए अपने सम्मेलन में एक संकल्प पास कर के एक सम्पूर्ण राज्य बनाये जाने की मांग की है ;

(ख) क्या सरकार के विचार में पहाड़ी जनता मेघालय के निर्माण से संतुष्ट नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने यदि किन्हीं अन्य उपायों पर विचार किया किया है तो वे क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख). अनुमानत : सदस्य महोदय का आशय गत माह के अन्त में सर्वदलीय पर्वतीय नेता सम्मेलन द्वारा पारित संकल्प से है। इस संकल्प में इस संगठन की एक पृथक राज्य प्राप्त करने के लिये अपने प्रयास जारी रखने की इच्छा दोहराई गई थी, किन्तु, इसके साथ ही इस संकल्प में मेघालय के लोगों के सर्वांगीण विकास तथा कल्याण के लिए काम करने के वर्तमान अवसर का प्रयोग कर स्वायत्त राज्य को निष्कपट परीक्षा देने के लिए उस दल का निर्णय भी सन्निहित था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Shri Beni Shanker Sharma : The hopes and ambitions of man are subject to change. The demand for an autonomous state today is likely to give place to a demand for a full fledged state in future. Well, I do not wish to dilate on this matter and I shall confine myself only to the question. Whether the hon. Minister propose to take a firm decisions regarding Shillong which was hither to the capital of Assam and which is now being made capital of both Assam and Meghalaya, so that both parties could live in peace and harmony and example of Chandigarh is not repeated keeping in view that two swords cannot be put into one shield.

Shri Y. B. Chavan : I do not know why you consider them two swords ? Brothers can live in one house.

Shri Beni Shankar Sharma : The example of Chandigarh is before us. Keeping in this view I would like to know whether hon. Minister propose to make Shillong as the capital of both the states *i. e.* Assam and Meghalaya or it will be given to any one of them ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य स्वायतशासी राज्य की समस्या को बिल्कुल भी नहीं समझ सके है। चण्डीगढ़ के मामले से दो विभिन्न राज्य संबंधित थे परन्तु यहां ऐसी बात नहीं है। स्वायत्तशासी राज्य भी आसाम राज्य का ही एक अंग है।

Shri Beni Shanker Sharma : Meghalaya has been constituted on the basis of regional and linquistic principles and we have now much experience about the states which have been created on these principles. What happened in Punjab and Haryana is before us. We will soon witness such happenings in Maharashtra and Mysore also. I would like to know whether the hon. Minister is in agreement with me that now the time has come when we should break the barriers of regional and linguistic principles and reconstitute states on the basis of administrative convenience ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहां तक मेरा संबंध है, मेरे विचार में ऐसा समय कभी नहीं आयेगा ।

श्री रा० बरुआ : मुझे खेद है कि माननीय सदस्य आसाम की समस्या को बिल्कुल भी नहीं समझ सके हैं । वहां के आदिम जातियों के लोग दो तलवारों की तरह नहीं हैं, जो आपस में लड़ती रहती हैं, बल्कि वे दो मित्रों की तरह हैं जो इकट्ठे रह रहे हैं । क्या सरकार इस बात पर जोर देगी कि आसाम में जो शान्तिपूर्ण वातावरण बन गया है वह और मजबूत हो ? क्या सरकार इस बात के लिए भी वहां के जिम्मेदार दलों से सहयोग प्राप्त करेगी कि यह सहयोग भारतीय राजनीति में एक विचित्र उदाहरण उत्पन्न हो ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूँ कि वे दो शत्रु नहीं बल्कि दो भाई हैं जो एक परिवार में एक दूसरे के सहयोग से रह रहे हैं । यह देखना हमारा कर्तव्य होगा कि दोनों दल एक दूसरे को सहयोग दें । वास्तव में इसी भावना से सभा में इस विधेयक को पास किया था ।

श्री पीलू मोदी : यदि दो पुरुषों की एक ही महिला से शादी होती है तो कठिनाई होनी अनिवार्य है ।

श्री हेम बरुआ : मेघालय का यह जो प्रबन्ध किया गया है क्या वह अस्थायी है अथवा अन्तिम है । यदि यह प्रबन्ध अन्तिम है तो क्या सरकार सबंदलीय पर्वतीय नेता सम्मेलन को यह बतायेगी कि सरकार इससे अधिक उन को और कुछ नहीं देगी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य जन्मजात प्रजातंत्रवादी हैं और वह लोकतंत्री पद्धति में विश्वास रखते हैं । अतः वह मेरे से इस प्रकार की आशा कैसे करते है कि मैं यह कहूँगा कि यह अन्तिम व्यवस्था है ।

Shri Om Prakash Tyagi : I would like to know whether attention of the Government has been drawn to the conference of North Kachhar and Mikir hills people wherein they have decided not to join Meghalaya and whether the special facilities will also be provided to the people of those bills to improve their lot, who do not want to join Meghalaya and want to remain in Assam, as have been given to the people of Meghalaya.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : अन्य आदिम जातीय जिलों के बारे में छठी अनुसूची में उपलब्ध किये गये है और वही व्यवस्था जारी रहेगी ।

श्री बसुमतारी : क्या यह सच नहीं है कि मेघालय का प्रश्न उठने के समय से ही उत्तर

कछार तथा मिकिर पहाड़ियों के लोग आसाम में रहने के बारे में अपनी राय व्यक्त कर चुके हैं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह ठीक है।

Shri Madhu Limaye : I want to know whether Government have reconsidered the question of Mizo hills and whether the problem of Telengana, will also be solved on the same basis on which the Meghalaya has been constituted, so that agitations and disturbances which are going on there may be put an end to ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मिजो जिले की स्थिति पर निरन्तर विचार किया जाता है। इस जिले के बारे में हमने अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है।

तेलंगाना के बारे में सरकार अपना निर्णय बता चुकी है और क्षेत्रीय समिति को अधिक शक्तियां दी गयी हैं। जहां तक अधिराजस्व का का सम्बन्ध है मेरे विचार में माननीय सदस्य तत्सम्बन्धी प्रतिवेदन को देख चुके हैं।

Shri Madhu Limaye : I have seen that report. The problem has not been solved. That is why I have asked about Meghalaya.

पश्चिम बंगाल में सी० आई० ए० की गतिविधियां

129. **श्री कं० हाल्दर** :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री धीरेश्वर कलिता :
डा० रानेन सेन :

क्या **गृह-कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से सी० आई० ए० अथवा अमेरिका सरकार के एजेंटों तथा राज्य में गड़बड़ी उत्पन्न करने वाली उनकी गतिविधियों के बारे में कोई सूचना मिली है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री धीरेश्वर कलिता : 1967 में जब सिक्खों और बंगालियों के दंगे हुए थे, दंगाग्रस्त क्षेत्र में अमरीकी मार्के की गोलियां मिली थीं। यह एक सर्वविदित तथ्य है और समाचारपत्रों में छप चुका है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या सरकार को कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है और इसका उत्तर है कि नहीं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : राजनीतिक हत्याओं के बारे में तो उनको अपने अधिकरणों द्वारा सभी जानकारी प्राप्त होती है परन्तु इन चीजों के बारे में उनके पास कोई जानकारी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या केन्द्रीय सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से

अमरीकी गुप्तचर विभाग अथवा अमरीकी सरकार के एजंटों तथा उनकी गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी प्राप्त हुई है और इसका उत्तर दिया गया है कि नहीं। माननीय सदस्य किस आधार पर अनुपूरक प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री वासुदेवन नायर : यदि माननीय सदस्य के पास कोई जानकारी है, तो क्या उसको सभा के समक्ष रखना उनका कर्तव्य नहीं है और क्या उसके आधार पर वह माननीय मन्त्री से और जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते?

श्री धीरेश्वर कलिता : आपका विनिर्णय क्या है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसी कोई बात नहीं हैं जिसके आधार पर वह अनुपूरक प्रश्न पूछ सकें।

श्री समर गुह : यह ठीक नहीं है। मैं तथ्यों के आधार पर एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : इस बात का फैसला करना उनका काम नहीं है।

श्री धीरेश्वर कलिता : मैं अपना प्रश्न दोहराता हूं। 1967 में जब सिक्खों और बंगालियों के दंगे हुये थे तब दंगाग्रस्त क्षेत्रों में अमरीकी मार्क की अनेक खाली गोलिया मिली थीं। दंगा करने वालों ने उनका प्रयोग किया था और इस बात की पूरी सम्भावना है कि अमरीकी गुप्तचर विभाग के व्यक्ति दंगों को उकसा रहे हों। हाल में नेपालियों और बंगालियों के बीच हुए सिलीगुडी के दंगों में.....

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न पश्चिम बंगाल सरकार से मिली रिपोर्ट से सम्बन्ध है न कि उनकी जानकारी से।

श्री धीरेश्वर कलिता : यह मेरी जानकारी है और मैं दे रहा हूँ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उनके गुप्तचर विभाग के व्यक्ति इस बात को जानते होंगे।

श्री धीरेश्वर कलिता : मुझे प्रश्न पूछने की अनुमति दीजिये। सिलीगुडी में हाल ही के हुये दंगों में जनसंघ दल के कलिम्पोंग के पाण्डे नामक एक व्यक्ति का हाथ था। यह बात समाचारपत्रों में छप चुकी है। अमरीकी गुप्तचर विभाग के व्यक्तियों का भी इन दंगों में हाथ था।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

श्री धीरेश्वर कलिता : इस बात को देखते हुये तथा भारत सरकार इन दोनों घटनाओं की केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराएगी कि क्या इनमें अमरीकी गुप्तचर विभाग के व्यक्तियों का हाथ था अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। वह वास्तविक जानकारी चाहते थे और जानकारी दी जा चुकी है। यदि मूल प्रश्न में इसका उल्लेख होता तो मैं दूसरी अनुमति दे सकता। मुझे खेद है अब में इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

श्री समर गुह : मैं एक संगत अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं। इसको सुनने के पश्चात यदि आप उचित नहीं समझते तो आप उसका उत्तर न दिलवायें।

मेरे विचार में माननीय सदस्य के पास कुछ जानकारी है और वह इसकी पुष्टि कराना चाहते हैं कि क्या पश्चिम बंगाल सरकार से ऐसी ही जानकारी प्राप्त हुई है या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कह दिया है कि 'नहीं'।

श्री ही० ना० मुकर्जी : माननीय मंत्री ने 'नहीं' में उत्तर दिया है। अतः माननीय सदस्य को यह पूछने का अधिकार है कि वह जो जानकारी सभा को दे रहे हैं उसके बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है।

अध्यक्ष महोदय : आपको इस बात को इस प्रकार नहीं जोड़ना चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री ने कहा है कि पटना में, जोकि कलकत्ता से थोड़ी दूरी पर है, अमरीकी सूचना सेवा की कुछ अवांछनीय गतिविधियों में हाथ था, क्या में जान सकता हूं :—

अध्यक्ष महोदय : मैं यह प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री समर गुह : आप ने उनको प्रश्न पूछने की अनुमति दी है। अतः मुझे भी प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाये। मैं आप से समान व्यवहार की आशा करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप लोग मुझे अपना कार्य करने नहीं दे रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं जानना चाहता हू कि क्या केन्द्रीय आसूचना विभाग के पास पश्चिम बंगाल में अमरीकी गुप्तचर विभाग की गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप मुझे इस प्रकार कैसे रोक सकते हैं ? मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि इस सभा में तीन व्यक्ति गड़बड़ कर रहे हैं। आपको रोकने का कोई प्रश्न नहीं है। यह संगति का प्रश्न है। यदि आप सम्बन्धित प्रश्न पूछते तो मैं आपको कई अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति देता।

श्री वासुदेवन नायर : क्या आप मुझे प्रक्रिया सम्बन्धी मामलों के बारे में कुछ बताने की कृपा करेंगे ? मैंने यह प्रश्न पूछा था कि क्या केन्द्रीय सरकार की सहायता से नवयुवकों को रोजगार देने के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार से कोई रिपोर्ट मिली है। उसका उत्तर 'नहीं' में दिया गया है। फिर मैंने आपकी अनुमति से औद्योगिक विकास मंत्री से प्रश्न पूछा था कि क्या इस प्रयोजन के लिये स्वयं सरकार की कोई योजना है। अब यह उसी प्रकार का प्रश्न है। मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप अध्यक्ष पीठ का अनादर करेंगे, तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं। आप बैठ जाइये।

श्री धीरेश्वर कलिता : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने एक प्रश्न पूछा है। किन्तु आपने उसकी अनुमति नहीं दी है। मेरे पास जो जानकारी थी, वह मैंने सभा को दे दी है और प्रश्न पूछा है कि क्या सरकार इस बारे में जाँच करायेगी।

अध्यक्ष महोदय : पृथक प्रश्न कीजिये और मैं उसकी अनुमति दूंगा।

श्री धीरेश्वर कलिता : तब आप मुझे दूसरा प्रश्न पूछने की अनुमति दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : दूसरा प्रश्न भी संगत नहीं है।

केरल में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस

130. **श्री प० गोपालन :** **श्री अ० कु० गोपालन :**
श्री पी० पी० एस्थोस :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) 30 अगस्त, 1969 और 31 दिसम्बर, 1969 को केरल में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की कुल कितनी संख्या थी ;

(ख) क्या केरल सरकार ने हाल में केन्द्रीय सरकार से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की कुछ और टुकड़ियां केरल भेजने के लिये कहा है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 30 अगस्त, 1969 को केरल में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की 6 कम्पनियां थी जिनकी कुल संख्या 853 कर्मचारियों की थी। 31 दिसम्बर, 1969 को 13 कम्पनियां थी जिनकी कुल संख्या 1,435 कर्मचारियों की थी।

(ख) और (ग). जनवरी, 1970 के आरम्भ में केरल सरकार ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की और सहायता माँगी थी। बल की तीन कम्पनियां उनको उपलब्ध कराई गई।

श्री प० गोपालन : मैं मंत्री महोदय का आभारी हूँ कि उन्होंने केरल में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस कर्मचारियों की संख्या बताई है, क्योंकि हाल ही में केरल के गृह-मन्त्री ने यह कह कर उनकी संख्या बताने से इन्कार कर दिया था कि ऐसा बताना लोक हित में नहीं है।

हमारे दल के नेता साथी अ० कु० गोपालन ने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया था जिसमें केरल में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा किये जा रहे अत्याचारों का उल्लेख था। यह ज्ञापन आवश्यक कार्यवाही के लिये प्रधान मंत्री को भेज दिया गया था। मैं जानना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है। क्या केरल को तानाशाही से बचाने के लिये केन्द्रीय जाँच ब्यूरो से इस मामले की जांच कराने का सरकार का विचार है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : प्रक्रिया के अनुसार हम पहले राज्य सरकार से आरोपों के बारे में रिपोर्ट मांगेंगे और राज्य सरकार से रिपोर्ट मिलने पर ही हम यह निर्णय करेंगे कि आगे क्या कार्यवाही की जाये।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

लन्दन स्थित इण्डिया आफिस लाइब्रेरी से संस्कृत के ग्रन्थ, कलाकृतियां आदि प्राप्त करना

*121. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लन्दन स्थित इण्डिया आफिस लाइब्रेरी से संस्कृत के ग्रंथों, कलाकृतियों तथा अन्य प्राचीन वस्तुओं की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रही है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

शिक्षा तथा सेवा उप मंत्री (श्रीमती जहानआरा जयपाल सिंह) : (क) और (ख). इण्डिया आफिस लाइब्रेरी, लन्दन की वस्तुएं प्राप्त करने के लिए भारत सरकार, इंग्लैण्ड की सरकार के के साथ निरन्तर प्रयत्न कर रही है। पूरे प्रश्न को तय करने के लिए पंच निर्णय के वास्ते करार के एक मसौदे पर उस सरकार के साथ चर्चा चल रही है।

दिल्ली परिवहन उपक्रम के प्रशासन में सुधार के लिए उपाय

*122. **श्री इसहाक सम्मली** । **श्री जि० मो० बिस्वास** :
श्री मोगेन्द्र झा : **श्री ए० श्रीधरन** :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन उपक्रम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार इसके प्रशासन और कार्य में सुधार करने के लिये उपाय करेगी ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसद कार्य, नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : (क) दिल्ली परिवहन उपक्रम का प्रशासन दिल्ली नगर निगम की एक समिति द्वारा किया जाता है और यह एक संवैधिक निकाय है जिसकी स्थापना दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत की गई थी। यह निगम अब दिल्ली प्रशासन के प्रति जिम्मेदार है। डी० टी० यू० के प्रशासन और परिचालन को सुधारने के लिए आवश्यक उपाय करना निगम का कर्त्तव्य है।

(ख) डी०टी०यू० के स्थान में एक संवैधिक निगम की स्थापना करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। डी०टी०यू० के लिए निगम को ऋण देने का प्रश्न भी विचाराधीन है।

Desecration of Ancient Idols Near Poona

*126. **Shri Jagannath Rao Joshi** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the ancient idols of Bhairava and Nandishwar erected by Nana Fadnavis in the pilgrim centre of Jyotirling Bhima Shanker, located 75 miles away from Poona, have been desecrated ;

(b) if so, the full details thereof and the action taken or proposed to be taken in this regard ;

(c) whether Government have received any complaint against the Tehsildar of Kher Tehsil of Poona District ; and

(d) if so, the details of the complaints and the action taken or proposed to be taken in regard thereto ?

The Deputy Minister of Education and Youth Services (Shrimati Jahanara Jaipal Singh) : (a) According to information received from the Government of Maharashtra, the stone idol of Nandi was broken accidentally by fall of a stone during roof construction. The idol of Bhairavanath which was installed in 1960 was broken by an unknown roaming sadhu.

(b) As this is not a centrally protected monument, the question of taken action by the Central Government does not arise. The matter lies within the purview of the State Government.

(c) The Central Government has not received any complaint in the matter.

(d) Does not arise.

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा बहुत बढ़िया कारों का आयात

*127. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत पर्यटन विकास निगम ने विदेशों से कुछ बहुत बढ़िया कारें मंगाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो ये कारें किन-किन देशों से आयात की जायेंगी ;

(ग) कुल कितने मूल्य की कारें मंगाई जायेंगी ; और

(घ) विदेशों से बहुत बढ़िया कारें मंगाने के कारण क्या हैं जबकि विदेशी मुद्रा की स्थिति बहुत ही विषम है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). जी, हां। भारत पर्यटन विकास निगम ने आस्ट्रेलिया से 60 वातानुकूलित कारों के लिये आदेश दे दिया है। इन कारों की जहाज से भारत में उतरने पर लागत 30.33 लाख रुपये होगी जिसमें दस प्रतिशत फालतू पुर्जे भी सम्मिलित हैं।

(घ) इन कारों का आयात अपने पर्यटन विषयक आधारभूत उपादानों में वृद्धि करने तथा पर्यटन यातायात की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये किया जा रहा है जिससे भारत में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले की सुविधायें उपलब्ध हो सकें। इन कारों से काफी विदेशी मुद्रा अर्जित होगी।

छोटी सदड़ी स्वर्ण काण्ड

*131. **श्री मधु लिमये** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छोटी सदड़ी स्वर्ण काण्ड तथा उसमें राजस्थान के मुख्य मंत्री के सम्बन्ध होने के बारे में प्रारम्भिक जाँच की जा रही है ;

(ख) क्या न्यायालय के समक्ष एक ऐसे आपराधिक मामले का विचाराधीन होना जो इस मामले से सम्बन्धित है, इसका पर्याप्त आधार है कि इस जांच को पूर्ण न किया जाये और उसके परिणामस्वरूप अग्रेतर कार्यवाही न की जाये ;

(ग) क्या इस प्रश्न पर महाधिवक्ता की राय ली गई अथवा ली जा रही है ;

(घ) यदि नहीं, तो उसकी राय न लेने के क्या कारण है जबकि राजस्थान में तथा राजस्थान के बाहर इस मामले में कार्यवाही करने की व्यापक मांग की गई तथा एक संसद् सदस्य द्वारा दी गई चुनौती को राजस्थान के मुख्य मंत्री स्वीकार करने को तैयार हैं ; और

(ङ) इस मामले में उसी प्रकार का जांच आयोग जैसा कि स्वर्गीय श्री प्रताप सिंह कैरों तथा श्री बीजू पटनायक के मामले में नियुक्त किया गया था, नियुक्त न किये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो छोटी सदड़ी स्वर्ण काण्ड की प्रारम्भिक जांच कर रहा है ।

(ख) आपराधिक मामले में तथ्यों का सीधा सम्बंध उपरोक्त प्रारम्भिक जांच के विषय से है । केन्द्रीय जांच ब्यूरो को उन गवाहों के बयान दर्ज करते समय, जिनके नाम गवाहों के रूप में अदालती मामले में है, कुछ पूर्वोपाय कानूनी पेचीदगियों से बचाने के लिए करने पड़ते हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो बहुत से साक्ष्य पहले ही दर्ज कर चुका है किन्तु केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच की अग्रेतर प्रगति आपराधिक मामले की प्रगति पर निर्भर है ।

(ग) महाधिवक्ता की राय ली गई थी ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) जांच आयोग नियुक्त करने का प्रश्न केवल तब उठता है जब प्रत्यक्षतः कोई मामला प्रतीत होता है ।

राष्ट्रीय सेवा कोर

*132. **श्री क० मि० मधुकर** : **श्री नारायणन** :
श्री नि० रं० लास्कर : **श्री दंडपाणि** :
श्री सामिनाथन :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक 'राष्ट्रीय सेवा कोर' कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्त मुख्य बातें क्या हैं और उसे कब तक क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है ;

(ग) क्या यह योजना राष्ट्रीय छात्र सेना दल के अलावा ही चलेगी ;

(घ) क्या विभिन्न राज्यों द्वारा भी यह योजना चालू की जायेगी ; और

(ङ) इस योजना पर कुल कितना खर्च होगा और उसे कौन वहन करेगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ङ). विवरण संलग्न है।

विवरण

डिग्री कक्षाओं के प्रथम दो वर्षों के विद्यार्थियों के लिए स्वैच्छिक तथा चयनात्मक आधार पर राष्ट्रीय सेवा की एक योजना पिछले अक्तूबर से प्रारम्भ की गई है। 40 विश्वविद्यालय इस योजना में भाग ले रहे हैं। 1970-71 वित्त वर्ष में, शेष विश्वविद्यालयों में भी इस योजना को चयनात्मक और स्वैच्छिक आधार पर प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है।

योजना का उद्देश्य यह है कि राष्ट्रीय सेवा चरित्र निर्माण का एक साधन बन सके, शारीरिक श्रम के महत्व में विश्वास पैदा कर सके और इस कार्यक्रम मे भाग लेने वाले व्यक्तियों में सामाजिक जिम्मेदारी की भावना का विकास हो सके।

विश्वविद्यालयों को भेजी गई सारी दर्शक रूपरेखा में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रीय सेवा कोर में शामिल होने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक शिक्षा सत्र और विश्वविद्यालय में 120 घन्टे के बराबर न्यूनतम समय देना होगा, जो स्थानीय परिस्थिति पर निर्भर करेगा, और मुख्य उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कार्यक्रमों का विकास करना होगा।

विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्यक्रम के विकास के मामले में, भारतीय टेक्नोलाजी संस्थान, खड़गपुर, टाटा समाज विज्ञान स्कूल, बम्बई और दिल्ली विश्वविद्यालय का दिल्ली समाज कार्य स्कूल प्रमुख समन्वयकर्त्ता हैं। समाज कार्य के अन्य स्कूल को, जिसमें समाज कार्य के विश्वविद्यालय विभाग भी शामिल हैं, अध्यापकों और विद्यार्थी नेताओं के लिए पुनर्स्थापन पाठ्यक्रम आयोजित करने और विश्वविद्यालयों द्वारा शुरू किये जाने वाले कार्यक्रम के शैक्षिक और तकनीकी विषयवस्तु के विकास का काम सौंपा गया है।

राष्ट्रीय सेवा कोर योजना को केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों के प्राधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जायेगा। केन्द्र और राज्य 2:1 के अनुपात में खर्च वहन करेंगे। केन्द्र का भाग 100 रुपये प्रति विद्यार्थी तक सीमित है जबकि राज्य सरकार का भाग 50 रु० प्रति विद्यार्थी तक है। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र का कुल खर्च अनुमानतः 4.9 करोड़ रुपये होगा, जबकि राज्यों का अंशदान कुल 2.5 करोड़ रुपये का होगा।

मूलतः, राष्ट्रीय सेवा योजना, डिग्री पाठ्यक्रमों के प्रथम दो वर्षों में पढ़ने वाले लड़कों के लिए राष्ट्रीय केडेट कोर के एक विकल्प के रूप में बनाई गई थी। धन की कमी के कारण, इस कार्यक्रम को स्वैच्छिक तथा चयनात्मक आधार पर विकसित करने का निर्णय किया गया है। राष्ट्रीय केडेट कोर योजना, जो पहले से ही चल रही है, जारी रहेगी।

भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) तथा अन्य राजनीतिक दलों द्वारा गठित स्वयंसेवक दल

*133. **श्री समर गुह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्क्सवादी साम्यवादी दल ने देश के विभिन्न भागों में और विशेषकर पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर सशस्त्र स्वयंसेवक दलों का गठन किया है ;

(ख) क्या मार्क्सवादी साम्यवादी दल के कार्यकर्त्ताओं द्वारा अन्य राजनीतिक दलों के सदस्यों पर हिंसात्मक आक्रमण किये जाने के परिणामस्वरूप उन्होंने भी बचाव वाले स्वयंसेवक दलों का गठन किया है ;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी साम्यवादी दल के कार्यकर्त्ता अपने दल के जलूसों, जलसों तथा प्रदर्शनों में शस्त्र लेकर चलते हैं ;

(घ) क्या ये सशस्त्र कार्यकर्त्ता पश्चिम बंगाल तथा देश के अन्य भागों में होने वाली हिंसात्मक कार्यवाहियों के एजेंट बन गये हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने राजनीतिक दलों द्वारा ऐसे सशस्त्र कार्यकर्त्ताओं के दलों के गठन को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

गृह कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख). सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न राजनैतिक दलों ने अपने अपने स्वयंसेवक दलों का गठन किया है ।

(ग) और (घ). पश्चिम बंगाल सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

(ङ) यद्यपि किसी राजनैतिक दल के उचित प्रयोजनों के लिए अपने स्वयं सेवकों के होने पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती, तो भी सरकार किसी ऐसे स्वयं सेवक संगठन की गतिविधियों को गहरी चिन्ता की दृष्टि से देखता है जिसके परिणामस्वरूप असुरक्षा अथवा असामंजस्य अथवा अराजकता की भावना फैलती है । ऐसी गतिविधियों पर भी सावधानी से नजर रखी जाती है । गृह मंत्री ने पहले अन्य बातों के साथ साथ ऐसी गतिविधियों से निबटने के लिए उपयुक्त विधान अधिनियम करने के प्रश्न पर उनके साथ विचार विमर्श करने के लिए संसद में सभी राजनैतिक दलों के नेताओं को आमंत्रित किया था । किन्तु प्रत्युत्तर उत्साहवर्धक नहीं रहा है ।

सशस्त्र स्वयंसेवक दलों जिनके पास कोई शस्त्र और गोला बारूद उसे किसी अवैध प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाने के उद्देश्य से हो, चाहे ऐसे अवैध प्रयोजन को कार्यरूप दिया गया हो अथवा न दिया गया हो, की गतिविधियों के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 27 के अन्तर्गत कार्रवाई की जा सकती है । ऐसी आशा की जाती है कि सम्बन्धित राज्य सरकारें राजनैतिक प्रयोजनों के लिए हिंसा का सहारा लेने की रोकथाम करने के लिए उपलब्ध कानून के उपबन्धों का पूर्ण उपयोग करेंगी ।

Allocation Made to Madhya Pradesh From Central Road Fund

*134. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the amount allocated to the Madhya Pradesh Government from the Central Road Fund for the years 1969-70 and 1970-71 ; and

(b) whether it is a fact that the amount allocated for both the years is less than that allocated to other States ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri K. Raghu Ramaiah) : (a) A sum of Rs. 44.25 lakhs has been earmarked for allotment to the Government of Madhya Pradesh during 1969-70 The corresponding provision for 1970-71 will be known after the budget for that year is passed by the Parliament ;

(b) No Sir. The amount allocated to Madhya Pradesh during the year 1969-70 is more than the respective amounts allocated to other States West Bengal and Mysore.

भारतीय संविधान की उपेक्षा

135. **श्री क० लकप्पा :**

श्री पी० विश्वम्भरन :

क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल के मंत्री श्री जतीन चक्रवर्ती के भारतीय संविधान की उपेक्षा करने वाले हाल के वक्तव्य की ओर ध्यान दिया है ;

(ख) क्या सरकार ने मंत्री महोदय के इस कार्य को उस शपथ का उल्लंघन माना है जो उन्होंने मंत्री पद ग्रहण करते समय ली थी ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का रवैया क्या है ?

गृह कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार मंत्री महोदय को यह याद नहीं है कि उन्होंने कोई ऐसा वक्तव्य दिया था किन्तु फिर भी हो सकता है कि उन्होंने संविधान में संशोधन के लिये अविलम्ब आवश्यकता तथा उस प्रयोजन के लिए आन्दोलन चलाने पर बल दिया हो ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

Loss of life and Property in Disturbances Over Chandigarh Issue

*136. **Shri Jageshwar Yadav :** **Shri Sradhakar Supakar :**
Shri Shri Chand Goyal : **Shri Prem Chand Verma :**
Shri Abdul Ghani Dar :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the extent of loss of life and property sustained in various regions of Haryana and Punjab as a result of reaction to the decision of the Centre on Chandigarh issue ;

(b) whether a judicial inquiry would be constituted to go into the causes of Police firing at various places ; and

(c) the names of places in Punjab and Haryana where cases of violence were more ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : According to information furnished by the Government of Haryana :

(a) nine persons were killed and the loss of property is to the extent of Rs. 37, 64, 000 in Haryana :

(b) Magisterial inquiries are being conducted into the incidents of police firings,

(c) Hissar, Bhiwani, Sonepat, Gohana, Rohtak, Rewari, Gurgaon, Safidon, Jagadhri, Dadri and Narnaul were places where cases of violence were more.

The Government of Punjab have sent a 'nil' reply.

विदेश गये संसत्सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल में (संगठन) कांग्रेस को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना

137. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या संसद कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संगठन कांग्रेस के नेता ने विदेश को गये छठे संसद सदस्य-प्रतिनिधि मंडल में उनके दल को उचित प्रतिनिधित्व न देने पर वैदेशिक कार्य मंत्रालय से विरोध प्रकट किया है ;

(ख) क्या ऐसा करना प्रतिनिधि मंडलों के गठन के बारे में विपक्षी दलों के साथ पहले ही से हुए समझौते का उल्लंघन है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसद-कार्य नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) जी हां ;

(ख) इसमें कोई उल्लंघन नहीं है क्योंकि प्रतिनिधि मंडलों के गठन के बारे में कोई भी समझौता नहीं किया गया था ; और

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पत्राचार विश्वविद्यालयों की स्थापना

*138. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्ष 1970-71 में देश में पत्राचार विश्वविद्यालय स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने तथा कौन-कौन से विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने की सम्भावना है ;

(ग) ये विश्वविद्यालय कहां स्थापित किये जायेंगे ; और

(घ) उन पर कितना धन व्यय होगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता ।

Pensions to Freedom Fighters Who Were Imprisoned in Cellular Jail Andaman

*139. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the total number of freedom fighter imprisoned in the Cellular Jail in Port Blair (Andaman) during the National Freedom struggle ;

(b) their names, State-wise ;

(c) whether it is a fact that Government have decided to give monthly pensions to them and to the fa nilies of the deceased and, if so, the amount thereof ;

(d) whether it is also a fact that many persons have submitted applications to Government in this regard ; and

(e) if so, the names of those persons and the date from which Government propose to give pensions to them ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b). A list is laid on the Table of the House.

(c) A note giving the salient features of the Scheme formulated by Government of India is laid on the Table of the House.

(d) Yes, Sir.

(e) A list of such persons is also laid on the Table of the House. There cases are under consideration in consultation with the State Governments. The pension will take effect from 2nd October, 1969. [*Placed in Library. See* No. LT 2634/70]

श्री अतुल्य घोष की आस्तियों के बारे में जांच

140. **श्री भगवन दास :** **श्री नम्बियार :**

श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में प्रधान मंत्री तथा गृह-कार्य मंत्री से एक प्रतिनिधि मंडल मिला था जिसने श्री अतुल्य घोष की आस्तियों के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा तुरन्त जांच करवाये जाने की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो श्री अतुल्य घोष के विरुद्ध क्या मुख्य आरोप हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार कोई जांच करने का है ;

(घ) यदि हां, तो कब और उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठता ।

अन्तर्देशीय जल परिवहन समिति का प्रतिवेदन

1 1. **श्री वि० कु० मोडक :**

श्री स० चं० सामन्त :

क्या **नौवहन तथा परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्देशीय जल परिवहन समिति ने केरल और बिहार के संबंध में सरकार को अपना अन्तरिम प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इन दोनों प्रतिवेदनों की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने उन पर विचार कर लिया है ;

(घ) यदि हां, तो क्या कोई अन्तिम निर्णय किया गया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा उन पर विचार करके कब अन्तिम निर्णय किये जाने की संभावना है ?

संसद् कार्य, नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य योजना के अधीन केरल में प्रशिक्षित तकनीकी लोगों के साथ एक अन्तर्देशीय जल परिवहन महानिदेशालय के निर्माण करने की आवश्यकता के अलावा कमेटी ने निम्न काम करने की सिफारिश की है :

(1) चम्पाकारा नहर को चौड़ा करना तथा गहराई तक खोदना।

(2) चावारा-नीन्दाकारा जल-मार्ग का सुधार।

कमेटी ने बिहार में रात्रि-नौवहन और डिलीवरी सेवा करने और जहाजी बेड़े को मजबूत करने के लिए सहूलियतों के साथ नदी-सेवा चालन योजना की सिफारिश भी की है।

(ग) से (ङ). इन सिफारिशों पर राज्य सरकारों के साथ परामर्श पर जांच हो रही है।

Akhil Bharatiya Hindi Prakashak Sangh

*142. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the names of the institutions which are functioning under the Akhil Bharatiya Hindi Prakashak Sangh ;

(b) the amount given to those institutions in the form of loans and grants during the last three years ; and

(c) the details of the work done by those institutions during the same period ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) The Akhil Bharatiya Hindi Prakashak Sangh is an association of private publishers. A list of its members as furnished by the Sangh is laid on the Table of the Sabha. It has no institution working under it. [*Placed in Library. See* No. LT 2635/70]

(b) and (c). This Ministry has paid on grant or loan to any member of the Sangh. However, under the Ministry's general scheme for the preparation, translation and publication of book in Hindi in collaboration with publishers, 8 publishers, who are members of the Sangh, have published 18 Hindi books in collaboration with the Central Hindi Directorate under this Ministry during the last three years. The value of the books purchased from them under that scheme was Rs. 1.28 lakhs during the same period.

भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में भारतीय पुलिस सेवा तथा केन्द्रीय सेवा के अधिकारियों का लिया जाना

143. **श्री राम सिंह अयरवाल** : क्या गृह कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने केन्द्रीय सूचना सेवा के अधिकारियों समेत केन्द्रीय

सेवाओं तथा भारतीय पुलिस सेवा को भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में लेने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में लिये गये ऐसे अधिकारियों की प्रतिशतता क्या है तथा चयन करने का मान-दण्ड क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कोचीन में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

*144. **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कोचीन में एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की आवश्यकता है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार कोचीन में ऐसा हवाई अड्डा बनाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) सीमित साधनों के कारण, अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्रों की संख्या को वर्तमान चार विमान क्षेत्रों अर्थात् दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता व मद्रास, से बढ़ा कर अधिक करना अभी इस अवस्था में संभव नहीं होगा ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्र द्वारा पश्चिम बंगाल की समस्याओं की उपेक्षा

*145. **श्री कृ० मा० कौशिक :** **श्री गु० च० नायक :**
श्री धी० ना० देव : **श्री रा० की० अमीन**
श्री मा० अजमल खां :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल के राज्यपाल द्वारा 21 जनवरी, 1970 को राज्य विधान सभा में दिये गये अभिभाषण की ओर दिलाया गया है, जिसमें उन्होंने राज्य की विकट तथा विशाल समस्याओं के प्रति केन्द्र द्वारा लगातार उपेक्षा की जाने के कारण राज्य में क्षोभ व्याप्त होने की बात कही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) सरकार इन विचारों से सहमत नहीं है । पश्चिम बंगाल की समस्याओं की केन्द्रीय सरकार की ओर से कोई उपेक्षा नहीं की गई है ।

निवारक निरोध अधिनियम की समाप्ति पर बन्दियों की रिहाई

*146. **श्री अदिचन :** **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री मुहम्मद शरीफ : **श्री बे० कु० दास चौधरी :**
श्री रवि राय :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निवारक निरोध अधिनियम की समाप्ति पर प्रत्येक राज्य संघ राज्य क्षेत्र में कितने कितने बन्दियों को रिहा किया गया ; और

(ख) किन किन राज्य सरकारों/प्रशासनों ने सरकारी अध्यादेश अथवा कानून इस बीच लागू किये हैं, जिनमें निवारक निरोध की व्यवस्था की गई है और इन का ब्यौरा क्या है ?

गृह कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) एक विवरण संलग्न है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये एल० टी० संख्या 2436/70**]

(ख) आसाम आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सरकारों ने निवारक निरोध की व्यवस्था के लिए कानून बनाना शुरू किया है । आन्ध्र प्रदेश, आसाम, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों ने राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने तथा समाज के लिये अनिवार्य सम्भरण व सेवाओं को बनाये रखने से सम्बंधित कारणों के लिए निवारक निरोध की व्यवस्था की है । उड़ीसा में केवल सार्वजनिक व्यवस्था से सम्बन्धित कारणों के लिए ही निवारक निरोध की व्यवस्था की गई है । उड़ीसा निवारक निरोध अध्यादेश, 1969 को मणीपुर तथा त्रिपुरा के संघ राज्य क्षेत्रों में लागू कर दिया गया है

माओ के इश्तिहारों का प्रदर्शन

*147. **श्री जे० एच० पटेल** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के कुछ भागों में माओ के इश्तिहार देखे गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो देश में देशद्रोह की इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त सूचना के अनुसार 1 दिसम्बर, 1969 से आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, नागालैण्ड असम, चण्डीगढ़, दादरा और नागर हवेली, गोवा, दमन और दीव, हिमाचल प्रदेश, लकादीप, मिनिकोय और अमीनदीवि, द्वीपसमूह, मनीपुर, नेफा और पान्डिचेरी में कोई ऐसे इश्तिहार नहीं निकाले गये हैं । फिर भी, पश्चिम बंगाल, असम और मैसूर में ऐसे इश्तिहार निकाले गये हैं । शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना आनी है ।

(ख) ऐसी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाती है । मैसूर में एक व्यक्ति पकड़ा गया जबकि वह जनवरी, 1970 में बंगलौर में ऐसे इश्तिहार चिपका रहा था और उस पर मैसूर पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया । वह अब न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है ।

अन्दमान विशेष वेतन

*148. श्री गणेश घोष : श्री के० एम० अब्राहम :
श्री के० रमानी :

क्या गृह कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूहों में मुख्य भूमि से भर्ती किए गये उन लोगों को अन्दमान विशेष वेतन का भुगतान नहीं कर रही है जो 4 जून, 1969 से पहले उन शर्तों पर लगातार सेवा में हैं जिनके अन्तर्गत उनको भर्ती किया गया था ।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार सेवा की उन शर्तों में परिवर्तन न करने का विचार करेगा जिनके अन्तर्गत उनको भर्ती किया गया है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

अन्दमान विशेष वेतन संरचना के वैज्ञानिक पुनर्गठन का प्रश्न कुछ समय तक भारत सरकार के विचाराधीन रहा । सभी तथ्यों की सावधानी से जांच करने के बाद अन्दमान विशेष वेतन को समाप्त करने तथा उसके स्थान पर प्रति प्रतिकर भत्ता तथा विशेष भत्ता रखने को वांछनीय समझा गया । इस संबंध में आदेश 4 जून, 1969 को जारी किये गए । तथापि उन आदेशों में यह व्यवस्था थी कि वे व्यक्ति जो पहले ही मुख्य भूमि से भर्ती किए गए कर्मचारियों के रूप में 4 जून, 1969 से पहले की किसी तारीख से अन्दमान व निकोबार प्रशासन के अधीन सेवा कर रहे हैं तथा अन्दमान विशेष वेतन ले रहे हैं उन्हें, जब तक वे इस पद में बने रहते हैं, अन्दमान विशेष वेतन मिलता रहेगा, तथा 4 जून, 1969 के बाद उनकी प्रथम पदोन्नति होने पर उन्हें निम्नलिखित विकल्प प्राप्त होगा जिसका एक बार इस्तेमाल करने पर उसे अन्तिम समझा जाएगा : या तो (i) निचले पद में उन्हें मिल रहे अन्दमान विशेष वेतन की हानि के कारण उनके वेतन में कमी की, यदि कोई हो, वैयक्तिक वेतन देकर, जो भविष्य की वेतन वृद्धियों में खपा लिया जाएगा, रक्षा की जाएगी । तथापि, वे मुख्य भूमि के भर्ती किए गए कर्मचारियों को मिलने वाले विशेष भत्ता के हकदार नहीं होंगे । या (ii) उनके लिए अन्दमान विशेष वेतन के सम्बन्ध में कोई दावा करना बन्द हो जाएगा तथा वे नए आदेशों के अन्तर्गत ही प्रतिकर भत्ता तथा विशेष भत्ता प्राप्त करेंगे ।

2. यथोचित विचार के बाद ही 4 जून, 1969 वाले आदेश तैयार किये गये हैं तथा मुख्य भूमि के भर्ती किये गये उन कर्मचारियों को जो 4 जून, 1969 से पहले अन्दमान विशेष वेतन ले रहे थे, 4 जून, 1969 के बाद उनकी पदोन्नति के पश्चात् भी इसे लेते रहना जारी रखने की अनुमति देकर अन्दमान विशेष वेतन के जारी रहने को चिरस्थायी बनाना सम्भव नहीं होगा ।

इटली के भारतीय दूतावास द्वारा पर्यटकों को भारत सम्बन्धी साहित्य उपलब्ध करने में असमर्थता

*149. **श्री ई० के० नायनार :**
श्री पी० राममूर्ति :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि इटली में स्थित भारतीय दूतावास वहाँ पर्यटकों को भारत सम्बन्धी साहित्य उपलब्ध करने में समर्थ नहीं है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस सम्बन्ध में दिनांक 16 जनवरी, 1970 के दैनिक 'हिन्दू' में प्रकाशित शिकायतों की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का है ; और

(घ) प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं । रोम में हमारे दूतावास को पर्याप्त मात्रा में पर्यटन प्रचार साहित्य उपलब्ध कराया गया है ।

(ख) मैंने उक्त पत्र देखा है । की गयी जांच से पता चलता है कि लेखक ने महसूस कर लिया है कि उसकी सूचना गलत थी ।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के नेताओं को चण्डीगढ़ में सेना की तरह का प्रशिक्षण दिये जाने के बारे में तमिल नाडु के मुख्य मन्त्री का कथित वक्तव्य

*150. **श्रीमती इलापाल चौधरी** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिल नाडु के मुख्य मन्त्री ने हाल में भारत सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया है कि भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के कुछ नेता चण्डीगढ़ (पंजाब) में सेना की तरह का प्रशिक्षण पा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख). सरकार ने इस सम्बन्ध में तमिल नाडु के मुख्य मन्त्री द्वारा 23 जनवरी, 1970 को राज्य विधान सभा में दिये गये वक्तव्य की प्रेस रिपोर्ट देखी है । तमिलनाडु सरकार से सम्बन्धित तथ्यों को भेजने का निवेदन किया गया है ।

पाकिस्तान एवं चीन से संघर्ष तथा भूमि स्खलन के कारण सीमा सुरक्षा दल के कर्मचारियों की मृत्यु

801. **श्री मंगलायुमाडम** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष पाकिस्तान तथा चीन के साथ संघर्ष और भूमिस्खलन के कारण सीमा सुरक्षा दल के कितने कर्मचारी मरे ; और

(ख) सीमान्त क्षेत्रों में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जम्मू और कश्मीर पश्चिम बंगाल और नेफा की सीमाओं को छोड़कर 1969 के वर्ष में भूमिस्खलन, हिम स्खलन के कारण 7 कांस्टेबल मरे। 969 के वर्ष में पाकिस्तान और चीन के साथ सीमावर्ती झड़पों के कारण कोई हताहत नहीं हुआ। जम्मू व कश्मीर, पश्चिमी बंगाल और नेफा प्रशासन से सम्बन्धित सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) सभी सम्भव पूर्वोपाय, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गश्त की आवश्यकता के लिए अनुकूल होते हैं, किये जाते हैं और भारी हिमपात के समय अतिरिक्त सतर्कता बरती जाती है। चौकियां स्थापित करने से पहले भूमि की भूमिस्खन के प्रति संवेदनशीलता को ध्यान में रखा जाता है। जब कभी सुरक्षा दल के कर्मचारी वर्फीले क्षेत्र में बाहर निकलते हैं तो उन्हें एक दूसरे से सम्पर्क बनाये रखने के लिए सावधान किया जाता है ताकि यदि उनमें से कोई भूमिस्खलन में अन्तग्रस्त हो जाये तो दूसरे उसके बचाव के लिए जा सकें।

पुलिस द्वारा हथियार बनाने के कारखाने का पता लगाया जाना

802. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के नौसांग नामक गांव में 12 जनवरी, 1970 को छोटे हथियार बनाने के एक कारखाने का पता लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के हथियार मिले हैं और उनकी संख्या कितनी है ;

(ग) पिछले दो वर्षों में पुलिस ने भारत के विभिन्न राज्यों में हथियार बनाने के कितने कारखानों का पता लगाया है ; और

(घ) इन कारखानों के मालिकों के नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध किस प्रकार की कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि राज्य पुलिस ने 26 जनवरी, 1970 को उत्तर प्रदेश में नौसांग नामक गाँव के एक मकान से निम्नलिखित सामान बरामद किया :

(1) चलाये जाने योग्य एक देशी पिस्तौल, (2) एक देशी पिस्तौल जो पूर्ण रूप से गढ़ी नहीं गई थी ; (3) पिस्तौलों के कुछ फालतू पुर्जे और (4) देशी पिस्तौल बनाने के औजार।

(ग) और (घ). आन्ध्र प्रदेश, आसाम, गुजरात, हरियाणा, उड़ीसा और पंजाब की सरकारों से प्राप्त सूचना का एक विवरण संलग्न है। शेष राज्यों के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

राज्य का नाम	प्रश्न का भाग (ग) "पिछले दो वर्षों में (अर्थात 1968 और 1969) पुलिस ने भारत के विभिन्न राज्यों में हथियार बनाने के जितने कारखानों का पता लगाया उनकी संख्या"	प्रश्न का भाग (घ) इन कारखानों के मालिकों के नाम और उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई का स्वरूप
1. आन्ध्र प्रदेश	एक	तीन व्यक्ति अर्थात शेख नबी साहेब, शेख करीम और शेख हुसैन गिरफ्तार किये गये थे। उन पर अभियोग चलाये गये और न्यायालय द्वारा प्रत्येक को एक-एक सौ रुपये के जुर्माने की सजा दी गई।
2. आसाम	कोई नहीं	प्रश्न नहीं उठता।
3. गुजरात	कोई नहीं	प्रश्न नहीं उठता।
4. हरियाणा	कोई नहीं	प्रश्न नहीं उठता।
5. उड़ीसा	कोई नहीं	प्रश्न नहीं उठता।
6. पंजाब	कोई नहीं	प्रश्न नहीं उठता।

भारत औद्योगिकी संस्थान का कार्यकरण

803. **श्री मंगलाथुमाडम** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भारतीय औद्योगिक संस्थान के चार केन्द्रों के कार्यकरण के बारे में कोई अध्ययन किया गया है ; और

(ख) क्या इन केन्द्रों में कार्यकरण की एक रूपता है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के कार्य का 1959 में पुनरीक्षण किया गया था। खड़गपुर संस्थान और बम्बई, मद्रास, कानपुर तथा दिल्ली के अन्य चार प्रौद्योगिकी संस्थानों का भी फिर से पुनरीक्षण करने का निर्णय किया गया है। इस प्रयोजन के लिये अलग पुनरीक्षण समितियां नियुक्त की जा रही हैं।

(ख) सभी पांचों संस्थान उसी प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 तथा उस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गये कानूनों द्वारा शासित हैं ।

यूनेस्को तथा भारत के शैक्षिक और सांस्कृतिक संगठनों के बीच करार

804. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :**
श्री य० अ० प्रसाद :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1970 में यूनेस्को तथा भारत के शैक्षिक और सांस्कृतिक संगठनों के बीच बहुत से करार किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अशोक, जनपथ, लोधी तथा रणजीत होटलों का प्रस्तावित एकीकरण

805. **श्री राम चन्द्र वीरप्पा :** **श्री शिव कुमार शास्त्री :**
श्री य० अ० प्रसाद :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में अशोक, जनपथ, लोधी और रणजीत होटलों का प्रबन्ध, भारतीय पर्यटन विकास निगम को सौंप दिये जाने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा करने का मुख्य कारण क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) अशोक होटल्स लिमिटेड और जनपथ होटल्स लिमिटेड के भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के साथ प्रस्तावित एकीकरण का प्रमुख ध्येय ऐसे एकाकी निगम का गठन है जोकि पर्यटन विषयक क्रिया-कलापों के एक व्यापक गतिक्षेत्र का लाभ उठा सकेगा, और जो विभिन्न संघटक यूनिटों के बीच नीति विषयक मामलों में पूर्ण समन्वयन को सुनिश्चित करेगा ।

Levy of Sales Tax on Examination Papers in Delhi

806. **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether Government are aware that there is a great dissatisfaction among the students in regard to the levy of Sales Tax on examination papers of schools and colleges in Delhi, whereas this tax is not levied on the sale of books ;

(b) if so, whether Government propose to advise the Delhi Administration to abolish Sales Tax on examination papers and to provide them additional grant so as to make up the loss ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Government are not aware of any such dis-satisfaction.

(b) and (c). Do not arise.

हिमाचल प्रदेश को वित्तीय सहायता

807. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968-69 और 1969-70 के दौरान हिमाचल प्रदेश को प्रशासनिक व्यय के लिए कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई तथा हिमाचल प्रदेश द्वारा कितनी राशि खर्च की गई और उसका ब्योरा क्या है ;

(ख) वर्ष 1968-69 की वार्षिक योजना के लिए हिमाचल प्रदेश को कितनी राशि दी गई तथा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिये हिमाचल प्रदेश को अंतिम रूप से कितनी राशि आवंटित की गई ;

(ग) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने आवंटित राशि पर अपना असन्तोष व्यक्त किया था, यदि हाँ, तो राज्य सरकार ने कितनी राशि मांगी है ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार, वित्त आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर हिमाचल प्रदेश की योजना के लिये दी जाने वाली राशि में और बृद्धि करेगी यदि हां, तो निर्णय कब किया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 1968-69 और 1969-70 के वर्षों में हिमाचल प्रदेश सरकार को प्रशासनिक व्यय के लिये क्रमश: 2729.25 लाख और 2919.42 लाख रुपये की राशि आवंटित की गयी थी। 1968-69 के दौरान इस्तेमाल की गयी वास्तविक रकम 2604.89 लाख रुपये विभागीय आंकड़े थी। उल्लिखित वर्षों के लिये वेतन और भत्तों, यात्रा भत्ता तथा अन्य खर्चों के लिए आवंटित रकम तथा 1968-69 के वर्ष में हिमाचल प्रदेश द्वारा इस्तेमाल की गयी वास्तविक रकम एवं 1969-70 के लिए आवंटित रकम का एक विवरण संलग्न है। 1969-70 के वर्ष के खर्च की गयी राशि के आंकड़े वर्ष समाप्त होने के पश्चात् उपलब्ध होंगे।

(ख) योजना आयोग द्वारा अनुमोदित 1968-69 के लिये और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-74) के लिये लागत क्रमश: 15.50 करोड़ और 94.40 करोड़ रुपये है।

(ग) जी हां श्रीमान्, हिमाचल प्रदेश सरकार ने चतुर्थ योजना (1969-74) के लिए 235.60 करोड़ रुपये के व्यय के लिए कहा था जिसपर योजना आयोग ने 94.40 करोड़ रुपये आवंटित किये। फिर भी आयोग से हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उनके चतुर्थ योजना आवंटन को बढ़ा कर कम से कम 139.19 करोड़ रुपये कर देने को कहा गया जैसा कि अध्ययन दल ने सिफारिश की थी।

(घ) वित्त आयोग की रिपोर्ट के परिणाम-स्वरूप हिमाचल प्रदेश के व्यय में किसी वृद्धि

का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि संघ राज्य क्षेत्र आयोग के विचारार्थ विषय के क्षेत्र में नहीं आते हैं।

विवरण

	पुनरीक्षित अनुमान 1968-69	वास्तविक 1968-69 (विभागीय)	बजट अनुमान 1960-70
	(रुपये लाखों में)		
(क) सिब्बंदी व्यय (वेतन और भत्ते)	1 842.64	1,814.05	1,982.25
(ख) यात्रा भत्ते	96.52	106.64	94.97
(ग) अन्य खर्चे	790.09	684.20	842.20
जोड़	2,729.25	2,604.89	2,919.42

संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन पर व्यय

808. **श्री स० कुन्दू** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक संघ-राज्य क्षेत्र को अपने अपने क्षेत्र के प्रशासन कार्य पर कितना धन व्यय पड़ता है और उस व्यय को उन क्षेत्रों की आय की तुलना में क्या स्थिति है ; और

(ख) क्या ऐसे व्यय में सामान्यता लाने एवं उसे उन संघ राज्य क्षेत्रों के आय-स्रोतों के स्तर पर लाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) संघ राज्य क्षेत्रों की राजस्व आय की तुलना में उनके प्रशासन पर किए जाने वाले व्यय का एक विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये** एल० टी संख्या 2637/70]

(ख) संघ राज्य क्षेत्रों को यात्रा भत्तों के लिए प्रावधान में कमी, वेतन क्रमों के उन्नयन पर प्रतिबन्ध, रिक्त पदों का यथा सम्भव न भरने जैसे व्यय में मितव्ययता करने के लिए समय-समय पर हिदायतें दी गई हैं। कर्मचारियों की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने तथा जहां कहां व्यवहार्य हो, कर्मचारियों पर खर्च में मितव्ययता करने के लिए संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा कार्य-अध्ययन भी किये जाते हैं। विधान मण्डलों वाले संघ राज्य क्षेत्रों को यह भी स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि वे प्रशासन सुधार आयोग के अध्ययन दल को संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और नेफा सम्बन्धी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए या तो वर्तमान करों की दरों को बढ़ाकर अथवा आय के नये साधन खोज कर अतिरिक्त आमदनी बढ़ाएं। कुछ संघ राज्य क्षेत्रों ने कर-संरचना में उपरिदिशा में संशोधन और नये कराधान द्वारा अतिरिक्त आय खोजने के लिए

कार्यवाही की है। फिर भी, सम्पूर्ण व्यय को इन राज्य क्षेत्रों की आय से पूरा करना सम्भव नहीं है।

Abolition of Privy Purses

809. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Hardayal Devgun :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that with the abolition of privy purses, the pensions and other privileges admissible to the ex-rulers since the British period would be stopped :

(b) the amounts of pensions and details of other privileges and the names of the ex-rulers receiving them since the British period ; and

(c) the amount of expenditure incurred by Government on the pensions and other privileges enjoyed by the ex-rulers during the financial years 1966-68 and 1968-69 separately ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Government have decided to abolish privy purses and privileges of Rulers as defined under article 366(22) of the Constitution. The question of political pensions granted by the British Government to the previous ruling families has not been fully considered so far.

(b) Attention in this connection is invited to the reply given in Lok Sabha to Unstarred Question No. 10321 on 10th May, 1968.

(c) The expenditure incurred on such pensions for the years mentioned is given below :—

1966-67	=	Rs. 18,29,924
1967-68	=	Rs. 18,65,488
1968-69	=	Rs. 21,25,000*

*(Revised estimates)

ईंटों का उत्पादन

810. **श्री बे० कृ० दास चौधरी :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्था ने ईंट बनाने की एक मशीन तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो इस मशीन से एक घंटे में कितनी ईंटें बनती हैं ; और

(ग) इस मशीन की लागत लगभग कितनी है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी, हां।

(ख) एक प्रोटो-टाइप मशीन पर परीक्षण उत्पादन के रूप में प्रति घंटा 3000 ईंटें।

(ग) प्रोटो-टाइप की अनुमानित लागत लगभग 40,000 रुपये है। यदि मशीन का उत्पादन वाणिज्यिक पैमाने पर किया जाए तो यह लागत काफी कम हो सकती है।

नई दिल्ली में पुराने किले के निकट ऐतिहासिक स्मारकों का खुदाई-कार्य

1. **श्री गाडिलिंगान गौड :**

श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरातत्व विभाग के विशेषज्ञों ने नयी दिल्ली में पुराने किले के निकट के मैदानों की खुदाई आरम्भ की है जिससे महाभारत में वर्णित इस बात का कोई प्रमाण मिल सके कि इस ऐतिहासिक स्मारक का प्रागैतिहासिक-काल से सम्बन्ध है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और खुदाई के क्या परिणाम निकले हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती जहानआरा जयपाल सिंह) : (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने, उस स्थान की प्राचीनता निश्चित करने के लिये तथा अधिकार के निरन्तर काल के स्पष्ट दीर्घाकारी भाग के निर्धारण करने के लिए, पुराने किले के अन्दर खुदाई की थी न कि इसके निकट के मैदानों की। 1955 में की गई परीक्षणात्मक खुदाई से पहले ही पता चल गया था कि इस स्थान की सब से पहली स्थापना 1,000 वर्ष ईसापूर्व के लगभग हुई थी।

(ख) वर्तमान खुदाई से, जोकि जनवरी, 1970 में शुरू हुई थी अभी तक पता चला है कि भूमि की परतें सुलतान, राजपूत, गुप्त और कुषाण काल की हैं जो 14वीं शताब्दी पूर्व से लेकर ईसवी सन् की पूर्व शताब्दियों तक की हैं। ढांचों के अवशेषों के अलावा, चीनी मिट्टी की बनी हुई वस्तुओं के टुकड़े, जिन पर मिंग वंश की खुदाई थी, हरी चीनी मिट्टी के बर्तन, पूर्व-मुगल काल के चमकीले बर्तन और पतले कागज के बढ़िया सजे हुए बर्तन, आदिलशाह सूर, बलबन, भूतपूर्व राजपूतों, भूतपूर्व कुषाण किस्म के सिक्के और गुप्त काल की मोहरें और सुंग काल के ठप्पे प्राप्त हुए हैं।

दिल्ली प्रशासन की लाटरी योजना

812. **श्री जी० वाई कृष्णन्** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली प्रशासन की लाटरी योजना को स्वीकृति दी थी जिस के अन्तर्गत अर्जित झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों के सुधार एवं नगरीय और ग्रामीण गांवों के विकास में लगाया जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो इस बात की जांच करने के लिए कि धन का व्यय स्वीकृत योजनाओं के लिए किया जाता है, क्या कदम उठाए गये हैं ; और

(ग) लाटरी से अर्जित धन को, किन प्रयोजनों के लिए व्यय किया जाए, क्या सभी राज्यों को इस बारे में निर्देश किए गए हैं और क्या सभी राज्यों में लाटरी योजना के उद्देश्यों के बारे में एकरूपता विद्यमान है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां श्रीमान्। अर्जित लाभ निम्नलिखित सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिये प्रयोग में लाया जाता है।

(1) अल्प आय सेवा कर्मचारियों के लिए सस्ते मकानों के निर्माण में,

(2) जे०जे० कालोनियों में सुविधाओं को उन्नत करने में,

(3) उन ग्रामवासियों के लाभ के लिये बन्दोबस्त योजनायें जिनकी जमीनें अधिग्रहण कर ली गई हैं और जिनके गांव मास्टर प्लान की शहरी सीमाओं में आ गये हैं।

(4) सामुदायिक तथा समाज कल्याण केन्द्रों की स्थापना के लिए।

(ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा सूचित किया गया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने एक समिति का गठन किया है जिसमें श्री विजय कुमार मल्होत्रा, मुख्य कार्य पार्षद्, श्री शिवचरण गुप्त, सदस्य महानगर परिषद्, श्री एस० जी० बोष मलिक, वाईस चेयरमैन डी०डी०ए०, श्री जगमोहन, आयुक्त कार्यान्वियन, डी०डी०ए०, श्री ए० पी० पुरी, मुख्य लेखा अधिकारी, योजना सलाहकार के रूप में तथा श्री एम० एल० भोंगिया, संयुक्त निदेशक लोटरियां हैं। समिति योजनाओं को उप-राज्यपाल को प्रस्तुत करती है जो उन्हें गृह मन्त्रालय के मौजूदा निदेशों के अनुसार स्वीकृत करते हैं।

(ग) नहीं, श्रीमान्।

हुसैनीवाला सीमा पर निर्माण

813. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अतिथियों तथा अन्य पुलिस कर्मचारियों के लिए हुसैनीवाला-सीमा पर कार्यालय का निर्माण कार्य कितना पूरा हो गया है ;

(ख) क्या इन नये निर्माणों में बिजली की सुविधाएं उपलब्ध कर दी गई हैं ; और

(ग) क्या वहां पर्यटकों तथा अतिथियों के लिये कोई भवन बनाये गये हैं जिस में स्वच्छता की सुविधायें उपलब्ध हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). हुसैनीवाला में पर्यटकों के लिये पर्याप्त सुविधायें प्रदान करने हेतु तथा सीमावर्ती बाहरी चौकी, सीमा शुल्क जांच चौकी इत्यादि को स्थान देने के लिये बैरकों समेत स्थायी भवन निर्माण करने के लिये योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। बिजली, जल-प्रदाय तथा सफाई की सुविधायें सभी भवनों में देने के लिए योजनाओं और अनुमानों में व्यवस्था की गई है।

Constructions of Bridges Over Chambal and Yamuna Rivers

814. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the reasons for which the constrution of bridges over Chambal and Yamuna rivers connecting Uttar Pradesh and Madhya Pradesh has not been completed within the scheduled time ; and

(b) whose is the responsibility for this delay ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) and (b). **Information is being**

collected from the State Government and will be laid on the table of the Sabha as soon as available.

हरियाणा सरकार को राजधानी निर्माण के लिए ऋण और अनुदान

815. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा सरकार को अपनी राजधानी के निर्माण के लिए दस करोड़ रुपये का अनुदान कब तक दिया जायेगा ;

(ख) उस राज्य को 10 करोड़ रुपये का प्रस्तावित ऋण कब तक दिया जायेगा ; और

(ग) क्या हरियाणा सरकार ने उक्त राशियों की मांग की है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). हरियाणा सरकार से नई राजधानी के स्थान का चयन करने के बारे में शीघ्र कार्यवाही करने के लिए कहा गया है। अनुदान व ऋण देने के लिए समय-सूची पर विचार तब किया जायगा जब हरियाणा सरकार अपने प्रस्ताव तैयार कर लेगी।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

राज्य विधान सभा के दो सत्रों के बीच अंतराल के बारे में संवैधानिक उपबन्धों में संशोधन

816. **श्री ज्योतिर्मय बसु** :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री प० गोपालन :
श्री के० रामानी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार राज्य विधान सभा के दो सत्रों के बीच के अन्तराल को कम करने के लिए संवैधानिक उपबन्ध में संशोधन करने के बारे में विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का ध्यान कुछ मंत्रियों जिन को सभा में बहुमत प्राप्त नहीं था, के इस कार्य की ओर दिलाया गया है कि उन्होंने सभा की बैठक को बुलाना छः महीने तक के लिये टाल दिया था ; और

(घ) क्या सरकार का ध्यान कुछ ऐसे आरोपों की ओर दिलाया गया है और यदि हाँ, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). प्रधान अधिष्ठाताओं के सम्मेलन ने सिफारिश की थी कि अन्य बातों के साथ-साथ एक ऐसी परिपाटी बनाने के लिए उचित कार्यवाही की जाये कि जब किसी विधान-सभा की बैठक बुलाने में अनुचित विलंब हो और विधान सभा में सदस्यों का बहुमत किसी मंत्रिमंडल में अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करना चाहें और इस सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री को लिखित रूप में अनुरोध करें तो मुख्य मंत्री ऐसे अनुरोध के एक सप्ताह के भीतर विधान सभा की बैठक बुलाने के लिये राज्यपाल को सलाह देगा।

प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की है कि जब यह प्रश्न उपस्थित हो कि क्या मंत्रि परिषद् को विधान सभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त है और मुख्य मंत्री राज्यपाल को विधान सभा की बैठक बुलाने के लिये सलाह न दे तो राज्यपाल, यदि वह उचित समझे तो, अपने ही अधिकार से इस प्रश्न पर विधान सभा के निर्णय प्राप्त करने के प्रयोजन के लिये विधान सभा की बैठक बुला सकेगा। इन सिफारिशों की जांच की जा रही है।

गैर-सरकारी क्षेत्र में होटलों के बारे में सरकार की नीति

817. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री इसहाक सम्भली :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री धीरेश्वर कलिता :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की नीति यह है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में अधिक होटल खोलने को प्रोत्साहन दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). देश में विदेशी पर्यटकों के लिये उपयुक्त आवास की अत्यधिक कमी को दृष्टि में रखते हुये, सरकार नये होटलों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के बारे में उत्सुक है। जबकि कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों पर होटलों के निर्माण का कार्य सरकारी क्षेत्र द्वारा हाथ में ले लिया गया है, होटल आवास विषयक शेष आवश्यकता की कमी को कम से कम अवधि में पूरा करने के लिये आवश्यक पूंजी का विनियोजन गैर-सरकारी क्षेत्र की ओर से होना होगा।

हीरे तथा जवाहरातों के परीक्षण के लिए प्रयोगशाला की स्थापना

818 **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हीरों और जवाहरातों के परीक्षण के लिये प्रयोगशाला खोलने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो प्रयोगशाला पर क्या लागत आयेगी ; और

(ग) इसकी स्थापना कहां की जायेगी और ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतनों का पुनरीक्षण

819. **श्री हेमराज** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिभाशाली व्यक्तियों को न्यायाधीशों के पदों के लिए आकर्षित करने के उद्देश्य से उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतनों का पुनरीक्षण करने के पक्ष में जोरदार ढंग से विचार व्यक्त किया गया है, क्योंकि 1957 में निर्धारित किए गए उनके वेतन बढ़ते हुए निर्वाह खर्च के कारण अब पुराने हो गए हैं, और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

भारतीय विश्वविद्यालयों में नाभिकीय भौतिकी का अध्ययन

820. **श्री मोहनस्वरूप** :
श्री श्रीनिवास मिश्र :
श्री ज० अहमद :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वारविक विश्वविद्यालय के कुलपति (वाइस चांसलर) और राष्ट्रमण्डल विश्वविद्यालय संघ के महासचिव ने भारतीय विश्वविद्यालयों में नाभिकीय भौतिकी के अध्ययन की कड़ी आलोचना की है ; और

(ख) क्या इस आलोचना को ध्यान में रखते हुए सरकार नाभिकीय भौतिकी के अध्यापन पर पुनर्विचार कर रही है और क्या अध्यापन कार्य केवल व्यावहारिक विज्ञान तक ही सीमित किया जायेगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) वारविक विश्वविद्यालय के कुलपति और राष्ट्रमण्डल विश्वविद्यालय संघ के महासचिव और कुछ अन्य अतिथि (विजिटिंग) कुलपतियों द्वारा दिए गए इण्टरव्यू से संबंधित समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान गया है । इण्टरव्यू के दौरान, राष्ट्रमण्डल विश्वविद्यालय संघ के महासचिव ने फैशनेबिल न्यूक्लिअर अनुसंधान तथा विशुद्ध विज्ञानों के अध्ययन की अपेक्षा, व्यावहारिक विज्ञान में अध्यापन और अनुसंधान पर अधिक ध्यान देने पर जोर दिया था और वारविक विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा था आप विकास के मध्य स्तरों पर हैं और इसलिए विशुद्ध विज्ञान और न्यूक्लिअर भौतिकी से आपको अधिक भला होने वाला नहीं है ।

(ख) यह अपने-अपने मन की बात है । न्यूक्लिअर भौतिकी सहित, विशिष्ठ क्षेत्रों में, कुछ चुने हुए विश्वविद्यालयों में अध्यापन तथा अनुसंधान का समर्थन करने में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखता है ।

गांधी दर्शन प्रदर्शनी और गांधी दर्शन स्मारिका का विषय समन्वयन

822. **डा० प० मंडल :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री गांधी शताब्दी सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति की अध्यक्ष हैं, जिसने गांधी दर्शन प्रदर्शनी का प्रायोजन किया है ;

(ख) क्या उनके अपने सचिवालय का सूचना निदेशक गांधी दर्शन प्रदर्शनी के विषय में समन्वय के लिये उत्तरदायी था ; और

(ग) क्या गांधी दर्शन स्मारिका में ट्रिब्यूट टू दि बिरलाज (बिड़लाओं की सेवाओं की सराहना) सम्बन्धी लेख के लिए वही अधिकारी उत्तरदायी हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां। प्रधान मंत्री, राष्ट्रीय गांधी शताब्दी समिति की कार्यकारिणी समिति की अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय समिति की उप समिति द्वारा गांधी दर्शन का आयोजन किया गया था।

(ख) जी हां। प्रधान मंत्री के सचिवालय के सूचना निदेशक ने बिल्कुल अवैतनिक हैसियत से ही सलाह देने के लिये परामर्शदाता के रूप में मण्डपों में गांधी दर्शन की सजावट का काम किया।

(ग) जी नहीं। उन्होंने गांधी दर्शन स्मारक-ग्रन्थ के प्रकाशन अथवा उसके किसी भी लेख के लेखन में कुछ नहीं किया था। इस ग्रन्थ के सम्पादन अथवा उत्पादन में किसी स्तर पर भी उनसे सलाह नहीं ली गयी थी।

मणिपुर स्कूल मदर्स एसोसिएशन" का ज्ञापन

823. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "मणिपुर स्कूल मदर्स एसोसिएशन" का एक शिष्टमण्डल 24 सितम्बर, 1969 को प्रधान मंत्री से इम्फाल में मिला और उसने उन्हें अपनी कुछ शिकायतों के बारे में ज्ञापन भी दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतों और प्रार्थनाओं पर कहां तक विचार किया गया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां।

(ख) उस ज्ञापन को मणिपुर प्रशासन को भेज दिया गया था।

प्रधान मंत्री की शक्तियां

824. **श्री मधु लिमये :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने जनवरी, 1970 में अपने उत्तर प्रदेश के दौरे में

कहा था कि गलती करने वाले मुख्य मन्त्रियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये उन्हें संविधान के अन्तर्गत पर्याप्त शक्तियाँ प्राप्त हैं ।

(ख) यदि हां, तो वे शक्तियां क्या हैं और वे संविधान के किस अनुच्छेद/खण्ड के अन्तर्गत हैं,

(ग) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने श्री चन्द्रभानु गुप्त द्वारा किये गये इस रहस्योद्घाटन को, कि गत वर्ष मध्यावधि चुनाव के दौरान प्रधान मंत्री के उत्तर प्रदेश के दौरों पर लगभग 40 लाख रुपये व्यय हुए थे, एक 'मामूली बात' और प्रधान मंत्री के पद का अपमान करने का प्रयत्न की संज्ञा दी थी,

(घ) यदि हां, तो क्या वह खर्च की राशि को चुनौती दे रही थीं अथवा यह कह रही थी कि यह रहस्योद्घाटन एक अपमान था, और

(ङ) क्या प्रधान मंत्री का आशय यह था कि राज्यों को प्रधान मंत्री के दौरों (सुरक्षा व्यवस्था के अतिरिक्त) पर व्यय करना अनिवार्य होगा भले ही वे दौरे दलगत उद्देश्यों के लिये हों ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) से (ङ). कुछ स्थानों में की गई शिकायतों का कि उन के उत्तर प्रदेश के दौरे पर काफी बड़ी रकम खर्च की जा रही है, उल्लेख करते हुये प्रधान मंत्री ने खेद व्यक्त किया था कि इसे वाद-विवाद का विषय बनाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया था कि प्रधान मंत्री का प्राथमिक कर्तव्य लोगों से मिलना, उनकी समस्याओं और कठिनाईयों को समझना और तदनुसार अपनी नीतियां और कार्य क्रम बनाना है । उन्होंने यह भी कहा था कि प्रधान मंत्री की सुरक्षा के अलावा राज्य सरकार को ऐसे बहुत से लोगों की सुविधा के लिये प्रबन्ध करने पड़ते हैं जो प्रधान मंत्री से मिलने आते हैं ।

Rotation of Staff to Ensure Efficient Administration

825. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state whether Government propose to issue orders, with a view to ensure efficient administration, greater rotation of staff and to provide training to the employees other than those working in the Administration Division, so that the employees and the officers working in the Administration Divisions of the Ministries and other offices could be transferred to other places after putting in three years of service ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : No, Sir. Attention is invited to reply to Lok Sabha unstarred question No. 1000 answered on the 21st November, 1969.

Former Ministers And M. Ps. Defeated in General Elections, Given Appointments in Corporations Autonomous Bodies and Undertakings

826. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the names of those Union Ministers, Ministers of State, Deputy Ministers and Members of Parliament belonging to the Congress party (both 'old' and 'new'), who were defeated in the last General Elections and who have so far been given appointments in the Corporations autonomous bodies and public sector undertakings as well as of those who have been appointed to some other posts like Ambassadors ;

(b) whether it is also proposed to provide jobs to those members belonging to other parties who were defeated in the said Elections ; and

(c) if not, the reasons for this discriminations ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) The required information is not readily available. It is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) and (c). The main consideration in making an appointment to any post or office under Government is the suitability of the individual for the particular post or office and party affiliation of the candidate is no consideration.

इण्डियन फैडरेशन आफ ट्रांसपोर्ट ओपरेटर्स से ज्ञापन

827. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री को इण्डियन फैडरेशन आफ ट्रांसपोर्ट ओपरेटर्स से दिनांक 17 नवम्बर, 1969 का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उस ज्ञापन में की गई मुख्य मांगें क्या हैं ; और

(ग) उन मांगों को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद कार्य, नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) संघ के द्वारा निम्नांकित मुख्य आधार बनाए गये :—

(1) इसके द्वारा मोटर गाड़ी (सुधार) विधेयक के अच्छी प्रकार जांच करने और सड़क परिवहन परिचालकों के लिए छूट मांगने के सम्बंध में व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया ।

(2) दो समितियों की नियुक्ति की जाय । एक आटोमोबाइल टायर के निर्माण की कीमतों के पूछ-ताछ करने और दूसरी समिति टायरों और चैंजिज की कीमतों को निश्चित और जारी करने के लिए नियुक्त की गई ।

(3) ट्रक-मालिकों, टैक्सी और आटो रिक्शा वालों की सहकारिता को बढ़ावा दिया जाय ।

(ग) उक्त आधारों के बारे में निम्न प्रकार ब्यान है :

(1) मोटर गाड़ी (सुधार) विधेयक लोक सभा द्वारा पहिले ही पारित किया गया है और राष्ट्रपति द्वारा उस पर स्वीकृति दी गई है। जब मोटर गाड़ी विधेयक अधिनियम में दुबारा सुधार किया जायेगा तब संघ के सुझावों को ध्यान में रखा जायगा।

(2) टायरों और ट्यूबों की कमी को पूरा करने के लिए इन्डस्ट्रियल डवलपमेंट इन्टरनल ट्रेड और कम्पनी अफेयर्स मंत्रालयों ने कई तरह के कदम उठाए हैं। उन्हें आवश्यक वस्तुओं की घोषणा करने और उन वस्तुओं की घोषणा करने और उन वस्तुओं को जमा करने की क्षमता को प्राप्त करने और कुछ टायरों और ट्यूबों के आयात करने के लिए भी प्रबन्ध किया गया है।

इस बारे में सघ के सुझावों पर इन्डस्ट्रियल डवलपमेंट विभाग का ध्यान आवश्यक कार्यवाही के लिए आकर्षित किया गया है जो कि उस विषय से सम्बन्धित है।

(3) मोटर गाड़ी विधेयक में परिवहन सहकारिता को व्यक्तिगत प्रार्थियों के स्थान पर आज्ञा पत्रों के दिये जाने और दूसरी वस्तुओं की समानताओं को प्राथमिकता देने के लिये पहिले ही व्यवस्था है। फिर भी सड़क परिवहन पर कार्य पूरा करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। बुनियादी तौर से वे विषय से सम्बन्धित है।

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री का हैदराबाद में वक्तव्य

828. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 2 जनवरी, 1970 को हैदराबाद में शुक्रवार की नमाज के पश्चात् मुसलमानों को सम्बोधित करते हुए केन्द्रीय मंत्री श्री फखरूद्दीन अली अहमद ने कहा था कि "अभी भी आपकी जान और माल की कोई सुरक्षा नहीं है। परन्तु निराश मत होना, संतोष और सहनशीलता रखो। कठिन समय के लिए पैगम्बर साहिब का मुसलमानों के लिये यही संदेश था" ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय मंत्री के कथनानुसार भारत में मुसलमानों का जीवन और सम्पत्ति सुरक्षित नहीं है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और मुसलमानों के जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ; और

(घ) यदि भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक है तो केन्द्रीय मंत्री ने मुसलमानों को भयभीत करने के लिए ऐसी बातें क्यों कही जिनसे कि पाकिस्तान को भारत विरोधी प्रचार के लिए सामग्री मिली ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). केन्द्रीय औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री ने 2 जनवरी, 1970 को मक्का मस्जिद, हैदराबाद में बोलते समय कहा था कि दुर्भाग्य से कुछ शरारतपूर्ण और असामाजिक

तत्वों के षडयंत्रों के कारण दंगे हुए और इससे मुसलमानों के बीच भय की भावना पैदा हो गई। तथापि, उन्होंने श्रोतागण को हतोत्साह न होने की सलाह दी और अपनी भय की भावना को दूर करने और राष्ट्रीय जीवन में भाग लेने के लिए सहनशीलता, सहिष्णुता तथा अच्छे मेल-जोल के साथ कार्य करने को कहा।

बेरोजगार इंजीनियरों और तकनीशियनों को आर्थिक सहायता तथा प्रशिक्षण देने सम्बन्धी योजना

829. **श्री भगवान दास :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री चिन्ता मणि पाणिग्रही :
श्री श्रद्धाकार सूपकार :
श्री मणि भाई जे० पटेल :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री न० कु० सांघी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्रीमती इलापाल चौधरी :
श्री आतम दास :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेरोजगार इंजीनियरों तथा तकनीशियनों को आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण देने की सरकारी (केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की) योजना कब आरम्भ की गई थी ;

(ख) इस योजना का ब्यौरा क्या था ;

(ग) राज्यवार कितनी आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई और कितनी आज तक कुल राशि वास्तविक रूप से दी गई है, दिए गए तकनीकी प्रशिक्षण का ब्यौरा क्या है ;

(घ) उन बेरोजगार इंजीनियरों तथा तकनीशियनों की संख्या कितनी है जो नये उद्योग आरम्भ कर पाये हैं ;

(ङ) इस योजना से अब तक राज्यवार कितने प्रतिशत बेरोजगार इंजीनियर तथा तकनीशियन लाभान्वित हुए, ; और

(च) क्या इन योजनाओं की क्रियान्विति अभी तक आरम्भ नहीं हो सकी है और यदि हां तो इस विफलता के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). मई 1968 में केन्द्रीय सरकार ने इंजीनियरों के लिए प्रतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करने के लिये कई उपाय किये हैं। उन उपायों की एक सूची 26 जुलाई, 1968 को तारांकित प्रश्न संख्या 138 के उत्तर में सदन के पटल पर रखी गई थी। इन उपायों में शामिल एक उपाय बेरोजगार इंजीनियरों को वित्तीय सहायता देना है कि ताकि वे लघु उद्योग स्थापित कर सकें। केन्द्रीय सरकार के उद्योग विभाग ने ऐसी आर्थिक सहायता देने के लिये एक आदर्श योजना तैयार की है और राज्य सरकारों को उनकी वार्षिक योजनाओं में शामिल करने के हेतु विचार करने के लिये भेजा था। इस योजना में उद्योग के लिये चलती पूंजी का 90 प्रतिशत वित्तीय संस्थानों से आसान शर्तों पर ऋण के रूप में तथा नियत परिसम्पतियों जैसे भूमि, भवन तथा यंत्र के रूप

में सरकार द्वारा इसी प्रकार की आसान शर्तों पर उद्यमियों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। आसाम, केरल, दिल्ली और चन्डीगढ़ की सरकारों ने इस योजना को पहले ही अपनी संबंधित योजनाओं में शामिल कर लिया है। बहुत सी राज्य सरकारें स्टेट बैंक आफ इन्डिया अथवा राज्य औद्योगिक विकास निगम के सहयोग से ऐसी वित्तीय सहायता के लिए पृथक योजनायें भी कार्यान्वित कर रही हैं।

गतवर्ष लघुउद्योग सेवा संस्थान ने "औद्योगिक ठेकेदारी" विषय पर इंजीनियरी स्नातकों तथा डिप्लोमा धारकों के लिए एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाया ताकि बेरोजगार इंजीनियर इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिये उचित विशेषशता प्राप्त कर सकें। इस पाठ्यक्रम में 56 इंजीनियरों, को प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त शिक्षा मंत्रालय की उद्योगों-में-प्रशिक्षण योजना के अधीन 11,210 इंजीनिजयरों---स्नातक तथा डिप्लोमा धारक दोनों ने सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के विभिन्न उद्योगों में व्यवहारिक प्रशिक्षण लिया है।

(ग) बेरोजगार इंजीनियरों के लिए लघु उद्योग स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत वित्तीय सहायता की कुल राशि के बारे में निश्चित सूचना उपलब्ध नहीं है।

"औद्योगिक ठेकेदारी" विषय पर लघु उद्योग सेवा संस्थान द्वारा चलाये गये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का उद्देश्य लघु उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमियों को सरकारी संस्थानों/अभिकरणों द्वारा की गई विभन्न सुविधाओं के बारे में इंजीनियरों को हिदायतें देना है। इसमें "प्रबन्धक नीतियां तथा व्यवहार" जैसे विषयों पर हिदायतें भी शामिल हैं। इंजीनियरों को अनेक लघु उद्योग एककों में संयन्त्र-में-प्रशिक्षण भी दिया गया।

शिक्षा मंत्रालय की उद्योग-में-प्रशिक्षण योजना के अधीन इंजीनियरी स्नातक तथा डिप्लोमा धारक एक से दो वर्ष तक की अवधि के लिए उद्योगों में व्यवहारिक प्रशिक्षण पाते हैं और इस अवधि में उन्हें वृतिकायें दी जाती है।

(घ) उन लोगों की कुल संख्या उपलब्ध नहीं है जो राज्य सरकारों द्वारा दी गई वित्तीय सहायता से नये उद्योग आरम्भ कर सके हैं। फिर भी गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि अक्तूबर 1969 तक लगभग 130 तकनीशनों ने इन योजनाओं के अधीन औद्योगिक इकाइयां स्थापित की हैं। महाराष्ट्र में तकनीशनों को किराया खरीद आधार पर बने बनाये शेड आवन्टित किये जाते हैं। इस योजना के अधीन तकनीशनों द्वारा 15 प्लाट लिए गये हैं।

(ङ) इन योजनाओं द्वारा आवृत देश में बेरोजगार इंजीनियरों के प्रतिशत के बारे में निश्चित सूचना उपलब्ध नहीं है।

(च) जी नहीं, श्रीमान्।

नरेन्द्रपुर, रामकृष्ण संस्थान को केन्द्रीय अनुदान

830. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में 24 परगना जिले में सोनोपुर थाने के अन्तर्गत नरेन्द्रपुर

रामकृष्ण संस्थान को गत तीन वर्षों में वर्ष-वार कितनी सांविधिक तथा आवर्ती केन्द्रीय अनुदान मिला;

(ख) इस संस्थान के वित्त पोषण के अन्य कौन कौन से स्रोत हैं;

(ग) वर्ष 1968-69 के दौरान प्रत्येक स्रोत से कितना धन एकत्रित किया गया; और

(घ) वर्ष 1968-69 के दौरान प्रत्येक मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत इस संस्थान ने कितना धन व्यय किया ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) भारत सरकार द्वारा नरेन्द्रपुर रामकृष्ण संस्थान को कोई सांविधिक और आवर्ती अनुदान नहीं दिया गया है।

(ख) से (घ). क्योंकि यह एक प्राइवेट संस्था है, इसलिये सरकार के पास इसके बारे में कोई सूचना नहीं है। किन्तु, छात्रावास में और अधिक आवास बनाने, पुस्तकें और पुस्तक-रैक खरीदने और चार पारिवारिक क्वार्टरों के निर्माण के लिए, भारत सरकार ने इस स्कूल को 90,000 रुपये का एक तदर्थ अनुदान दिया था।

गांधी दर्शन प्रदर्शनी

831. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969 में भारत में तथा विदेश में कुल कितनी गांधी दर्शन प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया;

(ख) राष्ट्रीय संग्रहालयों में कितने गांधी कक्ष स्थापित किये गये हैं, और विभिन्न विश्वविद्यालयों में कितने गांधी अध्ययन के पीठ स्थापित किये गये हैं; और

(ग) कितनी अन्तर्राष्ट्रीय लेख प्रतियोगितायें आयोजित की गई?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पारादीप पत्तन विकास के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में व्यय

832. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में पारादीप पत्तन के विकास के लिये व्यय सम्बन्धी प्राक्कलनों को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो अनुमानत: कितना व्यय होगा?

संसद्-कार्य, नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). पारदीप पत्तन के विकास के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना कार्यक्रम को अन्तिमरूप

दिया जा चुका है । चौथी पंचवर्षीय योजना में किये जाने वाली योजनाओं की कुल अनुमानित लागत 14 करोड़ रुपये है ।

महाराष्ट्र-मैसूर सीमा विवाद

833. **श्री इसहाक सम्भली :** **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री के० हाल्दर : **श्री ईश्वर रेड्डी :**
श्री रामावतार शास्त्री : **श्री जी० वाई० कृष्णन :**

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र-मैसूर सीमा विवाद को शीघ्र हल करने के लिये सरकार ने क्या निर्णय किया है;

(ख) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि इस समस्या को निहित हितों द्वारा लोगों को भड़का कर गुप्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयोग किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस समस्या के समाधान के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल :) : (क) इस विवाद का एक सन्तोषजनक हल निकालने की दृष्टि से यह मामला सक्रिय रूप से विचाराधीन है ।

(ख) और (ग). सरकार को इस विवाद के शीघ्र ही हल करने के लिए लोगों की इच्छा के बारे में जानकारी है किन्तु यह साबित करने के लिए कोई आधार नहीं है कि ये कथन किसी अप्रत्यक्ष इरादों के परिणाम हैं ।

दिल्ली में अपराधों में वृद्धि

834. **श्री इसहाक सम्भली :** **श्री सरजू पाण्डेय :**
श्री कं० हाल्दर : **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री क० मि० मधुकर : **श्री न० रा० देवधरे :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में कत्ल, डकैती सेंध लगाने, चोरी, कारों की चोरी, आत्महत्या तथा बलात्कार के मामलों से प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है;

(ख) 1966-67, 1967-68 और 1968-69 में इन अपराधों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ग) राजधानी में अपराधों की संख्या को कम करने के लिये सरकार का क्या क्या कार्यवाही करने का विचार है?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख).

दिल्ली में अपराध की स्थिति का विवरण

	1966-67	1967-68	1968-69
हत्या	67	72	84
डकैती	1	2	3
सेंध लगाना	1387	1242	1202
कारों की चोरी	130	216	242
अन्य चोरियां	9861	10187	9479
बलात्कार	44	25	35
आत्महत्या	151	160	180

(ग) प्रभावित क्षेत्रों की गश्त पैदल और साईकिलों पर लगाई जाती है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में प्रशिक्षित श्वानों द्वारा गश्त बड़ी कारगर साबित हुई है। चलती फिरती वायरलैस की गाड़ियां 24 घण्टे शहर का गश्त लगाती हैं। पुलिस के उप-अधीक्षक के पर्यवेक्षण के अधीन 5, अली पुर रोड में 7-7-1969 को आधुनिक साज-सज्जा तथा वायरलैस वाले केन्द्रीय नियन्त्रण कक्ष की स्थापना से संचार व्यवस्था में निश्चित सुधार हुआ है। यह 24 घण्टे काम करता है और इसके अनेक टेलीफोन कनेक्शन हैं तथा वायरलैस का जाल है जो इसको शहर के विभिन्न भागों में गश्त लगाने वाली चलती फिरती वायरलैस गाड़ियों के साथ जोड़ते हैं। ऐसी 36 गाड़ियां दिन में तैनात हैं तथा 11 रात्रि में। 1969 में ये चलती फिरती गाड़ियां चुराई गई 48 कारों तथा 14 अन्य गाड़ियों का पता लगाने में सफल हुई। इसके अलावा 141 अभियुक्त व्यक्तियों के गिरफ्तार करने में तथा 2010 अवैध शराब की बोतलों को बरामद करने में सहायक सिद्ध हुई।

2. निरोधात्मक गिरफ्तारियां 1968 में 8139 से बढ़कर 1969 में 8445 हुई। जेल से मुक्त कुख्यात बदमाशों और अपराधियों पर नजर रखी जाती है, खतरनाक बदमाशों को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र से बाहर निकाला जाता है। अब तक 46 बदमाशों को निष्कासित किया गया है तथा 14 और के निष्कासन के लिए मुकदमें न्यायालय में पड़े हैं। जेब कतरने लड़कियों से छेड़खानी करने और समाज विरोधी तत्वों पर सामान्य निगरानी रखने के लिए बस स्टापों समेत महत्वपूर्ण भीड़ वाले स्थानों पर वर्दी पहने तथा सादे वस्त्रों में कर्मचारी नियुक्त किये जाते हैं।

3. दिल्ली गुप्तचर विभाग की अपराध शाखा का आटो थैफ्ट स्कैड, आटो मोबाइल विशेषत: कारों की चोरी के मामले पर निगरानी रखता है और पेचीदे मामलों पर कार्यवाही करता है जिनमें अन्तर्राज्यीय गिरोह अन्तर्राज्यीयग्रस्त होते हैं। 1969 में यह एक कुख्यात मोटरकार चोर हरमिन्दर सिंह के नेतृत्व में एक कुख्यात गिरोह का पता लगाने में सफल हुआ जिसके परिणाम स्वरूप 12 कार, 1 मोटर-साईकिल, 1 स्कूटर लगभग 2.5 लाख रुपया के मूल्य के चुराई गई गाड़ियों के विभिन्न पुर्जे बरामद किये गये।

एयर इंडिया की उड़ानों की समय-सारिणी

835. **श्री मंगलाथुमाडोम :**
श्री एस० एम०कृष्ण :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1969 के अन्तिम सप्ताह में एयर इंडियन की उड़ानें उसकी समय सारिणी के अनुसार नही की थीं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). दिसम्बर 1969 के अन्तिम सप्ताह के दौरान, एयर इंडिया की उड़ानों में मुख्य देरियां निम्नलिखित थीं :

क्रम सं०	उड़ान संख्या	उड़ान का उद्गम स्थान/गन्तव्य स्थान	तारीख	देरी की अवधि	कारण
				घंटे मिनट	
1.	ए० आई-124	नई दिल्ली (गन्तव्य स्थान)	25 12.69	14.35	इंजीनियरी खराबी के कारण, तेहरान में 13-1/2 घंटे की देरी
			और बाकी	की देरी	तेहरान-नई दिल्ली सैक्टर पर प्रतिवात (हेड विंड्स) के कारण
2.	ए० आई-108	बम्बई (गन्तव्य स्थान)	26.12.69	15.45	खराब मौसम के कारण न्यूयार्क से देरी से प्रस्थान ।
3.	ए० आई-109	न्यूयार्क (गन्तव्य स्थान)	26.12.69	2.35	न्यूयार्क में खराब मौसम के कारण ।
4.	ए० आई-111	न्यूयार्क (गन्तव्य स्थान)	27.12.69	—	तकनीकी कारणों से उड़ान को कुवैत में समाप्त कर दिया गया ।
5.	ए० आई-115	(i) बम्बई (उड़ान का उद्गम स्थान)	28.12.69	1.55	तकनीकी कारणों से बम्बई से 1.55 घंटे की देरी से प्रस्थान ।
		(ii) नई दिल्ली	28.12.69	12.35	तकनीकी कारणों से

Students' Participation in University Administration

836. **Shri Narayan Swaroop Sharma** : Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to refer to the statement laid in reply to Short Notice Question No. 25 on the 13th May, 1969 regarding University Vice-Chancellors' Conference in Delhi, and state :

(a) whether he and the senior officers of his Ministry are against students' participation in the University administration ;

(b) if so, whether this is because the Educational Advisers of his Ministry and the University authorities who have veiled their inefficiency in exposed ; and

(c) if not, whether he proposes to bring forth any such legislation which may enable the students to take part in the administration of the Universities and present the officers and Chancellors from taking arbitrary action ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) In so far as the Central Universities are concerned, a Bill moved by Shri Madhu Limaye is already under circulation for eliciting public opinion, The Bill seeks to provide statutorily for the setting up of students unions, teacher-student joint staff committees as also for students' association with the University bodies

As for State Universities, it is for the State Governments to take action in the matter.

Pakistani Nationals in India

837. **Shri Narayan Swaroop Sharma** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the total number of Pakistani nationals, in India as on the 30th June, 1969, Statewise ;

(b) the number of such Pakistani nationals, out of them, as were staying in India after the expiry of the period of their stay ;

(c) the action being taken by Government to send them back to Pakistan ;

(d) whether Government propose to conduct an enquiry into the allegation that the said Pakistani nationals instigate communal riots in India ; and

(e) if so, whether Government propose to impose restrictions on the entry of the Pakistani nationals to India and on the departure of Indian Muslims to Pakistan ?

The Minister of state in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). A statement giving the information is attached. [*Pleced in Library. see* No. LT—2638/70]

(c) Action including prosecution and deportation, as may be appropriate, is taken according to the law relating to foreigners. Look out notices are issued in respect of those who go underground and vigorous efforts are made to trace and deal with them according to law.

(d) No Sir.

(e) Does not arise.

Appointment of Chairmen of Interview Boards for Recruiting Candidates for Technical Posts

838. **Shri Narayan Swaroop Sharma** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4546 on the 22nd August, 1969, regarding recruitments in his Ministry and state ;

(a) whether the policy of appointing a less qualified Administrative Officer as Chairman of an interview Board and appointing highly qualified persons to assist him in interviewing candidates, shows that a person, however, technically and scientifically qualified is considered to be second rate in comparison to an Administrative Officer ;

(b) if not, whether at the time of interviewing candidates for technical, statistical and scientific posts, only those persons who possess sound knowledge of the respective subjects would be appointed as Chairman of the interview boards ; and

(c) the names of the Ministers who utilised the services of the persons selected to which reference has been made in the reply given to part (d) of the aforesaid question ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) and (b). Generally the prevalent practice is to appoint a person as Chairman from the senior

service for selection of candidates for posts belonging to junior service. Where special scientific and technical skill is required, the Chairman is assisted suitably.

The vacancies that were filled up on the recommendations of the Chairman of the Interview Board related to posts of Tedhnical Assistants and Statistical Assistants. These were Class 1II appointments and the qualifications prescribed for these posts were not technical or scientific in nature as is generally understood.

(c) Dr. Triguna Sen, former Education Minister.

Reorganisation of Shipping Organisation

839. **Shri Narayan Swaroop Sharma :** **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri J. Sunder Lal : **Shri Ram Swarup Vidyarth :**

Will the Minister of **Shipping ahd Transport** be pleased to states :

(a) whether it is a fact that a scheme to reorganise the Shipping Organisation has been drawn up;

(b) if so, the based out lines thereof and the benefits likely to accrue therefrom ;

(c) when this scheme would be implemented ;

(d) whether a large number of employees are likely to be retrenched as a result of this scheme ; and

(e) if so, the steps being taken for their absorption ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri K. Raghuramaiah) : (a) Presuming the Shipping Organisation referred to is the Chartering and Shipping Coordination Organisation in the Ministry of Shipping and Transport, the answer is in the affirmative, Sir.

(b) to (e). The details of the scheme are still under examination in consultation with the concerned Ministries.

दिल्ली परिवहन की बसों द्वारा न लगाये गये फेरे

840. **श्री वि०नरसिम्हा राव : क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन की बसों द्वारा प्रतिदिन औसतन 3000 से अधिक फेरे नहीं लगाये जाते हैं तथा कम से कम 300 बसें मार्ग में खराब हो जाती हैं, और

(ख) यदि हां, तो महानगर में परिवहन व्यवस्था में सुधार करने के लिए क्या ठोस उपाय करने का सरकार का विचार है ?

संसद् कार्य, नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) (क) जनरल मैनेजर, दिल्ली परिवहन उपक्रम के अनुसार, 1.11.69 से 31.1.70 तक की अवधि में उपक्रम की बसों ने एक दिन में औसतन 2779 फेरे नहीं लगाये और उसी अवधि में एक दिन में औसतन 253 बसें मार्ग में खराब हुई।

(ख) महानगर में परिवहन व्यवस्था में सुधार करने के लिये जनरल मैनेजर ने निम्न-लिखित उपाय किये हैं :

(1) 1194 बसों के उपक्रम के बेड़े के अलावा, 318 निजी बसें दिल्ली परिवहन उपक्रम के मार्गों पर चलाने के लिये ली गई हैं ;

(2) ड्राइवरों और अनुरक्षण कर्मचारियों के लिये एक प्रेरणाप्रद योजना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है जिसके अन्तर्गत वे अतिरिक्त पारिश्रमिक के पात्र होंगे यदि वे बेड़े का 85 प्रतिशत का न्यूनतम शेड से बाहर ले जायें और अनुसूचित किलो मीटरों का 85 प्रतिशत का न्यूनतम प्राप्त करें।

(3) बेकार गाड़ियों की बोडी का नवीनीकरण के बाद उन्हें ट्रेलरों में बदले जा रहे हैं ताकि वे चुने हुए मार्गों पर ट्रेलर बसों के रूप में चल सकें।

(4) पुरानी बसों को सामान्य कार्य से हटाये जा रहे हैं ताकि उनका उस स्कूल बसों और विशेष किराये के प्रयोजन के लिये उपयोग किया जा सके।

(5) सेवाई और दिन प्रतिदिन का अनुरक्षण वरिष्ट अधिकारियों की देखरेख में रात्रि को किया जा रहा है।

एयर इन्डिया के अध्यक्ष का पर्यटक उद्योग के विकास संबंधी वक्तव्य

842. **श्री वि० नरसिम्हा राव :** **श्री दण्डपाणि :**
श्री नि० रं० लास्कर : **श्री मयाबन :**
श्री पी० ए० सामिनाथन् : **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री नारायणन् :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का ध्यान एयर इंडिया के अध्यक्ष के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि देश में यात्रा पर्यटक उद्योग के विकास में गम्भीर कमियां हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) देश में पर्यटक यातायात के सुधार के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) . जी हाँ। इन्डियन एयर लाइंस की अपर्याप्त धारिता तथा होटल आवास की कमी के बारे में जैसा कि एयर इन्डिया के चेयरमैन ने भी विचार व्यक्त किये हैं सरकार भी जागरूक है। इसकी कमी की पूर्ति करने के लिये, सरकार ने इण्डियन एयर लाइन्स को सात बोइंग 737-200 विमान प्राप्त करने के लिये अनुमति प्रदान कर दी है। जहां तक होटल आवास का संबंध है, सरकारी होटलों की शय्या-क्षमता को जोकि पहले 1218 थी बढ़ाकर 1968 में 1568 कर दिया गया है। इसके अलावा, विदेशी पर्यटकों के लिये उपयुक्तता के दृष्टि-कोण से पर्यटन विभाग द्वारा अनुमोदित 40 नये होटल प्रायोजनाओं का निर्माण-कार्य देश भर में नाना पर्यटन केन्द्रों पर विभिन्न अवस्थाओं में चल रहा है।

(ग) उपलब्ध साधनों की सीमा के अन्तर्गत रहते हुए, भारत के लिये अधिक संख्या में विदेशी पर्यटकों को आकृष्ट करने के लिये सरकार द्वारा उठाये गये कदम संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

सरकार ने और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये निम्न कदम उठाये हैं :

1. अच्छी किस्म के साहित्य के द्वारा भारत और विदेशों में व्यापक प्रचार कार्यक्रम ।
2. सरकारी होटलों में और अधिक होटल शय्याओं की व्यवस्था और गैरसरकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना ।
3. विदेशों में और अधिक संवर्धनशाली एकक खोलना और वर्तमान एककों में प्रचार अभियानों को तेज करना ।
4. चार्टर उड़ानों सम्बन्धी नीति को उदार बनाना ।
5. पारस्परिक आधार पर कुछ देशों के साथ वीजा शुल्क की समाप्ति ।
6. 10 दिन तक की यात्रा के लिये वीजा की समाप्ति के लिये पश्चिम जर्मनी और नारडिक देशों के साथ द्विपक्षीय करार किये गये हैं ।
7. अस्थायी अवतरण परमिट के आधार पर वीजा मुक्त प्रवेश की अवधि को 7 दिन से बढ़ाकर 21 दिन करना ।
8. हवाई अड्डों पर उनके लिये सुविधाओं की व्यवस्था में सुधार ।
9. गंतव्य वाले यातायात के लिये गुलमर्ग, कोवालम और गोआ में विश्राम स्थलों का बनाना ।
10. भिखारियों और दलालों के कंटक को दूर करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं ।
11. हमारे चार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर व्यापक सुधार किये जा रहे हैं ।
12. देश में एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्राओं के लिये अधिक संतोषप्रद और पर्याप्त परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था ।
13. वन्य पशुओं और शिकार पर्यटन का विकास करना ।
14. पर्यटक सुविधाओं में सुधार और उनमें वृद्धि करने के लिये अनुदानों और ऋणों के द्वारा स्वैच्छिक संगठनों, संस्थाओं और गैरसरकारी क्षेत्र को सहायता ।
15. पर्यटक केन्द्रों में, जहां संभव हो, वर्तमान सुविधाओं में सुधार ।
16. पुरातत्वीय स्मारकों सहित पर्यटक अभिरुचि के स्थानों की अच्छी प्रकार से देखरेख ।
17. पर्यटक सेवाओं की व्यवस्था के लिये प्रशिक्षित और योग्य व्यक्तियों का संवर्ग बनाने के लिये एक प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाना ।

सरकारी कर्मचारियों के स्थायीकरण के लिए विभागीय परीक्षा

843. **श्री सीताराम केसरी :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सच है कि 1950 और 1951 में दो विभागीय परीक्षायें ली गई थीं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ व्यक्तियों को 40-50 प्रतिशत के वर्ग में रखा गया था और इसी आधार पर उनको 1954 में सहायक नियुक्त किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि इन व्यक्तियों का अभी तक स्थायीकरण नहीं किया गया है ;

(ङ) क्या यह भी सच है कि इन व्यक्तियों को 1958 में हुई विभागीय परीक्षा में बैठने वाले व्यक्तियों से कनिष्ठ रखा गया है ; और

(च) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ). 1951 में ली गई दूसरी परीक्षा के कुछ उम्मीदवार, जिन्होंने 48 से 50 प्रतिशत के परास में अंक प्राप्त किये, न तो 1-1 1954 को जारी किये गए सहायकों के प्रारम्भिक गठन और न ही पहली नियमित अस्थायी स्थापना सूची में सहायकों की स्थायी रिक्तियों में खपाने के लिए अर्ह हो सके। फिर भी इस वर्ग को एक रियायत के रूप में उन्हें अगस्त, 1959 में जारी की गई सहायकों की दूसरी नियमित अस्थायी स्थापना सूची और सितम्बर, 1960 में जारी की गई सहायकों की तीसरी नियमित अस्थायी स्थापना सूची के माध्यम से बाद की अनुरक्षण अवस्थाओं में स्थायी रिक्तियों में खपाने का निर्णय किया गया। ऐसे उम्मीदवारों की संख्या दूसरी नियमित अस्थायी स्थापना में सभी 39 तथा तीसरी नियमित अस्थायी स्थापना में 198 थी। दूसरी नियमित अस्थायी स्थापना में शामिल सभी 39 उम्मीदवार तीसरी नियमित अस्थायी स्थापना के तैयार किये जाने से पहले स्थायी बना दिए गए थे। तीसरी नियमित अस्थायी स्थापना में शामिल 198 उम्मीदवारों में से केवल 46 व्यक्ति 1-10-1962 को विकेन्द्रीकरण की तारीख को स्थायी बनाए जाने शेष थे। विकेन्द्रीकरण के बाद सहायकों की श्रेणी में स्थायीकरण संवर्ग-वार आधार पर सम्बन्धित संवर्ग प्राधिकारियों द्वारा किये जा रहे हैं।

(ङ) और (च). सहायकों की दूसरी नियमित अस्थायी स्थापना में नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जनवरी 1958 में एक सीमित विभागीय परीक्षा की गई थी और उस परीक्षा के सफल उम्मीदवार अगस्त 1959 में जारी की गई दूसरी नियमित अस्थायी स्थापना सूची में शामिल कर लिए गए थे। 1958 की विभागीय परीक्षा के अर्ह उम्मीदवारों को सामूहिक रूप से दूसरी नियमित अस्थायी स्थापना में, जिनमें 1951 की दूसरी परीक्षा से 39 उम्मीदवार (40 से 50 प्रतिशत वर्ग) शामिल थे सभी दूसरों के कनिष्ठ और नीचे रखे गये थे और इसलिए उनका स्थान 1958 की परीक्षा के उम्मीदवारों से ऊपर रहा। इसके अतिरिक्त इस 40 से 50 प्रतिशत वर्ग के व्यक्तियों का, जिन्हें तीसरी नियमित अस्थायी स्थापना सूची में बाद में शामिल किया गया था स्थान 1958 की परीक्षा के उम्मीदवारों से नीचे रखना पड़ा क्योंकि उनकी सापेक्ष वरिष्ठता उन नियमित अस्थायी स्थापना सूचियों के क्रम के अनुसार निर्धारित की जाती है जिनके द्वारा दूसरी नियमित अस्थायी स्थापना के सभी व्यक्ति तीसरी नियमित अस्थायी स्थापना में शामिल सभी व्यक्तियों से सामूहिक रूप में वरिष्ठ हो गये।

चौथी योजना के दौरान बड़े पत्तनों तथा नई परियोजनाओं के विकास के लिये परिव्यय

844. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में बड़े पत्तनों के विकास तथा आरम्भ की जाने वाली नई परियोजनाओं के लिये राष्ट्रीय बन्दरगाह बोर्ड ने 280 करोड़ रुपये का परिव्यय मंजूर किया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा किन किन पत्तनों का विकास किया जायेगा ;

(ग) प्रत्येक पत्तन के लिये कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ; और

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना में इस योजना के अन्तर्गत कौनसी नयी परियोजनाएं आरम्भ की जाने की सम्भावना है ?

संसद् कार्य, नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां। चौथी पंचवर्षीय योजना काल में 280 करोड़ रुपये की प्रस्तावित लागत का एक निर्माण कार्यक्रम बड़े पत्तनों के विकास के लिए मंजूर किया गया है।

(ख) चौथी योजना का कार्यक्रम में मौजूदा 8 बड़े पत्तनों का विकास और मंगलौर और तूतीकोरीन के दो नए बड़े पत्तनों का विकास शामिल है।

(ग) प्रत्येक पत्तन परियोजना के लिए आबंटित कुछ राशि नीचे दी जा रही है :—

पत्तन परियोजना का नाम	चौथी योजना के लिए मंजूर निर्माण कार्यक्रम
क. बड़े पत्तन	
1. कलकत्ता	5.86
2. हल्दिया गोदी पद्धति	40.00
3. भागीरथी-हुगली नदी साध कार्य	8.00
4. बम्बई	48.14
5. मेद्रास	20.84
6. कोचीन	17.89
7. विशाखापत्तनम (आन्तरिक हारबर)	16.65
8. विशाखापत्तनम (बाहरी हारबर परियोजना)	35.00
9. कांडला	9.45
10. मारमुगोआ	22.00
11. पारादीप	14.00
12. मैंगलौर हारबर परियोजना	16.00
13. तूतीकोरीन हारबर परियोजना	17.00
ख. केन्द्रीय निकर्षण संगठन	9.00
कुल योग	279.83 अथवा 280 करोड़

(घ) चौथी योजनावधि में जिन नयी परियोजनाओं के शुरू किए जाने की सम्भावना है वे ये हैं मद्रास और मंगलोर पत्तनों पर खनिज लोहा धरा उठा की आधुनिक सुविधाओं की स्थापना, गहरे डुबाव वाले कच्ची धातु वाहकों की उठाई के लिए विशाखापत्तनम पर बाहरी हारबर का निर्माण न्हावा-सिवा पर बम्बई के सहायक पत्तन का निर्माण गहरे डुबाव वाले तेल पोतों के लिए कोचीन पत्तन पर एक तेल गोदी का निर्माण, पारादीप पर एक सामान्य माल घाट का निर्माण और बड़े तथा लघु पत्तनों की पूंजीगत निकर्षण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक केन्द्रीय निकर्षण संगठन की स्थापना।

राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा अनुसंधान संस्थानों में प्रयुक्त पड़े आयातित उपकरण

845. **श्री बेणी शंकर शर्मा :** **श्री वेंगलराया नायडू :**
श्री मयावन : **श्री वंदपाणि :**
श्री नारायनम : **श्री सामिनाथन :**
श्री नि० रं लास्कर :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उपकरण संगठन को अपने आयात स्थानापन्न कार्यक्रम के दौरान इस बात का पता चला है कि करोड़ों रुपये के आयातित उपकरण राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा अनुसंधान संस्थाओं में अप्रयुक्त पड़े हैं ;

(ख) क्या योजना आयोग द्वारा राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा सहकारी अनुसंधान संस्थाओं से एकत्रित जानकारी के आधार पर देश में 4 करोड़ से 5 करोड़ रुपये के मूल्य के उपकरण अप्रयुक्त पड़े हैं ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा क्या इस मामले में उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है और कार्यवाही की गई है ;

(घ) इन आयातित उपकरणों को प्रयोग में लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). आयोजना आयोग के लिए, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा 1966 में किए गये एक नमूने के सर्वेक्षण के आधार पर, यह अनुमान लगाया गया था कि राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं संस्थानों में लगभग 53.00 लाख रुपये के उपकरण/उपस्कर तात्कालिक प्रयोग में नहीं थे। इन आंकड़ों के आधार पर, केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन (के० वै० उ० सं०), चंडीगढ़ ने अनुसंधान संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंजीनियरी कालेज, अस्पताल सरकारी विभागों आदि में, मरम्मत न होने के कारण अप्रयुक्त पड़े उपकरण/उपस्कर की मोटे तौर पर, लगभग 4 से 5 करोड़ रुपये की बाह्य गणना की थी। के०वै०उ०सं० ने, इस सम्बन्ध में अलग से कोई सर्वेक्षण नहीं किया था। राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों से हाल ही में एकत्र की गई सूचना से पता चलता है कि 30 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों में से केवल 11 प्रयोगशालाओं के पास ही अगस्त, 1969 के अन्त तक, लगभग 10.00 लाख रुपये के ऐसे कुछ

आयातित और देसी उपकरण/उपस्कर हैं, जिनका पूरी तरह से प्रयोग नहीं किया गया है । प्रयोग के योग्य नहीं है ; और अप्रयुक्त हैं ।

(ग) और (घ). विवरण संलग्न है, जिसमें राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों में उपकरणों/उपस्करों के अप्रयुक्त पड़े रहने के मोटे-मोटे कारण दिये गये हैं । विवरण में स्पष्ट की गई परिस्थिति के कारण, इस मामले में जिम्मेदारी निर्धारित करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

मोटे तौर पर, उपकरणों/उपस्करों के बेकार पड़े रहने के निम्नलिखित कारण हैं :

1. कुछ उपस्करों को किसी विशिष्ट परियोजना/समस्या के लिए प्राप्त किया गया था और इसी प्रकार के कार्य को हाथ में लेने पर, फिर से उनका प्रयोग करने की आशा है ।
2. कुछ उपस्कर सहायता कार्यक्रम के अधीन, संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि में से प्राप्त हुए थे ; सहायता कार्यक्रम के अधीन प्राप्त किये जाने वाले विभिन्न उपस्करों की सूची को लम्बी अवधि के लिए और इस बात को ध्यान में रखकर कि सहायता वर्षवार न मिलकर, करार अवधि के दौरान ही मिलनी है, अन्तिम रूप दिया जाना था । इसलिए, न केवल तात्कालिक आवश्यकता की वस्तुओं को ही प्राप्त करना आवश्यक था, किन्तु ऐसी अन्य वस्तुओं को भी प्राप्त करना आवश्यक था, जो संस्थान के बढ़ते हुए कार्यकलापों तथा अगले वर्षों में हाथ में लिये जाने वाले अनुसंधान कार्यक्रम के लिए भविष्य में आवश्यक हो ।
3. कुछ उपस्कर बदल/फालतू पुर्जों के रूप में है और इस समय प्रयुक्त उसी प्रकार के उपस्करों के बेकार हो जाने पर प्रयुक्त किये जायेंगे ; इन्हें सुरक्षित अतिरिक्त पुर्जों के रूप में रखा गया है ।
4. 1956-57 में प्राप्त उपस्करों में से कुछ का सामान्य जीवन काल समाप्त हो चुका है ।
5. फालतू पुर्जों के अभाव में, कुछ उपस्करों को इस समय प्रयुक्त नहीं किया जा रहा है ।
6. कुछ उपस्करों का संस्थापन के भवन निर्माण कार्य पूरा न होने के कारण नहीं किया जा सका ।

इंडियन एयरलाइंस की विमान परिचारिकाओं द्वारा हिन्दी उच्चारण

3346. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइंस की विमान परिचारिकाएं विमानों की उड़ान के समय हिन्दी तथा अंग्रेजी में यात्रियों का स्वागत करती हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अधिकतर मामलों में हिन्दी का उच्चारण इतना तोड़-मरोड़ कर तथा गलत किया जाता है कि यात्रियों को उससे निराशा और घृणा होती है ; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). इंडियन एयरलाइंस ने इस प्रकार की हिदायतें जारी कर दी है कि हिन्दी में घोषणायें बिना किसी विकृत लहजे के की जायें। आकाशवाणी के घोषणाकर्त्ता (एनाउंसर) हिन्दी व अंग्रेजी दोनों में घोषणा करने का प्रशिक्षण दे रहे हैं । जब कभी आवश्यक होता है मुख्य केबिन परिचारक (अटैंडेंट) भी सुधार के उपाय करते हैं ।

भारत में जम्बो जेटों की उड़ानों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का विकास

848. **श्री वेणी शंकर शर्मा** :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री एस० आर० दामानी :
श्री विश्व नारायण शास्त्री :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जम्बो जैट विमान के आवागमन के उपयुक्त हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो कमियों को दूर करने के लिए अब तक क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) इस बारे में कितनी प्रगति हुई है और ये हवाई अड्डे कब तक इन जम्बो जैट विमानों के आवागमन की स्थिति में हो जायेंगे ; और

(घ) कितने जम्बो जैट विमान खरीदे जायेंगे और उनका कुल कितना मूल्य होगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). यद्यपि हमारे अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र अभी इस समय भी बोइंग 747 विमानों को ग्रहण करने की स्थिति में हैं, तथापि आवश्यकताओं की अधिक उपयुक्त रूप से पूर्ति के लिए कुछ अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है । अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार 2.71 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से, वर्तमान टर्मीनल भवनों के अंतरिम सुधारों से सम्बन्धित निर्माण के लिए सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है ; तथा उपरोक्त समिति की सिफारिशों के अनुसार 4.27 करोड़ रुपये की लागत के विकास कार्यों के लिए भी जिनका अधिकतर सम्बन्ध धावन पथों, टैक्सी पथों और एप्रन से है, स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है ।

(घ) 75 करोड़ रुपये के अनुमानित लागत के तीन विमानों के लिए आदेश दिये जा चुके हैं ।

पश्चिमी बंगाल में राजनैतिकहत्यायें

849. श्री प० गोपालन :
श्री गणेश घोष :
श्री राममूर्ति :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री महेन्द्र माझी :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री मीठा लाल मीना :
श्री गु० च० नायक :
श्री सा० मुनिस्वामी :

क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक सभा के गत सत्र में पश्चिम बंगाल में राजनैतिक हत्याओं के बारे में उनके द्वारा लिये गये एक प्रश्न के उत्तर की पश्चिम बंगाल के उप मुख्य मंत्री द्वारा की गई आलोचना की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने अपने अभिकरणों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर यह वक्तव्य दिया था ; और

(घ) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इसका अर्थ राज्य सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप करना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (घ). 5 दिसम्बर, 1969 को लोक सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 432 के दिए गए उत्तर का संदर्भ देते हुए पश्चिम बंगाल के उप मुख्य मंत्री ने गृह मंत्री को एक पत्र लिखा और तर्क प्रस्तुत किया कि विधि तथा व्यवस्था के पालन से सम्बन्धित ऐसे मामलों में प्रश्नों का उत्तर केवल राज्य सरकार द्वारा दिया जा सकता था । उन्होंने कहा कि केन्द्रीय सरकार ने अपने अभिकरणों द्वारा एकत्रित सूचना के आधार पर लोक सभा के प्रश्न का उत्तर देकर राज्य सरकार के कार्यों में "अनुचित तथा अन्यायपूर्ण हस्तक्षेप" किया था । केन्द्रीय गृह मंत्री ने अपने उत्तर में स्पष्ट किया कि जब 5 दिसम्बर, 1969 को लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 432 का उत्तर दिया गया था, तो उस समय राज्य सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी । जब कोई प्रश्न अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत कर लिया जाता है तो सरकार को उसका उत्तर देना पड़ता है और जिस प्रकार की सूचना उपलब्ध होती है उसी प्रकार की दे दी जाती है । सामान्य व्यवहार के रूप में विधि तथा व्यवस्था से सम्बन्धित प्रश्नों के उत्तर राज्य सरकारों द्वारा प्रेषित सामग्री के आधार पर दिए जाते हैं । किन्तु इस मामले की परिस्थितियों में प्रश्न का उत्तर केन्द्रीय सरकार द्वारा केवल अपने अभिकरणों से प्राप्त सूचना के आधार पर दिया जा सकता था और उत्तर में इसका स्पष्ट रूप से संकेत दे दिया गया था । उप मुख्य मंत्री प्रश्न के उत्तर को राज्य सरकार के कार्यों में केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई हस्तक्षेप किए जाने के रूप में समझने में सही नहीं थे ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का पुनः नौकरी पर लगाया जाना

850. **श्री मधु लिमये :**
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री प० गोपालन :
श्री अ० कु० गोपालन :
श्री उमानाथ :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री भगवान दास :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कितने कर्मचारियों पर (प्रतिरक्षा तथा रेलवे कर्मचारियों के अलावा) देश के विभिन्न न्यायालयों में 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल के सम्बन्ध में अब भी मुकदमे चल रहे हैं ;

(ख) कितने कर्मचारियों को अभी तक पुनः नौकरी में नहीं लिया गया है अथवा कितने कर्मचारियों के विरुद्ध जारी किए गए निलम्बन आदेशों को अभी तक रद्द नहीं किया गया है ;

(ग) कितने कर्मचारियों की सेवा में व्यवधान डाला गया है, पदोन्नति तथा वार्षिक वृद्धियां रोक ली गई हैं अथवा कोई अन्य आनुशासिक कार्यवाही की गई है ;

(घ) सरकारी कर्मचारियों के किन संघों की मान्यता बहाल नहीं की गई है ;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन कार्यवाहियों को खत्म करने, न्यायालयों से मुकदमों को वापस लेने और पहले की स्थिति को पूर्णतया बहाल करने का है ; और

(च) यदि नहीं, तो इस दण्डात्मक नीति को जारी रखने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 3109

(ख) 167

(ग) लगभग 2,90,000 कर्मचारियों ने अपनी सेवा में व्यवधान की हानि उठाई है। पदोन्नति अथवा वेतन-वृद्धियां रोकने के बारे में तथा अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) सरकार ने उन कर्मचारी संघों को मान्यता प्रदान करने का निश्चय किया है जिनकी मान्यता पिछली हड़ताल में उनके भाग लेने के कारण समाप्त कर दी गई थी। उन संघों के बारे में, जिनको संबंधित मन्त्रालयों द्वारा अभी तक मान्यता नहीं प्राप्त हुई है, सूचना एकत्रित की जायेगी और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) और (च). किसी विभागीय कार्रवाई को रद्द करने, अदालती मुकदमों को वापस लेने और यथापूर्व स्थिति पूर्णतः बहाल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का कारण एक अवैध हड़ताल में भाग लेने में उनका गैर-उत्तरदायी आचरण था फिर भी नर्मी के एक उपाय के रूप में सरकार ने समय समय पर पहले ही उनके विरुद्ध आरम्भ में की गई कार्रवाई में विभिन्न छूटों की घोषणा की है।

प्रतिभा सम्पन्न लोगों का विदेशगमन

851. **श्री मधु लिमये** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्रतिभा सम्पन्न लोगों के विदेशगमन की समस्या की जानकारी है जिसके फलस्वरूप अनेक वैज्ञानिक तथा तकनीशियन विदेशों में कार्य करने के लिये देश छोड़ गये हैं ;

(ख) क्या आर्थिक लाभ के अतिरिक्त इस विदेशगमन का कारण यह है कि कार्यों स्थितियां अनुकूल नहीं हैं, अवसर नहीं हैं और सरकारी प्रोत्साहन की कमी है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार उनमें कम से कम कुछ वैज्ञानिकों, तकनीशियनों तथा इन्जीनियरों को देश में वापस लाने के लिए क्या उपाय करने का है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० बी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). जी नहीं । विदेशों से भारतीय वैज्ञानिकों की वापसी को सुविधाजनक बनाने तथा वैज्ञानिकों को देश में ही कार्य करने और रुकने को प्रोत्साहित करने के लिए जो कदम उठाये गए हैं उनमें से कुछ संलग्न विवरण में दिये गए हैं ।

विवरण

(क) वैज्ञानिकों तथा तकनीकी कर्मचारियों का भारत वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिये निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं ।

(i) विदेशों से वापस लौटने पर, सुयोग्य भारतीय वैज्ञानिकों तथा टैकनोलिजिस्टों को अस्थायी नौकरी दिलाने की व्यवस्था करने के लिए एक वैज्ञानिक पूल का निर्माण ।

(ii) अनुमोदित वैज्ञानिक संस्थाओं में अधिसंख्य पदों का निर्माण जिन के लिए विदेशों में कार्य तथा अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों की अस्थायी नियुक्ति तुरन्त की जा सकती है ।

(iii) संघ लोक सेवा आयोग तथा बहुत से राज्य लोक सेवा आयोग उन भारतीय वैज्ञानिकों तथा टैकनोलिजिस्टों को जिनके विवरण राष्ट्रीय रजिस्टर में अंकित होते हैं, उनके द्वारा विज्ञापित सभी पदों के लिए "वैयक्तित्व सम्पर्क" के रूप में उम्मीदवार मानने के लिए सहमत हो गए हैं । संघ लोक सेवा आयोग ने भारत में पदों के लिए भारतीय वैज्ञानिकों तथा टैकनोलिजिस्टों का विदेशों में इन्टरव्यू लेने की व्यवस्थाएं भी कर ली हैं ।

(iv) विदेशों में भारतीय वैज्ञानिकों तथा टैकनोलिजिस्टों के नाम दर्ज करने के लिए तथा उनके नामों को सभी मन्त्रालयों, भारत सरकार के विभागों, राज्य सरकारों, संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोगों, विश्वविद्यालयों, लोक क्षेत्र उद्योगों तथा बृहत प्राइवेट क्षेत्र प्रतिष्ठानों में भेजने के लिए वैज्ञानिक

तथा तकनीकी कर्मचारियों के राष्ट्रीय रजिस्टर के एक विशिष्ट अनुभाग का अनुरक्षण। ऐसे कर्मचारियों के नाम मासिक तकनीकी जन-शक्ति बुलेटिन (सी० एस० आई० आर०) में प्रकाशित किये जाते हैं, जो कि सारे भारत में लगभग 3,000 संस्थाओं को निःशुल्क बांटी जाती है।

(V) उन वैज्ञानिकों को यात्रा अनुदान देने की व्यवस्था जो कि भारत में अनुसंधान संस्थान में चुने जाने पर उन संस्थाओं में कम से कम तीन वर्षों तक काम करने को तैयार होंगे।

(ख) वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए नौकरी की सुविधा में सुधार लाने के लिए जो कुछ उपाय किए गए, वे नीचे दिए गए हैं :—

(1) वैज्ञानिकों को योग्यता पर पदोन्नति तथा योग्यता पदोन्नति योजना के अन्तर्गत अग्रिम वेतन वृद्धि दी जाती हैं।

(2) वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक से ऊपर वैज्ञानिक 'सी' के स्तर (700 से 1250 रु०) अगले ऊंचे पद के लिए पाँच वर्षों में एक बार वैज्ञानिकों की योग्यता आंकी जाती है।

(3) देश में वैज्ञानिक प्रतिभा को प्रोत्साहन देने के लिये राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों और अनुसंधान संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों के बाहर भी शिक्षा वृत्तियां दी जाती हैं।

(4) वैज्ञानिकों को अनुसंधान के लिए सहायता-अनुदान देना।

(5) विश्वविद्यालयों की चौथी योजना की विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं के मूल्यांकन के फलस्वरूप, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विभिन्न विशिष्टाओं/विश्वविद्यालय विभागों में वरिष्ठ कर्मचारियों के पद निर्मित करने के वास्ते सहायता देने के लिए सहमत हो गया है। प्रयोगशाला के और विकास तथा विशिष्ट उपस्कर की खरीद समेत अन्य सुविधाओं के लिए भी व्यवस्था की गई है। इस प्रकार, अपेक्षित योग्यताएं रखने वाले विद्वानों और वैज्ञानिकों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उच्च कार्य/अनुसंधान के लिए अवसर उपलब्ध किए जा रहे हैं।

(6) विशिष्ट क्षेत्रों में उच्च अध्ययन केन्द्रों के रूप में कार्य करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सावधानी से चुने गए विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के विभागों को विशेष सहायता प्रदान कर रहा है। इसका उद्देश्य उच्च अध्ययन और अनुसंधान के लिए उपयुक्त परिस्थितियों और सुविधाओं की व्यवस्था करना और केन्द्रों में कार्य करने के लिए योग्य व्यक्तियों को आकर्षित करना है ;

(7) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों और कालेजों के अध्यापकों के वेतनमानों में भी सुधार किया है जिनसे उच्च योग्यता प्राप्त व्यक्तियों के आकर्षित होने तथा वहां बने रहने की सम्भावना है।

(8) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षण व्यवसाय के प्रति उच्च बौद्धिक योग्यता वाले पुरुषों और स्त्रियों को काफी अनुपात में आकर्षित करने के महत्त्व पर निरन्तर बल देता रहा है। विश्वविद्यालयों और कालेजों में अध्यापकों के वेतनमान सुधारने के अलावा, शिक्षण, व्यवसाय में अनिवार्य सुविधाओं तथा प्रेरणाओं की व्यवस्था करने के प्रयत्न किए गए हैं। अनुसंधान तथा विद्वतापूर्ण कार्य, अध्यापकों के विनिमय, देश में उच्च अध्ययन में अनुसंधान के केन्द्रों का दौरा करने के लिए यात्रा अनुदानों के लिए और विदेशों में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए, स्टाफ क्वार्टरों और अध्यापकों के छात्रावास आदि के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है।

इंडियन एयरलाइन्स के नाइजीरिया में प्रतिनियुक्त अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

852. **श्री मधु लिमये :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री इंडियन एयरलाइंस के नाइजीरिया में प्रतिनियुक्त एक अधिकारी के बारे में, जिसके विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप थे, एक संसद सदस्य द्वारा 29 नवम्बर, 1969 को लिखे पत्र के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद सदस्य द्वारा किन-किन बातों का स्पष्टीकरण माँगा गया था ; और

(ख) सरकार ने उनका क्या उत्तर दिया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) स्वयं माननीय सदस्य ने मुझे 27 नवम्बर, 1969 को (29 नवम्बर को नहीं) लिखा था जिसमें निम्नलिखित बातें उठायी गयी थीं :

(i) क्या इस अधिकारी (श्री ओ० पी० कपूर) को पदोन्नत करने का निर्णय करते समय उनके नाइजीरिया में रहते हुये उनकी गतिविधियों से सम्बन्धित किसी इंडियन एयरलाइंस प्रशासन के सामने थे ?

(ii) इस पदोन्नति के लिये उत्तरदायी अधिकारी/अधिकारियों के नाम क्या थे ?

(iii) क्या ऐसे अधिकारी/अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ; जिन्होंने नाइजीरिया आयोग द्वारा श्री ओ० पी० कपूर के विरुद्ध दी गई प्रतिकूल रिपोर्टों के बावजूद भी उन्हें पदोन्नत किया था ? यदि नहीं, तो उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई है।

(iv) क्या श्री ओ० पी० कपूर की सेवाओं को समाप्त करने वाले पत्र में उनकी सेवाओं को समाप्त करने का कोई कारण बताया गया है ? यदि नहीं, तो इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन द्वारा भ्रष्टाचार के प्रति ऐसी कोमल नीति क्यों अपनाई गई ?

(ख) 18 दिसम्बर, 1969 को, मैंने माननीय सदस्य को यह उत्तर भेजा कि :—

(i) मार्च, 1967 में जब श्री ओ० पी० कपूर को पदोन्नति देने का निर्णय किया गया था उस समय इंडियन एयरलाइंस के पास उनके विरुद्ध कोई सूचना नहीं थी ।

(ii) पदोन्नति के लिये उनका चयन कारपोरेशन के 'रिक्रूटमेंट' बोर्ड द्वारा किया गया था और तत्पश्चात् चेयरमैन ने उनकी नियुक्ति का अनुमोदन किया था ।

(iii) श्री कपूर की सेवायें कारपोरेशन के सेवा नियमों के नियम 13 के अन्तर्गत, जिसके अनुसार किसी कर्मचारी की सेवायें दोनों पक्षो मे से किसी भी एक पक्ष की ओर से 30 दिन की सूचना अथवा उसके बदले मूल वेतन देकर समाप्त की जा सकती है, समाप्त की गयीं ।

माननीय सदस्य के 27 नवम्बर, 1969 के पत्र में वर्णित बातें उनके द्वारा लिखित प्रश्न संख्या 4720 के रूप में भी उठायी गयी थीं जिसका कि उत्तर 19 दिसम्बर, 1969 को दिया गया था ।

चार प्रादेशिक भाषा संस्थाओं की स्थापना

853. **श्री क० मि० मधुकर :** **श्री ईश्वर रेड्डी :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त : **श्री सरजू पाण्डेय :**

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार चार प्रादेशिक भाषा संस्थायें स्थापित करने का है,

(ख) क्या ये संस्थायें बहु-भाषीय होंगी, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग).

1. क्रमिक ढंग से भुवनेश्वर, मैसूर, पूना और पटियाला में खोलने के लिये चार प्रादेशिक भाषा शिक्षण केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया गया है । भुवनेश्वर तथा मैसूर के केन्दों में कार्य शीघ्र ही आरम्भ हो जायेगा ।

2. मुख्य रूप से इन केन्द्रों का मुख्य काम हिन्दी क्षेत्रों में हिन्दी से इतर भाषाओं में माध्यमिक विद्यालय के हिन्दी-शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का होग। किन्तु अहिन्दी भाषी अध्यापकों के लिये उनकी मातृ भाषा के अतिरिक्त अन्य भाषायें सिखाने के लिये भी व्यवस्था की जाएगी ; भाषाओं का शिक्षण व्यापक स्तर पर होगा और भाषा प्रयोगशाला-पद्धतियों के जरिये भाषा सिखाने की नयी विधि भी प्रयोग में लाई जायेगी । नौ महीनों के प्रारम्भिक प्रशिक्षण के बाद, अपने-अपने स्कूलों को लौट जाने पर ये अध्यापक उन स्कूलों के बच्चों को, जिनमें वे कार्यरत है, ऐसी भाषाएं सिखाने की व्यवस्था करेंगे ।

3. भारत सरकार उनके प्रशिक्षण का पूरा खर्च देगी। आगे प्रशिक्षण अवधि के दौरान इन अध्यापकों को 75 रुपये प्रतिमास दिये जाएंगे और पाँच वर्ष की अवधि के लिये भारत सरकार द्वारा दो अग्रिम वेतन-वृद्धि देने की गारन्टी भी होगी बशर्ते कि अपने स्कूलों को लौटने पर अध्यापक उस भाषा को पढ़ाने की व्यवस्था करते हैं जिसको उन्होंने इन केन्द्रों में सीखा है।

4. भुवनेश्वर केन्द्र में बंगाली, असमी और उड़िया पढ़ाने की सुविधाएं उपलब्ध होंगी और मैसूर केन्द्र में दक्षिण भारतीय भाषाएं सिखाने की व्यवस्था की जायेगी।

नगरों में सार्वजनिक परिवहन के तेजी से विस्तार के लिए परियोजना

854. **श्री क० मि० मधुकर :**
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री जगेश्वर यादव :
श्री जि० मो० विश्वास :
श्री चन्द्र शेखर सिंह :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगरों और कस्बों के सार्वजनिक परिवहन का तेजी से विस्तार करने की कोई योजना है, और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

संसद कार्य, नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). जी, हां। योजना आयोग का महानगर परिवहन दल सम्बन्धित राज्य सरकारों के सहयोग से सर्वेक्षणों और अध्ययनों को कर रहा है जो कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और दिल्ली के शहरों में उपयुक्त सामुहिक परिवहन प्रणाली का सुझाव देगी।

"पी" फार्म पर प्रतिबन्धों के कारण इंडियन एयरलाइन्स द्वारा अर्जित किये जाने वाले लाभ पर प्रभाव

855. **श्री क० मि० मधुकर :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1968-69 में इंडियन एयरलाइन्स को चार करोड़ रुपये का लाभ हुआ ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि यदि सरकार "पी" फार्म के प्रतिबन्धों में ढील देने का निर्णय करती तो लाभ बहुत अधिक होता ; और

(ग) यदि हां, तो "पी" फार्म के प्रतिबन्धों को जारी रखने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) 1968-69 के दौरान,

ब्याज की अदायगी के पश्चात्, इंडियन एयरलाइन्स ने 1.66 करोड़ रुपए के शुद्ध लाभ का अर्जन किया था।

(ख) इस मंत्रालय के साथ कभी ऐसा कोई जिक्र नहीं उठा, परन्तु 'पी' फार्म के प्रतिबन्धों में दी गई किसी भी छूट का परिणाम पड़ौसी देशों को अर्थात् अफगानिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और नेपाल——जहां के लिये इंडियन एयरलाइन्स द्वारा विमान सेवाओं का परिचालन किया जाता है जाने वाले यात्रियों में वृद्धि होती।

(ग) 'पी' फार्म के प्रतिबन्धों में कतिपय छूट देने की घोषणा सरकार ने 18 फरवरी, 1970 को एक प्रेस विज्ञप्ति में की है।

पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री का राज्य की कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में वक्तव्य

856. **श्री समर गुह :**
श्री एस० आर० दामानी :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री रघुवीर शास्त्री :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री द्वारा दिए गए इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिस में उन्होंने राज्य की सरकार को असभ्य और खूंखार कहा है,

(ख) क्या उन्होंने साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल पर हत्यायें करने, लूटने, आग लगाने, महिलाओं का शील भंग करने, बलपूर्वक भूमि जब्त करने, धान लूट कर दल की निधि बढ़ाने, लोक न्यायालय स्थापित करने तथा राज्य के जीवन तथा प्रशासन में दल का प्रभुत्व लादने के लिये सशस्त्र स्वयंसेवक गठित जैसी हिन्सात्मक कार्यवाहियां करने में सरकारी व्यवस्था का प्रयोग करने का आरोप लगाया है,

(ग) क्या उन्होंने पश्चिम बंगाल की स्थिति को प्रशासन भंग करने वाली बताया है, और

(घ) यदि हां, तो संवैधानिक दृष्टि से इस वक्तव्य के क्या परिणाम होंगे तथा इस के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया है ?

गृह कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (घ). राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

चंडीगढ़ में जासूसी गिरोह

857. **श्री समर गुह :**
श्री अविचन :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री सामिनाथन् :
श्री राम किशन गुप्त :
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

श्री नारायणन :
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्रीमती सावित्री श्याम :
श्री दण्डपाणि :
डा० सुशिला नैयर :
श्री मायावन :
श्री चेंगलराया नायाडू :
श्री य० ग्र० प्रसाद :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ में पकड़े गए पाकिस्तानी जासूसी गिरोह के विरुद्ध जांच कार्य पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस जासूसी गिरोह के स्वरूप तथा उनकी गतिविधियों का ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या पाकिस्तानी जासूसी गिरोह की गतिविधियों में कुछ विदेशी कर्मचारियों का भी हाथ पाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस का ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ). इस सम्बन्ध में दो पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है । चूंकि जांच-पड़ताल जारी है अतः इस अवस्था में अगेत्तर ब्यौरों को प्रकट करना वांछनीय नहीं होगा ।

ग्रांड ट्रंक रोड का नाम बदल कर नेता जी ग्रांड ट्रंक रोड रखना

858. **श्री समर गुह** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के 'दिल्ली चलो' के नारे का अभिप्राय यह था कि वह अपने आजाद हिन्द मुक्ति आन्दोलन का नेतृत्व दिल्ली की ओर ग्रांट ट्रंक रोड नामक राष्ट्रीय राजपथ से करना चाहते थे । और

(ख) यदि हां, तो क्या नेताजी के सम्मान में जिन्हें भारत के भूतपूर्व स्वर्गीय प्रधानमन्त्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने 'भारत के महानतम क्रान्तिकारी' बताया था और आजाद हिन्द फौज के शहीदों द्वारा किये गये महान बलिदान की स्मृति में, ग्रांड ट्रंक रोड रखने का प्रस्ताव है ?

संसद् कार्य, नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Imparting Moral Education in Educational Institution

859. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state ;

(a) wnether Government feel the necessity of imparting moral education in the educational institutions with a view to building the character of students ;

(b) if so, the manner in which the Gentral Government have encouraged the State Governments in this regard ;

(c) the names of those States which have accepted Centre s suggestions and have started implementing them ;

(d) the conditions of their accepting the suggestions ;

(e) the names of those States which have not accepted the said suggestions ; and

(f) if Government have not done anything in this regard, the reasons therefor ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) Yes, Sir.

(b) to (f). This is essentially a responsibility of the State Government. But with the object of evolving a well-designed policy on the subject, the Government of India appointed a committee in 1959 under the chairmanship of Shri Prakasha to make concrete recommendations on the subject suited to various stages of education. The report of the Committee was forwarded to the State Governments for consideration and implementation. A statement showing the replies received from the State Governments is attached. [*Pleced in Library see* No. LT—2639/70]

Compulsory Military Training to Women in Madhya Pradesh

860. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether the Central Government are considering a scheme for imparting compulsory military training to women in some Districts of Madhya Pradesh ;

(b) if so, the names of those districts ;

(c) if not the reasons therefor ;

(d) whether military training for women has also been made compulsory in some other States ; if so, the names of those States ; and

(e) in case Government have not already made military training for women compulsory in Madhya Pradesh, as it has been made in other States, whether Government propose to make it compulsory now ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) There is no such proposal under consideration of the Central Government.

(b) and (c). Do not arise.

(d) No Compulsory military training for women has been introduced in the other States.

(e) Does not arise.

Aerodromes and Airstrips in Madhya Pradesh

861. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) the total number of aerodromes and airstrips and the number of those being utilised at present ;

(b) whether there is any proposal for utilising them for feeder lines or any other purpose ;

(c) whether there is any prosopal for providing more facilities in the aerodromes in operation and also for their expansion : and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) There are 9 aerodromes in Madhya Pradesh under the control of the Civil Aviation Department. Indian Airlines are operating scheduled services through 3 of them *viz.*, Bhopal, Indore and Khajuraho. In addition, Indian Airlines are also operating a scheduled service to Gwalior aerodrome which is controlled by the Air Force. There are also 17 aerodromes/airstrips in this State under the control of State Government of Madhya Pradesh and various private parties.

(b) No, Sir. Indian Airlines have plans to airlink Raipur when their fleet is augmented.

(c) and (d). Proposals are under consideration for the construction of a terminal building at Khajuraho.

Development of Tourist Centres in Madhya Pradesh

862. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the number of tourist centres proposed to be developed in Madhya Pradesh in the Fourth Five Year Plan and the details of the development plans for each centre ;

(b) the estimated cost involved on the development of each centre ; and

(c) the amount of Central assistance proposed to be given in this regard ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) to (c). The Central Government have no plans to develop any new tourist centres in Madhya Pradesh. They propose, however to improve tourist facilities at Khajuraho during the Fourth Plan period and an amount of Rs. 5 lakhs has been set apart for this purpose. It is also proposed to provide two vehicles for the transport of tourists and two units of accommodation each consisting of four double rooms at Kanha-Kisli National Park, at an expenditure of Rs. 3.70 lakhs. In addition, water supply arrangements and a 50-bed tourist hostel are proposed to be provided at Sanchi under the scheme for development of Buddhist pilgrim traffic in India.

Literacy in India and Spread of Education in Rural and Backward Areas

863. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the percentage of literacy in the country and the extent of increase in the said percentage during the last three Five Year Plans ; and

(b) whether any special seheme for the spread of education in the rural and backward areas has been incorporated in the Fourth Five Year Plan and, if so, the details thereof ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R V. Rao) : (a) Plan-wise figures of literacy percentage are not available. The data about the percentage of

literacy is collected only at the time of the decennial census, and was collected in 1951 and 1961. The actual figures for 1951 and 1961 and those estimated for 1969 are given below :—

Year	Percentage of literacy
1951 (Census)	17%
1961 (Census)	24%
1969 (Estimated)	33%

(b) There is no special Central scheme for the spread of education in the rural and backward areas. However, under the Scheme of Rural Higher Education, which was launched in 1956, 14 Rural Institutes are functioning in different parts of the country. These Institutes provide higher education after the secondary stage to the rural youth.

Education is a State Subject and the State Governments have been advised to lay special emphasis on the educational needs of the rural and backward areas.

Types of Education Received by Indian Students Abroad and by Foreign Students' in India

864. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the types of education for which Indian students have to be sent abroad and the number of Indian students who are getting the said types of education in foreign countries alongwith the names of the respective countries ; and

(b) whether the foreign students are getting education in India also and, if so, the type of the said education and the number of students getting the same alongwith the names of the countries to which they belong ?

The Deputy Minister, in the Ministry of Education and Youth Services (Shrimati Jahanara Jaipal Singh) : (a) The Bureau of Scholarships of the Ministry of Education and Youth Services sends Indian nationals abroad under various Scholarship schemes for post-graduate and graduate studies or research in Science, Engineering, Technology, Medicine, Agriculture, the Fine Arts, the Humanities and the Social Sciences as well as for Practical Training in various fields. The number of Indian students who are studying/receiving training in various foreign countries under the scholarship schemes administered by the Bureau of Scholarships as on 1.1.70 is 1064. Country-wise breakup of students is [*Placed in Library. See* No. LT—2640/70]

(b) As a measure of reciprocity, and in order to promote good relations with foreign countries, the Government of India offers scholarships/fellowships to nationals of foreign countries for study/research/training in the Humanities, Science, Engineering, Technology, Social Sciences, Indian Languages, Indology, Agriculture, Medicine, Veterinary Science, the Fine Arts, and Crafts. The number of foreign students studying/receiving training in India as on 1.1.1970 is 805. The country-wise breakup of students is [*Placed in Library. See* No. LT—2640/70]

Facilities for Youths

865. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the manner in which facilities were given to youths by his Ministry during the last three Five Year Plans, Plan-wise ;

(b) whether any programme for Youth Services is being included in the Fourth Five Year Plan and if so, the outlines thereof ;

(c) whether there is any special proposal regarding Youth Services in rural and backward areas in the Fourth Five Year Plan ; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) to (d). [*Placed in Library. See* No. LT—2641/70]

Rules Regarding Sanctioning of Grants to Educational Institutions.

866. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) the rules framed by his Ministry for giving grants to the educational institutions and the amount of grants given to various educational institutions, category-wise, during each of the last three Five Year Plans ;

(b) the amount of grants given so far to the primary educational institutions in Uttar Pradesh ;

(c) whether any special programme has been chalked out for giving grants to the educational institutions in the Fourth Five Year Plan ;

(d) if so, the details thereof ;

(e) whether there is any special proposal in the Fourth Five Year Plan, for giving grants to the educational institutions in rural areas and in backward regions ; and

(f) if so, the details thereof ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) and (b). The relevant information is required to be collected from the old records of last 15 years. As the collection of such information will involve considerable expenditure of labour and time, it will not be commensurate with the results that are likely to be achieved.

(c) and (d). Varieties of schemes are being implemented for giving grants to educational institutions in the fourth Five Year Plan. Details in respect of them are being compiled and will be laid on the Table of the House.

(e) and (f). There is no special Central scheme in the fourth Five Year Plan for giving grants to educational institutions in rural areas and in backward regions. However, under the Scheme of Rural Higher Education which was launched in 1956, 14 Rural Institutes are functioning in different parts of the country. These Institutes provide higher education after the secondary stage to the rural youth.

Education is a State subject and the State Governments have been advised to lay special emphasis on the educational needs of the rural and backward areas.

राष्ट्रीय झंडे का जलाया जाना

867. श्री एन० शिवप्पा :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री जी० वाई० कृष्णन् :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री जनेश्वर मिश्र :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रामगोपाल शालवाले :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 26 जनवरी, 1970 को अमृतसर में अकाली प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय झण्डा जला दिया गया था और कुछ अन्य चीजों को क्षति पहुंचाई गई थी ;

(ख) क्या उनके मन्त्रालय को गणतन्त्र दिवस सम्बन्धी समारोहों में राष्ट्रीय झण्डे का अपमान किये जाने के बारे में शिकायत मिली है और यदि हां, तो किनके द्वारा और किन-किन राज्यों में ये घटनायें हुई थीं ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 26 जनवरी, 1970 को अमृतसर में कांग्रेस का झण्डा, न कि राष्ट्रीय झण्डा, हटाया गया था किन्तु जलाया नहीं गया था। कांग्रेस कार्यकर्त्ता के कुछ व्यक्तिगत सामान को क्षति पहुंचाये जाने की खबर मिली है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379/427 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज कर लिया गया है।

(ख) और (ग). गणतन्त्र दिवस समारोहों में राष्ट्रीय झण्डे का अपमान करने के बारे में पंजाब को छोड़कर कहीं से कोई शिकायत नहीं मिली। पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि राज्यों में कुछ स्थानों पर राष्ट्रीय झण्डे उतारे गये थे किन्तु शीघ्र ही पुनः लगा दिये गये। दो स्थानों पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 के अन्तर्गत मामले दर्ज किये गये थे जिनकी जांच-पड़ताल की जा रही है।

गोपालपाड़ा जिले (असाम) में पाकिस्तानी सीमा पुलिस का भारतीय सीमा सुरक्षा बल पर हमला

868. **श्री एन० शिवप्पा :** **श्री पीलु मोडी :**
श्री रा० रा० सिंह देव : **श्री चं० चु० देसाई :**
श्री अजमल खां :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तानी सीमा पुलिस ने हाल ही में असाम के गोपालपाड़ जिले में भारतीय सीमा सुरक्षा बल पर कई बार हमले किए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). अगस्त, 1969 से नवम्बर 1969 तक की अवधि में सीमा पर चार घटनाएं हुई जिनमें ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के सैनिक अन्तर्ग्रस्त थे। दोनों ओर के सैक्टर कमाण्डरों के बीच एक बैठक हुई और उसके बाद गोपालपाड़ा सीमा पर स्थिति में सुधार हुआ है।

सीमा सुरक्षा दल और केन्द्रीय आरक्षित पुलिस का पंजाब में भेजा जाना

869. **श्री एन० शिवप्पा :** **श्री चं० चु० देसाई :**
श्री रा० रा० सिंह देव : **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**
श्री ज्योतिर्मय बसु : **श्री इ० के० नायनार :**
श्री अजमल खां

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब के मुख्य मन्त्री ने अपने हाल के एक वक्तव्य में पंजाब

के कुछ क्षेत्रों में सीमा सुरक्षा दल और केन्द्रीय आरक्षित पुलिस के भेजे जाने पर घोर आपत्ति की थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार का ध्यान पंजाब के मुख्य मन्त्री द्वारा दिये एक वक्तव्य के बारे में कुछ समाचारों की ओर आकर्षित किया गया है कि राज्य सरकार के अनुरोध के बिना सीमा सुरक्षा दल और केन्द्रीय आरक्षित पुलिस की कुछ टुकड़ियां केन्द्रीय सरकार द्वारा भेजी गई थीं। केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय आरक्षित पुलिस तथा सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ियों को सुविधाजनक स्थानों में रखती है और इन टुकड़ियों को सुविधाजनक स्थानों को समय-समय पर भेजती है ताकि वह इस स्थिति में हो कि कम से कम समय में असैनिक प्राधिकारियों की सहायता की जा सके। तदनुसार, केन्द्रीय आरक्षित पुलिस तथा सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ियां पंजाब तथा हरियाणा में उपयुक्त केन्द्रों पर रखी गई थीं जहां से शीघ्र भेजे जाने के लिए रेल तथा सड़क सुविधाएं उपलब्ध थीं। केन्द्रीय सरकार के विचार में इन प्रबन्धों के लिये कोई उचित आपत्ति नहीं की जा सकती है।

Communal Riots in Bhilai

870. **Shri Ramavatar Shastri** : **Shri Deven Sen** :
Shri Arjun Singh Bhadoria : **Shri Raghuvir Singh Shastri** :
Shri Sezhiyan : **Shri K. P. Singh Deo** :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some workers were killed in the communal riots that broke out in Bhilai a few days back ;

(b) if so, the number of persons killed and the names thereof ;

(c) the causes of the communal riots and the remedial action taken by Government ;

(d) whether Government have made any arrangements for the security and rehabilitation of the riot affected persons ; and

(e) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (e). According to information received from the State Government trouble took place on January 26, 1970, in Boria and Hingana Labour Camps near Bhilai Steel Plant, following rumours in the township about the slaughtering of a cow and sale of beef. Five persons were reported to have been killed. Police rushed to the affected areas immediately and brought the situation under control. An order under section 144 Cr. P. C. was promulgated. Prominent persons were contacted by the authorities to make efforts for the maintenance of peace and restoring confidence among the people. No untoward incident took place thereafter. 43 persons were arrested for specific offences. The names of the persons killed in the incidents and facts regarding the relief measures undertaken by the State Government are being ascertained.

Prosecution of Some Members of Parliament in Connection with Strike of September, 1968

871. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether some Members of Parliament are being prosecuted in connection with the strike by the Central Government employees on the 19th September, 1968 ;

(b) if so, the names of these Members ;

(c) whether Government propose to withdraw the cases filed against them ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). Attention is invited to the information furnished in answer to the Lok Sabha unstarred question No. 1820 dated November 22, 1968. According to information received from the Government of U. P. and Delhi Administration, the cases against the MPs are subjudice No case is now pending in Maharashtra. The present position in respect of the cases in Bihar and West Bengal is being ascertained.

(c) and (d). The Central Government do not advise the State Governments to withdraw cases pending in Courts.

Development of Ramsheela Hill near Gaya Town as Tourist Resort

872. **Shri Ramavtar Shastri** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Ramsheela hill situated on the northern end of the Gaya town in Bihar is a renowned religious and historic place ;

(b) whether it is also a fact that the fame of the said hill has been referred to in the Bengal Gazetteer of the year 1919.

(c) whether it is further a fact that lakhs of pilgrims, inspired by their religious feelings, visit the said place every year from the entire country and Nepal ;

(d) whether the Mining Department of the Government of Bihar is dismantling the said hill which is a tourist resort, through a lease to the contractors ;

(e) if so, whether Government propose to protect the said hill and develop it into a tourist resort ; and

(f) if not, the reasons therefor ?

Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) to (c). Yes, Sir. The Ramsheela hill is a place of religious importance and is visited by pilgrims performing shraddha ceremonies at Gaya. It is also referred to in various Gazetteers.

(d) to (f). According to information received from the State Government, about a dozen mining leases for minor minerals were granted for a period of five years. The terms of these leases are to expire shortly and the State Government have decided not to extend them or grant any new ones in respect of the Ramsheela hill. This decision has been taken with a view to protect the hill.

Due to the limited resources available and other priorities, the Centeral Government is not in a position to develop the hill into a tourist resort.

सरकारी क्षेत्र के होटलों द्वारा लाभ अर्जित किया जाना

873. **श्री रामावतार शास्त्री** :
डा० रानेन सेन :
श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के होटल लाभ अर्जित नहीं कर रहे हैं । और

(ख) गत वित्तीय वर्ष में अशोका, जनपथ, रणजीत और लोदी होटलों को कितना-कितना लाभ अथवा हानि हुई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). सरकारी क्षेत्र के दो होटलों अर्थात अशोक होटल्स लिमिटेड तथा जनपथ होटल्स लिमिटेड (जिसमें जनपथ, लोधी व रणजीत होटल सम्मिलित हैं) 1968-69 के लिये वित्तीय परिणाम नीचे दिये गए हैं।

	अशोक होटल्स लि०	जनपथ होटल्स लि०
	(लाख रुपयों में)	(लाख रुपयों में)
राजस्व	151.20	86.70
व्यय	139.63	98.57
लाभ (सरप्लस) /हानि (डेफिसिट) (+) (−)	(+)11.57	(−)11.87

अंडमान निकोबार प्रशासन में अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों से निजी कार्य करवाना

874. **श्री भगवान दास :** **श्री नम्बियार :**
श्री गणेश घोष : **श्री के० एम० अब्राहम :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने अंडमान निकोबार प्रशासन के अधिकारियों को यह अनुदेश दिया है कि वे कर्मचारियों से अपना निजी काम न करायें ;

(ख) यदि हां, तो इस अनुदेश के उल्लंघन के कितने मामले सरकार के सामने आये हैं ; और

(ग) सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध जो कार्यवाही की गई है उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग). अंडमान निकोबार प्रशासन को 23 शिकायतें (चार गुमनाम/कृतकनाम शिकायतों समेत) प्राप्त होने की खबर है। इनमें से 17 की प्रशासन द्वारा पहले ही जांच की चुकी है और वे सिद्ध नहीं हुई। 6 शिकायतें अभी तक उनकी जांच के अधीन बताई जाती है।

दुर्गापुर में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल का तैनात किया जाना

875. **श्री भगवान दास :** **श्री उमानाथ :**
श्री गणेश घोष : **श्री जे० के० चौधरी :**
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल के उप-मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री से अनुरोध

किया है कि वह दुर्गापुर में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल के तैनात करने के प्रश्न को त्याग देने पर विचार करें, और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल का गठन संसद के एक अधिनियम के अधीन किया गया है और दुर्गापुर प्लांट में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल लागू करना उस अधिनियम के कार्यान्वयन के अनुसरण में है ।

द्रास पत्तन पर गोदी परियोजना

876. **श्री वि० कु० मोडक :**
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री सामिनाथन् :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री नारायणन :
श्री दण्डपाणि :
श्री मयाबन :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री क० प० सिंह देव :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान मद्रास से भेजे गये और 15 जनवरी 1970 के स्टेट्समैन में मद्रास पत्तन पर गोदी परियोजना केन्द्रीय सरकार की नीति के कारण 20 लाख रुपये का अपव्यय शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) मद्रास पत्तन पर गोदी परियोजना वास्तव में किस स्थिति में है ?

संसद् कार्य, नौवहन और परिवहन मंत्रालय में **उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). तकनीकी समस्याओं के उत्पन्न होने से तेल गोदी परियोजना के पूर्ण होने में बिलम्ब हुआ है । परिणाम स्वरूप 1969 में मद्रास रिफाइनरी छोटे टैंकरों को प्रयुक्त होने के कारण बढ़े हुए भाड़ा प्रभार के भुगतान में अतिरिक्त व्यय करना पड़ा । मद्रास पत्तन न्यास द्वारा सरकार की अनुमति से नियुक्त एक विशिष्ट तकनीकी समिति ने उन समस्याओं के हल के लिए विभिन्न उपायों की सिफारिश की । इस बीच बाहरी हारबर में सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है जिससे रिफाइनरी साफ मौसम, जो वर्ष में 8 मास रहता है, मैं मौजूदा हारबर में 31 फुट के उपलब्ध डुबाव के विपरीत, 36 फुट तक के डुबाव के तेल पोत ला सकें और सुधारों की जांच की जा रही है । पत्तन न्यास परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए प्रत्येक प्रयत्न कर रहा है ।

आसाम के पुलिस मैनों द्वारा नागालैंड के गांव का जलाया जाना

877. श्री वि० कु० मोडक : श्री बे० कृ० दासचौधरी :
श्रीमती इला पाल चौधरी : श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री क० प्र० सिंह देव : श्री ई० के० नायनार :
श्री स० चं० सामन्त : श्री सीताराम केसरी :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागालैंड के मुख्य मंत्री ने 11 जनवरी, 1970 की रात को उनको भेजे गये अपने तार में यह आरोप लगाया है कि सीमा पर तैनात कुछ आसाम पुलिसमैनों ने 6 जनवरी, 1970 को अखाकाटो गांव को जला दिया था तथा धान लूट लिया था ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त आरोप के बारे में यदि उनके द्वारा कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) भारत सरकार आसाम और नागालैंड राज्य सरकारों से इस क्षेत्र में तनाव को कम करने की दृष्टि से सम्पर्क बनाये हुए हैं।

11 जनवरी, 1970 को सैनिकों द्वारा हड़ताल करने वाले कर्मचारियों पर मुगलसराय स्टेशन पर गोली चलाया जाना

878. श्री वि० कु० मोडक : श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री सं० चं० सामन्त : श्री देवेन सेन :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हावड़ा-अमृतसर मेल द्वारा यात्रा कर रहे कुछ सैनिकों ने 11 जनवरी, 1970 की रात को पुलिस तथा कर्मचारियों की मुठभेड़ के समय मुगलसराय स्टेशन पर हड़ताली रेलवे कर्मचारियों पर गोली चलाई थी,

(ख) यदि हां, तो घटना का ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या कोई विभागीय जांच कराई गई है और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ; और

(घ) कर्मचारियों पर गोली चलाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (घ). उत्तर प्रदेश सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

राजस्थान में पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना

879. श्री वि० कु० मोडक :
श्री स० सामन्त :
श्री ज्योतर्मय बसु :
श्रीमती शारदा मुकर्जी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री देवेन सेन :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री रा० के० नायक :
श्री महेन्द्र माझी :
श्री जे० मुहम्मद इमाम :
श्री पी० ना० देव :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर से लगभग 150 मील दूर चुरू में 13 जनवरी, 1970 को विद्यार्थियों के एक दल पर पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के परिणाम स्वरूप मारे गये एक भूतपूर्व विद्यार्थी और कालिज के चपरासी के बारे में उन्हें समाचार प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो घटना का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि समस्त राज्य के लोगों ने इसे बर्बरतापूर्ण और बिना कारण पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने की संज्ञा दी है;

(घ) क्या यह भी सच है कि एक सप्ताह के अन्दर राजस्थान में पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने की यह तीसरी घटना थी; और

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार ने एक सप्ताह में पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने की उक्त तीन घटनाओं के बारे में राज्य सरकार को न्यायिक जांच कराने का सुझाव दिया हैं ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरणशुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग). राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

(घ) तथा (ङ). राजस्थान के मुख्य मन्त्री ने गोलीकाण्ड की तीन घटनाओं में अदालती जाँच कराने के लिए राज्य सरकार की निर्णय की घोषणा पहले ही कर दी है।

Employees Working Against Posts Carrying Pecuniary Benefits

880. **Shri Molahu Prashad**: Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the number of officers, category wise, in the various Departments and Attached Officers under his Ministry who have been working against the posts carrying additional pecuniary benefits for the last three years ; and

(b) the reasons for which they have not been transferred in pursuance of the Home Ministry's D. O. Letter No. 11/3/57-O&M, dated the 6th September, 1957 ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) The suggestion was to follow the principle of rotation as far as practicable. The principle is observed as far as possible consistently with administrative requirements. The intention of the suggestion was to give varied experience to the dealing hands and not pecuniary benefits.

Officers Working Against Posts Carrying Additional Pecuniary Benefits

881. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the number of officers, category-wise, in the departments and attached offices under his Ministry who have been working against the posts carrying additional pecuniary benefits, for the last three years ; and

(b) the reasons for which they have not been transferred in pursuance of the Home Ministry's D. O. Letter No. 11/3/57-O and M, dated the 6th September, 1957 ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

Implementation of Recommendations Contained in Fourteenth Report of A. R. C.

882. **Shri Molahu Prasahad** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have received the Fourteenth Report of the Administrative Reformes Commission ;

(b) the details of the recommendations made in the report and accepted by Government ; and

(c) the action taken to implement those recommendations and the progress made so far as a result of the implementation of those recommendations ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) The report is under examination. Copies of the report have been placed in the Parliament Library.

(c) Does not arise.

Autonomous Institutions under the Ministry of Education and Youth Services

883. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the names of autonomous institutions functioning under his Ministry ;

(b) the name and addresses of the said institutions and the names, designations and addresses of the officers working therein ; and

(c) the year-wise amount of the loans or grants paid to the said institutions separately during the last three years ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) to (c), The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House.

दिल्ली में हिप्पी

884. **श्री राम सिंह अयरवाल** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में अमरीका तथा अन्य यूरोपीय देशों से बहुत अधिक संख्या में हिप्पी आये हैं और वे अपने साथ बहुत बड़ी मात्रा में गांजा (मारीजुआना) लाते हैं, जो यहाँ विधि निषिद्ध हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस खतरे को नियन्त्रित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सम्भवतः प्रश्न का सम्बन्ध उन घुमक्कड़ विदेशी राष्ट्रिकों से है जो सामान्य रूप से स्वीकृत स्तर का पोशाक इत्यादि नहीं पहनते। ऐसे व्यक्तियों के भारत आगमन के पृथक से कोई आंकड़े नहीं रखे गये हैं। फिर भी इस आशय की कोई सूचनायें नहीं मिल रही हैं कि वे बहुत बड़ी संख्या में हैं।

(ख) सतर्कता बरती जाती है और जब ऐसे विदेशियों की अवांछनीय गतिविधियों के संकेत होते हैं तो सम्बन्धित विधि अनुसार उचित कार्यवाही की जाती है।

संग्रहालयों से पत्थर तथा पकाई हुई मिट्टी की मूर्तियों की चोरी

885. **श्री राम सिंह अयरवाल** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न भागों में स्थित संग्रहालयों से प्राचीन काल की पत्थर तथा पकाई हुई मिट्टी की बहुत सी मूर्तियां चुराई गई हैं और विदेश में ऊंचे मूल्यों पर बेची जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो अत्यधिक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व की ऐसी वस्तुओं की चोरी रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

शिक्षा तथा युवक सेवा उपमन्त्री (श्रीमती जहानआरा जयपाल सिंह) : (क) जी नहीं। किन्तु, नालन्दा और सारनाथ स्थित पुरातत्वीय संग्रहालयों में से क्रमशः कुछ कांस्य प्रतिमायें और एक पत्थर की प्रतिमा चोरी हो गई थी ; राज्य संग्रहालयों और निजी संग्रहालयों से सम्बन्धित, सूचना उपलब्ध नहीं है। समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के अतिरिक्त, ऐसी कोई सरकारी सूचना उपलब्ध नहीं है, जिससे यह प्रकट होता है कि चुराए गये पुरावशेष विदेशों में ऊंचे मूल्य पर बेचे जा रहे हैं,।

(ख) (i) केन्द्रीय सरकार के संग्रहालयों और संरक्षित संग्रहालयों में चोरी गई वस्तुओं के सभी मामलों की रिपोर्ट तुरन्त पुलिस प्राधिकारियों के पास तहकीकात और अपराधियों का पता लगाने के लिये दर्ज करा दी जाती हैं। निर्यात समितियों तथा सीमाशुल्क प्राधिकारियों को भी समय पर सतर्क कर दिया जाता है, ताकि देश के बाहर ऐसी चोरी गई वस्तुएं तस्करी द्वारा बाहर न भेजी जा सकें।

(ii) पहरा और निगरानी कर्मचारियों को अधिक सतर्क रहने के लिये भी चेतावनी दे दी गई है और उनकी संख्या भी बढ़ा दी गई है।

(iii) पुरावशेषों की चोरी रोकने के लिए समुचित कदम उठाने हेतु, राज्य विभागों के प्रमुखों और मुख्य मन्त्रियों को भी पत्र भेज दिये गये हैं।

(iv) सुरक्षा उपायों की पर्याप्तता पर विचार करने तथा ऐसे उपाय सुझाने के

लिए, जो संग्रहालयों की रक्षा के लिये आवश्यक हों, संग्रहालय विशेषज्ञों की एक समिति गठित कर दी गई है ।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में गजेन्द्रगडकर समिति की सिफारिश

886. **श्री रामसिंह अयरवाल :**
श्री बृजभूषण लाल :
श्री वंशनारायण सिंह :
श्री कंवरलाल गुप्ता :
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
श्री एन० शिवप्पा :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री पीलू मोदी :
श्री अजमल खां :
श्री चं० चु० देसाई :

या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की प्रबन्धक समिति ने गजेन्द्रगडकर समिति की सिफारिशों को नहीं माना है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और उन्हें स्वीकार न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) गजेन्द्रगडकर समिति की जिन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है उनमें से प्रत्येक के बारे में क्या कार्यवाही की गई है?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). गजेन्द्रगडकर समिति की इन सिफारिशों पर कि विश्वविद्यालय का पूर्व विद्यालय, बी० ए०, बी० एस-सी०, और बी० काम पाठ्यक्रमों से कोई वास्ता नहीं होना चाहिए; कि महिलाओं के कालेज बन्द किये जाएं तथा विश्वविद्यालय द्वारा अब तक चलाये जाने वाले दो कालेज उसके द्वारा अब न चलाये जायं; वि० वि० की कार्यकारी-परिषद् द्वारा 11 जनवरी, 1970 में हुई उसकी बैठक में विचार हुआ था । कार्यकारी परिषद् के सदस्यों की सर्वसम्मति से यही राय थी कि ये सिफारिशें उच्च शिक्षा के हित में नहीं हैं तथा ये वि० वि० के संस्थापक की इस इच्छा के विपरीत हैं कि सभी स्तरों पर शिक्षा की उन्नति की जाय ।

(ग) इस सिफारिश पर तथा दीर्घकालिक जांच-समिति की अन्य सिफारिशों पर सरकारों को अभी निर्णय लेना है ।

(घ) इन सिफारिशों को जल्दी लागू करने की आवश्यकता पर सरकार द्वारा विचार किया गया था और आवश्यक विधान संसद में पेश किया गया तथा 1969 के वर्षा-सत्र में पास किया गया था । वि० वि० के ढांचे तथा कार्य-विधि में व्यापक सुधार सम्बन्धी दीर्घ-कालिक सिफारिशों का अभी सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ निरीक्षण हो रहा है ।

अलग कच्छ राज्य की मांग

889. **श्री कृ० मा० कौशिक :** **श्री जे० मुहम्मद इमाम :**
श्री मुतुस्वामी : **श्री रा० की० अमीन :**
श्री अजमल खां :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्तमान गुजरात राज्य में से एक पृथक राज्य बनाने के लिए भूत-पूर्व कच्छ राज्य के लोगों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) क्या इस बारे में सरकार का ध्यान 22 जनवरी, 1960 के **'पैट्रियट'** में प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया है, और यदि हां तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं श्रीमान् ।

(ख) जी, हां श्रीमान् । इस प्रश्न पर कि क्या कच्छ को एक पृथक प्रशासनिक एकक रखना चाहिए या नहीं, 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय विचार किया गया था और यह विवाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 तथा बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 के बनने से यह विवाद तय हुआ जिसके अन्तर्गत यह गुजरात का भाग है । सरकार का इस विवाद को पुनः चालू करने का विचार नहीं है ।

भारत की कम किराये पर यात्रा करवाने वाले संगठन

890. **श्री कृ० मा० कौशिक :** **श्री गु० च० नायक :**
श्री क० प्र० सिंह देव : **श्री रा० की० अमीन :**
श्री अजमल खां :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान 22 जनवरी, 1970 के **'टाइम्स आफ इण्डिया'** में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि फ्रांस की पुलिस ने भारत को कम किराये पर यात्रा करवाने वाले कुछ संगठनों को समाप्त करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को पैरिस स्थित अपने दूतावास से अथवा नई दिल्ली स्थित फ्रांसीसी दूतावास से कोई समाचार प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). पैरिस स्थित हमारे दूतावास से प्राप्त सूचना से यह प्रतीत होता है कि फ्रांस में कतिपय यात्रा अभिकरण, जोकि अपने दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ रहे हैं, भारत के लिये सामान्य किरायों में काफी रियायत देकर आई० ए० टी० ए० से इतर एयरलाइनों के परिचालकों की उड़ानों में सस्ती वापसी यात्राओं का आयोजन करते रहे हैं । विदित हुआ है कि फ्रांस के प्राधिकारीगण इस विषय में आवश्यक उपचारी कार्यवाही कर रहे हैं ।

दिल्ली परिवहन की बसों के लिए फालतू पुर्जों का उपलब्ध न होना

891. **श्री अविचन :**
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फालतू पुर्जे उपलब्ध न होने के कारण दिल्ली परिवहन की बहुत सी बसें बेकार होती जा रही हैं और उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है।

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की उपर्युक्त बसों की संख्या कितनी है ;

(ग) इन बसों को चलाने योग्य बनाने के लिये दिल्ली परिवहन ने कितनी विदेशी मुद्रा और केन्द्रीय सरकार की सहायता की मांग की थी और वर्ष 1967 से लेकर प्रत्येक वर्ष यह सहायता कितनी-कितनी दी गई थी ; और

(घ) दिल्ली परिवहन की बसों में बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए इतनी बसें बेकार पड़ी रहने देने के क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य, नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिये आवेदन-पत्र

892. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिये गत दो वर्षों में ऐसे कितने विदेशमूलक लोगों से आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनका जन्म और पालन-पोषण भारत में हुआ ;

(ख) अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे लोगो से कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं जो भारत में ही जन्मे और यहीं जिनका पालन-पोषण हुआ, किन्तु जो विदेश चले जाने के कारण भारत के नागरिक नहीं रहे थे और जो थोड़े समय के बाद ही भारत लौट आये थे ; और

(ग) उन लोगों को भारत की नागरिकता दिये जाने की अनुमति में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिये उपयुक्तता की जांच तथा उचित मूल्यांकन एक व्यक्ति के इस देश में कुछ समय तक निवास करने के बाद ही किया जा सकता है।

बम्बई की गोदियों में अग्निकाण्ड

893. श्रीमती इला पालचौधरी : डा० करनी सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय : डा० मणिभाई जे० पटेल :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 जनवरी, 1970 की बम्बई की गोदियों में लगी विनाशकारी आग के बारे में समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसके फलस्वरूप आग बुझाने वाले अधिकारियों के अनुसार करोड़ों रुपयों की क्षति होने का अनुमान है ;

(ख) घटना का पूरा ब्योरा क्या है, और क्या इसमें किसी व्यक्ति की जान भी गई है और कोई घायल भी हुआ है ।

(ग) सरकारी सम्पत्ति की कितनी क्षति हुई है ;

(घ) कितने मूल्य का सामान नष्ट हुआ है ; और

(ङ) भविष्य में इस प्रकार की आग की घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसद कार्य, नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) 'सी' गोदाम एलेक्जेंड्रा गोदी में 24 जनवरी, 1970 को आग लग गई । यह गोदाम विक्टोरिया गोदी के ट्रांजिट शैडों और नं० 2 ट्रांजिट शैड एलेक्जेंड्रा गोदी, से स्थानांतरित तथा सुपुर्दगी के लिए बचे माल रखने के लिए प्रयुक्त किया जा रहा था । आग गोदाम के प्रथम खण्ड के उत्तर की ओर से जहां रासायनिक और टेट्रागीन सूत की गांठ रखी थीं । ऐसा प्रतीत होता है कि कोई एक 'केन' अथवा पीपा अचानक फूट पड़ा जिसके कारण आग की लपटें जल्दी ही प्रथम खण्ड में फैल गयी । चौकीदार की खतरे की चेतावनी सुनकर अनुभागीय सहायक प्रबन्धक के कर्मचारी तुरन्त कार्यालय से बाहर निकल आये । अनुभागीय सहायक प्रबन्धक का कार्यालय प्रथम खण्ड में है । 10 मिनट के अन्दर बम्बई फायर ब्रिगेड और पत्तन न्यास की आग्जुलरी फायर सेवा घटना स्थल पर आयी और तुरन्त अग्नि शमन कार्यवाही शुरू की गयी । कुछ समय बाद आग पर काबू पा लिया गया । यह गोदाम के प्रथम खण्ड तक ही सीमित रही और इस खण्ड में रखा हुआ अधिकांश माल क्षतिग्रस्त हुआ । किसी जान की क्षति अथवा मृत्यु नहीं हुई ।

(ग) पत्तन न्यास की सम्पत्ति को 1.05 लाख रुपये की अनुमानित क्षति हुई ।

(घ) इस बात का ठीक-ठीक निर्धारण नहीं किया गया है कि कितने मूल्य के माल को क्षति पहुँची । इसका पता पत्तन न्यास को तब लगेगा जब आयातकर्त्ताओं के दावे प्राप्त होंगे और बीमा कम्पनियाँ सर्वेक्षण पूरा करेंगी । मोटे अनुमान से मूल्य के रूप में 10 से 12 लाख रुपये तक की क्षति हुई होगी ।

(ङ) एक जाँच समिति जिस में मुख्य इंजीनियर, गोदी प्रबन्ध और पत्तन सुरक्षा तथा फायर अधिकारी शामिल हैं इस घटना की जाँच कर रही है। जांच समिति के निषकर्षों के आधार पर आवश्यक सुरक्षा उपाय किये जाएंगे ।

मध्य प्रदेश फ्लाईग क्लब के पुष्पक विमान का दुर्घटना ग्रस्त होना

894. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
डा० कर्णी सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिनांक 23 जनवरी, 1970 को मध्य प्रदेश फ्लाईग क्लब, इन्दौर का डाक पुष्पक विमान, जिसे नवगड़, मेले में एकत्रित हुए ग्रामीणों को मनोरंजनार्थ उड़ान देने के लिये भेजा गया था, इंदौर से लगभग 130 किलोमीटर दूर खारगोन के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गया ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना तथा उसमें मारे गये घायल हुए व्यक्तियों तथा दुर्घटना से हुई हानि का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस दुर्घटना के बारे में कोई जांच कराई गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (घ). जी, हां। मध्य प्रदेश फ्लाईग क्लब द्वारा परिचालित पुष्पक विमान नं० वी० टी० डी० डब्लयू० सी० मनोरंजन उड़ान करते हुए इंदौर के खारगोन जिला के सारखेडा गांव के समीप खारगोन लैंडिंग-ग्राऊंड के तीन मील परे ध्वस्थ हो गया। विमान चालक मारा गया और विमान में स्थित एकमात्र यात्री को गम्भीर चोटें आयीं। ध्वन्स के पश्चात् विमान को आग लग गई और पूर्ण रूप से नष्ट हो गया। नये पुष्पक विमान की कीमत लगभग 50,000 रुपये होगी ।

(ग) दुर्घटना की नागर विमानन विभाग द्वारा जांच की जा रही है ।

Reorientation of Education Policy to Achieve National integration

895. **Shri Atam Das :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) whether it is a fact that his Ministry proposes to introduce certain radical changes in the sphere of education with the object of notional integration ;

(b) whether it is also a fact that it is proposed to prescribe uniform textbooks so as to bring integration ;

(c) whether it is further a fact that certain measures have been adopted to implement the Three Language Formula effectively ; and

(d) if so, the broad outlines of the scheme ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) to (d). *[Placed in Library. See* No. LT – 2642/70]

Arrears of pay of Delhi Municipal Corporation Teachers

896. **Shri Atam Das :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a notice has been served upon the Corporation Officers by the Delhi Municipal Corporation Teachers' Union demanding that a sum of rupees ten lakhs towards the arrears of pay of Corporation teachers should be paid to them soon ;

(b) whether it is also a fact that this amount has been pending for ten years and has not been paid so far ;

(c) whether it is further a fact that the salary is not paid to the teachers of the Corporation in time : and

(d) if so, the reasons for such indifferent attitude towards these low-paid teachers ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) No, Sir.

(d) Question does not arise.

Officers in various Divisions and Bureau in Education Ministry

897. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4682 on the 19th December, 1969 regarding the number of Employees in the various Divisions and Bureaux in his Ministry and state :

(a) the period since when the Assistants and Section Officers have been working in each Division and Bureau ;

(b) the number of Assistants and Section Officers out of those having working knowledge of Hindi who asked the translation of letters originally received in Hindi during 1969 ; and

(b) the number of original letters in Hindi whose translation was asked for by the various Sections and Officers of the Ministry during 1969 ?

The Minister of Eudcation and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) and (c). No such record is being maintained. Translation facilities are, however, available.

लखनऊ में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के विरुद्ध जांच

398. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने लखनऊ में भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी की तलाशी ली थी जो राज्य व्यापार निगम के माध्यम से गन्धक के आयात से सम्बन्धित था ;

(ख) यदि हां, तो इस अधिकारी का नाम क्या है ;

(ग) क्या इस सौदे से दिल्ली में अन्य अधिकारी भी संबंधित हैं ; और

(घ) इस अनुचित सौदे के लिये सरकार ने इन अधिकारियों को दण्ड देने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) चूंकि मामले की जांच पड़ताल अभी जारी है अतः इस समय नाम को प्रकट करना वांछनीय नहीं होगा ।

(ग) अब तक कोई सामग्री ध्यान में नहीं आई है जिससे यह मालूम पड़े कि अन्य सरकारी अधिकारी इस मामले से संबंधित हैं ।

(घ) कार्यवाही करने के प्रश्न पर जांच पूरी हो जाने के पश्चात् विचार किया जायेगा ।

राष्ट्रीय स्वस्थता कौर प्रशिक्षकों का काम पर लिया जाना

899. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारें राष्ट्रीय स्वस्थता कौर के प्रशिक्षकों को लेने के लिये सहमत नहीं हुई हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो उन राज्य सरकारों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या उनका राज्यों को स्थानान्तरण होने पर इन कर्मचारियों पर वही शर्तें लागू रहेंगी ; और

(घ) यदि नहीं ; तो इन कर्मचारियों को तबादले पर गये कर्मचारी न मानने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (घ). राज्यों के राष्ट्रीय अनुशासन योजना के अनुदेशकों के तबादले के सम्बन्ध में सरकार द्वारा अनुमोदित शर्तों के सभी राज्य सरकारों और संघीय क्षेत्र प्रशासनों को भेज दी गई है । इन शर्तों के आधार पर, राष्ट्रीय अनुशासन योजना के अनुदेशकों को खपाने के प्रश्न पर, राज्य सरकारों और संघीय क्षेत्रों से और आगे बातचीत की जा रही है । अधिकांश राज्य, अनुदेशकों को खपाने के लिए राजी हो गये हैं । किन्तु खपाने से सम्बंधित शर्तों के ब्यौरों के बारे में औपचारिक सूचना अभी प्राप्त होनी बाकी है ।

स्नातक इंजीनियरों के लिये रोजगार

900. **श्री स० मो० बनर्जी** :

श्री रा० कृ० बिड़ला :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अब भी 50,000 अर्हता प्राप्त स्नातक इंजीनियर बेरोजगार हैं ;

(ख) यदि हां, तो 1968 और 1969 में कितने इंजीनियरों को रोजगार दिया गया था ; और

(ग) उन्हें रोजगार देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) देश में बेरोजगार इंजीनियरों की संख्या का सही अनुमान लगाना सम्भव नहीं है। किन्तु ऐसे स्नातक और स्नातकोत्तर इन्जीनियर 13,101 से जिन्होंने 31 दिसम्बर, 1969 को विभिन्न रोजगार कार्यालयों में अपने नाम दर्ज करा रखे थे।

(ख) देश के रोजगार कार्यालय 1968 में 1,135 स्नातक इन्जीनियरों को और 1969 में 1,876 स्नातक इन्जीनियरों को नौकरी दिलाने में समर्थ हुए। किन्तु, रोजगार कार्यालयों द्वारा दिलाई गई नौकरियों इन्जीनियरों द्वारा भरी गई कुल नौकरियों का केवल एक अंश है। तिस पर भी, हालांकि दो वर्षों (1968 और 1969) के दौरान इन्जीनियरी संस्थानों से निकलने वाले कुछ इंजीनियरी स्नातक 28,466 थे, तो भी दिसम्बर, 1967 से दिसम्बर, 1969 तक इन्जीनियरी स्नातकों में से रोजगार कार्यालयों में नौकरी ढूंढने वालों की संख्या में केवल 6,150 की वृद्धि हुई।

(ग) मई, 1968 में, सरकार ने इन्जीनियरों के लिए अतिरिक्त नियोजन अवसरों के सृजन के लिये अनेक उपायों का अनुमोदन किया। इन उपायों की एक सूची 26 जुलाई, 1968 को तारांकित प्रश्न संख्या 1 8 के उत्तर में सदन के सभा पटल पर रख दी गई थी। केन्द्रीय सरकार के मन्त्रालयों और राज्य सरकारों द्वारा इन उपायों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित प्रगति का निरन्तर पुनरीक्षण किया जा रहा है।

सितम्बर 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों के मामले

501. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने के कारण दण्ड के रूप में जो सेवा में विघ्न डाला गया था उसके कारण 3 लाख से भी अधिक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी पदोन्नति, अवकाश, वेतनवृद्धि, पास और पी०टी०ओ० के मामले में बड़ी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ अन्य संसद् सदस्यों तथा केन्द्रीय सरकार के संगठनों के के नेताओं ने सेवा में विघ्न को समाप्त करने के लिने प्रधान मंत्री और गृह-कार्य मंत्री को अभ्यावेदन दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) हड़ताल के सम्बन्ध में 19-9-1968 को लगभग 2,90,000 केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अनधिकृत अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप उनकी सेवा में व्यवधान हुआ है। फलतः इन कर्मचारियों को उनके सेवा नियमों

की सामान्य संक्रिया के परिणामस्वरूप, न कि कोई दण्ड के रूप में सेवा में व्यवधान से उत्पन्न निर्योग्यताएं भोगनी पड़ी हैं।

(ख) और (ग). यह मामला विचाराधीन है।

19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी

903. **श्री के० के० चौधरी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा असैनिक उड्डयन विभाग कर्मचारी संघ ने एक ज्ञापनपत्र दिया है, जिसमें प्रधान मंत्री तथा भारत सरकार से, 19 सितम्बर, 1968 को हड़ताल में भाग लेने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के प्रति और अधिक उदारता बरतने के लिये अनुनोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) डाक व तार विभाग, नागर विमानन विभाग तथा अन्य मंत्रालयों/विभागों के कर्मचारियों की कुछ फेडरेशनों/यूनियनों की ओर से प्रधान मंत्री को 17 दिसम्बर, 1969 को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था।

(ख) उक्त ज्ञापन में सितम्बर, 1998 की अवैध हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों को उनकी सेवाओं में व्यवधान तथा प्रतिकूल प्रविष्टियों के कारण निर्योग्यताओं को, जो उनकी पदोन्नति, स्थायीकरण, आदि के मार्ग में खड़ी होती हैं, दूर करने का निवेदन किया गया है। ज्ञापन में मुकदमें न चलाने के लिए निवेदन किया गया है। जहां तक सेवा में व्यवधान से उत्पन्न निर्योग्यताओं का सम्बन्ध है, कर्मचारियों को जो अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे स्वयं अपनी कार्यवाही के कारण सेवा में व्यवधान का नुकसान भोग रहे हैं। सेवा में व्यवधान, पदोन्नति, स्थायीकरण, आदि के सम्बन्ध में जो अनुवर्ती परिणाम हैं वे इस विषय पर वर्तमान नियमों की सामान्य संक्रिया के परिणाम हैं। फिर भी, सरकार ने समय-समय पर इस सम्बन्ध में शिथिलताएं प्रदान की हैं। जहां तक मुकदमों को न चलाने का सम्बन्ध है, सरकार की नीति यह रही है कि कानून को अपनी कार्यवाही करने देनी चाहिये और केवल उन मामलों में, जिनमें पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, कानून के अनुसार कानूनी कार्रवाई समाप्त की जा सकेगी।

चण्डीगढ़ स्थित केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन से चोरी हुये दस्तावेजों की जांच

904. **श्री क० प्र० सिंह देव :** **श्री अद्धाकर सूपकार :**
श्री रवि राय :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, चण्डीगढ़ से गायब हुए दस्तावेजों के सम्बंध में अपनी जांच पूरी करली है तथा अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो की उप-पत्तियां क्या तथा उसके परिणामस्वरूप सरकार द्वारा इस सम्बंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी, अभी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता सम्बंधी पुनर्विलोकन समिति का प्रतिवेदन

905. **श्री क० प्र० सिंह देव :**

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा नियुक्त नेशनल लाइब्रेरी, कलकत्ता सम्बंधी पुनर्विलोकन समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने उस प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है और यदि हां, तो उस के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा उपमंत्री (श्रीमती जहानआरा जयपाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) रिपोर्ट में दी गई प्रमुख बातें दर्शानेवाला विवरण सभापटल पर रख दिया गया है : [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 2643/70]

(ग) समीक्षा समिति की कुछ सिफारिशें भारत सरकार ने स्वीकार कर ली हैं और राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता के पुस्तकाध्यक्ष से विचार विमर्श करके उनको लागू करने के लिये आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अन्य सिफारिशें, जिनके सम्बंध में दूसरे मंत्रालय। निकायों आदि के साथ विचार विमर्श किया जाना है, विचाराधीन है।

समिति के महत्वपूर्ण सिफारिशों में से एक के अनुसार सरकार ने राष्ट्रीय पुस्तकालय में उच्च श्रेणी सहित स्टाफ के सम्बंधों के जांच-पड़ताल करने तथा पुस्तकालय के प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के लिये माननीय न्यामूर्ति जी० डी० खोसला की अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति नियुक्त की है। रिपोर्ट अभी हाल ही में प्राप्त हुई है और उसकी जाँच की जा रही है।

इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन द्वारा विमानों की खरीद

906. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री सामिनाथन् :
श्री महाराज सिंह भारती :
श्री नारायणन् :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री दण्डपाणि :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री मयावन :
श्री सरजू पांडेय :
श्री न० कु० सांघी :
श्री वेंगल राया नायडू :
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

श्री निहाल सिंह : श्री शिवकुमार शास्त्री :

श्री बे० कृ० दासचौधरी : श्री आत्म दास :

श्री श्रद्धाकर सुपकार :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइंस की चौथी योजना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये बोइंग 737 विमान खरीदने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो रूस के टी०यू० 154 बी०ए०सी० 111 के विमानों की तुलना में जिन्हें रूस ने देने का प्रस्ताव किया है बोइंग 737 विमान की विशेषतायें क्या हैं ; और

(ग) उन पर कितना धन व्यय किये जाने की सम्भावना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) बोइंग 737-200 विमानों को खरीदने का निर्णय इंडियन एयरलाइंस की आवश्यकताओं की सावधानीपूर्वक जांच और विस्तृत अध्ययन के बाद किया गया । इस अध्ययन में, जिस के लिये कम्प्यूटर की सहायता ली गई इस प्रकार के सभी सम्बद्ध तत्वों को ध्यान में रखा गया, जैसे लाभप्रदता, यातायात संबंधी आवश्यकताएं, पूंजी और परिचालन लागत, माल धारिता, यात्री, सुख-सुविधा एवं वितरण समय-सारिणी । इस जांच से ज्ञात हुआ कि जिन विमानों का मूल्यांकन किया गया था उनमें से बोइंग 737-200 इंडियन एयरलाइंस की आवश्यकताओं की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त था ।

(ग) 7 बोइंग 737-200 विमानों की कुल अनुमानित लागत 33.35 करोड़ रुपये है जिसमें से 30.32 करोड़ रुपये की राशि का अंश विदेशी मुद्रा में होगा ।

पारादीप बन्दरगाह में माल-घाटों का निर्माण

907. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पारादीप बन्दरगाह में अयस्क, तेल तथा सामान्य सामान रखने के लिये आरम्भ में कितने माल-घाटों का निर्माण किया जाना था ;

(ख) इस प्रस्ताव को कहां तक क्रियान्वित किया जा चुका है ; और

(ग) शेष घाटों को पूरा करने में कितना समय लगने की सम्भावना है तथा उन्हें पूरा करने में देरी होने के क्या कारण हैं ?

संसद् कार्य, नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग). परामर्शी इंजीनियरों की एक कंपनी द्वारा तैयार की गयी एक रिपोर्ट के आधार पर उड़ीसा सरकार ने 1962-63 में पारादीप पर एक बारहमासी पत्तन का निर्माण शुरू किया था । इस रिपोर्ट में इस पत्तन का अवस्थाओं में विकास करने की व्यवस्था है । प्रथम अवस्था के

विकास में 30,000 डी डब्लू टी के जहाजों की धरा उठाई के लिए एक खनिज लोहे घाट के और एक सामान्य माल-घाट की व्यवस्था है ।

राज्य सरकार ने प्रथम अवस्था के विकास के कार्यक्रम को दो क्रमों में विभाजित किया और पहले क्रम में एक खनिज लौह-घाट की व्यवस्था है ।

इस पत्तन का पहला क्रम का विकास पहले ही पूरा हो गया है और पत्तन पर नवम्बर 1966 से खनिज लोहे के यातायात की धरा उठाई हो रही है। सामान्य माल-घाट के निर्माण के लिए भी निविदाएं आमंत्रित की गयी हैं ।

पंजाब और हरियाणा के लिए सीमा आयोग की नियुक्ति

908. **श्री श्रीचन्द गोयल :** **श्री बलराज मधोक :**
श्री श्रद्धाकर सूपकार : **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री हेमराज :

क्या गृह-कार्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद ग्रस्त क्षेत्रों का निर्धारण करने के लिए सीमा आयोग के कब तक नियुक्त किये जाने का सम्भावना है ; और

(ख) आयोग से कब तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा जा गा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). प्रस्तावित आयोग पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सरकारों के परामर्श में विचारार्थ विषय निश्चित हो जाने के बाद नियुक्त किया जायेगा । उन सरकारों के साथ परामर्श की प्रक्रिया में कुछ समय लगने की सम्भावना है । अतः इस अवस्था में आयोग की नियुक्ति तथा उसकी रिपोर्ट के प्रस्तुत करने की सम्भावी तारीखों को बताना सम्भव नहीं है ।

हरियाणा की राजधानी के लिए स्थान

909. **श्री श्रीचन्द गोयल :**
श्री श्रद्धाकर सूपकार :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हरियाणा सरकार से अपनी राजधानी के स्थान का निर्णय करने के लिये कहा है ; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने हरियाणा सरकार को उक्त निर्णय के लिए कोई तिथि दी है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जी नहीं श्रीमान्, किन्तु हरियाणा सरकार से कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार को सूचित करते हुये मामले में शीघ्र कार्रवाई की जाए ।

गौहाटी असैनिक हवाई अड्डे पर धावन-पथ की लम्बाई

910. **श्री धीरेश्वर कलिता :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गौहाटी असैनिक हवाई अड्डे पर धावनपथ की कुल कितनी लम्बाई है ;

(ख) वहां पर कितने विमान आते हैं तथा कितने विमान वहां से उड़ते हैं तथा औसतन कितने यात्री प्रतिदिन यात्रा करते हैं ;

(ग) 1967, 1968 तथा 1969 में इस हवाई अड्डे से यात्रियों तथा माल से कुल कितना धन अर्जित हुआ ;

(घ) यात्रियों को क्या-क्या सुविधायें दी जाती हैं ;

(ङ) जब वहां पर इतने अधिक यात्री होते हैं तो वहां कारवेल विमान न चलाये जाने के क्या कारण हैं ;

(च) हवाई अड्डे पर यात्रियों तथा गण-मान्य व्यक्तियों के लिए बैठने के स्थान की व्यवस्था न होने के क्या कारण हैं ; और

(छ) क्या वहां की इमारत का नवीकरण करने के लिये सरकार कार्यवाही कर रही है ताकि यह एक आधुनिक हवाई अड्डा बन सके ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) 9000 फीट ।

(ख) प्रतिदिन औसतन 20 सिविल विमानों का संचालन होता है जिनमें 440 यात्री यात्रा करते हैं ।

(ग) इंडियन एयरलाइंस द्वारा अर्जित किया गया राजस्व निम्न प्रकार है :—

अवधि	यात्रियों से प्राप्त हुआ राजस्व	माल से प्राप्त हुआ राजस्व
अप्रैल 1967 से मार्च 1968 तक	46,16,125	3,22,825
अप्रैल 1968 से मार्च 1969 तक	56,94,801	3,10,983
अप्रैल 1969 से अक्तूबर 1969 तक	34,76,696	1,64,307

(घ) से (छ). हवाई अड्डे पर एक रेस्टोरैंट और एक यात्री प्रयोजनीय स्टाल कार्य कर रहे हैं । टर्मीनल भवन में वर्तमान स्थान यातायात परिमाण के लिये अपर्याप्त है । भवन के विस्तार के लिए योजनायें पहले ही तैयार कर ली गयी हैं और उनकी जांच की जा रही है ।

(ङ) इंडियन एयरलाइंस के पास कलकत्ता-गौहाटी सैक्टर पर परिचालन करने के लिए अतिरिक्त कारवेल-क्षमता नहीं है। तथापि, उन्हें आशा है कि 1971 में गौहाटी के लिए एक कारवेल सेवा चालू कर दी जाएगी।

निजी थैलियों की समाप्ति

911. श्री नि० रं० लास्कर :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री सामिनाथन :
श्री स० चं० सामंत :
श्री नारायणन :
श्री सेझियान :
श्री रवि राय :
श्री दण्डपाणि :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री मयावन :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री य० ग्र० प्रसाद :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री योगेन्द्र शर्मा :
डा० रानेन सेन :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री अविचल :
श्री क० मि० मधुकर :
श्री विश्वनाथ पान्डेय :
श्री देवेन सेन :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने निजी थैलियां समाप्त करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है,

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं,

(ग) इस निर्णय को क्रियान्वित करने से कितनी बचत होगी तथा क्रियान्विति पर कितना व्यय होगा, और

(घ) क्या इस बारे में भूतपूर्व नरेशों के प्रतिनिधियों के साथ कोई समझौता हो गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). सरकार ने भूतपूर्व भारतीय राज्यों के नरेशों की निजी थैलियों और विशेषाधिकारों को समाप्त करने का निश्चय किया है और संविधान में संशोधन करने के लिये विधान बनाने का विचार है। अन्तर्वर्ती प्रबन्धों के ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

(घ) सरकार ने भूतपूर्व नरेशों के प्रतिनिधियों के साथ हाल में दो बार विचार-विमर्श किया—एक 24 दिसम्बर, 1969 को तथा दूसरा 8 जनवरी, 1970 को। भूतपूर्व नरेशों को सरकार का निर्णय सूचित कर दिया गया था। भूतपूर्व नरेश अपने साथियों को सरकार का निर्णय बतलाना चाहते थे।

दक्षिण क्षेत्रीय परिषद् की बैठक

912. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री सामिनाथन :
श्री नारायणन :
श्री दण्डपाणि :
श्री मायावन :
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण क्षेत्रीय परिषद् की 6 जनवरी, 1970 को बंगलौर में एक बैठक हुई थी जिस की अध्यक्षता उन्होंने की थी,

(ख) यदि हाँ, तो उस बैठक में किन-किन विषयों पर चर्चा हुई थी,

(ग) उस बैठक में कितने मुख्य मंत्रियों ने भाग लिया था, और

(घ) उस बैठक में कौन-कौन से अन्तिम निर्णय किये गये थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) एक विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 2643/70].

(ग) पांच।

(घ) दक्षिण क्षेत्रीय परिषद् की पिछली बैठक के कार्यवृत को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् उसकी प्रतियां माननीय सदस्यों को सूचना के लिए संसद की लाइब्रेरी में रख दी जायेंगी।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल

913. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री सामिनाथन :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री नारायणन :
श्री एस० आर० दामानी :
श्री दण्डपाणि :
श्री मायावन :
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने सरकारी उपक्रमों की रक्षा हेतु केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल गठित करने के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है,

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कौन से नियम और विनियम बनाए गए हैं,

(ग) उन के कब तक लागू किये जाने की सम्भावना है, और

(घ) क्या राज्य सरकारों ने इस का अनुमोदन कर दिया है और वे इस सम्बन्ध में सहयोग देने के लिये सहमत हो गई हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल नियम 1969 केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा

दल अधिनियम 1968 की धारा 22 की उप धारा (1) के अन्तर्गत बनाए गए हैं और 14 नवम्बर, 1969 से लागू हैं। नियमों की एक प्रतिलिपि शीघ्र ही सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल के गठन का निर्णय लेते समय सभी राज्य सरकारों के विचार प्राप्त किये गये थे।

चूंकि दल को भारत सरकार के उपक्रमों में ही तैनात किया जाता है अतः सम्बन्धित राज्य सरकारों की अनुमति का प्रश्न ही नहीं उठता पर उनके सहयोग की मांग सर्वथा की जाती है।

पश्चिम बंगाल सरकार सिद्धान्त रूप में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल के गठन का विरोध करती है। किन्तु उसके अधीन वे दुर्गापुर में जहां केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल ले जाया जा रहा है दल के गठन के कुछ प्रबन्ध और प्रक्रियाओं से सहमत हैं।

मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायों का भारतीयकरण

915. **श्री सी० के० चक्रपाणि :**
श्री उमानाथ :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री सत्यनारायण सिंह :
श्री देवेन सेन:
श्री सीताराम केसरी :
श्री लताफत अली खां :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के भारतीयकरण के कुछ दलों के नारे की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या सरकार का ऐसा नारा लगाने वाले दलों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). सरकार किसी अल्पसंख्यक समुदाय के देशद्रोही होने अथवा किसी विदेशी शक्ति का एजेन्ट होने के लिये बदनाम करने का दृढ़ता से विरोध करती है और इस विचाराधारा को फैलाने की निन्दा करती है कि किसी अल्पसंख्यक समुदाय के भारतीयकरण करने की आवश्यकता है। ऐसी विचारधाराओं की रोकथाम करनी है क्योंकि वे धर्मनिरपेक्षता के बिल्कुल प्रतिकूल हैं और हमारे देश की एकता और सुरक्षा के लिये हानिकारक ही हैं। यद्यपि किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है जो धर्म, जाति आदि के आधार पर विभिन्न वर्गों के बीच असामंजस्य, घृणा अथवा शत्रुता को बढ़ावा देती है, तो भी ऐसा नारा लगाने वाले किसी दल के विरुद्ध प्रभावशाली शस्त्र केवल साम्प्रदायिक सौहार्द तथा मेलजोल के पक्ष में अन्य राजनीतिक दलों द्वारा जनता को शिक्षित करने की एक नियमित प्रक्रिया ही हो सकती है।

केरल की स्नातक-पूर्व परीक्षा

916. श्री सी० के० चक्रपाणि :
श्री अ० कु० गोपालन :
श्री अ० क० अनिरुद्धन :
श्री के० एम० अब्राहम :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार केरल की स्नातक-पूर्व परीक्षा को इन्टरमिडियेट परीक्षा के बराबर नहीं मानती है ;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार इस स्नातक-पूर्व परीक्षा को अर्हता को इन्टरमिडियेट परीक्षा की अर्हता के समान मान्यता देने के बारे में विचार करेगी ।

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० बी० के० आर० वी० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) यह निर्णय भारत और श्रीलंका के अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड, जो विभिन्न पाठ्यक्रमों की शिक्षण सम्बन्धी समानता का अध्ययन करता है, की सलाह के आधार पर किया गया था ।

(ग) यह प्रश्न पहले से ही विचाराधीन है ।

नई दिल्ली में कनाडा की लड़की की गिरफ्तारी

9 7. श्री मुहम्मद शरीफ़ : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा की एक लड़की कुमारी पी० वैन वर्ग को लगभग एक किलो अवैध चरस रखने के आरोप में हाल ही में नई दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था ;

(ख) क्या इस मामले की जाँच की गई थी और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस मामले से सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). कनाडा राष्ट्रीक कुमारी पोला वैन वर्ग, जिसके पास उटावा से ज री किया गया पास-पोर्ट नम्बर डी० जे० 981020 दिनांक 26-6-68 तथा 15-9-70 तक वैध एथन्स से जारी किया गया नया पी० पी० नम्बर 115028 दिनांक 15-9-69 था, 30-11-69 को दिल्ली में लागू पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 की धारा 61 के अन्तर्गत पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस द्वारा गिरफ्तार की गयी थी क्योंकि 790 ग्राम चरस उसके कब्जे में पायी गयी थी । उसके विरुद्ध एक मामला दर्ज किया गया । उसने इस अपराध के लिए अपने को दोषी स्वीकार किया और न्यायिक मैजिस्ट्रेट द्वारा दोष सिद्ध की गई तथा उसको एक महीने की साधारण कैद की सजा और एक हजार रुपया जुर्माना या जुर्माना न देने पर 3 महीने की अवधि के लिए और साधारण कैद की सजा दी गयी । उसने जुर्माने का भुगतान नहीं किया । उसके अपील करने पर अतिरिक्त सेसन जज ने जुर्माने को घटाकर 800 रुपये कर दिया और जुर्माना अदा न करने पर एक महीने की साधारण कैद तथा पहले काटी गयी कैद की सजा दी ।

दिल्ली में शान्ति विश्वविद्यालय की स्थापना

918. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निकट भविष्य में दिल्ली में भारत में अपने प्रकार का प्रथम शान्ति विश्वविद्यालय स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

जामिया मिलिया, नई दिल्ली में अग्निकांड के बारे में जांच

919. **श्री मुहम्मद शरीफ** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 अक्तूबर, 1969 को जामिया मिलिया में लगी आग के मामले में जांच पूरी हो गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) चूंकि पर्याप्त रूप में साक्ष्य नहीं मिल सका अतः इस मामले में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है ?

बेरोजगार इन्जीनियरों की सहायता करने के लिये दिल्ली प्रशासन की योजना

920. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र में बेरोजगार इन्जीनियरों की सहायता करने के लिये एक योजना बनाई है ;

(ख) क्या सरकार समूचे देश में बेरोज़गार इंजीनियरों के लिए ऐसा एक कार्यक्रम तैयार करेगी ; और

(ग) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) दिल्ली प्रशासन एक योजसा को कार्यरूप दे रहा है जिसके अन्तर्गत बेरोजगार इंजीनियर लघु उद्योग स्थापित करने हेतु औद्योगिक क्षेत्र में प्लाटों के रूप में सहायता प्राप्त कर सकते है । वे भारतीय तेल निगम के पैट्रोल पम्प स्थापित करने के लिए स्थान भी प्राप्त कर सकते हैं ।

(ख) तथा (ग). इंजीनियरों के लिए नियोजन के अतिरिक्त अवसरों के सृजन के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने मई, 1968 में अनेक उपाय आरम्भ किए । इनमें से एक उपाय लघु उद्योग स्थापित करने के लिए बेरोजगार इंजीनियरों को वित्तीय सहायता देना है । औद्योगिक विकास विभाग द्वारा तैयार की गई ऐसी सहायता के लिए एक आदर्श योजना राज्य सरकारों को

पहले ही परिचालित की गई है। कुछ राज्यों ने इस योजना को अपनी वार्षिक योजनाओं में शामिल कर लिया है। कुछ अन्य राज्य सरकारें स्टेट बैंक आफ इण्डिया तथा राज्य औद्योगिक विकास निगमों के सहयोग से लघु उद्योग स्थापित करने के लिए इंजीनियरों को वित्तीय तथा अन्य सहायता देने के लिए इसी प्रकार की योजनाओं को कार्यान्वित कर रही हैं।

इण्डिया आफिस लाइब्रेरी, लन्दन का अधिग्रहण

922. **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री श्रीनिवास मिश्र :
श्री जे० अहमद :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने इंडिया आफिस लाइब्रेरी, लन्दन को अपने अधिकार में लेने के लिए स्वाधीनता प्राप्ति से लेकर अब तक क्या प्रयत्न किए हैं ; और

(ख) उस लाइब्रेरी को अधिकार में लेने के लिए किन-किन बाधाओं का सामना करना पड़ा है तथा इन बाधाओं को उत्पन्न करने के लिए कौन-कौन से देश उत्तरदायी है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा उप-मन्त्री (श्रीमती जहान आरा जयपाल सिंह) : (क) और (ख). इंडिया आफिस लाइब्रेरी को लेने के लिये भारत सरकार स्वतन्त्रता के बाद से, इंग्लैंड की सरकार के साथ निरन्तर प्रयत्न कर रही है। पंचनिर्णय के लिए एक करार के मसौदे पर उस सरकार के साथ चर्चा चल रही है। देरी का एक मुख्य कारण, मामला तय होने के आधार के बारे में उस सरकार के साथ लम्बा विचार विमर्श है।

राजनीतिक हत्यायें

923. **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री पन्ना लाल बारूपाल :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल के महीनों में देश में कोई राजनीतिक हत्याएं हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन हत्याओं का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ; और

(ग) राजनीतिक हत्याओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). 5 दिसम्बर, 1969 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 432 दिनांक 5 दिसम्बर, 1969 को दिये गये ऊपर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसी कोई हत्यायें गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, अन्डेमान और निकोबार दीप समूह, चण्डीगढ़, दिल्ली, दादरा और नगर हवेली, गोवा दमन और दीव, हिमाचल प्रदेश, लक्कादीव, मिनिकोय और अमिनी दीव द्वीप समूह, मनीपुर और पाण्डीचेरी में नहीं हुई हैं। असम में एक व्यक्ति की 11 फरवरी, 1970 को जिला गोआलपाड़ा में किन्हीं

अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जिन पर उग्रवादी होने का सन्देह था, हत्या की गई। पुलिस द्वारा दर्ज किये गये मामले की जांच की जा रही है। नागालैंड में एक व्यक्ति को 9 दिसम्बर को मोकोचुंग जिले में और दूसरे को 22 दिसम्बर, 1969 को कोहिमा जिले में कुछ भूमिगत व्यक्तियों द्वारा गोली से मार दिया गया। घटनाओं के बारे में दर्ज मामलों की जांच की जा रही है। शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सूचना अभी आनी है।

केरल और पश्चिम बंगाल में अराजकता में वृद्धि

924. **श्री अब्दुल गनी डार :** **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री रणजीत सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल और केरल में अराजकता बढ़ रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इन दो राज्यों से पृथक-पृथक 31 जनवरी, 1970 तक गत एक वर्ष में लूटने, आगजनी, घेराव और हत्या के कितने मामले हुए हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). राज्य सरकारों से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

सरकारी डिपों में रखे गये सामान का निपटान

925. **श्री अब्दुल गनी डार :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश भर के सरकारी डिपुओं में रखे गये करोड़ों रुपये के सामान का केवल कुछ लाख रुपयों में ही निपटान कर दिया गया था ;

(ख) क्या सरकार ने खरीदने अथवा बिक्री करने के लिये निविदायें आमन्त्रित की थीं या कि वायुसेना विभाग तथा मुख्यालयों को सीधे ही यह सामान सप्लाई कर दिया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) जहां तक नागर विमानन विभाग, भारत मौसम-विज्ञान विभाग और पर्यटन विभाग का सम्बन्ध है, क्रय और निपटान संभरक तथा निपटान के महा-निदेशक द्वारा किया जाता है। सामान के क्रय और निपटान के लिए एयर कारपोरेशनों की अपनी-अपनी कार्य-विधियां हैं। अतिरिक्त विमानों और सामानों को बेचने के सम्बन्ध में सर्वप्रथम मैसर्ज हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड और वायु-सेना मुख्यालय से बातचीत की जाती है। तत्पश्चात् उनका निपटान निविदा (टैंडर) मंगाकर अथवा बातचीत द्वारा उन उद्यमों के सर्वाधिक लाभ की दृष्टि से किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी परिवहन अभिकरणों/उपक्रमों पर व्यय

926. **श्री अब्दुल गनी डार** : क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी परिवहन अभिकरणों/उपक्रमों का व्यय गैर-सरकारी परिवहन कम्पनियों की तुलना में बहुत अधिक, लगभग दुगुना है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनके भाड़े की दरें उन दरों से लगभग दुगुनी हैं जो वे अपने उत्पादों के लिए अपने सम्भरणकर्त्ताओं और ठेकेदारों को लेने की अनुमति देते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो एक ओर सरकारी क्षेत्र में अधिक दरें और व्यय होने तथा दूसरी ओर ठेकेदारों तथा सम्भरणकर्त्ताओं का जिन्हें बहुत कम भाड़ा दिया जाता है शोषण किये जाने के क्या कारण हैं क्योंकि राष्ट्रीकरण होने के कारण सभी कम्पनियां, सरकारी क्षेत्र में आ गई हैं तथा ठेकेदारों और सम्भरणकर्त्ताओं को बहुत ही कम दरों पर कारोबार करने के लिए बाध्य किया जाता है ?

संसद-कार्य, नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) गैर सरकारी परिवहन उपक्रमों द्वारा किये गये व्यय के आंकड़ों के अभाव में यह कहना सम्भव नहीं होगा कि राष्ट्रीकृत सड़क परिवहन उपक्रमों (जो अब मुख्यत: यात्री परिवहन सेवाएं चलाते हैं) का व्यय लगभग दूना है। निम्नलिखित कारणों से यह कुछ और अधिक हो सकता है :—

(1) अधिक ऊपरी खर्चा।

(2) राज्य सड़क उपक्रमों के कर्मचारियों को इमदादी आवास, काम करने के लिए अच्छी स्थिति, अच्छे वेतन क्रम और भत्ते, चिकित्सा सुविधायें, भविष्य निधि लाभ इत्यादि जैसी अच्छी सुख सुविधाओं और अलाभप्रद रास्तों पर सेवा चलाने के कारण अधिक परिचालन लागत।

(ख) और (ग). प्रत्यक्ष: इस प्रश्न का संबन्ध सरकारी क्षेत्र के माल परिवहन उपक्रम द्वारा वसूल किये जाने वाले भाड़े से है। सरकारी क्षेत्र के ऐसे उपक्रम बहुत कम हैं जो माल परिवहन करते हैं। भारत सरकार के पास उल्लिखित विषयों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सूचना राज्य सरकारों से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मणिपुर में ग्रामीण स्वयंसेवक दल के कर्मचारियों के विरुद्ध मामलों का पंजीकरण

927. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मणिपुर के पुलिस स्टेशनों में ग्रामीण स्वयं सेवक दल के कर्मचारियों के विरुद्ध पिछले एक वर्ष के दौरान तथा अब तक कुल कितने मामले पंजीकृत किये गये ;

(ख) मध्य मणिपुर के ग्रामों में ग्रामीण स्वर्यसेवक दल द्वारा किये गये कथित अपराध किस प्रकार के हैं ;

(ग) उन लोगों द्वारा ये अपराध करने के क्या कारण हैं ; तथा क्या ये अपराध उनके अधिकारियों अथवा सरकार के आदेश पर किये गये थे ; और

(घ) ऐसे आदेश देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). कुछ व्यक्तियों पर, जिन्होंने अपने आप को मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में विद्रोहियों की आतंकवादी गतिविधियों के विरुद्ध आत्म रक्षा के रूप में स्वयं सेवक नामांकित करा रखा है, अपहरण, आपराधिक अतिक्रमण, आक्रमण, दंगे, हत्या तथा हत्या के प्रयास के कथित अपराधों में शामिल होने का सन्देह है। मणिपुर पुलिस द्वारा 33 ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं। भिन्न भिन्न मामलों में उद्देश्य भिन्न भिन्न है। सरकार अथवा किसी प्राधिकारी द्वारा ऐसे अपराधों के करने के लिए आदेश दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

मणिपुर राज्य परिवहन की वार्षिक आय

928. **श्री एम० मेघ चन्द्र** : क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मणिपुर राज्य परिवहन की वर्ष 1966-67, 1968-69 तथा 1969-70 में अब तक कुल कितनी वार्षिक-आय हुई है ;

(ख) इस समय चल रही बसों तथा अन्य गाड़ियों की कुल संख्या क्या है ;

(ग) इस समय इस प्रतिष्ठान में कुल कितने कर्मचारी हैं ;

(घ) पिछले चार महीनों के दौरान पद-वार कुल कितने कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं ; और

(ङ) इस अवधि में कुल कितने कर्मचारियों की पदोन्नति हुई ?

संसद-कार्य, नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) 1967-68, 1968-69 और 1969-70 (जनवरी 1970 तक) के वर्षों के लिए उपक्रम की कुल कमाई क्रम से 40,14,010, 25,92,964 और 14,00,000 रुपये हुई। 1969-70 में कुल कमाई संबंधित महा-लेखाकार द्वारा समायोजित होने वाली राशि सहित 41 लाख रुपये होने की संभावना है।

(ख) इस समय 52 बसें, 50 ट्रक और 7 हल्की गाड़ियां सड़क पर चल रही हैं।

(ग) 68

(घ) 3 लेखाकार, 5 अवर श्रेणी लिपिक, 13 संचालक, 10 क्लीनर, 1 प्रधान चौकीदार सहित 33 कर्मचारी पिछले चार महीनों में नियुक्त किये गये।

(ङ) इस अवधि में पदोन्नति के 7 मामले हुए।

इम्फाल में विश्वविद्यालय केन्द्र स्थापित करना

929. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इम्फाल में डाक-विश्वविद्यालय केन्द्र स्थापित करने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को इस बारे में मणिपुर सरकार तथा गोहाटी विश्वविद्यालय से कोई टिप्पणियां तथा प्रतिक्रियायें प्राप्त हुई हैं ;

(ग) यदि हां, तो वे टिप्पणियां किस प्रकार की हैं ; और

(घ) उक्त विश्वविद्यालय केन्द्र कब स्थापित हो जायेगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 6 अगस्त, 1969 को हुई अपनी बैठक में इम्फाल में विश्वविद्यालय केन्द्र की स्थापना करने के अपने निर्णय का पुनर्विलोकन किया और वह इस बात पर सहमत हो गया कि शिमला में पंजाब विश्वविद्यालय के केन्द्र के समान ही इस केन्द्र को गोहाटी विश्वविद्यालय के तत्वावधान में स्थापित किया जाये इस आयोग ने यह इच्छा भी व्यक्त की कि इस विषय में गोहाटी विश्वविद्यालय तथा मनीपुर प्रशासन से भी विचार-विमर्श किया जाये। दिसम्बर, 1969 में विश्वविद्यालय ने आयोग को सूचित किया कि वह इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। गोहाटी विश्वविद्यालय अधिनियम के अन्तर्गत राज्य के उपयुक्त केन्द्रों में विश्व विद्यालय स्तर के शिक्षण का विस्तार करने के लिये अध्यादेश तैयार करना होता है। चूंकि इम्फाल आसाम राज्य बाहर है इसलिये इस अधिनियम में बिना संशोधन किये इम्फाल विश्वविद्यालय केन्द्र स्थापित नहीं कर सकता। विश्वविद्यालय इस प्रश्न पर और आगे विचार कर रहा है। मनीपुर प्रशासन को जनवरी, 1970 में इस स्थिति की सूचना दे दी गई थी।

सितम्बर, 1965 में इम्फाल में पुलिस गोली काण्ड के बारे में मित्रा समिति का प्रतिवेदन

930. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सितम्बर, 1956 में इम्फाल में पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के बारे में मित्रा समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या उक्त गोलीकांड के पीड़ितों को अब तक कोई वित्तीय सहायता दी गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). जी हां श्रीमान। मणिपुर सरकार ने दो अपचारी अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाही की है।

(ग) और (घ). ए० आई० आर० के ड्राईवर की विधवा को 464 रुपये की रकम मृत्यु-सेवा निवृत्ति उपदान के रूप में दी गई थी जो 27 अगस्त, 1965 को पुलिस की गोली चलाये जाने के कारण मारा गया था। वह रुपये 52.20 पैसे प्रति माह पारिवारिक पेन्शन के रूप में प्राप्त कर रही है।

Akali Leader's Threat on Chandigarh Issue

931. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that one Akali leader of Punjab, Shri Prem Singh Lalpura while addressing a meeting at Akal Takht, said that they would get not only Chandigarh but also Delhi at the point of Kirpan ;

(b) whether it is also a fact that Shri Lalpura also said that they had not signed on the Indian Constitution and so they would kick it ; and

(c) if so, the action taken against him by Government for showing disrespect to the Constitution and making such a threatening speach ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). The Government of Punjab have reported that Shri Lalpura did not make the reported statement.

(c) Does not arise.

आई० आई० टी० में प्राद्योगिकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश

*932. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आई० आई० टी० केन्द्र बी० एस० सी० पास उम्मीदवारों को प्राद्योगिकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं देते हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या अधिकतर भारतीय विश्वविद्यालय विज्ञान के स्नातकों को त्रि-वर्षीय इंजीनियरी पाठ्यक्रम के लिए सुविधायें देते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो आई०आई०टी० विज्ञान के स्नातकों को ऐसी सुविधायें कब तक प्रदान करेगी ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० बी० के० आर० वी० राव) : (क), (ख) और (घ). जी नहीं। विज्ञान के स्नातक इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी के पंचवर्षीय उपाधि पाठयक्रम में दाखिला लेने प्रौद्योगिकी संस्थान की प्रवेश परीक्षा में बैठ सकते हैं। इसके अतिरिक्त खड़गपुर का प्रौद्योगिक संस्थान विज्ञान के स्नातकों के लिए इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी की कुछ चुनी हुई शाखाओं में अलग से एक त्रि-वर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम चला रहा है।

गृह मन्त्री की महाराष्ट्र की यात्रा

933. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त, 1969 से लेकर आज तक उन्होंने महाराष्ट्र राज्य की कितने अवसरों पर यात्रा की ;

(ख) उपर्युक्त प्रत्येक अवसर पर वह कितने समय के लिए वहां ठहरे ; और

(ग) उक्त प्रत्येक यात्रा पर महाराष्ट्र राज्य ने कितना धन व्यय किया ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) तथा (ख). एक विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया देखिये** संख्या एल० टी० 2645/70]

(ग) महाराष्ट्र सरकार से अपेक्षित सूचना भेजने का अनुरोध किया गया है। इसके प्राप्त होते ही सदन के सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

गुजरात में राष्ट्रीय राजपथ का निर्माण

935. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात तथा सौराष्ट्र क्षेत्र में तटीय राजपथ बनाने के लिए वर्ष 1969-70 के केन्द्रीय बजट में कितनी राशि की व्यवस्था की गई है ;

(ख) अब तक खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है ;

(ग) वर्ष के अन्त तक संभवत: कितनी राशि खर्च होने का अनुमान है और यदि उसमें कोई कमी हो, तो उसके क्या कारण हैं ?

(घ) इन सड़कों पर स्वीकृत निर्माण कार्य के कब तक पूरे होने की सम्भावना है ;

(ङ) इस समूची योजना की पूर्ति के लिए कुल कितनी राशि की आवश्यकता है और उसके कब तक पूरे हो जाने की आशा है ?

संसद-कार्य नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ङ). गुजरात में तटीय मुख्य मार्ग एक राज्य मुख्य मार्ग है। अत: गुजरात सरकार प्रधानत: संबंधित है। फिर भी भारत सरकार ने निम्नलिखित दो कार्यों के लिए मई, 1968 में स्वीकृति प्रधान कर दी है। जिस का खर्च केन्द्रीय सड़क निधि से गुजरात को आवंटित राशि से पूरा किया जायेगा :—

कार्य का नाम	अनुमानित लागत
	रु०
(1) दहेज-गंधार अमोद सड़क की पदरा-जम्बूसर-बुसर-ब्रोच सड़क से मिलाने वाली राज्य मुख्य मार्ग की लुप्त कड़ी का निर्माण।	40,00,000
(2) भावनगर जिले में भावनगर अहमदाबाद सड़क (राज्य मुख्य मार्ग) के कम दूरी वाले रास्ते का निर्माण।	47,22,800

इन कार्यों के निर्माण के लिये संघ बजट में कार्यवार कोई व्यवस्था नहीं की गई है। 1969-70 में केन्द्रीय सड़क निधि गुजरात राज्य को आवंटित राशि के अन्तर्गत मंजूर निर्माण-कार्यों को पूरा करने के लिए 24.00 लाख रुपये की व्यवस्था कर दी है।

(ख) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है।

प्रधान मन्त्री के उत्तर प्रदेश के दौरों पर व्यय

936. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री जनेश्वर मिश्र :
श्री रामसेवक यादव :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार को प्रधान मंत्री के उत्तर प्रदेश के दौरों में उनकी सुरक्षा और उनके लिए प्रबन्धों पर 13 महीनों में 43 लाख रुपये खर्च करने पड़े ;

(ख) क्या प्रधान मंत्री के दौरों पर व्यय के उक्त आँकड़ों को वे स्वीकार करते हैं और यदि नहीं, तो उनके आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) 15 जनवरी, 19 0 को समाप्त हुए तीन महीनों में प्रधान मंत्री द्वारा किये गये उत्तर प्रदेश के दौरों का ब्यौरा क्या है और इन दौरों के क्या विशिष्ट कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). राज्य सरकार के अनुसार प्रधान मंत्री के उत्तर प्रदेश के दौरे में सुरक्षा तथा अन्य प्रबन्धों पर कुल व्यय (13 महीनों में) लगभग 39 लाख रुपये हैं। इस कुल व्यय के ब्यौरे राज्य सरकार से मांगे गये हैं।

(ग) 15 अक्तूबर, 1969 से 15 जनवरी, 1970 तक की अवधि में प्रधान मंत्री द्वारा किये गये उत्तर प्रदेश के दौरों तथा इन दौरों के प्रयोजन का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

दौरे की तारीख	उन स्थानों का नाम जिनका दौरा किया गया	दौरे का प्रयोजन
6 और 7 दिसम्बर, 1969	कानपुर इलाहाबाद बरेली	सरकारी
11 दिसम्बर, 1969	आगरा	सरकारी
21 दिसम्बर, 1969	मोदीनगर मेरठ	सरकारी नहीं

23 दिसम्बर, 1969	कानपुर	सरकारी नहीं
12 से 14 जनवरी, 1970 तक	वाराणसी	
	बलिया	
	गाजीपुर	
	मिर्जापुर	
	जौनपुर	
	गोरखपुर	सरकारी नहीं
	आजमगढ़	
	बस्ती	
	गोंडा	
	बाराबंकी	
	लखनऊ	

प्रधान मंत्री के उत्तर प्रदेश के दौरों के दौरान हेलीपैडों की व्यवस्था

937. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :**

श्री हुकम चन्द कछवाय ।

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में हाल के प्रधान मंत्री के दौरों के लिए जो व्यवस्था की गई थी उसमें आठ स्थानों पर हैलीपैडों की व्यवस्था भी शामिल थी ;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं और क्या वहां कार से नहीं जाया जा सकता था ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का यह विचार है कि प्रधान मंत्री के दौरे के नाम पर राज्य सरकारों पर अनावश्यक खर्चा नहीं लादा जाना चाहिए ; और

(घ) क्या सरकार को पूरा विश्वास है कि हैलीपैडों के निर्माण पर जो व्यय किया गया वह जरूरी था ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) 1. बलिया ।

2. गाजीपुर

3. मिर्जापुर

4. जोनपुर

5. आजमगढ़

6. बस्ती

7. गोंडा

8. बाराबंकी

इन स्थानों को कार से जाया जा सकता हैं ।

(ग) और (घ). हैलीकोप्टर साधारणतया उपलब्ध खुले समतल स्थानों, जैसे खेल के मैदानों, मैदानों, आदि में उतरते हैं । सतह की थोड़ी सी सफाई या मरम्मत करके उन्हें हैलीपैड बनाया जाता है । फिर भी, इन हैलीपैडों के बनाने में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया वास्तविक व्यय मालूम किया जा रहा है ।

कोचीन में जहाज बनाने का दूसरा कारखाना

938. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन में जहाज बनाने का दूसरा कारखाना स्थापित करने के बारे में भारत सरकार तथा जापान की मितसुबीशी फर्म के बीच कोई अन्तिम करार हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की महत्वपूर्ण बातें क्या हैं ?

संसद्-कार्य, नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) अभी तक नहीं, महोदय । मितसुबीशी हैवी इन्डस्ट्रीज, जापान और सरकार के प्रतिनिधियों में कुछ प्रारम्भिक विचार विमर्श हुआ है । औपचारिक समझौते शीघ्र ही करने का प्रस्ताव है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

चण्डीगढ़ में हिमाचल प्रदेश का हिस्सा

939. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :**
श्री हेम राज :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधियों और सरकार ने चण्डीगढ़ में 7 प्रतिशत हिस्सा मांगा था, जो प्रतिकर (नकद) अथवा इमारतों के रूप में दिया जा सकता था ;

(ख) यदि हां, तो चण्डीगढ़ के बारे में निर्णय की घोषणा करते समय हिमाचल प्रदेश के दावे का सरकार द्वारा उल्लेख न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि हिमाचल प्रदेश और वहां की जनता में व्यापक रोष और असंतोष है तथा सरकार ने मांग की है कि उनका न्यायोचित हिस्सा उन्हें दिया जाये ; और

(घ) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इस विषय पर विचार कर लिया है और यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). हिमाचल

प्रदेश सरकार से इस आशय के अभ्यावेदन सरकार को प्राप्त हुए कि चण्डीगढ़ के विभाजन या उसके किसी एक राज्य में हस्तांतरण होने की दशा में हिमाचल प्रदेश को सातवां हिस्सा दिया जाय । ये अभ्यावेदन स्पष्टतः इस विश्वास से दिये गये थे कि विवाद का सम्बन्ध चण्डीगढ़ में सरकारी सम्पत्तियों के हिस्से करने से है जबकि वास्तव में विवाद पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रीय दावों से उत्पन्न हुआ था । हिमाचल प्रदेश को नकद अथवा माल के रूप में कोई मुआवजा देने का प्रश्न ही नहीं उठता और यह स्थिति चण्डीगढ़ पर निर्णय घोषित करने से पहले हिमाचल प्रदेश सरकार को बता दी गई थी । इस कारण हिमाचल प्रदेश में किसी व्यक्ति को असन्तुष्ट अनुभव करने का कोई आधार नहीं है ।

Murder of Shri Baldev Singh

940. **Shri Bansh Narain Singh :** **Shri Sharda Nand :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Homc Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4562 on the 19th December, 1969 regarding alleged murder of Shri Baldev Singh in Himachal Pradesh and state :

(a) whether the magisterial enquiry being conducted in connection with the alleged murder of Shri Baldev Singh has since been completed ;

(b) whether the Himachal Pradesh Government have since apprised the Central Government of the results of the said enquiry :

(c) if so, the details thereof ;

(d) if not, the time by which the said enquiry is likely to be completed ; and

(e) the reasons for which the said enquiry could not be completed by now ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) Report of the magisterial enquiry has since been received by the Government of India.

(c) to (e). It was *prima-facie* established in the enquiry that Shri Baldev Singh was caught in the beling of the shaft of the machine owned by one Shri Milkhi Ram and died of electric shock and various fractures suffered as a result of pressure of the shaft. The post mortem report also does not run counter to this proposition. On the recommendation of the S. D. M. the Deputy Commissioner, Kangra has directed further investigation by the police U/S 287 and 304-A IPC and to take action U/S 201 IPC against Shri Milkhi Ram if the commission of the offence is established.

Revising of Pay and Allowances of Teachers in Uttar Pradesh

941. **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the pay and allowances of the teachers in Bihar, Haryana and Punjab were increased during the President's rule in those States ;

(b) if so, whether by advising the teachers of Uttar Pradesh during the President's rule there to wait for the established of the popular Government, the Central Government wanted to pursue the British policy under which it was essential to keep Uttar Pradesh backward for uninterrupted adminisrration bp the Centre ; and

(c) if not, whether the Central Government propose to suggest to the Uttar Pradesh Government to take over all the High Schools, Higher Secondary Schools and Intermediate Colleges by providing extra grants to them ?

The Minister of State for Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (c). A statement is appended below :

STATEMENT

The position about the revision of pay scales of school teachers in the States of Bihar, Haryana, Punjab and Uttar Pradesh is as follows :

Bihar : This State was under President's rule from 29-6-1968 to 26-2-1969 and 4-7-1969 to 16-2-1970. The orders of revision of scale of pay/emoluments of school teachers were issued on 4-5-1968 and made effective from 1-4-1968. It will thus be seen that orders for revision of scales of pay were not issued during President's rule.

Haryana : This State was under President's rule from 21-11-1967 to 21-5-1968. The orders of revision of scales of pay/emoluments were issued on 5-1-1968 and made effective from 1-12-1967. It will thus be seen that orders for revision of scale of pay were issued during President's rule.

Punjab : This State was under President's rule from 5-7-1966 to 1-11-1966 and again from 23-8-1968 to 17-2-1969. The orders of revision of scales of pay/emoluments of school teachers were issued on 29-7-1967 and made effective from 1-11-1966. It will thus be seen that orders of revision of scales of pay were not issued during President's rule but were made effective from a date when President rule was in force.

Uttar Pradesh : This State was under President's rule from 25-2-1968 to 26-2-1969. In this case the emoluments of primary and junior high school teachers were revised from 1-7-1968 so as to give them benefits ranging from Rs. 10/- to Rs. 18/- per month. A further *ad-hoc* increase of Rs. 15 per month to trained teachers and of Rs. 10/- per month to untrained teachers was given from January, 1969. Accordingly the minimum emoluments of the trained and untrained teachers in Uttar Pradesh went up to Rs. 125/- and Rs. 100/- per month and Rs. 90/- per month respectively, during President's rule. It will thus be seen that some increases of teachers' emoluments in Uttar Pradesh were sanctioned during President's rule in that State.

It may be added that there is no proposal before the Government for suggesting to the Uttar Pradesh Government to take-over all the High Schools, Higher Secondary Schools and Intermediate Colleges of their State.

Officer-in-Charge of Language Division of Ministry of Education and Youth Services

942. **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the work of the Administration of Language Division has been entrusted to one Joint Secretary of his Ministry, while this work was previously entrusted to two Joint Secretaries and there was enough work for both of them ;

(b) whether it is also a fact that due to the increased work-load with the present Joint Secretary of these Divisions, the settlement of the cases, particularly police matters, are delayed very much and the cases are not settled in a proper way ;

(c) whether Government propose to entrust such an important Division like Languages Division to a Joint Educational Adviser who may be an educationist ; and

(d) if not, the reasons therefor and the educational and language qualifications possessed by the present officiating Joint Secretary of the Language Division ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) A Joint Secretary/Joint Educational Adviser has always held charge of two or more Divisions in the past and it is not a fact that a Joint Secretary or Joint Educational Adviser held charge of only one Division, *i.e.*, Administration Division or Language Division separately.

(b) No, Sir.

(c) and (d). No, Sir. For the administration of a programme, experience of a Generalist Administration is considered sufficient because technical advice is always available to the government from technical officers. The qualifications possessed by the present Joint Secretary-in-Charge of Language Division are Bachelor of Arts with Honours in Economics and Bachelor of Law. He has no language qualifications.

विश्वविद्यालयों के गैर-शिक्षक कर्मचारियों की सेवा की शर्तों का संहिताकरण

941. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों के गैर-शिक्षक कर्मचारियों की सेवा की शर्तों सम्बन्धी नियम बनाने के लिए डा० बी० एन० गांगुली की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति की सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या इन सिफारिशों पर अखिल भारतीय विश्वविद्यालय गैर-शिक्षक कर्मचारी संघ के विचार मांगे गए थे ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (श्री वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां ।

(ख) विवरण संलग्न है । रिपोर्ट की एक प्रति सदस्य को भेज दी गई है ।

विवरण

(ग) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की समिति के द्वारा दिसम्बर 1959 में गांगुली समिति की रिपोर्ट पर विचार किया गया था और जैसा कि इस समिति के द्वारा इच्छा व्यक्त की गई थी, गांगुली समिति के द्वारा प्रस्तावित नियम विश्वविद्यालयों को यह निर्दिष्ट करते हुए पहले ही भेज दिये गये हैं कि ये नियम उनके कर्मचारियों के लिये नियम बनाने के लिये समिति ने, विश्वविद्यालयों के गैर शिक्षण स्टाफ की सेवा शर्तों के, ऐसे सामान्य सेवा शर्तें वेतन और भत्ते, छुट्टी, आचरण, दण्ड देने और अपील करने की क्रियाविधि जैसे मामलों के सम्बन्ध में नियमों के एक सैट की सिफारिश की थी जो उनके कर्मचारियों के लिये नियम बनाने के वास्ते मार्गदर्शी नियमों का काम दे सके ।

उपर्युक्त के अलावा, समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें भी कीं थी :

(i) यद्यपि ये नियम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संकल्प के अनुसार विश्व-

विद्यालयों के गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिये बनाये गये हैं, उन्हें, उपर्युक्त संशोधनों के साथ, कालेजों के भी गैर-शिक्षण स्टाफ के लिये भी लागू किया जा सकता है।

(ii) सेवानिवृत्ति लाभ के सम्बन्ध में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा अपनाए जाने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पहले से ही निर्मित नियम, इस संबंध में अन्य विश्वविद्यालयों के लिये मार्गदर्शी नियमों के रूप में काम दे सकते हैं।

(iii) विश्वविद्यालयों को, कर्मचारियों के कल्याण और कर्मचारीगण की समस्याओं के लिये संयुक्त सलाहकार समितियां स्थापित करने की सलाह दी जाये।

सहायक हवाई अड्डा अधिकारी, कलकत्ता की ओर से असैनिक उड्डयन विभाग के विरुद्ध अभ्यावेदन

945. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको असैनिक उड्डयन विभाग कलकत्ता, के सहायक हवाई अड्डा अधिकारी श्री एस० एच० सुब्बाराव से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें असैनिक उड्डयन विभाग के विरुद्ध कुछ गम्भीर आरोप लगाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन आरोपों का ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) श्री एस० एच० सुब्बाराव सहायक विमान-क्षेत्र अधिकारी ने, जिन्हें विमान क्षेत्र अधिकारी के वरण-पद (सिलेक्शन पोस्ट) पर पदोन्नति के लिए अतिक्रमण (सुपरसीड) किया गया है, अनेक अभ्यावेदन दिये हैं जिनमें गोपनीय रिपोर्टों के लिखने, पदोन्नति विदेशों में प्रशिक्षण के लिये अधिकारियों के चयन, 55 वर्ष की आयु के बाद अधिकारियों को सेवा में रखे रहने महानिदेशकों की नियुक्ति, आदि के मामलों के सम्बन्ध में आरोप लगाये गये हैं।

(ग) क्योंकि आरोप निराधार पाये गये हैं अतः किसी अगली कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

तूतीकोरिन सेलिंग वैशल आनर्स एसोशियेशन की ओर से अभ्यावेदन

946. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाल जहाज उद्योग के सम्बन्ध में तूतीकोरिन सेलिंग वैशल आनर्स ऐसोशियेशन की ओर से सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन की मुख्य बात क्या है ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग). तूतीकोरिन पालपोत मालिक संघ ने अपनी कुछ समस्याएं नौवहन महा-निदेशालय के सम्मुख रखी है ; अर्थात :

(1) तूतीकोरिन पर उस स्थान पर जहां आजकल पालपोत मरम्मत तथा निर्माण इत्यादि के लिये लाये जाते हैं, एक नये मत्स्य बन्दरगाह के स्थापित होने के कारण पालपोत उद्योग को होने वाली कठिनाइयां ।

(2) तामिल नाडू सरकार द्वारा पालपोत उद्योग को लघु उद्योग घोषित करना जिससे पालपोत मालिक मरम्मत तथा निर्माण के लिये तांबे की चद्दरें, इत्यादि, जैसी अपनी जरूरत की वस्तुओं को प्राप्त कर सकें ।

(3) राज्य सरकारों द्वारा पालपोतों पर लगाये गए पत्तन घाट शुल्क (घाट प्रभार) को समाप्त करना अथवा कम करना ।

(4) पत्तन लाँचों/टगों द्वारा पालपोतों के नौकरी किये जाने के मौजूदा नौकर्ष प्रभार का राज्य सरकारों द्वारा पुनरीक्षण ये सब मामले राज्य सरकारों से सम्बन्धित है और संघ ने उन्हें अभ्यावेदन भेज दिया है । तथापि नौवहन महानिदेशालय तथा प्रधानाधिकारी, जल परिवहन विभाग मदरास भी राज्य सरकार को सहानुभूति पूर्ण रवैया अपनाने तथा शीघ्र निर्णय लेने के लिये कह रहे हैं । ज्ञात हुआ है कि उक्त नं० (1) पर की समस्या संतोषजनक रूप से हल कर दी गयी हैं ।

प्रधान मन्त्री की हत्या का षड़यंत्र

947. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** **श्री मुहम्मद शरीफ :**
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रधान मन्त्री की हत्या करने के कथित षडयन्त्रों के बारे में जांच कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी बार ऐसी जांच कार्यवाही की गई थी ;

(ग) क्या प्रतिवेदनों में कोई सार है कि प्रधान मन्त्री की हत्या करने के सम्बन्ध में कुछ षड़यन्त्र है ; और

(घ) क्या प्रधान मन्त्री की सुरक्षा के लिये कोई विशेष उपाय किये गये हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). सरकार का ध्यान कुछ ऐसी रिपोर्टों की ओर दिलाया गया है जिनका सम्बन्ध प्रधान मन्त्री की सुरक्षा से है । अब तक की गई जाँच से प्रधान मन्त्री को नुकसान पहुंचाने की किसी योजना या षडयन्त्र का प्रमाण नहीं मिला है ।

(घ) प्रधान मन्त्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त पूर्वोपाय किए गए हैं ।

इन प्रबन्धों का लगातार पुनःरीक्षण किया जाता है और जब कभी आवश्यक होता है, सशक्त किया जाता है।

सिलीगुड़ी में दंगे

948. **श्री रणजीत सिंह :**
श्री मंगलाथुमाडम :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री श्रीनिवास मिश्र :
श्रीमती इलापाल चौधरी :
श्री एस० एम० कृष्ण :
श्री हुचे गौडा :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिलीगुड़ी और आस-पास के जिलों में हाल में व्यापक दंगे हुए थे ;

(ख) इन दंगों का क्या कारण था, और इनमें कितने व्यक्ति हताहत हुए ;

(ग) क्या यह सच है कि अधिकांश समय पश्चिम बंगाल पुलिस निष्क्रिय रही ;

(घ) क्या सेना को बुलाना पड़ा था ; और

(ङ) क्या सेना द्वारा गिरफ्तारियाँ की गई थीं और गोली चलाई गई थीं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार 6 जनवरी, 1970 को दो व्यक्तियों, जो पर्वतीय क्षेत्रों के थे, और सिलगुड़ी के कुछ स्थानीय व्यक्तियों के बीच एक झगड़ा हुआ जिसके परिणाम-स्वरूप पर्वतीय क्षेत्र के व्यक्तियों को चोटें आई और बाद में एक व्यक्ति मर गया। इससे पर्वतीय क्षेत्र के लोगों और स्थानीय लोगों के बीच झगड़े हुए। छः व्यक्ति मारे गये।

(ग) जी नहीं, श्रीमन्।

(घ) और (ङ). सिविल प्राधिकारियों की सहायता के लिए सेना बुलाई गई किन्तु उनके द्वारा न तो गिरफ्तारी की गई और न गोली चलाई गई।

English as Medium of Instruction and Examination in Law in Delhi University

949. **Shri Janeshwar Misra** : Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the medium of instruction and examination in law in the Delhi University is compulsorily English ;

(b) the other subjects for which the medium of instruction and examination is compulsorily English ; and

(c) the facilities provided by the University to the students who want to study and take examination in their mother tongue ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) Yes, Sir.

(b) English is a compulsory medium of instruction and examination in courses under

the Faculties of Technology, Medical Sciences, Science and Education and in all subjects at M.A. level with the exception of languages.

(c) Facilities are provided for examination in Hindi for B.A. (Pass) course in all subjects. In B.A. (Hons.) courses, the students have the option to answer the questions in Hindi in selected subjects, *viz.*, Economics, History, Political Science, Commerce and Sanskrit. It is proposed to introduce Hindi as medium of instruction in these subjects from the year 1971-72.

पुलिस द्वारा गोली चलाई जाना

951. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुलिस ने जनवरी, 1970 से प्रदर्शनकारियों पर राज्य-वार कुल कितनी बार गोली चलाई ;

(ख) पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने की इन घटनाओं में राज्य-वार कुल कितने व्यक्ति मारे गये और कितने घायल हुए ;

(ग) इन घटनाओं में राज्य-वार कुल कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ; और

(घ) जनवरी, 1970 से हुए आन्दोलनों का स्वरूप क्या था ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त सूचना के अनुसार 1 जनवरी, 1970 से किसी संघ राज्य क्षेत्र आसाम-गुजरात, जम्मू व काश्मीर, महाराष्ट्र, नागालैंड और पंजाब में पुलिस द्वारा कोई गोली नहीं चलाई गयी है। हरियाला में चण्डीगढ़ प्रश्न पर निर्णय की घोषणा के परिणामस्वरूप हिंसात्मक प्रदर्शनों से निपटने के लिए 12 अवसरों पर पुलिस को गोली चलानी पड़ी जिसके फलस्वरूप 9 व्यक्ति मारे गये और 20 घायल हुए। इन घटनाओं के सम्बन्ध में 142 व्यक्ति गिरफ्तार किए गये। शेष राज्यों से सूचना अभी आनी है।

पुरी में संस्कृत विश्वविद्यालय

952. **श्री शिव राय :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि उड़ीसा सरकार ने पुरी में संस्कृत विश्वविद्यालय के अनुदानों की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो यह भी सच है कि शिक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री जनवरी में जब उड़ीसा गये थे तो उन्हें उड़ीसा सरकार ने एक ज्ञापन दिया था ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) उड़ीसा सरकार ने पुरी में एक संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए

एक प्रस्ताव भेजा है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ विचार-विमर्श करके उस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

चण्डीगढ़ विवाद पर केन्द्रीय निर्णय के बारे में पंजाब और हरियाणा सरकारों की प्रतिक्रिया

953. **श्री शिवचन्द्र झा :** **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री हुकम चन्द कछवाय : **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :**
श्री कंवर लाल गुप्त : **श्री श्रीचन्द गोयल :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चण्डीगढ़ विवाद के हल के बारे में औपचारिक रूप से पंजाब तथा हरियाणा सरकारों को सूचित कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो कब और केन्द्र के निर्णय के बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) चण्डीगढ़ विवाद के बारे में केन्द्रीय सरकार के कथित निर्णय से पंजाब तथा हरियाणा को क्रमश: कुल कितना क्षेत्र, कुल कितना वार्षिक राजस्व, आय, आदि प्राप्त होंगे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुकल) : (क) और (ख). चण्डीगढ़ तथा विवादग्रस्त अन्य मामलों पर सरकार के निर्णय की प्रेस विज्ञप्ति की प्रतिलिपियां औपचारिक रूप में राज्य सरकारों को 19 फरवरी, 1970 को भेजी गयी थीं । उनसे अपनी प्रतिक्रिया सूचित करने के लिए नहीं कहा गया है ।

(ग) लगभग 24,211 एकड़ क्षेत्र पंजाब राज्य को और 4,038 एकड़ क्षेत्र हरियाणा राज्य को जाने की सम्भावना है । राजस्व इत्यादि की सभी मदों के क्षेत्र-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि अधिकांश मामलों में यह मदें समस्त संघ राज्य क्षेत्र के लिए लेखे-जोखे में दर्ज की जाती हैं । ऐसे आंकड़ों की संगणना में जो समय और श्रम लगेगा वह प्राप्त परिणामों के अनुरूप नहीं होगा ।

Tourist Office at Pauri Garhwal District

954. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Tourist Office is being opened at Pauri in District Pauri Garhwal in Uttar Pradesh according to the news published in the *Daily Hindustan* dated the 5th January, 1970 ;

(b) if so, whether Government propose to construct an aerodrome in Pauri Garhwal in the near future ; and

(c) if so, the time by which the said aerodrome would be constructed in Pauri Garhwal ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) The State G vernment have recently opened a Regional Tourist Office at Pauri.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Construction of a New Ship for Training of Personnel for Merchant Navy

955. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the reason for discontinuing the building of another ship like "Dufferin" for the training of personnel for the Merchant Navy ; and

(b) whether Govcrnment propose to build some other ship for the propose by relating the original scheme ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raghu Ramaiah) : (a) A new ship is already under construction at the Hindustan Shipyard, Visakhapatnam for replacement of the Training Ship "Dufferin", and the new ship has a capacity to train 125 cadets as against 80 which is the capacity of present vessel. The work of construction is progressing according to schedule and replacement ship is expected to be ready for commission by the end of 1971.

(b) No, Sir.

स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिकों के लिये पेंशन योजना

956. **श्री सामिनाथन्** :

श्री सेझियान :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतन्त्रता-संग्राम के जिन सैनिकों ने अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सजा भुगती थी उनके लिये सरकार ने पेंशन योजना लागू करने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय कितनी पेंशन दी जाती है और नई योजना के अन्तर्गत प्रति व्यक्ति तथा कुल कितनी पेंशन देने का प्रस्ताव है ; और

(ग) इस पेंशन का हकदार होने के लिये क्या शर्तें रखी जायेंगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). भारत सरकार द्वारा संशोधित योजना की मुख्य-मुख्य बातों की एक टिप्पणी संलग्न है ।

टिप्पणी

भारत सरकार ने 2 अक्तूबर, 1969 से उन स्वतन्त्रता सेनानियों के सुपात्र मामलों में जिन्होंने अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में कैद काटी थी और यदि वे जीवित न हों तो उनके परिवारों को पेंशन प्रदान करने की एक योजना को कार्यरूप देने का निश्चय किया है बशर्ते कि ऐसे स्वतन्त्रता सेनानियों द्वारा अण्डमान सेल्यूलर जेल तथा भारत में अन्य जेलों में काटी गई कैद की कुल अवधि कम से कम पांच वर्ष हो । पेंशन को, जो प्राप्तकर्ता के लिए जीवन भर के लिए होगी, स्वतन्त्रता सेनानियों और/या उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति तथा किसी अन्य राज्य

सरकार से उनको प्राप्त भुगतानों या लाभों पर विचार करने के बाद मंजूर किया जाएगा। किसी स्वतन्त्रता सेनानी को मंजूर की गई पेंशन की राशि 200 रुपये प्रति माह से कम नहीं होगी और परिवारों के मामले में यह पेंशन 100 रुपये से 200 रुपये प्रति माह के बीच होगी। परिवार का केवल एक ही सदस्य पेंशन का पात्र होगा। 'परिवार' में स्वतन्त्रता सेनानी की विधवा, अविवाहित पुत्रियां और मां तथा आपवादिक मामलों में पुत्र जहां यह साबित किया जाये कि वे अपने पिता के कारावास के कारण अपने को स्थापित करने में असमर्थ हैं, शामिल होंगे।

CIA Activities in India

957. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Member of Parliament has submitted a report to him substantiated by proof regarding the activities of CIA at higher level in India ;

(b) if so, whether complete details thereof would be laid on the Table ;

(c) whether it is also a fact that names of high Government officials figure in the activities of CIA ; and

(d) if so, the reaction of Government in this regard ?

The Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No such report appears to have been received.

(b) to (d). Do not arise.

Vishwa Dharma Smmelan Held in Delhi

958. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the CIA had a hand in the "Vishwa Dharma Sammelan" held in Delhi recently and it also gave financial assistance to the same ; and

(b) if so, the information available with Government in this regard and whether the same would be laid on the Table of the House ?

The Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Government have no such information.

(b) Does not arise.

Recruitments to Border Security Force and Number of S. C. and S. T. Persons in Them

959. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the number of persons recruited in the Border Security Force during the last one year ; and

(b) the number of persons out of them belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) 8605 persons were recruited in the Border Security Force during the year 1969.

(b) Scheduled Castes	812
Scheduled Tribes	470
Total :	1282

Increase in Rates of Tickets at Red Fort and Qutab Minar

960. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the rates of tickets for entry into the Red Fort and Qutab Minar, the tourist spots in Delhi, have been increased ;

(b) if so, the extent of the increase and the additional income likely to accrue to Government thereby ; and

(c) the total earnings by the sale of tickets to the people visiting the Red Fort, Qutab Minar and the Delhi Zoo during the financial years 1967-68 and 1968-69, and the amount of expenditure incurred on the maintenance of these monuments and buildings separately ?

The Deputy Minister of Education and Youth Services (Shrimati Jahanara Jaipal Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) The increase in rates is from 0.20 paise to 0.50 paise and the income is likely to increase proportionately.

(c) The earnings from the sale of tickets at Red Fort and Qutab Minar for the years 1967-68 and1968-69 and also expenditure incurred on the maintenance of these monuments is given below :

QUTAB MINAR

	1967-68 Rs.	1968-69 Rs.
(i) Earning	79,491.20	82,115.80
(ii) Expenditure on maintenanee	78,160.00	76,045.00

RED FORT

	1967-68 Rs.	1968-69 Rs.
(i) Earning	1,42,681.20	I,58,761.60
(ii) Fxpenditure on maintenance	40,215.00	44,560.00

Information regarding Delhi Zoo is being collected and will be laid on the Table of the House.

Distribution of Balloons Bearing Photo of Mr. Bhutto

961. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that about 500 rubber balloons bearing the photograph of Mr Bhutto, the former foreign Minister of Pakistan, were distributed in Bhotara village of District Banaskantha in Gujarat in January, 1970 ;

(b) whether Government have conducted an enquiry in this connection ; and

(c) if so, the details thereof and the steps Government propose to take to check such acts ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c). According to information furnished by the Government of Gujarat, about 50 toy balloons were found on 5th January on a tree in Bhoyan village of Banaskantha district. These balloons carried the imprint of a photograph of Shri Bhutto speaking before a mike and urdu writing to the effect that Shri Bhutto would address a public meeting on 4th January at Nastar Park. These balloons appear to have been used as a medium of publicity in West Pakistan and presumably had drifted into Banaskantha district. It has not been borne out in the course of inquiries that anyone brought these balloons to the spot where they were found.

विश्वविद्यालय के कार्यों में विद्यार्थियों द्वारा भाग लेना

962. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री विश्वविद्यालय के कार्यों में विद्यार्थियों द्वारा भाग लेने के बारे में 19 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों सहित देश के अन्य विश्वविद्यालयों से सिफारिश कर रही है कि वे कार्यकारी दल बनाये जो विश्वविद्यालयों के प्रशासन में विद्यार्थियों द्वारा भाग लेने के प्रश्न पर विचार करे ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). कार्यकारी दल बनाने के प्रश्न पर विचार करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित विश्वविद्यालयों की है। इस विषय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और शिक्षा आयोग की विभिन्न समितियों द्वारा की गई सिफारिशों को सभी विश्वविद्यालयों के पास उनके विचारार्थ तथा कार्यान्वयन के लिये भेज दिया गया है। अप्रैल, 1969 को हुए कुलपतियों के सम्मेलन में भी इस प्रश्न पर विचार किया गया था। सम्मेलन की सिफारिश के अनुसरण में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय और कालेजों के अभिशासन के लिये समितियां गठित कर ली हैं और यह प्रश्न उनके विचाराधीन है।

मई, 1969 में हुए छात्रों के प्रतिनिधियों के सम्मेलन ने सर्वसम्मति से विश्वविद्यालयों और कालेजों के निर्णय लेने वाली सांविधिक निकायों पाठ्यचर्या समितियों और दिन प्रतिदिन के प्रशासन के लिये जिम्मेदार संयुक्त सलाहकार समितियों में ऐसे छात्र प्रतिनिधित्व की सिफारिश की थी जो कारगर हों। सम्मेलन की सिफारिशों को, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सभी विश्वविद्यालयों, राज्य सरकारों और संघीय प्रशासनों के पास उनकी टिप्पणी के लिये भेज दिया गया है।

Arrest of Pakistani Nationals in Jaipur

963. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Security Police had arrested some Pakistani nationals in Jaipur in January, 1970 from whom documents pertaining to Gujarat, Rajasthan and Punjab were recovered ;

(b) if so, the total number of Pakistani spies arrested and the articles recovered from them ; and

(c) the action taken by Government against them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

आसाम-नागालैंड सीमा विवाद

964. **श्री धीरेन्द्र नाथ देव :**
श्री जे० मुहम्मद इमाम :
श्री पीलू मोदी :
श्री चं० चु० देसाई :
श्री त्रिविव कुमार चौधरी :
श्री ई० के० नायानार :
श्री हेम बरुआ :
श्री के० अनिरुद्धन :
श्री अ० कु० गोपालन :
श्री गणेश घोष :
श्री उमानाथ :
श्री मायावन :
श्री दण्ड पाणि :
श्री नि० रा० लास्कर :
श्री नारायणन :
श्री सामिनाथन :
श्री चेंगल राया नायडू :
श्री र० वे० नायक :
श्री महेन्द्र माझी :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम-नागालैंड सीमा के विवाद-ग्रस्त क्षेत्रों में गम्भीर झगड़े हुए हैं ;

(ख) क्या नागालैंड सरकार ने सीमा पर मुठभेड़ की बढ़ती हुई घटनाओं के प्रति अनेक अवसरों पर सरकार को चिंता व्यक्त की है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में त्वेनसांग-कार्य मन्त्री, श्री के० ए० इम्लांग द्वारा जारी किये गये एक बयान की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो आसाम और नागालैंड के सीमा विवादों को सुलझाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) हाल के पिछले कुछ समय में आसाम और नागालैंड के बीच किसी गम्भीर सीमावर्ती मुठभेड़ों के कोई समाचार प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(ख) सीमावर्ती क्षेत्रों में कुछ घटनाओं के परिणाम-स्वरूप समय-समय पर तनाव उत्पन्न हुआ था और नागालैंड सरकार ने इन मामलों पर अपनी चिन्ता व्यक्त की थी ।

(ग) जी हां, श्रीमान् ।

(घ) भारत सरकार इस क्षेत्र में तनाव कम करने की दृष्टि से आसाम और नागालैंड

सरकारों से सम्पर्क बनाये हुए है। नागालैंड सरकार ने सीमा आयोग की स्थापना के लिये कहा था। इस विषय में राज्य सरकार से पत्र-व्यवहार किया है।

Proposal Regarding Amalgamation of Air India and Indian Airlines

965. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) whether Government have decided to form one Corporation by amalgamating the Indian Airlines and Air-India ; and

(b) if so, the steps being taken in this direction ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

दिल्ली के कालेजों में दाखिला

*966. **श्री कंवरलाल गुप्त** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्षों के आंकड़ों के आधार पर बी०ए० (पास कोर्स), बी०एस०सी, बी०एस०सी० (आनर्स) और बी०काम० पाठ्यक्रमों में दिल्ली के कालेजों में उस वर्ष दाखिला चाहने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी ;

(ख) दिल्ली के कालेजों में प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिये कितने स्थान उपलब्ध हैं ;

(ग) सभी पात्र विद्यार्थियों को दाखिला देने की व्यवस्था करने के लिये विश्वविद्यालय द्वारा क्या विशिष्ट कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या सरकार ने प्रयोगशालाओं, फर्नीचर, इमारतों के लिये कोई प्रबन्ध किये हैं और आवश्यक कर्मचारियों की भर्ती की है ;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(च) इस संबंध में सरकार को प्राप्त हुए अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ङ). दिल्ली विश्वविद्यालय ने अगले शैक्षिक सत्र में दिल्ली के कालेजों में दाखिला देने के प्रश्न को एक कार्यकारी दल को सौंप दिया था। इस दल द्वारा जो सिफारिशें की गयी हैं, विश्वविद्यालय उन पर विचार कर रहा है।

(च) अगले शैक्षिक सत्र में दिल्ली के कालेजों में दाखिला देने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

मन्त्रियों के दौरे

967. **श्री राम किशन गुप्त** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1969 से 31 दिसम्बर, 1969 तक केन्द्रीय मन्त्रियों, राज्य मन्त्रियों तथा

उप-मन्त्रियों द्वारा (मन्त्रिवार) किस-किस प्रकार के दौरे किये गये तथा उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) प्रत्येक दौरे का प्रयोजन क्या था और दौरेवार मात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता के रूप में कितना धन लिया गया ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

वाहनों के संख्या पट्टों पर केवल संख्या लिखने का प्रस्ताव

968. **श्री राम किशन गुप्त :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाहनों के संख्या पट्टों पर केवल संख्या ही लिखने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

संसद-कार्य, नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). वाहनों पर संख्यात्मक संख्या पट्ट लगाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

छात्र संसदों के माध्यम से विद्यार्थियों को संसदीय प्रणाली में प्रशिक्षित करना

969. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या **संसद्-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ संस्थाओं में छात्र संसदों का आयोजन करके संसदीय शासन प्रणाली में दिल्ली और नई दिल्ली के स्कूलों के विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इस कार्यक्रम का देश के अन्य भागों में विस्तार करने की मांग को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार किया जा रहा है ;

(ग) क्या दिल्ली में छात्र संसदों की बैठकों के लिये एक सभा भवन की मांग की गई है ; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या आगामी वर्ष में कार्यक्रम के आरम्भ होने से अस्थायी आधार पर निःशुल्क अथवा किराये पर एक सभा भवन लेने का सरकार का विचार है ?

संसद्-कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) संसद्-कार्य विभाग, शिक्षा निदेशालय, दिल्ली के सहयोग में, प्रतिवर्ष दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कृत्रिम संसद् प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है । अब तक, इस प्रकार की निम्नलिखित, चार प्रतियोगिताएं की गयी हैं :—

1966-67	स्कूलों की संख्या जिन्होंने भाग लिया	16
1967-68	—तदेव—	25
1968-69	—तदेव—	43
1969-70	—तदेव—	42

(ख) राज्य सरकारों से दिल्ली में प्रचलित योजनाओं के समान ही कृत्रिम संपद् योजनाएं तैयार करने की प्रार्थना की गई है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) भाग (ग) के उपर्युक्त उत्तर को देखते हुए इसका प्रश्न नहीं उठता है।

परीक्षाओं को रद्द करने के बारे में केन्द्रीय सचिवालय के कर्मचारियों की मांग

971. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय कर्मचारियों ने हाल ही में अनुभाग अधिकारी, सहायक, उच्च क्षेणी लिपिक और चतुर्थ क्षेणी के कर्मचारियों की परीक्षाओं को रद्द किये जाने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) पूर्णतया सेवा के व्यापक हित में और कुशलता के हित में इन परीक्षाओं को रद्द करने के लिए कर्मचारियों की मांग को स्वीकार करना सम्भव नहीं था ।

राज्यपालों का कार्य

972. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बता की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति के संदर्भ में राज्य के राज्यपाल के दर्जे के बारे में पुनर्विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) देश में वर्तमान राजनीतिक स्थिति ऐसी नहीं है कि राज्यपालों के सांविधानिक स्तर में कोई परिवर्तन आवश्यक हो ।

संविधान के अनुच्छेद 370 का निराकरण

973. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनमत मोर्चा (प्लेबिसाइट फ्रन्ट) की कार्यकारिणी ने एक संकल्प के द्वारा सरकार को चेतावनी दी है कि संविधान का अनुच्छेद 370 जिसमें जम्मू तथा काश्मीर को एक विशेष दर्जे की गारंटी दी गई है केवल एक आधार है जिस पर राज्य और संघ के सम्बन्ध निर्भर हैं और जब कभी इस अनुच्छेद का निराकरण कर दिया जायेगा उस समय काश्मीर पर भारत की अधिकारिता समाप्त हो जायेगा ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 14 दिसम्बर, 1969 को श्रीनगर में हुई जनमत मोर्चे की कार्यकारिणी की एक बैठक में पारित किये संकल्प में मोर्चे ने कहा कि वह संविधान के अनुच्छेद 370 को जनमत के अधीन अस्थायी आधार पर भारत के साथ काश्मीर के सम्बन्ध का एकमात्र आधार समझता है और जब कभी इस अनुच्छेद का निराकरण कर दिया जायेगा तो काश्मीर पर भारत की अधिकारिता समाप्त हो जायेगी।

(ख) सरकार इस संकल्प को पूर्ण रूप से गलत तथा इतिहास और संविधान के तथ्यों का तोड़ मरोड़ कर व गलत अर्थ लगाना समझती है।

भाषा प्रौद्योगिकी की आवश्यकता

974. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में ब्रिटिश काउन्सिल के प्रतिनिधि मिस्टर चाम्रोसन ने भाषा प्रौद्योगिकी की आवश्यकता पर जोर दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां।

(ख) सरकार भाषा अध्यापन के नए तकनीक के महत्व को समझती है। मैसूर स्थित, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, पहले ही से, भारतीय भाषाओं के अध्यापन के लिए एक नई तकनीक तैयार करने में लगा हुआ है। प्रयोगात्मक आधार पर, इस प्रयोजन के लिए भुवनेश्वर और मैसूर में एक-एक केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। इन केन्द्रों में माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों को इस नई तकनीक के जरिए कुछ आधुनिक भारतीय भाषाएं पढ़ाई जाएगी।

इंडियन कमेटी फार कल्चरल फ्रीडम (सांस्कृतिक स्वतंत्रता की भारतीय समिति)

975. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या 'इंडियन कमेटी फार कल्चरल फ्रीडम' (सांस्कृतिक स्वतन्त्रता की भारतीय समिति) नामक संगठन भारत में कार्य कर रही हैं ;

(ख) यदि हां तो इस सम्बन्ध के प्रवर्तक कौन हैं और वह भारत के किन राज्यों में कार्य करता है ;

(ग) इसकी गतिविधियां क्या हैं ?

(घ) इसके कार्य करने के मुख्य केन्द्रों के पते क्या हैं ;

(ङ) इसकी वित्त व्यवस्था के साधनों जिनमें यदि कोई विदेशी साधन भी शामिल हैं ; का अलग अलग ब्यौरा क्या है ; और ;

(च) क्या यह सच है कि 'इंडियन कमेटी फार कल्चरल फ्रीडम' अमरीका की सी० आई० ए० द्वारा प्रायोजित संगठन है और सी० आई० ए० इसका प्रमुख वित्त व्यवस्थापक है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (च). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

1. आसाम, बिहार, गुजरात, जम्मू और काश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, तमिल नाडू, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, दिल्ली पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना अभी आनी है ।

2. हरियाणा, नागालैंड, अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह, चण्डीगढ़ और दादर और नागर हवेली, गोवा, दमन और दीव, हिमाचल प्रदेश, लंकाद्वीप मनिकाय तथा अमिनद्वीप समूह मनीपुर और नेफा ने कहा है कि उनके पास कोई सूचना नहीं है ।

3. आन्ध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि कल्चरल फ्रीडम फार इंडियन कमेटी कल्चरल फ्रीडम फार कांग्रेस, पेरिस से सम्बन्धित है । इस संगठन की शाखा हैदराबाद और गंतूर में थी । गंतूर की शाखा निष्क्रिय हो गई है । यद्यपि हैदराबाद में स्थित शाखा का कार्यालय बन्द है फिर भी प्रत्येक वर्ष कुछ गोष्ठियां की जाती हैं । धन सदस्यता-शुल्क और सदस्यों के दानों से बम्बई में स्थित केन्द्रीय कार्यालय से लगभग 1000 रु० के वार्षिक अनुदान से भी जुटाया जाता है । उनके पास यह सूचना नहीं है कि सी० आई० ने इस संगठन को प्रायोजित किया है ।

मिजो पहाड़ी क्षेत्रों का आर्थिक दशा का बिगड़ना

976. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत कई वर्षों के दौरान मिजो पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों की आर्थिक दशा और अधिक बिगड़ गई है ।

(ख) क्या यह सच है कि ग्रामों के अनियोजित पुनर्गठन, सुरक्षा दलों द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों के कारण कृषि की अवहेलना तथा बेगार जो कि वहां के लोगों द्वारा कराई जाती है, के कारण उनकी दुर्दशा में और वृद्धि हुई है ;

(ग) यदि हां, तो पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों की समस्याओं के प्रति एक राष्ट्रीय तथा सही दृष्टिकोण अपनाकर उनकी आर्थिक दशा को सुधारने के लिए यदि कोई कार्यवाही की जा रही है, तो क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार के अनुसार इस बिगड़ती हुई दशा के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). जी नहीं श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) मिजो पहाड़ी जिले में स्थानीय खाद्य उत्पादन की सतत कमी रही है और हाल के वर्षों में अभिद्रोह के कारण विकास के कार्यों में बाधा पड़ती रही है । फिर भी कृषि और संचार के विकास पर विशेष बल देते हुए इस क्षेत्र के शीघ्र विकास के प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

ट्रांसपोर्ट भवन, नई दिल्ली में प्रवेश के लिये संवाददाताओं को पास प्राप्त करने में कठिनाई

977. **श्री ज्योतिर्मय बसु**: क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 11 जनवरी, 1970 के पेट्रियट में संवाददाताओं के लिए वर्जित शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें बताया गया है कि परिवहन भवन, नई दिल्ली में जाने के लिये प्रवेश-पत्र प्राप्त करने में एक संवाद दाता को कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ा था ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसद-कार्य, नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) मामले की जांच की गयी और तथ्य नीचे दिये जा रहे हैं :

9 जनवरी 1970 को एक 'पेट्रीयोट' का सम्वाददाता, स्वागत कक्ष ट्रांसपोर्ट भवन में आया और वह पर्यटन विभाग के एक सहायक निदेशक से मिलना चाहता था, स्वागत अधिकारी ने सम्बन्धित जानकारी से सम्पर्क स्थापित किया, जिसने स्वागत अधिकारी को सलाह दी कि आगंतुक को प्रचार अनुभाग के एक अधिकारी से मिलना है । स्वागत अधिकारी इस अधिकारी के इस सुझाव के अनुसार कार्य नहीं कर सका । आगंतुक को उससे मिलने भेज दे क्योंकि उस अधिकारी को आगतुकों से मिलाने का अधिकार नहीं था । भारत सरकार के कार्यालयों में आगंतुकों के प्रवेश पर लागू होने वाले सुरक्षा अनुदेशों के अनुसार मिलने वालों के प्रवेश के लिये अवर सचिव और उससे ऊपर के पदाधिकारी अपने कार्यालयों में आगंतुकों से मिलने के हकदार हैं । तदनुसार स्वागत अधिकारी ने विभाग में (प्रचार) निदेशक से सम्पर्क स्थापित करने का प्रयत्न किया, जो प्रचार अनुभाग में आगंतुकों को मिलने का हक रखने वाला निम्नतम स्तर का अधिकारी है । चूंकि अधिकारी उस समय उपस्थित नहीं था, अतः उसके लिए एक सन्देश इस आशय का रखा गया कि एक आगंतुक स्वागत कक्ष में उसकी प्रतीक्षा कर रहा है और सम्वाददाता से थोड़ी देर प्रतीक्षा करने की प्रार्थना की गयी । तथापि आगंतुक अधिकारी के आने से पहिले ही बिना प्रतीक्षा किये चला गया ;

केन्द्रीय खाद्य प्राद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर के निदेशक का त्यागपत्र

978. **श्री बाबू राव पटेल :**
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि केन्द्रीय खाद्य प्राद्योगिकी अनुसन्धान संस्थान के निदेशक डा० एच० ए० बी० पारपिया ने, जिन्होंने इस पद को स्वर्गीय प्रधान मन्त्री नेहरू के अनुरोध पर स्वीकार किया था, इस पद से त्यागपत्र देने के लिये अब प्रधान मन्त्री से अनुमति मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ऐसा के वास्तविक कारण क्या हैं ;

(ग) उस अधिकारी का नाम तथा पद नाम क्या है जिसका वर्ष 1968 में तबादला किया गया था परन्तु जिससे 1968 में पुनः संस्थान में वापस भेज दिया गया था हालांकि डा० पारपिया ने उसके विरुद्ध कड़ी शिकायत की थी और उस पर निश्चित आरोप लगाये थे ;

(घ) क्या यह भी सच है कि डा० पारपिया ने उनसे अपनी शिकायतों तथा संस्थान के कार्यकरण की जांच करने के लिये एक निष्पक्ष समिति नियुक्त करने का अनुरोध किया था : और

(ङ) यदि हां, तो समिति के नियुक्त न किये जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष के नाम लिखे पत्र दिनांक 6-12-69 के द्वारा डा० पारपिया ने केन्द्रीय खाद्य प्राद्योगिक अनुसंधान संस्थान, मैसूर के निदेशक के पद से अपना त्याग पत्र दे दिया है।

(ख) डा० पारपिया ने अपने पत्र में जो कारण बताया है वह नीचे उद्धृत है :

विज्ञान के लिए मेरी उत्कट निष्ठा और उसके लक्ष्यों की पूर्ति के लिए किए गये मेरे हार्दिक प्रयत्नों के बावजूद भी, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के केन्द्रीय कार्यालय द्वारा उत्पन्न की गई परिस्थितियों के फलस्वरूप पिछले 2½ वर्ष से; मेरे लिए कार्य करना इतना कठिन हो गया है कि मैं कारगर नहीं हो पाता।

(ग) श्री नसीरुद्दीन अहमद, प्रशासकीय अधिकारी।

(घ) डा० पारपिया ने श्री नसीरुद्दीन अहमद के विरुद्ध अपने लगाए हुए आरोपों की जांच करने के लिए एक निष्पक्ष समिति की नियुक्ति के लिए अनुरोध किया था।

(ङ) ऐसी समिति की नियुक्ति के लिये ऐसा कोई मामला नहीं था क्योंकि संस्थान के अभिलेखों तथा की गई उपयुक्त कार्रवाई के सन्दर्भ में मामले की जांच पहले ही कर ली गई थी।

चंडीगढ़ के भारतीय वायु सेना के अधिकारियों द्वारा जासूसी के कृत्य

979. **श्री बाबू राव पटेल : गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) चंडीगढ़ के उन भारतीय वायु सेना के अधिकारियों की संख्या और पद नाम क्या

हैं जिन को कथित जासूसी की गतिविधियों और पाकिस्तान को महत्वपूर्ण सूचनाएं भेजने के आरोप में निलम्बित किया गया है ;

(ख) उन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ पाकिस्तानी और कुछ अन्य देशों के राष्ट्रजन भी जासूसी के इस काण्ड में शामिल थे ;

(घ) यदि हां, तो उनके क्या नाम हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) यदि इन व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ङ). दो पाकिस्तानी राष्ट्रिकों समेत छः व्यक्ति चण्डीगढ़ पुलिस द्वारा संदिग्ध जासूसी गतिविधियों के लिये गिरफ्तार किये गये थे। चूंकि मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है अतः इस अवस्था में मामले के ब्यौरों को प्रकट करना सार्वजनिक हित में नहीं होगा।

रैवरैन्ड एडवर्ड सिन्हा की हत्या

980. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्गीय रैवरैन्ड सिन्हा, उनके ड्राइवर तथा जगदम्बा चाय सम्पदा के मालिक जिन की 12 जनवरी, 1970 को बूड़ापहद में जब कि वे जोरहाट जा रहे थे, गोली मार कर हत्या कर दी गई थी, के हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उन के नाम क्या हैं और वे किस राजनीतिक दल से सम्बन्धित हैं ; और

(ग) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो इन निर्मम हत्याओं की जांच करेगी और यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख). निम्नलिखित चार हत्यारे इस संबंध में गिरफ्तार किये गये :

1. श्री सत्य नारायण सीसोदिया पुत्र स्व० बालाबक्श सीसोदिया, जगदम्बा टी एस्ट्रेट के निदेशक

2. श्री राम कुमार सीसोदिया पुत्र स्व० रामकृष्ण सीसोदिया, जगदम्बा एस्ट्रेट के मेनेजर

3. जगदेव कुमार पुत्र हरबन्श लाल कुमार, प्रशासनिक अधिकारी, जगदम्बा टी एस्ट्रेट

4. ड्राईवर राम कृष्ण शर्मा पुत्र स्व० सीताराम शर्मा मारवाड़ी पेटी के० नवगांग।

अब तक की गई जांच से मालूम होता है कि इन व्यक्तियों का संबंध किसी राजनीतिक दल से नहीं है।

(ग) राज्य सरकार के आपराधिक जांच विभाग ने मामले की जांच हाथ में ली है और वह की जा रही है। इस समय जांच को केन्द्रीय जाँच ब्यूरो को देने का कोई विचार नहीं है।

दिल्ली के सिनेमा गृहों में राष्ट्रगान सुनाया जाना

981. **श्री क० अनिरुद्धन :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के सिनेमागृहों में चलचित्र की समाप्ति पर राष्ट्रगान नहीं गाया जाता ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई नया निदेश जारी किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग). दिल्ली के सिनेमा घरों में चलचित्रों के उपरान्त, मैटिनी तथा शाम के प्रथम प्रदर्शनों की समाप्ति पर राष्ट्रीय गान गाया जाता है। फिर भी, दिल्ली प्रशासन से यह सुनिश्चित करने के लिए पुनः कहा गया है कि सभी सिनेमाघर सब चलचित्र प्रदर्शनों की समाप्ति पर राष्ट्रीय गान बजायें।

पश्चिम बंगाल में बैंकों में डकैतियां

982. **श्री य० प्र० मंडल :** **डा० सुशीला नैयर :**
श्रीमती सावित्री श्याम :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत छः महीनो में पश्चिम बंगाल में कई बैंक डकैतियां हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि में कितने बैंकों में डकैतियां हुई और संबंधित बैंकों के नाम क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार किया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). पश्चिम बंगाल सरकार से अपेक्षित सूचना प्राप्त की जा रही है और मिलने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मणिपुरी युवकों को सैनिक प्रशिक्षण

983. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** **श्री डा० सुशीला नैयर :**
श्रीमती सावित्री श्याम :

क्या गृह-कार्य मंत्री पाकिस्तान में मणिपुरी युवकों को सैनिक प्रशिक्षण के बारे में 19 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4598 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान से लौटे हुए गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के पास से किस प्रकार के दस्तावेज पकड़े गये थे ; और

(ख) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार किया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) पकड़े गये दस्तावेजों में चीन में छपी एक पुस्तिका और तथाकथित "मणिपुर की क्रान्तिकारी सरकार" के "प्रचार विभाग" द्वारा जारी की गई एक अन्य पुस्तिका शामिल है ।

(ख) पुलिस द्वारा एक मामला दर्ज किया गया है और जांच-पड़ताल की जा रही है ।

गोपालपुर का एक छोटे पत्तन के रूप में विकास

984. श्री एम० एम० कृष्ण : श्री स० कुन्दू :
श्री खे० अहमद :

क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में गोपालपुर का एक छोटे पत्तन के रूप में विकास किया जाना है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या योजनायें सरकार के विचाराधीन हैं ; और

(ग) पत्तन के विकास के लिये कार्य कब आरम्भ किया जायेगा तथा उसे कब तक पूरा किया जायेगा ?

संसद्कार्य, नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप मन्त्री, (श्री इकबाल सिंह) : (क) मई 1969 में एक समिति नियुक्त की गई जिसने चौथी योजना काल में केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तौर पर विकास किये जाने वाले गोपालपुर और चांदवाली के दो पत्तनों में एक को चुनना था विचारार्थ विषय के अनुसार, समिति पत्तन के लिये उपयुक्त विकास योजनाओं की सिफारिश भी करेगी, समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है । रिपोर्ट के प्राप्त तथा विचार हो जाने पर मामले में अन्तिम निर्णय लिया जायेगा ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में निरक्षरता उन्मूलन

885. श्री जी० वाई० कृष्णन् : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता देकर चौथी पंचवर्षीय योजना में निरक्षता का उन्मूलन करने पर उचित ध्यान दे रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं तथा पिछड़े क्षेत्रों में निरक्षरता को दूर करने के लिये बनाई गयी योजना का ब्योरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख). विवरण संलग्न है ।

(1) निरक्षरता उन्मूलन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है । भारत सरकार ज्यादा से ज्यादा अनुसंधान, प्रायोगिक परियोजनाएं निकासी हाउस कार्यों के जरिए इस दिशा में कार्रवाई तेज कर सकती है ।

(2) निरक्षरता उन्मूलन के लिए, चौथी पंचवर्षीय आयोजना में जो केन्द्रीय अथवा केन्द्र द्वारा प्रायोजित प्रमुख कार्यक्रम शामिल हैं, वे संक्षिप्त रूप से इस प्रकार हैं।

(क) कृषक शिक्षा और क्रियात्मक साक्षरता परियोजना

इस परियोजना को खाद्य तथा कृषि, सामुदायिक विकास, सूचना तथा प्रसारण तथा शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाता है। इस परियोजना को चौथी पंचवर्षीय आयोजना में शामिल कर लिया गया है और इसके लिये 200 लाख का विनिधान है। चौथी पंचवर्षीय आयोजना अवधि के दौरान, इस परियोजना को 100 जिलों में लागू करने का विचार है। प्रारम्भ में 1967-68 में इसे 3 जिलों में लागू किया गया था और 1968-69 में इसे 7 जिलों में और लागू कर दिया गया था। चालू वर्ष में, इस परियोजना को 15 और जिलों में भी लागू कर दिया जायगा। प्रत्येक जिले में 60 केन्द्र हैं, जिनमें किसानों के लिए क्रियात्मक साक्षरता की व्यवस्था है। चौथी पंचवर्षीय अवधि में, इसमें 10 लाख किसानों को शामिल करने का लक्ष है।

(ख) वयस्क शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना

योजना को पुनरीक्षित कर लिया गया है और पुनरीक्षित योजना के अधीन, वयस्क साक्षरता के क्षेत्र में सार्थक परियोजनाओं को हाथ में लेने वाले स्वैच्छिक संगठनों को अगले वित्तीय वर्ष से अनुदान दिए जाएगें। देश की जनजातियों में व्यापक साक्षरता कार्य के लिए इस योजना को कार्यान्वित किया जायगा। इस योजना के अधीन हरिजन वस्तियों में साक्षरता परियोजनाएं भी परिकल्पित हैं।

(ग) राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा बोर्ड

केन्द्रीय सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले वयस्क शिक्षा तथा साक्षरता के विभिन्न कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने, उनका मार्ग दर्शन तथा मूल्यांकन करने के लिये, इस मंत्रालय द्वारा बोर्ड का गठन किया गया है।

(घ) साक्षरता प्रसार के लिए प्रायोगिक परियोजना

ग्राम शिक्षण मोहम को पद्धति के आधार पर, साक्षरता के लिए भी प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू करने का विचार है। ये परियोजनाएं जन जाति तथा पिछड़े क्षेत्रों सहित कुछ चुने हुए क्षेत्रों में कार्यान्वित की जाएंगी। परियोजनाओं के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

Security Arrangements During Prime Minister's Tour of Uttar Pradesh

986. **Shri Chandrika Prasad :**
Shri Janeshwar Mishra :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the States toured by the Prime Minister, particularly Uttar Pradesh, refused to make security arrangements, during her tour of the State and if so, the reasons therefor ; and

(b) the reasons for which the ex-Chief Minister and any of his representatives were not present to welcome the Prime Minister at the time of her tour of the Eastern Uttar Pradesh ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir.

(b) The visit was not official.

Development of Karwar Port in Mysore

987. **Shri Chandrika Prasad** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Karwar Port in Mysore is a natural port ;

(b) if so, the reasons why the Mangalore Port which is not a natural port is being developed ;

(c) whether Government have any scheme to convert the Karwar Port into full-fledged port ; and

(d) if so, the nature thereof ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) Yes.

(b) A high level Committee known as the Intermediate Ports Development Committee appointed by the Government of India for selection of suitable intermediate ports for intensive development, after a detailed study of tbe economic, engineering, navigational and traffic aspects recommended the development of Mangalore as an all weather port.

(c) and (d). There is no proposal under consideration of the Government of India to develop Karwar as a Major port.

Broach Port

988. **Shri Chandrika Prasad** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Broach Port located on the bank of Narmada river is a famous Port ;

(b) the reasons for which it is being neglected at present ; and

(c) the proposal under consideration of Government to make full use of the said Port ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) The executive responsibility for the development of minor ports vests in the State Governments concerned. Broach is minor Port. It is now only a fair weather port open to coasting trade having a traffic of about 15,000 tonnes per annum.

(b) The State Government has reported that in order to meet the present requirements and demands of future, an expenditure of Rs. 12 60 lakhs has been incurred on the following works during the Third Five Year Plan :—

Construction of Wharf Wall, Platform with retaining wall, Bunder Road, Water supply arrangement, Electric flood lighting, One 150 BHP tug for towing sailing vessels and staff quarters.

(c) No further development works are considered necessary by the State Government as the present facilities existing at the port are considered sufficient for the present and future needs of the port.

Setting up of Centres for Teaching Regional Languages to Teachers

989. **Shri Chandrika Prasad :** **Shri Rabi Ray :**
Shri N. K. Sanghi : **Shri Shiv Kumar Shastri :**

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether Government propose to open centres to teach Regional languages to teachers ;

(b) if so, the number of such centres and location thereof ; and

(c) the time by which these centres would be opened ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). It has been decided to open 4 Regional Language Centres at Bhubaneswar, Maysore, Pooja and Patiala, under a phased programme. The Bhubaneswar Centre and the Mysore Centre will be established shortly. The other Centres are proposed to be set up at a later date.

Selection of Aerodrome Operators

990. **Shri Chandrika Prasad** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the number of applications received in connection with the interview for the post of Aerodrome Operators held in December last, the number of applicants called for interview and the number out of them of those who are selected.

(b) the number of candidates called for interview from Uitar Pradesh particularly from districts of Eastern Uttar Pradesh and the number out of them of those who were selected ;

(c) whether it is a fact that those candidates were considered unfit because they belonged to backward areas and received education through Hindi medium ; and

(d) if so, the reaction Government thereto ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b). A statement giving the requisite information is attached.

(c) No, Sir. All the candidates, irrespective of the area to which they belonged, were first required to appear in a simple written test in English (as air traffic procedures are in English) and obtain the minimum pass marks after which they were required to be interviewed by the Selection Board. A candidate obtaining 60% marks is considered as qualified.

(d) Does not arise.

STATEMENT

(a) Number of applications received in connection with the interview for the post of Aerodrome Operator, Grade I held in December last ;		1750
Number of appiicants called for interview ;	...	1698
Number selected	...	48
(b) Number of candidates called for interview from Uttar Pradesh (all Employment Exchanges) ;		1285
Number selected.	...	14
Number of candidates called for interview from districts of Eastern Utttar Pradesh ;	...	887
Number selected.	...	8

वर्ष 1970 को शिक्षा वर्ष के रूप में मनाया जाना

991. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**

श्री रा० कृ० बिड़ला :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि "यूनोस्को" ने वर्ष 1970 को शिक्षा वर्ष घोषित किया है ;

(ख) इस संगठन का एक सदस्य देश होने के नाते भारत में इस वर्ष को शिक्षा वर्ष के रूप में मनाये जाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) शिक्षा के लिये अधिक संसाधन उपलब्ध कराने तथा शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिये बनाये गये कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री ((डा० वी० के० आर० वी० राव०) (क) जी हां ।

(ख) और (ग). प्रस्तावित कार्यक्रम का विवरण संलग्न है ।

शैक्षणिक विकास के लिए सरकार की अतिरिक्त धन देने की कोशिशें समस्त साधनों के अवरोध के कारण रुकी पड़ी है । ऐसी संभावना है कि चौथी पंच वर्षीय आयोजना में शिक्षा को लगभग 840 करोड़ रुपये मिलेंगे ।

विवरण

संयुक्त राष्ट्र ने 1970 के वर्ष को अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा वर्ष का नाम दिया है तथा इसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने के लिये मार्गदर्शन का दायित्व यूनेस्को पर छोड़ा है । इसके लिये यूनोस्को ने सब सदस्य राष्ट्रों से अपनी निजी शिक्षा की स्थिति पर प्रकाश डालने के लिये आमंत्रित किया है और निवेदन किया है कि पिछली उपलब्धियों का मूल्यांकन करें, वर्तमान समस्याओं का निर्धारण करें तथा अपनी शिक्षा प्रणाली के फैलाव तथा सुधार को प्रबल करने के राज्य व्यापी प्रयत्न करें । यूनेस्को के सहयोग के लिये भारतीय राष्ट्रीय आयोग ने तद्नुसार

अंतराष्ट्रीय शिक्षा वर्ष मनाने के लिये भाग लेने का निर्णय दिया है। इस प्रायोजन के लिये तैयार किये गये कार्यक्रम में निम्नलिखित बातें शामिल हैं :

1. शिक्षा की स्थिति के पुनरीक्षण तथा स्थानीय, जिला, या राज्य स्तर पर काम करने के कार्यक्रम आयोजित करने के लिये तथा 1970 से 1979 तक के लिये शैक्षणिक अवलोकन पर दिल्ली में राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन करना।
2. पूर्व स्कूल शिक्षा का विकास और श्रीमती मांटसेरी की जन्म शताब्दी मनाना।
3. प्राथमिक शिक्षा के विस्तार और सुधार के लिये, विशेष रूप से शिक्षा में गांधी जी के सिद्धान्तों की पूर्ति के लिये, कार्यक्रम।
4. माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिकरण के लिये कार्यक्रम।
5. कोटि सुधार के कार्यक्रमों पर बल, और विशेष रूप से आयोजना तथा शैक्षिक विकास के कर्यक्रमों के कार्यान्वियन में व्यापक रूप से अध्यापकों को शामिल करना।
6. विद्यार्थियों के लिये अच्छी सुविधाओं की व्यवस्था करना और विद्यार्थियों के भाग लेने को प्रोत्साहित करना।
7. भाषाओं के शिक्षण में सुधार और पुस्तक विकास कार्यक्रम।
8. साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम।
9. तकनीकी शिक्षा के कार्यक्रमों में सुधार और पालिटैक्निकों में शिक्षाओं को उद्योग में क्रियात्मक अनुभव के साथ सम्बद्ध करना ; और
10. राष्ट्रीय एकता और अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना का प्रसार।

"यूनेस्को" द्वारा भारतीय उपन्यासों को सम्मान

992. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कुछ भारतीय उपन्यासों को विशेष सम्मान दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे उपन्यासों का ब्यौरा क्या है तथा "यूनेस्को" एवं अन्य अन्तराष्ट्रीय संगठन द्वारा दिये गये विशेष सम्मान का ब्यौरा क्या है?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) (क) जी, हां।

(ख) यूनेस्को साहित्य अनुवाद-कार्यक्रम के अन्तर्गत, निम्नलिखित भारतीय उपन्यासों का अंग्रेजी तथा फ्रेंच में अनुवाद किया गया है :—

(1) बैनर्जी, विभूतिभूषण । पाथेर पंचाली (बंगाली) टी० डब्लू कर्लाक तथा टी० मुखर्जी द्वारा अंग्रेजी में अनूदित, एलेन एण्ड अन्विन, लन्दन ने प्रकाशित किया।

(2) एफ० भट्टाचार्य द्वारा फ्रेंच में अनूदित, मदूर, सतीनाथ । विजिल, (जागरी) (बंगाली) 1965 में एक्नरे द्वारा अंग्रेजी में अनूदित, प्रकाशित बम्बई और लन्दन एशिया पब्लिशिंग हाउस न्यूयार्क, टपलिंगर ।

(3) चटर्जी वी० सी० कृस्य कान्त विल (बंगाली) जे० सी० घोष द्वारा अंग्रेजी में अनूदित, प्रकाशित-न्यूयार्क, न्यूडाइरेक्शन, 1962 (पेपर बैक) ।

(4) पिल्लई, ठकाजी । चेम्मीन (मलयालय) । 1962 में एन मेनन द्वारा अंग्रेजी में अनुदित, प्रकाशित-लन्दन, गोलांज, न्यूयार्क, हार्पर एण्ड ब्रोदर्स । एन० बलबीर द्वारा 'उन आमोर इंदियेन' शीर्षक के अन्तर्गत फ्रेंच में अनूदित, प्रकाशित पेरिस, मेखयूरे डी फ्रांस, 1965 डच, सेरवो, क्रोशियन और स्पैनिश संस्करण भी अंग्रेजी अनुवाद से ।

(5) प्रेमचन्द । द गिफ्ट आफ ए काव (गोदान) (हिन्दी) एस० एच० बात्सयान और जी० रोडरमेल द्वारा अंग्रेजी में अनूदित, प्रकाशित लन्दन, स्क्रेल एण्ड अन विन० यू० एस० ए० (संयुक्त राज्य अमरीका) इंडियन यूनिवर्सिटी प्रेस। पी० मीले द्वारा फ्रेंच में अनूदित ।

(6) स्वा मिर्जा मोहम्मद हादी । कोर्टिसन आफ लखनऊ (उमराव जान अदा) (उर्दू) कुशवन्त सिंह द्वारा अंग्रेजी में अनूदित, 1961 में आरिएन्ट लोंगमैन्स, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित ।

(7) टैगोर, रविन्द्रनाथ । गोरा (बंगाली) एम० लोज एट पी० फैलोन द्वारा फ्रेंच में अनूदित, 1949 में एडिशन्स रोबर्ट लफोट, पैरिस द्वारा प्रकाशित ।

दो भारतीय प्रमुख उपन्यासों के अर्थात् पत्थेर पांचली और गोदान के विशेष संस्करण तैयार किये जा रहे हैं । हाल ही में ग्रेट ब्रिटेन की फोलिओं सोसायटी ने पत्थेर पांचली के बहुत ही सुन्दर विशेष सजिल्द, अंग्रेजी संस्करण के तैयार करने के लिये अधिकार प्राप्त कर लिये हैं । यह उन 130 जिल्दों में से पहली जिल्द होगी जो विशेष पुस्तक क्लब संस्करण रूप में प्रस्तुत करने के लिये यूनेस्को संकलन में अंग्रेजी में प्रकाशित की गई है ।

राष्ट्रीय अन्ध-पुस्तकालय, लन्दन ने दी गिफ्ट आफ ए काव (गोदान) का ब्रेल-संस्करण तैयार करने के लिए अनुमति मांगी है । यह उन 200 से अधिक ग्रन्थों में से पहला ग्रन्थ होगा, जिसे यूनेस्को साहित्य अनुवाद कार्यक्रम के भाग के रूप में अब तक प्रकाशित किया गया है ।

वैज्ञानिक विभागों के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन

993. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा वैज्ञानिक विभागों के सम्बन्ध में नियुक्त अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य रूपरेखा क्या है?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) सिफारिशें अध्ययन दल के प्रतिवेदन में दी गई हैं जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में रख दी गई हैं ।

गृह-कल्याण केन्द्र

994. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के संरक्षण में कार्य कर रही "गृह-कल्याण केन्द्र" नामक एक संस्था में निराश्रित महिलाओं को नियुक्त किया जाता है;

(ख) ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ग) उनके वेतन–चिट्ठे में कर्मचारियों की श्रेणियां कौन-कौन सी हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि उनकी सामाजिक स्थिति का इतना अधिक शोषण किया जाता है कि उन्हें भारत सरकार के चपरासियों से भी कम वेतन दिया जाता है; और

(ङ) क्या इन निराश्रित महिलाओं को कई वर्ष तक सेवा करने पर भी 100 रुपये प्रति महीने से कम एक निर्धारित दर पर वेतन दिया जाता है जबकि उनके कार्य करने के घंटे सरकारी विभागों के समान हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) गृह कल्याण केन्द्र पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत एक ऐसी समिति है जो गृह मंत्रालय के सामान्य नियंत्रण में काम कर रही है। इस प्रकार यह निराश्रित महिलाओं को नियुक्त नहीं करती है। केन्द्रीय कर्मचारियों के महिला-सम्बन्धियों और आश्रितों को, उनकी पारिवारिक आय बढ़ाने अथवा व्यवसाय में उनको अनुभव प्राप्त कराने के लिये, गृह कल्याण केन्द्र में नियुक्त किया जाता है। जो अधिक वृद्ध और निर्बल है अथवा सिलाई मशीन पर काम करने की उनमें कुशलता अथवा अभिरुचि नहीं है, उनको हल्के सहायक काम दिये जाते हैं और उनके द्वारा किये गये काम का हिसाब लगाकर मासिक आधार पर उनको भुगतान दिया जाता है।

(ख) गृह कल्याण केन्द्र में कार्यरत महिला कर्मचारियों की संख्या 60 है।

(ग) गृह कल्याण केन्द्र में कार्यरत कर्मचारियों के विभिन्न वर्ग निम्नलिखित हैं :

1. शिक्षक (शिल्प)
2. शिक्षक (नर्सरी)
3. शिक्षक (संगति)
4. कार्यालय कर्मचारी वर्ग
5. दर्जी
6. कढ़ाई करने वाले
7. पृथक्कार (सार्टर)
8. बटन लगाने वाले और बटन के काज करने वाले
9. आयाएं
10. बाल गृह परिचारक

11. कटरमैन

12. चौकीदार

13. बालश्रमिक

14. चालक तथा मिस्त्री

(घ) गृह कल्याण केन्द्र के कर्मचारियों को या तो काम के घंटों से सम्बद्ध मानदेय (वेतन नहीं) या उत्पादन के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

Grants to Students and Teachers for Conducting Tours

995. **Shri Nageshwar Dwivedi** : Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) whether any grant is given for the tours undertaken by students and teachers and if so, the details of the scheme ; and

(b) the manner in which the tours of teachers and students are conducted within the country and abroad ?

The minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) and (b), A statement is attached. .

STATEMENT

I. The University Grants Commission operates a scheme of visiting studentship under which grants are given for tours by students and teachers within the country with the objective of providing them opportunities to visit places of outstanding interest in the field of national development, culture, history, education, etc. The students should visit places/ universities in another State and not more than two places which are not far away from each other, are to be covered so that the visiting students would come in close contact with the students and teacher communities of the host university and also gain intimate knowledge about the academic, cultural or industrial deuelopments around the places visited. A teacher accompanies each student party. The programme which is of about 2 weeks duration, is organised more with a cultural object than with an academic aim. It includes visits to neighbouring rural and industrial areas to enable the visiting students to know about their way of life, their aspirations and culture. Seminars and group discussions are also held between visiting students and their hosts. The host university is involved in the organisation of the programmes for the visiting group. The selection of the students under this scheme is left to the discretion of the sponsoring and the host universities.

The Univesity Grants Commission's assistance is limited to a ceiling of Rs. 5,000/- per annum for each team.

II. The University Grants Commission also gives grants to teachers for attending international conferences abroad and for visiting centres of research or to attend academic conferences/seminars in India.

In the case of grants for international travel, the Commission's grant is limited to 50% of the expenses on 1st class rail travel in India and economy class air travel abroad, provided the other 50% is met by the University from its own sources. No grant is given for maintenance abroad or for incidental expenses.

For travel within India, T. A. and D. A., according to University rules, is contributed by the U. G. C.

III. The University Grants Commission also operates a scheme of Exchange of Teachers for which they grant 100% assistance.

स्टेट बैंक आफ इंडिया की कलकत्ता शाखा में डकैती

996. **श्री पी० विश्वम्भरन**: क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेट बैंक आफ इंडिया की कलकत्ता शाखा में कुछ समय पूर्व हुई डकैती के मामले में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं ; और

(ख) क्या इस डकैती के पीछे कोई राजनैतिक उद्देश्य था ?

गृह-मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि 12-12-1969 को स्टेट बैंक आफ इन्डिया की पार्क स्ट्रीट शाखा में हुई डकैती के सिलसिले में निम्नलिखित व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है :

(1) कल्याण बोस उर्फ गोरा उर्फ मनाश ।

(2) बिमल कुमार रात चौधरी उर्फ बच्छू उर्फ बादल ।

(3) मदन मोहन पाल ।

(4) राजाराम चौधरी उर्फ घर उर्फ घुरज्योति ।

(5) अनन्ता सिंह उर्फ अविनाश उर्फ ओल्ड गार्ड ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या 6 को राष्ट्रीय राजपथ संख्या 26 और 7 से मिलाने वाली सड़क को राष्ट्रीय राजपथ घोषित करना

997. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार राष्ट्रीय राजपथ संख्या 6 को राष्ट्रीय राजपथ, राजपथ संख्या 26 और 7 मिलाने वाली और मध्य प्रदेश के खंडवा, होशंगाबाद और नरसिंह पुर जिलों में से होकर जाने वाली सड़क को राष्ट्रीय राजपथ घोषित करने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसद्कार्य, नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) : राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति के विस्तार का प्रश्न विचराधीन है और इस सड़क का दावा दूसरे सड़कों के साथ साथ धन की उपलब्धता और राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में शामिल करने के लिये सड़कों के चुनाव के लिये कसौटी के संदर्भ में विचार किया जायेगा ।

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथ

998. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के कुछ राजपथों को राष्ट्रीय राजपथ घोषित किये जाने के कुछ प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त हुये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कब और उन पर क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि कोई निर्णय नहीं किया गया, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसद्-कार्य, नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). ये प्रस्ताव अगस्त 1966 से प्राप्त हुए थे और चौथी योजना आवंटनों को अन्तिम रूप दिये जाने तक, जो अभी पूरा किया गया है, इन प्रस्तावों तथा अन्य राज्यों से प्राप्त ऐसे ही प्रस्तावों की संबंधित सरकारों से प्राप्त आंकड़ों के प्रकाश में जाँच की जा रही थी। वास्तव में राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति का विस्तार करने का प्रश्न विचाराधीन है और मध्यप्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर अन्य सड़कों के सहित धन की उपलब्धता तथा राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में शामिल करने के वरण की शर्तों के संदर्भ में विचार किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या 12 का निर्माण

999. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजपथ संख्या 12 के निर्माण पर वर्ष 1969 में कितनी राशि व्यय की गई ;

(ख) क्या इसके निर्माण कार्य में कोई प्रगति हुई है ;

(ग) यदि प्रगति धीमी है, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस राजपथ का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

संसद् कार्य, नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (घ) इस राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास पर 1969-70 में 10.51 लाख रुपये व्यय किये जाने की संभावना है। बिआओरा और दिओरी के बीच और बिलखेरा और जबलपुर के बीच के निम्नतर मानक के भागों को सुधारने में कुछ प्रगति हुई है। दिओरी और बेलखेरा के बीच, जो राष्ट्रीय राजमार्ग की लुप्त कड़ी है, 56 मील और 5 फरलांग में से लगभग 43 मील में निचली सतह तक भराई का काम पूरा हो गया है और भूमि अधिग्रहण कर लिया गया है। धन की सीमित उपलब्धि को दृष्टि में रखते हुए प्रगति धीमी नहीं रही है।

Officers Working in Ministry of Education

1000. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4629 on the 19th December, 1969 regarding officers and staff working in Administrative and language Divisions of Education Ministry and state :

(a) the dates since when each of the Under Secretaries, Section Officers, Assistants and Upper Division Clerks mentioned therein were working in the Administrative and Language Divisions of his Ministry ;

(b) the number out of those among them who were transferred elsewhere during the last three years in the interest of efficient administration and under orders issued by the Ministry of Home Affairs in this regard ;

(c) whether there are any such employees in these two Divisions who are not on the strength of his Ministry but are working there on deputation from other offices ; and

(d) whether the reason for keeping such employees in his Ministry is the inability of senior officers of the Ministry to handle literary and technical work ?

The Ministry of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) A statement is attached. [*Placed in Library. See* No. LT—2646/70].

(b) Under Secretary—1
Assistants —5
U. D. Cs —2

(c) No.

(d) Does not arise.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION ON A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

विदेशी एयरलाइनों द्वारा कथित प्रतिशोधात्मक कार्यवाही

श्री रा० बरुआ (जोरहाट) : मैं पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि वह इस बारे में वक्तव्य दें :

"एयर इंडिया द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों को 100 डालर ले जाने की अनुमति प्रदान करने के भारत सरकार के निर्णय के विरुद्ध कुछ विदेशी एयरलाइनों द्वारा आयोजित कथित प्रतिशोधात्मक कार्यवाही"।

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : विदेश यात्रा विनियमों में छूट देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन रहा है, तथा इस विषय में किये गये निर्णयों की वित्त मंत्रालय द्वारा 18 फरवरी, 1970 को घोषणा की गयी। उन निर्णयों में से एक यह है कि उन व्यक्तियों को जो गत तीन वर्षों से विदेश नहीं गये हैं एक विदेश यात्रा के संबंध में 'पी फार्म' नियंत्रण से मुक्ति दे दी जायेगी। तीन वर्षों की अवधि प्रस्तावित यात्रा के प्रारम्भ होने की तिथि से पीछे की ओर तीन वर्ष के लिये गिनी जायेगी। इस स्कीम के अन्तर्गत विदेश जाने वाले उन व्यक्तियों को जो एयर इंडिया से यात्रा करेंगे रिजर्व बैंक समस्त यात्रा के लिये 100 डालर के मूल्य की विदेशी मुद्रा देगा। यह सुविधा उन यात्रा सुविधाओं के अतिरिक्त होगी जो 'पी फार्म' विनियमों के अन्तर्गत, तथा अन्य ऐसी अनुमोदित यात्राओं के, जैसे व्यवसाय विषयक विदेश यात्रा, शिक्षा, चिकित्सिक उपचार, हज यात्रा इत्यादि के अन्तर्गत, पहले से उपलब्ध हैं।

2. इन श्रेणियों के अन्तर्गत यातायात के समस्त क्षेत्र में भारत में परिचालन कर रही

सब विमान कम्पनियों के बीच प्रतियोगिता के अवसर बने रहेंगे। नई स्कीम के अन्तर्गत यातायात के मामले में भी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि लोग एयर इंडिया से ही यात्रा करें, परन्तु जो एयर इंडियन से यात्रा करेंगे उन्हें इस बात को स्वीकार करते हुए कि उनकी यात्रा में विदेशी मुद्रा का व्यय न्यूनतम होगा 100 डालर के मूल्य की विदेशी मुद्रा प्रदान की जायेगी।

3. मैंने समाचार पत्रों में इस आशय के समाचार देखे हैं कि कुछ विदेशी विमान कम्पनियां हाल में दी गयी छूट से अप्रसन्न हैं। परन्तु सरकार को किसी भी विदेशी कम्पनी से इस विषय में कोई पत्राचार नहीं हुआ है। मुझे विश्वास है कि यदि स्थिति को उचित रूप से समझा जाय तो जो छूट सरकार ने अब दी है उसका विदेशों में उसी प्रकार व्यापक रूप से अभिनन्दन किया जायेगा जैसे अपने देश में, क्योंकि इससे संभावित यात्रियों की एक नयी श्रेणी की सृष्टि होगी तथा इससे सब विमान कम्पनियों को उपलब्ध अवसरों में कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

श्री रा० बरुआ : विदेश यात्रा के लिये 100 डालर बहुत कम राशि है। क्या आई० ए० टी० ए० के सदस्य तथा अन्य विदेशी एयर लाइन ने इस बात पर सरकार के ध्यान आकर्षित किया था कि इससे प्रतियोगिता पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। क्या यह निर्णय पर्यटन मन्त्रालय के साथ परामर्श करके किया गया था ?

डा० कर्ण सिंह : इस सम्बन्ध में पर्यटन मंत्रालय से जरूर परामर्श किया गया था। हम काफी दिनों से इस बात पर जोर दे रहे थे कि विदेश यात्रा के सम्बन्ध में ढिलाई बरती जानी चाहिए। हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। विमान भाड़े तय करने के लिये आई० ए० टी० ए० जिम्मेदार है। इस रियायत का विमान भाड़े से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिये, मैं समझता हूँ, यह आई० ए० टी० ए० के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। इससे और अधिक लोगों को विदेश यात्रा करने का बढ़ावा मिलेगा और पर्यटन का भी विकास होगा।

श्री न० कु० सांघी (जोधपुर) : हमें हर्ष है कि सरकार ने एपर इंडिया से यात्रा करने वाले लोगों को इस अतिरिक्त 100 डालर ले जाने की अनुमति प्रदान की है।

जैसा कि मुझे मालूम हुआ है, अभी तक एयर लाइनों को इस योजना का ब्यौरा प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए वे इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। ऐसी स्थिति में आई० ए० टी० ए० के नियमों के खिलाफ कुछ करना किसी एयर लाइन के लिये अनुचित है। वास्तव में भारत सरकार ने जो किया है, वह पूर्णतः उचित है। लेकिन चूंकि वह एयर इंडिया की एक बड़ी साझेदार है, और एयर इंडिया से यात्रा करने वाले लोगों को 100 डालर विदेशी मुद्रा की छूट देना भेदभाव है। इस बारे में मन्त्री जी को क्या कहना है।

जहाँ तक पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रश्न है, मेरा सुझाव है कि सरकार एयर इंडिया से यात्रा करने वाले विदेशी लोगों को भारत में यात्रा के बीच निशुल्क ठहरने की सुविधा दे जिससे विदेशों को एयर इंडिया से भ्रमण करने का प्रोत्साहन मिलेगा।

डा० कर्ण सिंह : यह योजना उन भारतियों के लिये है जो विदेश जाना चाहते हैं, यह छूट नहीं है, बल्कि विदेशी मुद्रा है जिसके लिये उन्हें उसके मूल्य की मुद्रा का रुपयों में भुगतान

करना पड़ेगा । यह मुद्रा उन्हें मुफ्त नहीं दी जा रही है । यह एक विशेष रियायत है ताकि वे बाहर जा सकें ।

जहां तक मध्य विश्राम का सम्बन्ध है, वह सुविधा बिना किसी अतिरिक्त व्यय के, पहले से ही उपलब्ध है । यह एयर इंडिया तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एयर लाइनों में उपलब्ध है । मार्ग में निशुल्क ठहरने की व्यवस्था से माननीय सदस्य का क्या तात्पर्य है, यह मैं नहीं समझ सका हूँ । यदि इसका अर्थ यह है कि हम ही उसका सब होटल खर्चा उठायें, तो ऐसा तो तभी हो सकता है जब विमान की उड़ान स्थगित की गई हो । अन्यथा हम उनके मध्य विश्राम का स्वागत करते हैं, वे एक दिन नहीं, एक सप्ताह या महीने यहां ठहरें ।

श्री करणी सिंह (बीकानेर) : क्या यह सच है कि अन्य एयर लाइनें भारतीय यात्रियों को भाड़े का एक अंश गुप्त तौर से लौटाकर उन्हें प्रोत्साहन दे रहे हैं और क्या इस कारण भी एयर इन्डिया ने यह प्रोत्साहन दिया है ? क्या यह विदेशी मुद्रा एयर इंडिया की रक्षित निधि से खर्च की जायेगी या भारत सरकार के ? क्या मंत्री जी का विचार भारत से बाहर जाने वाले खेल-कूद दलों को कोई और अधिक प्रोत्साहन देने का है ?

डा० कर्ण सिंह : कुछ एयर लाइनें ऐसी अनुचित प्रथाओं का सहारा ले रही हैं जो आई० ए० टी० ए० विनियमों का स्पष्ट उल्लंघन है । जब कभी हमें ऐसी रिपोर्ट मिलती है, हम आई० ए० टी० ए० अधिकारियों का ध्यान उस ओर दिलाते हैं । इस का मुकाबला करने के लिये हमने एक अन्य योजना यात्रा संबर्द्धन योजना चालू की है जिसे "बोनस स्कीम फ्रोम यू० के० टू इण्डिया" भी कहा जाता है जिसके अन्तर्गत वहां से भारत आने वाले भारतीय राष्ट्रजनों को 37 प्रतिशत की छूट दी जा सकती है । इससे ये अनुचित प्रथाएं काफी हद तक खत्म हो जायेंगी ।

जहां तक विदेशी मुद्रा के खर्च का सम्बन्ध है, वह पूर्णतः भारत की सामान्य रक्षित निधि से खर्च की जायेगी ।

जहाँ तक खिलाड़ियों के लिये विशेष प्रोत्साहन का प्रश्न है । उन यात्रियों की जिन्होंने सक्षम खेल-कूद निकाय के निर्णय के अनुसार कोई खास निम्नतम मानदण्ड प्राप्त कर लिया है, विशेष विदेश यात्राओं के संबंध में हमारे पास योजना है जिसे उदार भी बनाया जायेगा ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं नहीं जानता कि क्या आई० ए० टी० ए० की कोई ऐसी परम्परा है जिसके अनुसार विश्व में विभिन्न देशों के सभी नागरिक एक समान धन राशि अपने साथ ले सकते हैं । यदि नहीं, तो क्या विभिन्न देशों की विमान सेवाएं अपने अपने नागरिकों को कुछ अतिरिक्त सुविधाएं देती हैं और भारत ने उसे चुनौती नहीं दी । इसलिये यदि भारत सरकार अपने राष्ट्रजनों को कुछ अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करती है, तो यह प्रश्न क्यों उठाया जाना चाहिए ?

वे कौन से से देश हैं जो किराये का एक अंश यात्रियों को गुप्त रूप से लौटाते हैं ? क्या सरकार ने इन सभी बातों के अन्तिम परिणामों पर विचार किया है और वह हमारी एयर

लाइनों का विस्तार करने तथा भारतीय नागरिकों को खुद हमारे ही विमानों से यात्रा करने की सुविधाएं प्रदान करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

डा० कर्ण सिंह : इसमें बदले की भावना का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। किसी भी विमान सेवा ने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया है। अतः मैं माननीय सदस्य से इस बात पर पूर्णतः सहमत हूं कि ऐसी कार्यवाही करने का कोई औचित्य नहीं है। हमने जो छूट दी है उसके अनुसार अधिक भारतीय विदेश यात्रा कर सकेंगे और इससे सभी विमान सेवाओं को लाभ होगा। अतः विदेशी विमान-सेवाएं भी इसका स्वागत करेंगी। आई० ए० टी० ए० का इस बात से कोई भी सम्बन्ध नहीं है क्योंकि उसका अधिकार क्षेत्र केवल विमान-किराये तक सीमित होता है। मेरे लिए यह बताना कठिन है कि कौन सी विमान सेवाएं वस्तुओं का चोरी छिपे व्यापार करती हैं, क्योंकि ऐसा व्यापार प्रकट रूप से तो किया नहीं जाता और कोई भी कम्पनी यह मानने को तैयार नहीं होती कि उसके द्वारा गुप्त रूप से कोई व्यापार किया जाता है।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय प्राद्योगिकी संस्था मद्रास के प्रमाणित लेखे तथा उसका वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : मैं निम्नलिखित सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) प्रोद्योगिकी संस्थाएं अधिनियम, 1961, की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थाएं, मद्रास, के वर्ष 1968-69 के प्रमाणित लेखे की एक प्रति उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) भारतीय प्रोद्योगिकी संस्था, बम्बई, के वर्ष 1968-69 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2625/70]**

विमान (पांचवा संशोधन) नियम, 1969

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : मैं विमान अधिनियम, 1934, की धारा 4—क के अन्तर्गत, विमान (पाँचवाँ संशोधन) नियम, 1969, के हिन्दी संस्करण, जो दिनांक 11 अक्तूबर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2379 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पणी, सभा-पटल पर रखता हूँ। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2626/70]**

आश्वासनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही

संसदीय कार्य, नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघु रामैया) : मैं निम्नलिखित विवरण सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) जिनमें चौथी लोक-सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान जो प्रत्येक के सामने दिखाये

गये हैं मन्त्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञानों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शायी गई है :

(एक)	विवरण संख्या 1	नवां सत्र, 1969
(दो)	अनुपूरक विवरण संख्या 3 और 4	आठवां सत्र, 1969
(तीन)	अनुपूरक विवरण संख्या 13 और 14	सातवां सत्र, 1969
(चार)	अनुपूरक विवरण संख्या 9	छठा सत्र, 1968
(पाँच)	अनुपूरक विवरण संख्या 16	पांचवां सत्र, 1968
(छः)	अनुपूरक विवरण संख्या 22	चौथा सत्र, 1969
(सात)	अनुपूरक विवरण संख्या 17	तीसरा सत्र, 1967
(आठ)	अनुपूरक विवरण संख्या 4	दूसरा सत्र, 1967

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०–2627/70]

(2) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) कप्तानों और मुख्य मालिम अकसरों की परीक्षा (संशोधन) नियम, 1969, जो दिनांक 29 नवम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2680 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) वाणिज्य पोत परिवहन (वाणिज्य पोत नौसेना में इंजीनियरों की परीक्षा) संशोधन नियम, 1969, जो दिनांक 9 दिसम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2703 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०–2628/70]

अखिल भारतीय सेवाए अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं

(1) अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951, की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ :

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में संख्या का निर्धारण) 20वां संशोधन विनियम, 1969, जो दिनांक 6 दिसम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2714 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में संख्या का निर्धारण) दसवां संशोधन विनियम, 1969, जो दिनांक 6 दिसम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2715 में प्रकाशित हुये थे।

(तीन) जी० एस० आर० 2716, जो दिनाँक 6 दिसम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसमें 23 नवम्बर, 1968 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2027 का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

(चार) जी०एस०आर० 2717, जो दिनांक 6 दिसम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसमें 23 नवम्बर, 1968 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2026 का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

(पाँच) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में संख्या का निर्धारण) 15वां संशोधन विनियम, 1969, जो दिनाँक 6 दिसम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2718 में प्रकाशित हुए थे।

(छः) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 में 1969 का 17वां संशोधन, जो दिनांक 6 दिसम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2719 में प्रकाशित हुआ था।

(सात) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में संख्या का निर्धारण) 16वां संशोधन विनियम, 1969, जो दिनांक 6 दिसम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2720 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-2430/69]

(2) (क) मैं अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951, की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(एक) भारतीय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा (आरम्भिक भर्ती) संशोधन विनियम, 1969 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 6 दिसम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2710 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 में 1969 का 21वां संशोधन जो दिनाँक 13 दिसम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2736 में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 में 1969 का 11वां संशोधन, जो दिनांक 13 दिसम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2737 में प्रकाशित हुआ था।

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में संख्या का निर्धारण) ग्यारहवां संशोधन विनियम, 1969, जो दिनांक 13 दिसम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2738 में प्रकाशित हुए थे।

(पाँच) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 में 1969 का 20वां संशोधन, जो दिनांक 13 दिसम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2739 में प्रकाशित हुए थे।

(छः) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में संख्या का निर्धारण) 19वां संशोधन

विनियम, 1969, जो दिनाक 13 दिसम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2740 में प्रकाशित हुए थे ।

(सात) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 में 1969 का 18वां संशोधन, जो दिनांक 13 दिसम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 2741 में प्रकाशित हुआ था ।

(आठ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) पाँचवां संशोधन विनियम, 1969 (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 20 दिसम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 2755 में प्रकाशित हुए थे ।

(नौ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 में 1969 का 19वां संशोधन, जो दिनांक 20 दिसम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर 2756 में प्रकाशित हुआ था ।

(दस) भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) चौथा संशोधन विनियम, 1969 (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) , जो दिनांक 20 दिसम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 2757 में प्रकाशित हुए थे ।

(ग्यारह) जी०एस०आर० 2758, जो दिनांक 20 दिसम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 29 नवम्बर, 1969 की अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 2670 का शुद्धि पत्र दिया हुआ है।

(बारह) भारतीय वन सेवा (परिवीक्षा) चौथा संशोधन नियम, 1969, जो दिनांक 27 दिसम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०-आर० 2794 में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) ग्यारहवां संशोधन नियम, 1969, जो दिनांक 3 जनवरी, 1970 के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1 में प्रकाशित हुए थे ।

(चौदह) अखिल भारतीय सेवायें (चिकित्सा-परिचर्या) संशोधन नियम, 1969 (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 17 जनवरी 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 78 में प्रकाशित हुए थे ।

(पन्द्रह) भारतीय वन सेवा (संवर्ग में संख्या का निर्धारण) संशोधन विनियम, 1970, जो दिनांक 17 जनवरी,1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 80 में प्रकाशित हुए थे ।

(सोलह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 में 1969 का 23वां संशोधन जो दिनांक 24 जनवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 135 में प्रकाशित हुआ था ।

(सत्रह) भारतीय प्रशानिक सेवा (वतन) नियम 1954 में 1970 का पहला संशोधन जो दिनांक 31 जनवरी 970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 163 में प्रकाशित हुआ था। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2629/60]

(ख) नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 18 की उपधारा (4) के अन्तर्गत नागरिकता (दूसरा संशोधन) नियम, 1969 (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 27 दिसम्बर, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 2795 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2630/70]

मद्रास पत्तन न्यास के वार्षिक लेखे

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : मैं मद्रास पत्तन न्यास के वर्ष 1967-68 के वार्षिक लेखे और उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2631/70]

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : Mr. Speaker, may I know the reason why the copy of Annual Accounts of the Madras Port Trust for 1967-68 has been put after 3 years. Now it is 1970.

Shri Iqbal Singh : We will try that they should not be delayed.

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

एक सौ पांचवां प्रतिवेदन

श्री निरमल राव (काकिनाडा) : मैं भूतपूर्व पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय आयल इंडिया लिमिटेड के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति के 51वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति का 105वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

अठासीवां तथा नब्बेवां प्रतिवेदन

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ :

(एक) परिहार्य व्यय के बारे में गृह कार्य मंत्रालय से सम्बन्धित लेखापरीक्षा

प्रतिवेदन (सिविल), 1968 के पैरा 1 पर लोक लेखा समिति के 41वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 88वां प्रतिवेदन ।

(दो) केन्द्रीय सरकार के वित्त लेखे, 1966-67 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल), 1968 के अध्याय एक और दो पर लोक लेखा समिति के 55वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 90वां प्रतिवेदन ।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

सत्तावनवां तथा अट्ठावनवां प्रतिवेदन

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ :

(1) भारत के उर्वरक निगम लिमिटेड के सिंदरी एकक पर [लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), 1968 के भाग 2 के पैराग्राफ] उनके 43वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 57वां प्रतिदेदन ।

(2) प्राग टूल्स लिमिटेड पर [लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), 1968 के भाग 4 के पैराग्राफ] उनके 25वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 58वां प्रतिवेदन ।

पेटेन्टों सम्बन्धी विधेयक
PATENTS BILL

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

श्री रा० बरुआ (जोरहाट) : मैं पेटेन्टों संबंधी विधि को संशोधित और समेकित करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

साक्ष्य

श्री रा० बरुआ : मैं पेटेन्टों सम्बन्धी विधि को संशोधित और समेकित करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ ।

अध्ययन टिप्पणियां

श्री रा० बरुआ : मैं पेटेन्टों सम्बन्धी विधि को संशोधित और समेकित करने वाले विधेयक

सम्बन्धी संयुक्त समिति के अध्ययन दलों द्वारा किये गये दौरों के संबंध में अध्ययन टिप्पणों की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

संसद कार्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूँ कि सभा में सोमवार, 2 मार्च, 1970 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :—

(1) राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आगे चर्चा।

(2) वर्ष 1970-71 के रेलवे बजट पर सामान्य चर्चा।

(3) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश, 1970 के निरनुमोदन सम्बन्धी सांविधिक संकल्प पर, जो श्री वेणी शंकर शर्मा तथा अन्य सदस्यों द्वारा पेश किया जायेगा, चर्चा। और

(4) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक, 1970 पर विचार तथा पास करना।

श्री मनुभाई पटेल (डमोई) : पिछले तथा उससे भी पिछले सत्र में सरकार टेकचन्द आयोग के प्रतिवेदन को सभा क विचारार्थ प्रस्तुत करने पर सहमत हो गई थी। इस सत्र में सरकार उस प्रतिवेदन को चर्चा हेतु सभा में प्रस्तुत कर सकती है क्योंकि यह सत्र काफी लम्बा है।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : पिछले दो सत्रों से हम सरकार से यह अनुरोध कर रहे हैं कि दलबदलुओं संबंधी समिति के प्रतिवेदन पर सभा में चर्चा की जानी चाहिए। मैं अनुरोध करूंगा कि इस प्रतिवेदन पर, जो कि सर्वसम्मति से दिया गया है। संसद में चर्चा की जानी चाहिए ताकि इस पर कुछ कार्यवाही की जा सके अन्यथा वह लोकतंत्र को समाप्त करने जा रहे हैं।

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : It has been stated in President's Address that Government will being legislation for the abolition of privy purses. I want to know when this legislation will be brought forward ?

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Discussion on the 'No Day Yet named Motion' could not be completed during the last three sessions. I would request the hon. Minister of Parliamentry Affairs through you to complete the incompletes discussion before the demands are taken up.

डा० कर्णी सिंह (बीकानेर) : मेरा अनुरोध है कि राजस्थान में विमानों की गड़बड़ी पर सभा में चर्चा की जाये।

श्री समर गुह (कन्टाई) : बमों, रिवाल्वरों, तलवारों और अन्य चीजों के निर्बाध प्रयोग के कारण पश्चिम बंगाल में शैक्षिक जीवन पूर्णतया अस्त-व्यस्त हो गया है। मैं चाहता हूं कि इन मामलों पर सभा में चर्चा की जावे।

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : The people of Bihar have been agitating for a long time on the question of kodi Canal. More than one thusand people have been arrested. I request that this matter may be inculded in the list of Business for the next week.

श्री धीरेश्वर कलिता (गोहाटी) : पिछले शरद् सत्र में मैंने तेल के मूल्यों संबंधी शान्तिलाल शाह समिति के प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने का अनुरोध किया था। अभी तक उस प्रतिवेदन को सभापटल पर नहीं रखा गया है। सरकार ने इस पर कोई निर्णय भी नहीं किया है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस प्रतिवेदन को सभापटल पर रखेगी, इसकी सिफारिशों को स्वीकार करेगी और सभा में इसपर चर्चा करने की अनुमति देगी ?

Shri Molahu Prasad (Bansgaon) : We have been requesting nice the last session that reports of the Personal Committee and of Commissioner for Scheduled Castes should be discussed in the House. I request you to accommodate this matter this time.

श्री रा० की० अमीन (ढंदका) : मेरा निवेदन है कि दत्त समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा की जाये। यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है।

मैंने बांसकांठा की स्थिति के बारे में अल्पावधि चर्चा के लिए सूचना दे रखी है। वहां पर लोग मर रहे हैं। वहाँ की अभाव की स्थिति पर चर्चा की जानी चाहिए।

श्री बाकर अली मिर्जा (सिकन्दराबाद) : तेलंगाना आन्दोलन हैदराबाद में पुनः आरम्भ हो गया है। इस बारे में चर्चा के लिए कुछ समय निकाला जाना चाहिए।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Time should be found out to discuss at least one of the motions of private Members list of which have already been circulated.

श्री एस० एम० कृष्ण (भंडमा) : महाराष्ट्र-मैसूर सीमा विवाद को हल करने सम्बन्धी प्रधान मन्त्री के प्रस्ताव के बारे में हमने ध्यान दिलाने वाली अनेक सूचनाएं दी हैं। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आपने उन सब को अस्वीकार कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि इस मामले पर चर्चा के लिए दो घण्टे का समय निकाला जाये।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Lot of discontentment is prevailing amongst the student community. They have their own grievances and difficulties Dr. Rao should give patience bearing to them.

Similarly teachers have also there grievances. I request that representatives of teachers and students should be called and some solution of there problems should be found out. This matter should also he discussed in the House.

Shri Tulshidas Jadhaw (Baramati) : Day before yesterday the hon. Minister for Agriculture fixed the price of suger and suget cane in an declaration. I am afraid that this may not result in the closure of Sugar factories of Maharashtra. I request that some time may be found out to discuss this matter in the House.

श्री रघु रामैया : सभा के सभी ओर के माननीय सदस्यों ने कुछ महत्वपूर्ण मामले उठाये हैं। माननीय सदस्य को कुछ मामलों की सामान्य बजट पर चर्चा के दौरान उठाने का अवसर मिलेगा। यह एक स्वाय प्रथा है कि जबतक अनुदानों की मांगों पर चर्चा समाप्त नहीं हो जाती तबतक हमें अधिक समय इन्हें पास करने पर ही लगाना चाहिए अन्यथा अधिक मन्त्रालयों की मांगों पर मुख बन्द प्रस्ताव रखना पड़ेगा।

समितियों के लिए निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव
MOTIONS FOR ELECTIONS TO COMMITTEES

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य, शिक्षा मन्त्रालय के समय-समय पर संशोधित, दिनांक 20 नवम्बर, 1945 के संकल्प संख्या एफ० 16-10/44-ई० तीन के पैराग्राफ 3 के खण्ड 1 (च) के अनसरण में, उपर्युक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए, 30 अप्रैल, 1970 से आरम्भ होने वाली आगामी कालावधि के लिए, अपने में से दो सदस्य चुनें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि इस सभा के सदस्य, शिक्षा मन्त्रालय के, समय-समय पर संशोधित, दिनांक 30 नवम्बर, 1945 के संकल्प संख्या एफ० 16-10/44-ई० तीन के पैराग्राफ 3 के खण्ड 1 (च) के अनसरण में, उपर्युक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए, 30 अप्रैल, 1970 से आरम्भ होने वाली आगामी कालावधि के लिए, अपने में से दो सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य, भूतपूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य तथा भूमि विभाग के समय-समय पर संशोधित, दिनांक 8 अगस्त, 1935 के संकल्प संख्या एफ० 122-3/35 ई० के पैराग्राफ 3 के उपपैरा 2 (डी) के अनुसरण में, उपर्युक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसी रीति से जैसे कि अध्यक्ष महोदय निदेश दें 1 अप्रैल, 1970 से केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के एक सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य चुनें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य, भूतपूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य तथा भूमि विभाग के समय-समय पर संशोधित, दिनांक 8 अगस्त, 1935 के संकल्प संख्या एफ० 122-3/35 ई० के पैराग्राफ 3 के उपपैरा 2 (डी) के अनुसरण में उपर्युक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसी रीति से जैसे कि अध्यक्ष महोदय निदेश दें, 1 अप्रैल 1970 से

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के एक सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघु रामैया) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि इस सभा के सदस्य, लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 254 के उपनियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से, लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए, श्री एस० आर० राने के स्थान पर जिनका निधन हो गया है, समिति की शेष कालावधि के लिए अपने में से एक सदस्य चुनें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य, लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 254 के उपनियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से, लाभ के पदो सम्बन्धी संयुक्त समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए, श्री एस० आर० राने के स्थान पर जिनका निधन हो गया है, समिति की शेष कालावधि के लिए अपने में से एक सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

बैंककारी कम्पनियों (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक, 197

BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS BILL

वित्त तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

कि अर्थव्यवस्था की सीमाओं को नियन्त्रित करने तथा राष्ट्रीय नीति और उद्देश्यों के अनुरूप अर्थव्यवस्था के विकास की आवश्यकताओं को प्रगतिशील रूप से पूरा करने तथा उसकी पूर्ति अधिक अच्छी करने की दृष्टि से कतिपय बैंककारी कम्पनियों के उपक्रमों के अर्जन और अन्तरण का उनके आकार, संसाधन, सीमा क्षेत्र और संगठन को ध्यान में रखते हुए तथा उससे सम्बद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं इसका विरोध करता हूँ ?

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : मैं इसका विरोध करता हूँ ?

Shri Madhu Limaye : I oppose this Bill. I oppose the payment of 87 crores of rupees to the banks as compensation. This is too big a amount to be paid to the banks. This large amount is being paid to them keeping in view the decision of the Supreme Court. I have also seen that decision and in my view is that the Supreme Court has not indicated any where in their decision that such a big amount should be paid to them as Compensation. However I would like to confine myself on constitutional points.

According to this Bill will replace the Advisory Board. It means that former, bank employees and laboures will not be represented in these Boards.

The Supreme Court has also stated in its decision that class destination can not be done. The Government has clearly made this distinction as it has not brought the foreign banks under the perview of this Bill. It is, therefore, feared that this Bill may not, once again, be struck down by the Supreme Court. I would, therefore, request the hon. Minister to bring forward a new Bill covering all the banks and reducing the amount of Conpensation.

Shri Kanwar lal Gupta (Delhi Sadar) : Sir, my first objection is that why only fourteen major Indian banks have been nationalised and the foreign banks have been left untouched. These also should be nationalised. Secondly, it has been done in great haste. They should have thought over the legal and constitutional implications. It is a politcial decision. I cannot say anything in that respect. But Government should make clear its schemes in this regard. How do they want to run these financial institution. This scheme should be made public, because it is a very important matter for the people.

Another point is that when House was to meet after a week, why an ordinance was issued. It is an act of disregard towards this House. There was no emergency. Lastly the matter of payment of Compensation is very vital. It should be considered keeping in view all aspects.

श्री नम्बियार : क्या आप इस पर चर्चा की अनुमति दे रहे हैं ? हमें भी अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले उन सदस्यों को बुलाऊंगा, जिन्होंने पूर्व सूचना दी है । परन्तु चर्चा संवैधानिक पहलुओं तक ही सीमित रखी जाये ।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मन्दसौर) : मैं कहना चाहता हूं कि यह विधेयक सभी प्रकार अधूरा है । अनुसूची 2 में बैंकों को दिये जाने वाले मुआवजे की राशियां दी गई हैं । परन्तु इस विधेयक में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि यह मुआवजा किस आधार पर निर्धारित किया गया है । यह ठीक है कि उच्चतम न्यायालय निर्णय नहीं दे सकता कि मुआवजा पर्याप्त है अथवा नहीं परन्तु यह सभा इस निर्णय के लिये क्षम है । हमें देखना होगा कि मुआवजा नियत करने में किसी के साथ भेदभाव न किया जाये । इस बारे में सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये और इसे वापिस ले लेना चाहिये । इसका ब्यौरा वित्तीय ज्ञापन में दिया जाना चाहिये । इस अधूरे विधेयक को यह प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिये ।

सरकार को विदेशी बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण करना चाहिये । मेरा दल भारतीयकरण के पक्ष में है और इन विदेशी बैंकों का भारतीयकरण किया जाना चाहिये ।

संसद् का अधिवेशन आरम्भ होने में केवल चार अथवा पांच दिन शेष थे और यह पुनः राष्ट्रयकरण का अध्यादेश जारी किया गया है । यह बिल्कुल असंवैधानिक है । जब मूल विधेयक पारित हुआ था, उस समय सरकार ने बहुत वायदे किये थे, परन्तु सरकार ने कोई कार्य नहीं किया । उसे यह बहाना मिला हुआ था कि यह मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष निर्णय

अधीन है। सरकार तुरन्त ऐसे उपाय करने चाहिय जिन से जनसाधारण को लाभ हो। सरकार ने एक योजना लागू करने को कहा था, परन्तु आज तक वह योजना हमारे समक्ष नहीं आयी है। बड़ी मुश्किल यह खण्ड अधिनियम में रखा गया था कि कर्मचारियों, किसानों तथा अन्य लोगों के प्रतिनिधि बैंकों के प्रबन्ध कार्य में भागीदार होंगे। इस बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया है।

इस प्रकार यह विधेयक अधूरा है। इसे वापिस ले लिया जाये।

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : This Bill is unconstitutional. There are, apart from these the banks, other Indian and foreign banks in this country, should also be nationalised.

The compensation now proposed to be given too high. It will make this nationalisation as useless. This money should be used for development work.

I feel that this Bill has not been brought in proper form.

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : नियम संख्या 72 के अनुसार इस पर पूरी चर्चा की अनुमति दी जानी चाहिये। मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न ठीक नहीं है क्योंकि इस पर चर्चा के लिये यह सभा पूरी तरह से सक्षम है। किसी विधेयक के सिद्धान्तों पर प्रस्तुत करते समय चर्चा की जा सकती है।

Shri Shiv Chandra Jha : Sir, this payment of huge compensation is against the gandhian principles. I am afraid that Supreme Court may not again strike it down on the plea of discrimination.

श्री स० कानू (बालासोर) : हम सभी प्रकार के राष्ट्रीयकरण के समर्थक हैं। परन्तु इस अधूरे विधेयक को हम ठीक नहीं समझते। पिछली बार हमने इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजने और इस पर ब्यौरेवार विचार किये जाने की मांग की थी।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बज म० प० तक स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के बाद 2 बजकर 3 मिन्ट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha reassembled after lunch at three minutes past Fourteen of the clock

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Deputy Speaker *in the chair*

अध्यक्ष महोदय : यह समान्य रूप से नहीं होता कि पुरःस्थापन के समय किसी विधेयक का विरोध नहीं किया जाता। मैं अब माननीय सदस्यों को रोकना भी नहीं चाहता। वे अपनी बात संक्षेप में रखें।

श्री स० कुन्दू : इस विधेयक का व्याख्यात्मक ज्ञापन पहले परिचालित किया जाना चाहिये था। इस कारण से भी इस विधेयक को वापिस ले लिया जाना चाहिये।

उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्णय से अब अनेक याचिकाएं प्रस्तुत की जायेंगी। मुआवजे के भुगतान के बारे में भेदभाव के प्रश्न को फिर उठाया जायेगा।...

उपध्यक्ष महोदय : यह बातें इस समय नहीं उठायी जा सकती। इसे विचार के समय लिया जा सकता है। आप कृपया अपना सहयोग दें।

श्री स० कुन्दू : आप नियम 71(2) देखें। इसके अनुसार आप चर्चा की अनुमति दे सकते हैं।

मैं युक्तिसंगत बात कह रहा हूं। मेरे विचार में इस सभा को इस विधेयक पर इस रूप में विचार करने का अधिकार नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने भेदभाव के आधार पर पहले के अधिनियम को अवैध घोषित कर दिया था।

उपध्यक्ष महोदय : आप विधेयक के सिद्धान्तों पर चर्चा कर रहे हैं। आप कृपया बैठ जायें।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरा दल इस विधेयक का विरोध नहीं करता। केवल प्रतिक्रियावादियों ने इसका विरोध किया है। हम अधिक मात्रा में मुआवजे के पक्ष में नहीं हैं। बैंकों का बिना मुआवजे के राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये। सभी अन्य बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये। अन्यथा इसको पुनः न्यायालय में चुनौती दी जायेगी।

श्री नम्बियार (तिरूचिरापल्लि) : यह कहना उचित नहीं है कि संसद् को विधेयक पर चर्चा करने का अधिकार नहीं है। संसद् को इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। सर्वोच्य न्यायालय द्वारा उठाया गया प्रश्न तर्क संगत नहीं है क्योंकि नया राष्ट्रीयकरण पहले किये गये राष्ट्रीयकरण से भिन्न है। अतः इस नये राष्ट्रीयकरण के बारे में संसद् को निर्णय करना चाहिये। अपना राजनीतिक उद्देश्य पूरा करने के लिये ये लोग केवल बैंकों के राष्ट्रीयकरण के विरूद्ध प्रचार कर रहे हैं।

Shri Gunanand Thakur (Saharsa) : The nationalization of banks have been declared illegal by the Supreme Court. The Government again wants to nationalize those banks. All the foreign banks and the remaing Indian banks should be nationalized.

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रतन गिरि) : पिछली बार इस विधेयक पर संसद् में जल्दी में चर्चा की गई थी जिसके परिणामस्वरूप संसद् का मजाक बनाया गया है। क्या आप यह चाहते हैं कि ऐसा फिर हो। सर्वोच्य न्यायालय ने संसद् के कानून बनाने के अधिकार को चुनौती नहीं दी है।

उपध्यक्ष महोदय : इन सब बातों का उल्लेख माननीय सदस्या विधेयक पर चर्चा करते समय कर सकती हैं।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : मैं विधेयक को वर्तमान रूप में पुर: स्थापित करने का विरोध करती हूँ।

श्री रा० दा० भंडारे (बम्बई-मध्य) : सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में उल्लेख किया है कि संसद् को कानून बनाने का अधिकार है। उसने संसद् के कानून बनाने के अधिकार को चुनौती नहीं दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त अधिनियम को दो तकनीकी कारणों से गैर-कानूनी घोषित किया है। अतः नया विधेयक पुरः स्थापित करने से पूर्व इन दो कमियों को दूर करना चाहिये।

श्री विक्रम चन्द महाजन (चम्बा) : नियम 72 के अन्तर्गत यदि विधेयक को पुरः-स्थापित करने का इस आधार पर विरोध किया जाये कि विधेयक के सम्बन्ध में कानून बनाने का संसद् को अधिकार नहीं है, तो अध्यक्ष महोदय उस विषय पर पूरी चर्चा की अनुमति दे सकते हैं। किसी भी सदस्य ने यह प्रश्न नहीं उठाया है कि संसद् को इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है। अतः इस विषय पर पूरी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : वर्तमान विधेयक में दो प्रकार का भेदभाव किया गया है। एक तो जनता के विरुद्ध भेदभाव किया गया है और दूसरे राष्ट्रीयकरण के सिद्धान्त के प्रति ही भेदभाव किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय का आप विधेयक पर विचार करते समय उल्लेख कर सकते हैं अभी नहीं।

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : I have to raise a point of order. I want to know under what Rule the Law Minister is going to introduce that Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : आपको यह प्रश्न तब उठाना चाहिये था जब मंत्री महोदय ने सुबह विधेयक को पुरःस्थापित करने की मांग की थी।

विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : नियम 76 में उल्लेख किया गया है कि :

> "विधेयक के भारसाधक सदस्य के अतिरिक्त किसी अन्य सदस्य द्वारा यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा कि विधेयक पर विचार किया जाये या विधेयक को पारित किया जाये प्रधान मन्त्री ने इस बारे में अध्यक्ष महोदय से लिखकर अनुमति ले ली थी। अब विधेयक का प्रारूप सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। कुछ सदस्यों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अध्ययन किये बिना आलोचना की गई है।"

अब जो विधेयक सभा के सम्मुख है उसमें से 14 बैंकों पर व्यापार न करने के बारे में लगे प्रतिबन्ध को हटा लिया गया है। निर्णय में बैंकिंग विनियमन अधिनियम में उल्लिखित बैंकों को बैंकिंग के अतिरिक्त अन्य काम करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। निर्णय में दिये गये सुझावजे को भी गैर-कानूनी बताया गया है। हम सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का आदर करते हैं और जब यह विधेयक तैयार किया गया था तब इस बात की ओर ध्यान दिया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उठाई गई सांविधिक कठिनाइयों को दूर किया जाये।

मुआवजे को बढ़ाने के बारे में भी प्रश्न उठाया गया है। पहले हमने कहा था कि इसका अनुमान करना सम्भव नहीं है परन्तु यह 75 करोड़ रुपये बताया गया था। मेरे विचार में श्रीमती शारदा मुकर्जी ने आंध्र बैंक के बारे में कहा था। जब यह वर्तमान विधेयक 29 जुलाई 1969 से लागू हुआ था तो उस समय आंध्र बैंक की जमा पूंजी 50 करोड़ रुपये से कम थी। मैं माननीय सदस्य श्री कोठारी को बता देना चाहता हूँ कि अनुच्छेद 31(2) में कहा गया है कि संसद उस विधेयक को पारित कर सकती है जिसमें निश्चित धनराशि बनाई गई है। सरकार समय आने पर बतायेगी कि यह धन किस प्रकार निश्चित किया गया।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : I have a point of order. In article 31(2) it is written that no such law shall be called in question in any court on the ground that compensation provided by that law is not adequate. I want to know his views on this. Secondly, the spirit of constitution has not been taken in view while enhancing the compensation.

श्री गोविन्द मेनन : मैं इस समय अनुच्छेद 31(2) पर विवाद नहीं करना चाहता हूँ। यहां बैठने से पूर्व मैं श्री कोठारी के इस आरोप का विरोध करना चाहता हूँ कि विदेशी बैंकों का इसलिए राष्ट्रीकरण नहीं किया जा रहा है क्योंकि प्रधान मन्त्री ने कुछ विदेशों को यह आश्वासन दिया था कि भारत में उनके बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जायेगा। मैं इसका जोरदार विरोध करता हूँ।

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रत्नागिरी) : मेरा यह कहना था कि कानून समान होना चाहिए। यदि आप 50 करोड़ या इससे भी अधिक राशि वाले बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं तो संसद को ऐसा कानून बनाना चाहिए।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। निमम 69 में कहा गया है कि विधेयक के साथ वित्तीय ज्ञापन लगा रहना चाहिए जिसमें क्षतिपूर्ति का सिद्धान्त दिया हुआ हो। यदि ऐसा नहीं है तो विधेयक अपूर्णः रहेगा। अतएव यह सभा इस अपूर्ण विधेयक पर विचार नहीं कर सकती है।

श्री स० कुन्दू (बालासौर) : उच्चतम न्यायालय ने क्षतिपूर्ति देने के बारे में कुछ नहीं कहा था उसने केवल पहले के विधेयक के फार्मूला पर अपनी टिप्पणी दी थी। अब जब कि उस फार्मूला को बदल दिया गया है तो फिर अधिक क्षतिपूर्ति क्यों दी जा रही है। इसकी व्याख्या नहीं की गई है। मेरा पहले का व्यवस्था के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। अध्यादेश को जारी करने का कारण बताने वाला विवरण विधेयक के साथ परिचालित किया जाना चाहिए था।

श्री गोविन्द मेनन : यह आपके कार्यालय की प्रक्रिया है। हम मद संख्या 18 पर चर्चा कर रहे हैं। मद संख्या 19 में अध्यादेश जारी करने का कारण बताया गया है। इस बात के लिये मैं उत्तरदायी नहीं हूँ। आप मद संख्या 19 को मद संख्या 18 के स्थान पर ले सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह नितान्त प्रक्रिया संबंधी की बात है। इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न केवल यह है कि क्या वित्तीय ज्ञापन विधेयक के साथ लगाया गया है। यह दूसरी

बात है कि क्या यह पूर्ण है अथवा अपूर्ण, प्रश्न यह है :

"कि अर्थव्यवस्था की सीमाओं को नियन्त्रित करने तथा राष्ट्रीय नीति उद्देश्यों के अनुरूप अर्थव्यवस्था के विकास की आवश्यकताओं को प्रगतिशील रूप से पूरा करने तथा उनकी पूर्ति अधिक अच्छी करने की दृष्टि से कतिपय बैंककारी कम्पनियों के उपक्रमों के अर्जन और अन्तरण का, उनके आकार, संसाधन, सीमा क्षेत्र और संगठन को ध्यान में रखते हुए तथा उससे सम्बद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री गोविन्द मेनन : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूँ।

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अध्यादेश 1970 के बारे में वक्तव्य

STATEMENT REGARDING BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) ORDINANCE 1970

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अध्यादेश, 1970 के द्वारा तुरन्त विधान बनाने के कारणों के व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जैसा कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 71(1) के अंतर्गत अपेक्षित है ; सभा पटल पर रखता हूं। [**ग्रन्थालय में रखा गया**। देखिये संख्या एल० टी० 2632/70]

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव (जारी)

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS—*Contd.*

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : मैंने राष्ट्रपति का भाषण देखा है। श्री हनुमन्तय्या ने उनके भाषण को शानदार बताया है पर मैं इसमें ऐसी कोई बात नहीं पाता हूँ। यह भाषण तो केवल शब्दों में ही गुंथा हुआ है।

मैं चाहता था कि यह अभिभाषण सरकार के विचारों का आभास दे और साथ ही साथ इसमें देश की सामाजिक परिवर्तन का भी वर्णन होना चाहिये था परन्तु दुर्भाग्यवश ऐसा कुछ भी नहीं है, यह अभिभाषण तो एकदम निष्प्राण सा है।

मेरे विचार में राष्ट्रपति और राज्यपालों का पद केवल सम्मानसूचक पद है जिसको बनाये रखने के लिए साधारण कर-दाताओं पर भार पड़ता है। अतएव राष्ट्रपति और राज्य-पालों का पद समाप्त कर देना चाहिये।

अभिभाषण में कृषि क्रांति का वर्णन किया गया है, मैं इसके लिए बधाई देता हूँ, परन्तु इसमें भूमि सुधार का केवल संकेत दिया गया है, तब तक भूमि गरीब किसानों को नहीं दी जाती

तब तक कृषि क्रांति का पूर्ण नहीं माना जा सकता है। कृषि क्रांति के साथ-साथ मूल्यों में वृद्धि आई है। सरकार इस वृद्धि को रोकने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है। अभिभाषण में इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। कृषि क्रांति की ही बात करने से कोई लाभ नहीं। मूल्यों की वृद्धि रोकना आवश्यक है। इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इससे आम आदमी प्रभावित होता है अतएव मूल्यों की वृद्धि को रोकना आवश्यक है।

हम समाजवाद की बात करते हैं समाजवाद केवल एक नारा ही नहीं है। यदि यह केवल नारा है तो हर भारतीय समाजवादी है और यदि समाजवाद का तात्पर्य कार्यक्रम बनाकर उसे क्रियान्वित करना है तो इस देश में कोई समाजवादी नहीं है। समाजवाद के नाम पर साधारण आदमी का शोषण किया जाता है। समाजवाद और प्रजातन्त्र एक दूसरे के पूरक हैं। आज लोगों की आय में अन्तर है। इसको दूर करना है। पर अभिभाषण में इसका कोई वर्णन नहीं है।

एकाधिकारी समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि देश में 75 एकाधिकारी गृह हैं जो देश की अर्थव्यवस्था का विनाश कर रहे हैं, इन एकाधिकारियों पर रोक लगाने के लिए क्या किया गया है। जो एकाधिकारी अधिनियम बनाया गया है, उसमें भी कई दोष हैं, इस समय भारत में दो प्रकार की सभ्यतायें है एक तो कुछ अमीरों की सभ्यता और दूसरी गरीबों की सभ्यता इसके लिए अविभक्त कांग्रेस उत्तरदायी है वे प्रतिक्रियावादी की बातें करते हैं परन्तु उन्होंने स्वयं इस प्रवृत्ति को बढ़ाया है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में आम बीमा और विदेशी व्यापार के राष्ट्रीयकरण के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। मैं चाहता था कि इस बारे में कहा जाता। सरकार आय पर अधिकतम सीमा निर्धारित करने की बात कर रही है। पर हमारी 82 प्रतिशत ग्रामीण जनता प्रतिदिन 1 रुपये से कम व्यय करती है। इसी ग्रामीण जनता का एक तिहाई भाग प्रतिदिन 50 पैसे से कम व्यय करता है जब कि निम्न आय वाला वर्ग, जो कि 11 करोड़ है, प्रतिदिन 30 पैसे से कम व्यय करता है। दूसरी ओर टाटा, बिड़ला और मफतलाल आदि की आय करोड़ों रुपये बढ़ रही है, इस प्रकार समाजवादी कार्यक्रम के बिना समाजवाद की बात करना निरर्थक है। इस प्रकार राजनीति में नीति-शास्त्र का होना आवश्यक है। अय्यर आयोग और मुधोलकर आयोग ने बिहार के कुछ राजनीतिज्ञों के विरुद्ध निर्णायात्मक टिप्पणी दी है, मेरा कांग्रेस तथा देश के अन्य राजनीतिक दलों से अनुरोध है कि वे इस प्रकार के व्यक्तियों को राजनीतिक दलों में आने से रोके। ऐसा करके वह यह सिद्ध कर सकेंगे कि राजनीतिक दलों में ईमानदारी विद्यमान है।

हम काँग्रेस में विघटन का स्वागत करते हैं। हमने सोचा था कि इससे वे समाजवाद के नजदीक आयेंगे परन्तु यह झूठी आशा सिद्ध हुई। कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन के बाद बिड़ला को गोवा में उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिए लाइसेंस दिया गया। यह भी मत भूलिए कि इस्पात के मूल्यों में वृद्धि हुई और इसका लाभ गैर सरकारी क्षेत्र में गया।

इस देश में समाजवाद की बातें करना आसान है पर उस पर अमल करना बहुत कठिन

है। जो समाजवाद की बात करते हैं, उन्हें यह जानना चाहिए कि समाजवाद एफ जीवन पद्धति है।

यह कब कहा गया है कि बिड़ला समूहों के संस्थानों के बारे में जांच हो रही है परन्तु यह नहीं भूलिये कि डालमिया-जैन के मामले पर भी जांच कार्यवाही की गयी थी परन्तु इस बारे में की गयी सिफारिशों का क्या किया गया? यदि आप एकाधिकारी तत्वों पर रोक लगाना चाहते हैं तो कठोर कार्यवाही करनी चाहिये।

यह अभिभाषण देश में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या पर चुप है। देश में इनकी संख्या बढ़ रही है और वे अशान्त हो रहे हैं। दीक्षांत समारोह के अवसर पर नवयुवकों की यह मांग रहती हैं कि उन्हें डिग्री नहीं अपितु नौकरी चाहिए, सरकार ने इस दिशा में क्या किया है? चौथी योजना में इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। सरकार को रोजगार के अवसर सुलभ करने चाहिए।

अभिभाषण में पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसात्मक कार्यवाहियों का उल्लेख नहीं हैं, यह सूचना मिली है कि वहां चीन और पाकिस्तान से शस्त्रास्त्र पहुंच रहे हैं, इसी तरह शस्त्र गोलाबारूद भी आसाम, मिजो पहाड़ियां और नागालैंड में भी पहुंच रहे हैं। नक्सलवादी पश्चिम बंगाल में भय का साम्राज्य खड़ा कर रहे हैं। इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि पश्चिम बंगाल में हिंसा व्याप्त है। यहां तक की कलकत्ता भी इससे अछूता नहीं है।

अभिभाषण में भ्रष्टाचार के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। बड़े बैंकों का राष्ट्रीकरण कर दिया गया है। पर वहां भी बेईमानी और भ्रष्टाचार ने अपना स्थान बना लिया है। श्री नन्दा इस समय रेलवे मंत्री बने हैं, मुझे विश्वास है कि वे भ्रष्टाचार का उन्मूलन करेंगे।

संसद के कुछ सदस्य नेताजी के जीवन के बारे में रहस्यमता को जानना चाहते हैं। गृह-कार्य मंत्री महोदय ने जांच करने का आश्वासन दिया था परन्तु अब तक कोई जांच नहीं की गई। मेरा कहना यह है कि नेता जी के इस देश से निकल भागने की रहस्य के बारे में जांच की जाये। सिंगापुर में आजाद हिंद फौज के शहीदों का स्मारक था जो कि ध्वस्त हो गया है। सरकार सिंगापुर सरकार से इसे बनाने का अनुरोध करे।

मैं वैदेशिक मामलों में कुछ नहीं कहूँगा पर मेरा यह कहना है कि चीन हमारा शत्रु है और उसने सीकियांग में काशगर से पाकिस्तान अधिकृत गिलगित तक सड़क का निमाण किया है, जब चीन ने अकसाईचिन सड़क का निर्माण किया था तब संसद को इस बारे में कोई सूचना नहीं दी गयी थी। मुझे आशा है कि वर्तमान प्रधान मंत्री ऐसा नहीं करेंगी क्योंकि ये खतरनाक सड़के हैं और पाकिस्तान आसानी से जम्मू तथा काश्मीर पर अधिकार कर सकता है।

अभिभाषण में परिवार नियोजन की ओर भी संकेत दिया गया है पर मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ।

Shri Shiv Kumar Shastri (Aligarh) : The Country is resounding with the slogan of socialisim in the backdrop of the barrowing spectacle of the presents satyagraha in Ganganagar District in Rajasthan. Move then fifteen thousadd satyagrahis have been put behind the bars and seventeen persons shot to death. Indescribeable atrocities are being perpetrated there on iunocent people...

गैर-सरकारी सदस्यों की विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

57वां प्रतिवेदन

डा० कर्णी सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 57वें प्रतिवेदन से जो 25 फरवरी, 1970 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 57वें प्रतिवेदन से, जो 25 फरवरी, 1970 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

संविधान (संशोधन) विधेयक, 1970

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1970

(अनुच्छेद 85 का संशोधन)

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री श्रीनिवास मिश्र : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूँ ।

नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 1970

CITIZENSHIP (AMENDMENT) BILL, 1970

धारा 9, 10 का रखा जाना और नई धारा 10 का रखा जाना

श्री एम० नारायण रेड्डी (निजामाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि नागरिकता अधिनियम, 1955 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नागरिकता अधिनियम 1955 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री एम० नारायण रेड्डी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।

संविधान (संशोधन) विधेयक, 1970

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1970

(आठवीं अनुसूची का संशोधन)

श्री एम० मेघचन्द्र (आन्तरिक मनीपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री एम० मेघचन्द्र : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।

नागर विमानन (लाइसेंस देना) विधेयक, 1970

CIVIL AVIATION (LICENSING) BILL, 1970

श्री स० चं० सामन्त (तामलुक) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि कतिपय उड़ानों के लिये लाइसेंस देने और विमान निगम अधिनियम, 1953 की संगत धाराओं के निरसन की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कतिपय उड़ानों के लिए लाइसेंस देने और विमान निगम अधिनियम, 1953 की संगत धाराओं के निरसन की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री स० चं० सामन्त : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

संसद ग्रन्थालय विधेयक 1970

PARLIAMENT LIBRARY BILL, 1970

श्री स० चं० सामन्त : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि संसद के लिये एक अद्यतन तथा विशद पुस्तकालय बनाने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पेश करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संसद के लिये एक अद्यतन तथा विशद पुस्तकालय बनाने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री स० चं० सामन्त : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।

दान कर (संशोधन) विधेयक, 1970

GIFT TAX (AMENDMENT) BILL, 1970

धारा 22, 23 आदि का संशोधन

श्री स० चं० सामन्त : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि दान कर अधिनियम, 1958 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दान कर अधिनियम, 1958 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री स० चं० सामन्त : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 1970

COMPANIES (AMENDMENT) BILL, 1970

(नई धारा 43-ख का रखा जाना और धारा 224, 237 आदि का संशोधन)

श्री स० चं० सामन्त : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि कम्पनी अधिनियम, 1956 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कम्पनी अधिनियम, 1956 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री स० चं० सामन्त : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।

संविधान (संशोधन) विधेयक, 1970

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1970

(अनुच्छेद 330 और 332 का संशोधन)

श्री सूरज भान (अम्बाला) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अमुमति दी जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

श्री सूरज भान : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।

संविधान (संशोधन) विधेयक—जारी

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

(अनुच्छेद 32 और 226 का संशोधन)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री तेन्नेटि विश्वनाथम के उस विधेयक पर विचार करेगी जो उन्होंने 19 दिसम्बर को पेश किया था ।

श्री दत्तात्रय कुन्टे (कोलावा) : यह विधेयक एक सामान्य विधेयक है और इसमें कोई पेचीदा बात नहीं है । इसका उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 में संशोधन करने का है ताकि यदि कोई व्यक्ति भूल से इन उपबन्धों का समय पर लाभ नहीं उठा सका है तो उठा सके । यह एक ऐसा मामला है जिसमें विलम्ब को क्षमा कर दिया जाना चाहिये ।

श्रीमती जयाबेन शाह पीठासीन हुईं ।

Shrimati Jayaben Shah *in the Chair.*

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : I endorse the spirit behind this Bill. The delay in filing the petition should not be treated as total to securing justice. But the delay should be reasonable otherwise a wave of inefficiency will be generated in the judicial process and the Justice will be delayed. Therefore I request mover of the Bill to lay a time limit for the filing of the petition.

श्री विक्रम चन्द महाजन (चम्बा) : मैं समझता हूँ कि यह विधेयक एक अच्छा विधेयक है और इसे प्रवर समिति को भेज दिया जाना चाहिए। मैं एक वकील होने के नाते कह सकता हूँ कि न्यायालय ऐसे बहुत से मामलों को सुनने से इन्कार कर देता है जिनमें याचिकायें दाखिल करने में 3 मास का विलम्ब हो गया है। संविधान में इसके बारे में कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है किन्तु न्यायालय ब्रिटेन के मामलों में दिए गए निर्णयों के आधार पर केवल ३ मास की अवधि ही देते हैं। इससे बड़ा अन्याय हो जाता है। यदि सरकार इस विधेयक को सीधे ही स्वीकार नहीं करती तो इसे सिद्धान्त में स्वीकार कर लेना चाहिए। इस विधेयक का पारित किया जाना निर्धन वर्ग के लोगों के हित में होगा। जहां तक अमीर लोगों का सम्बन्ध उनके कानूनी सलाहकार होते हैं और वे समय पर कार्यवाही कर लेते हैं। मैं समझता हूँ कि 60 और 90 दिन की सीमा को बढ़ा कर कम से कम एक वर्ष कर दिया जाना चाहिये।

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : यह बड़े महत्व का विधेयक है क्योंकि संविधान के निर्माताओं ने ऐसा कभी सोचा भी नही था कि विलम्ब के कारण अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत याचिकाओं को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

संविधान के अनुच्छेद 226 के माध्यम से उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को कुछ विवेकाधीन अधिकार दिये गये हैं जिससे गुणदोष के आधार पर वे इस बात का निर्णय कर सकें कि कोई याचिका स्वीकार की जाये अथवा नहीं। परन्तु अनुच्छेद 32 में इस बात की कोई व्यवस्था नहीं है। संविधान निर्माताओं ने सोचा था कि प्रत्येक नागरिक अपने मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिये इस देश के उच्चतम न्यायालय तक पहुँच सके। यदि हम उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण इस अधिकार को छीन लिया गया जो संविधान द्वारा दिया गया है तो यह उचित नहीं होगा। संविधान निर्माताओं ने यह कभी नहीं सोचा था कि यदि कहीं अनुचित विलम्ब हो जाये तो अनुच्छेद 32 का हवाला नहीं दिया जा सकता। अतः प्रस्तुत निर्णय लोगों के साथ निष्पक्ष न्याय किये जाने के मार्ग में बाधक सिद्ध होगा। इसके परिणाम बहुत भयानक होंगे। इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिये हम श्री तेन्नेटि विश्वानाथम को धन्यवाद देते हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को स्वीकार कर लिया जाये।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : अनुच्छेद 32 और 226 में समय की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। दिन प्रतिदिन जनता अपने मूल अधिकारों के प्रति जागरूक होती जा रही है और अपने मूल अधिकारों को प्राप्त करने के लिये उन्हें न्यायालय के द्वारा खटखटाने पड़ते है। हमारे देश मे 80 से 85 प्रतिशत जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और अधिकांश व्यक्ति निरक्षर हैं तथा 8० प्रतिशत याचिकाएं भूमि से सम्बन्धित होती हैं। केवल 10-15 प्रतिशत लोग समय की सीमा की जानकारी रखते है। अतः प्रस्तुत व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मेरे विचार में समय की सीमा एक वर्ष न रख कर 3 वर्ष रखी जानी चाहिये। कम से कम भूमि सम्बन्धी मामलों के लिये तो यह बहुत ही आवश्यक है। यह

ठीक है कि मुकदमा करने वाले शिक्षित तथा निरक्षर व्यक्तियों में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता परन्तु जायदाद के मुकदमें करने वाले व्यक्ति प्रायः निरक्षर होते हैं, इसलिये समय की सीमा कम से कम तीन वर्ष की होनी चाहिये। एक वर्ष का समय बहुत कम है।

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : This amendment will provide same relief to the people. At present justice is being sold. One has to spend thousands of rupees to file a suit in Supreme Court. One has to pay illegal charges even to get a copy of the case. In view of this I suggest that this amendment may be accepted.

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : संविधान में निहित मूल अधिकार लोकतंत्र की बुनियाद है। यदि देश में लोकतंत्र की रक्षा की जानी है तो न केवल मूल अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिये बल्कि अनुच्छेद 32 और 226 के अधीन संवैधानिक उपचार प्राप्त करने के अधिकार समय की सीमा का बन्धन नहीं होना चाहिये। यह तो नहीं कहा जा सकता कि 10 या 12 वर्ष की अवधि के बाद भी मूल अधिकार प्राप्त करने की व्यवस्था हो परन्तु मेरे विचार में इस प्रयोजना के लिये 3-5 वर्ष की अवधि निर्धारित की जानी चाहिये। सम्बन्धित व्यक्ति को इस अवधि के भीतर उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में जाना होगा। अतः श्री तेन्नेटि विश्वनाथम के संशोधन को स्वीकार कर लिया जाना चाहिये।

श्री एस० एन० मिश्र (कन्नौज) : मेरा यह अनुभव है कि हम जब भी कभी उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 अथवा 226 के अधीन याचिका दायर करते हैं तो अधिकांश मामलों में वह इस आधार पर रद्द कर दी जाती है कि उसे प्रस्तुत करने में विलम्ब हो गया है। कई बार तो दो महीने की अवधि बीत जाने पर भी उच्च न्यायालय याचिका को रद्द कर देते हैं। इस लिये समय की सीमा समाप्त किया जाना आवश्यक है। अतः प्रस्तुत संशोधन को स्वीकार कर लिया जाना चाहिये।

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : इस संशोधन को स्वीकार करने के पक्ष में दिये गये तर्क सुनकर मैं वस्तुतः हैरान रह गया हूँ। यह सामन्य ज्ञान की बात है कि जहां कहीं उपचार बताया गया है उसके लिये कुछ शर्तें भी रखी गई हैं।

संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 में मूल अधिकारों के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय से अपनी शिकायतें दूर करवाने के लिये कुछ असाधारण व्यवस्था की गई है। इस सम्बन्ध में निर्णय उच्च तथा उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों के विवेकाधीन अधिकारों पर निर्भर करता है। हमें इस बात पर विचार करना चाहिये कि यदि उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय के समक्ष 10. 12 या 15 वर्ष पहले से रद्द आदेश प्रस्तुत किया जाता है तो वे उसका क्या इलाज बतायेंगे। समय की कोई सीमा तो होनी ही चाहिये।

प्रस्तुत संशोधन के अनुसार न्यायालय में सहायता प्राप्त करने की कोई अवधि नहीं निर्धारित की जानी चाहिये। इसका परिणाम यह होगा कि पीड़ित व्यक्ति जब चाहेगा अनुच्छेद 32 या 226 के आधीन उच्च तथा उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर देगा।

उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालयों के न्यायधीश संविधान के संरक्षक हैं। यदि

विलम्ब का उचित कारण बताया जाये तो मुझे इस बात का विश्वास है कि विलम्ब क्षमा कर दिया जायेगा। परन्तु इस बात का निर्णय करना न्यायालय का काम है कि अनुच्छेद 32 या 226 के आधीन दायर की गई याचिका पर विचार किया जाये या नहीं।

संविधान में निहित अधिकार प्राप्त करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। केवल अनुचित विलम्ब के कारण न्यायालय की सहायता प्राप्त करने पर यह अवरोध लगाया गया है। यदि कोई व्यक्ति उचित अवधि के अन्तर्गत न्यायालय में याचिका दायर नहीं करता तो उसे अधिकार के रूप में विवेकाधीन सहायता प्राप्त नहीं हो सकती।

मैं अपने वकील भाईयों से अपील करता हूँ कि वे इस बात पर विचार करें कि तब क्या स्थिति होगी यदि एक व्यक्ति को मालूम हो जाता है कि इस संबंध में दिये गये आदेश विवादास्पद है। चाहे वह आदेश सम्पति के अधिकार के बारे में दावे के विषय में हो अथवा किसी अन्य अधिकार के बारे में और यदि वह व्यक्ति इन आदेशों को कई वर्षों तक छिपाये रहता है तथा एक दिन न्यायालय में उस विवादास्पद आदेश के विरोध में अपील दायर कर देता है। इस प्रकार विवाद को सुलझाने में विलम्ब हो जाता है और उससे इसका स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिये।

मैं इस संबंध में यह बताना चाहता हूँ कि यदि इस संशोधन को स्वीकार किया गया तो इसका परिणाम यह होगा कि उससे विलम्ब का स्पष्टीकरण नहीं माँगा जायेगा। इस विधेयक के अनुसार इसके बारे में कोई सीमा अवधि नहीं होगी।

श्री अ० कु० सेन (कलकत्ता—उत्तर-पश्चिम) : क्या मंत्री महोदय 3 या 4 वर्ष की समय-सीमा निर्धारित करने को तैयार हैं ?

श्री मु० यूनस सलीम : यदि-कुछ प्रस्ताव आयेंगे तो मैं विचार करूंगा।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : मेरा प्रस्ताव है कि यह सीमा 3 वर्ष होनी चाहिए।

श्री मु० यूनस सलीम : विधेयक में कहा गया है कि :

> 'सर्वोच्य न्यायालय द्वारा विलम्ब के आधार पर किसी भी अपीलार्थी को इस अनुच्छेद के अन्तर्गत कोई राहत देने से मना नहीं किया जायेगा"।

यह अनुच्छेद 32 का संशोधन है और ऐसा ही संशोधन अनुच्छेद 226 के संबंध में भी है। इसके अनुसार :

> "एक उच्च न्यायालय द्वारा विलम्ब के आधार पर किसी भी अपीलार्थी को इस अनुच्छेद के अन्तर्गत कोई राहत देने से मना नहीं किया जायेगा"।

अत: यदि 30 वर्ष पश्चात भी याचिका दायर की जाती है तो न्यायालय द्वारा इसका स्वागत किया जाना चाहिये। यदि इसे स्वीकार किया जाता है तो यह न्यायालयों को बड़ी कठिन स्थिती में डाल देगा। यहाँ तक कि आज भी न्यायालय अनुच्छेद 226 तथा 32 की याचिकाओं से भी हुए हैं। यदि कोई सीमा निर्धारित नहीं की जायेगी तो प्रत्येक व्यक्ति छोटे न्यायालयों में जाने की बजाय उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में जाना चाहेगा। मेरा

निवेदन है कि सभा मामले के इस पहलू पर विचार करेगी कि सिविल कानून के अन्तर्गत एक भी ऐसा उपाय विहित नहीं है जिसके लिए सीमा निर्धारित नहीं की गई है। और यहां माननीय सदस्य चाहते हैं कि कोई सीमा निर्धारित नहीं होनी चाहिए। यह सम्भव नहीं है। मैं इस विधेयक को स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं और माननीय सदस्य से इसे वापिस लेने के लिए निदेदन करता हूँ।

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम (विशाखापतनम) : अनुच्छेद 32 तथा 226 में संशोधन करने का यह सीधा सादा सा मामला है। अनुच्छेद 32 की भाषा अनुच्छेद 226 से थोडी सी भिन्न है। जिसका अन्तर मंत्री महोदय को जानना चाहिये। न्यायालय में अपील करने का अधिकार गारंटीकृत है। यह केवल राहत प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। न्यायालय में अपील करने का अधिकार मौलिक अधिकार है। भाग (पार्ट) 4-3 में सभी मौलिक अधिकार दिये हैं, दूसरे भी मौलिक अधिकार हैं लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार स्वयं एक मौलिक अधिकार है। और उसका प्रतिहास नहीं किया जा सकता। यह बात ध्यान से नहीं जानी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश श्री हिदायतुल्ला के निर्णय में इस बात की उपेक्षा की गई है। यदि आप न्यायाधीश श्री हेगडे के निर्णय को देखे तो आपको पता चलेगा कि वह न केवल अपने विचारों पर भरोसा कर रहे थे बल्कि वे न्यायाधीश राजगोपाल अय्यंगर के विचारों पर भी भरोसा कर रहे थे जिन्होंने बहुमत के लिए बोलते हुए यह कहा था :

> "यदि एक बार यह सिद्ध हो जाय और यह न्यायालय इस बात से सन्तुष्ट हो जाय कि राज्य कार्यवाही द्वारा एक अपीलार्थी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस न्यायालय का यह न केवल अधिकार है अपितु अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत इसका यह कर्त्तव्य है कि इस संबंध में समुचित आदेश पास करके उसको राहत दिलाये। अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत नागरिक को दिया गया इस न्यायालय में अपील करने का अधिकार स्वयं एक मौलिक अधिकार है और उसका प्रतिहास नहीं किया जा सकता। अतिरिक्त उसके कि जैसा संविधान द्वारा उपबन्ध किया गया है।"

श्री अ० कु० सेन। हमने इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के बारे में एक संशोधन पेश किया है और विधेयक के प्रस्तुत कर्ता इसे स्वीकार कर रहे हैं। इस पर मतदान होने दिया जाय।

श्री रणधीर सिंह : विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिये।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : समिति के सदस्य कौन हैं ?

श्री अ० कु० सेन : श्री कंवरलाल गुप्त, विधि मंत्री, स्वयं मैं, श्री रणधीर सिंह, प्रो० रंगा तथा अन्य।

हम सब विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपने के बारे में सहमत हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली शहर) : मंत्री महोदय को इसे स्वीकार करने दिया जाय।

श्री मु० यूनुस सलीम : ऐसी धमकी से काम नहीं बनेगा। समुचित प्रस्ताव सभा के सामने आने दिया जाय।

श्री रणधीर सिंह : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं :

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपा जाये, जिसमें 16 सदस्य अर्थात :

(1) श्री चपलाकांत भट्टाचार्य

(2) श्री कंवरलाल गुप्त

(3) श्री शिव चन्द्र झा

(4) श्री कृ० मा० कौशिक

(5) श्री वी० कृष्णामूर्ति

(6) श्री दत्तात्रेय कुन्टे

(7) श्री गोविन्द मेनन

(8) श्री श्रीनिवास मिश्र

(9) श्री एस० एन० मिश्र

(10) श्रीमती शारदा मुकर्जी

(11) श्री नम्बियार

(12) श्री अ० सिं० सहगल

(13) श्री इब्राहीम सुलेमान सैत

(14) श्री अ० कु० सेन

(15) श्री तेन्नेटि विश्वनाथम

(16) श्री रणधीर सिंह

हों, और उसे अगले सत्र के पहले दिन तक प्रतिवेदन देने के अनुदेश दिये जायें।"

श्री रंगा : समिति अपना प्रतिवेदन कब देगी ?

श्री रणधीर सिंह : चार महीने के अन्दर प्रतिवेदन देने के अनुदेश दिये जायें।

श्री दत्तात्रेय कुन्टे (कोलाबा) : अगले सत्र के पहले दिन।

सभापति महोदय : यही संशोधन तो सभा के सामने है।

श्री मु० यूनुस सलीम : मुझे यह स्वीकार नहीं है।

श्री दत्तात्रेय कुन्टे : इसपर मतदान किया जाय।

सभापति महोदय : मैं यह प्रश्न सभा के सामने रखूंगा।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*]

श्री मु० यूनुस सलीम : मामले पर पुनर्विचार करने के पश्चात मैं संशोधन को स्वीकार करने को तैयार हूँ ।

उपाध्यक्ष महोदय : तब, मैं सोचता हूँ इसे मतदान के लिए रखने में कोई आपत्ति नहीं है ।

प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपा जाय, जिसमें 16 सदस्य अर्थात :

(1) श्री चपलाकांत भट्टाचार्य

(2) श्री कंवरलाल गुप्त

(3) श्री शिव चन्द्र झा

(4) श्री कृ० मा० कौशिक

(5) श्री वी० कृष्णामूर्ति

(6) श्री दत्तात्रेय कुन्टे

(7) श्री गोविन्द मेनन

(8) श्री श्रीनिवास मिश्र

(9) श्री एस० एन० मिश्र

(10) श्रीमती शारदा मुकर्जी

(11) श्री नम्बियार

(12) श्री अ० सिं० सहगल

(13) श्री इब्राहीम सुलेमान सैत

(14) श्री अ० कु० सेन

(15) श्री तेन्नेटि विश्वानाथम

(16) श्री रणधीर सिंह

हों, और उसे अगले सत्र के पहले दिन तक प्रतिवेदन देने के अनुदेश दिये जायें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

विदेशी सहायता (लेखा रखना) विधेयक

FOREIGN AID (MAINTENANCE OF ACCOUNT) BILL

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Dadar) : Mr. Deputy-Speaker, Sir with your permission, I put the Bill before the House. I have stated one thing in the Bill that strick vigilance should be kept over the foreign money which comes by unfair means in our country. I have Stated that if any Party, any institution, any individual receives money from foreign sources he should inform the Government. That individual, or institution should maintain the account of that money and after a year he should present the whole account to the Government so that Government should be aware that how much money has come from foreign countries and how that is spent.

The Home Minister himself had Stated that he will bring a Bill in this regard but no Bill has been brought forward so far. If any Indian says today that he has received this money from America or Russia or China or Japan, he cannot be prosecuted. There is no law in our country to put restriction over it that money should be brought here from foreign sources if it is possible. Today, money is coming into our country from America, Russia, China and Pakistan. If you pay attention towards its expension and its effects you will become worried and will see a problem standing before you. If it goes on, it can be said that the security and democracy of the country will be in danger. The quality, in which the foreign money is flowing in our country has created alarming situation and the security and the defence of our country is falling in danger.

May I know whether it is a polical field or social field or economic field or educational field, the foreigners are sitting ready to strangle us through foreign money. Its big cities your will see that people are being made spies by giving money to them.

In sensitive areas, Assam, Ranchi, Kashmir, Nagaland and Mizoland you will find that we are being deceived through foreign money.

Even in Universities this play is being played. In pilgrim places you will find such people working in the guise of Sanyasis (Sadhus). Churches and Temples are also being influenced by taking mony from foreign.

As a sequel, the security of our country has fell in danger. It is a national problem and it should be solved by joint efforts.

They are traitors who have used foreign money in their elections. The amount of foreign money runs into crores. The Home Minieter himself has said that foreign money has been used in elections. Because the Home Minister has not brought forward any Bill in this connection therefore I am bringing this Bill.

I have respectedly said that there are some newspapers who receive money from foreign countries and sing the songs of their policies. This has been confirmed by the C.B.I. report also. It has Stated that Patriot and Link received Rs. 50 lakhs from Russia during the last seven years, but the Government have taken no action against them so far.

Dr. George Thomas of Kerala reccived Rs. 16,39,472 from foreign sources during 1959 to 1962 and he spend this money in his newspapers and in American propaganda. Is it good ?

There is an impression among the people that Re. 1 crore of Russian was spent in Presidential election. This impression should be vanished. I want that an enquiry, an investigation should be made in this matter.

The Andhra tobacco Scandle is also related with Russia. Similarly Shri Narayan of Calicut received money four times from Chinese embassy.

This is the case with America also. It is not good to send persons in the border areas, whether they may be experts or technicians. I do not think that there is any necessity of American volunteers which you have called for. Why the Government do not

send them back. This cannot he Tolerated that the spies should roam about every where in the Country. What is the necessity of them ?

The Christian Missioneries are receiving about Rs. 100 crores from foreign sources. The activities of the foreign missioneries are not in the interest of the country. The account should be maintained of the money which the Christian missioneries receive. This should be made clear that how much money was received, for what purpose it was received and how it was spent.

I have heard that Government have made agreements with other Governments that no duty will be charged for the gifts or presents receivced by some organisations including Chritian missioneries. Government have no account or detials about it. I would like that Government should think again about those agreements. If I ask for any thing from England, I will have to pay Rs, 5000 for that while it will cost Rs. 1000 only to christian missioneries and other institutions. In this way Government's money is spent against the Government and the country. Government should take some action in this respect.

So far as the educational field is concerned, I am happy that Government have issued orders for the closure of Asia Foundation and perhaps that has ceased to function now. But there are dozens of other Foundations also which receive money from foreign and with that money they influence those persons which are called learned. Besides, there are some big Government officers, who have sold there brains to Russia or America. This undesirable influence should go and they should be Indianised. I charge that Government are giving encouragement for the last 6 months to those experts who are inclined towards a particular country. This tendency should be stopped. Government should make enquiry about such Foundations and should see that from where they get this money and how it is spent.

The *modus operandi* of money comming from foreign sources is that there are trade agents of Russia and America in this country and through them foreign money comes here. Money comes through diplomatic bags also. Besides, money comes here in the guise of publications also. The books are sold here at a very low cost.

I have heard that there are 33 such publishing House in India which get subsidy from Russia or America and publishing their literature. Similarly, in some Printing Presses the material of these embassies is printed. Rupees two lacs are shown for the book of rupees two thousand only. Enquiry should be made in this respect.

The foreign powers make riots in our country and advance money for that propose' They instigate people, There is foreign hand behind the Nagaland and Mizo Hill agitation. There is Pakistani hand behind the movement spreeding in Kashmir. But Government have done nothing except submitting a report. I charge the Home Minister with the criminal negligence. The Government should solve this national problem because it is a question of country's security and self-respect.

I ask the Governmenr to strengthen her machinery and from a separate cell for this purpose. In Delhi, one Russian is missing for the last 10 or 15 days and one does not know his whereabouts This is reflection on our Intelligence Machiney. There should be full investigation about the foreigners who come here. Full enquiry should be made about such cultural, social, and educational institutions.

Lastly, I want to say that I agree that only law will not do. You will have to educate the people. There is a necessity to crerte such an effective public opinion which should condemn those who receive such foreign money. He should not be given any respectable place in the society or in the Government. With these words, I respect the hon. Home Minister to support this Bill after considering it because I have only said that account should be maintained of the money received from foreign and after a year it should be made clear to the Government that how it was spent.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि व्यक्तियों, संगठनों आदि द्वारा विदेशी सरकारों अथवा विदेशी एजेंसियों से प्राप्त सहायता का लेखा रखने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

श्रीमती इला पालचौधरी (कृष्ण नगर) : मैं इस विधेयक की भावना के विरुद्ध नहीं हूं लेकिन मुझे उस बात पर आश्चर्य है जो अभी माननीय सदस्य ने बताई है। उनके भाषण से पता चलता है कि हमारी सरकार, जो अनेक बातें उन्होंने बताई उनके प्रति उदासीन होकर बैठी है। एक ऐसी सूची होनी चाहिए जिसमें इस बात का ब्यौरा हो कि विदेशी एजेंसियां क्या कर रही हैं। हमारे देश में न केवल ऐसा विदेशी धन आ रहा है बल्कि कलकत्ता में बड़ी मात्रा में हथियार तथा गोला बारूद आये हैं। ऐसा 10 से भी अधिक वर्षों से हो रहा है और सरकार को इस चुनौती का पता है। इसकी जांच क्यों नहीं की जा रही हैं। विद्यार्थियों को पी० के० 47 बन्दूकें कैसे मिल गई। यह गोला बारूद सब चीन और पाकिस्तान से आ रहा है। ऐसा दस साल से हो रहा है लेकिन इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मुझे आशा है सरकार इसे गम्भीर रूप से लेगी। कलकत्ता विश्वविद्यालय बन्द कर दिया गया है और विद्यार्थियों ने कानून अपने हाथ में ले लिया है। न केवल ऐसा हो रहा है बल्कि विभिन्न प्रकार का साहित्य बांटा गया है तथा हथियारों और गोला बारूद की सप्लाई की गई है।

सरकार को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिये कि ये धर्म-प्रचारक अपने धन को किस प्रकार व्यय कर रहे हैं। वैसे धर्म-प्रचारकों ने अच्छा व्यय किया है। सरकार को इस बात की जांच करनी चाहिये कि साम्यवादी साहित्य, आकर्ष इश्तिहारों और पुस्तकों के रूप में हमारे विद्यार्थियों तक न पहुँचे। कलकत्ता में ऐसे मुद्रणालय हैं जो इन्हें छापते हैं, इन्हें विदेशों से पैसा मिलता है और ये इन पुस्तकों आदि को बहुत सस्ती कीमतों पर बेचते हैं। इस प्रकार से ये विद्यार्थियों के समक्ष चीन और रूस की एक आकर्षक तस्वीर पेश करते हैं। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री इस विधेयक की भावना को समझेंगे और इस देश में पिछले 10 वर्ष से आने वाले शस्त्रास्त्रों के स्रोतों का पता लगायेंगे जिसके परिणामस्वरूप देश में बरबादी हो रही है और अराजकता की स्थिति पैदा हो रही है।

Shri P. G. Sen (Purnea) : I admit that the spirit behind this Bill is really very noble. This Bill compels us to think whether the aid we have been receiving is with strings or without strings.

Report about corruption have been appearing in papers daily on such a large scale that people are forced to think otherwise when it has been admitted that foreign money has be en utilised in elections, there is no reason why Government should not disclose the sources of it Government declined to place on the Table of the House facts about the closure of cultural society. It indicates that there is something black in the bottom details about China Bank have also not been given in spite of so many questions about it. Such things are going on in the country. You will have to maintain some standard for the protection of democracy and to set an example for others. A large amount is spent on your visits which is quite wasteful why the amount on your security during tours of states is spent. It means that you have no standard at all and therefore, you need security. It means that your life is more precious than those of poor people.

Therefore, I have to urge upon you that you should think over this. We have never got an explicit reply whenever the question about aid has been raised in the House. With these words, I support this Bill.

श्री रा० धो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : मैं इस विधेयक के सिद्धान्त से पूर्णतया सहमत हूँ। श्री कंवर लाल गुप्त ने बहुत ही सुसंगत भाषण दिया है। विदेशों से प्राप्त धन से देश का राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक जीवन दूषित होता है।

1967 में चुनाव के समय संसद सदस्यों को बहुत अधिक साहित्य वितरित किया गया था। उसे पढ़कर मुझे आश्चर्य हुआ और सदमा पहुंचा। इस प्रकार से देश की विचारधारा को परिवर्तित किया जा रहा है, और हमारे देश की प्रभुसत्ता और अखंडता पर आक्रमण किया जा रहा है। परन्तु इसका हल इस विधेयक के द्वारा होने वाला नहीं है।

इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू यह है कि हमें जनता को यह बताना और समझाना होगा कि विदेशी सहायता और साहित्य में देश को क्या खतरा पैदा हो रहा है। यह चीज भारतीय समाज के नैतिक आधार को डांवाडोल कर रही है।

दूसरा पहलू यह है कि कानून में संशोधन करके इसके लिये दंड की व्यवस्था की जाय। अच्छा हो यदि सरकार इस चीज को रोकने के लिये एक व्यापक विधान लाये। परन्तु मैं यह भी कहूँगा कि कोई भी देश इस चीज से अछूता नहीं है। इसका विश्व की राजनीति में अपना स्थान है।

अतः मैं श्री गुप्ता तथा अन्य सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे इस समस्या के सभी पहलुओं पर विचार करें। हमें गृह मंत्री के दिये गये प्रतिवेदन के बारे में और स्रोत्रों के बारे में की गई जांच का पता चला है। चुनाव के दौरान में इस प्रकार की घटनाएं प्रायः होती हैं और यहां तक होता है कि कुछ सदस्य चुनकर ही न आ सकें।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह तत्काल एक व्यापक विधान बनाये ताकि हमारे देश को अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियां जकड़ न सकें, और हमारा राजनैतिक तथा सार्वधनिक जीवन अपने गौरव को कायम रख सकें और हमारे देश की प्रभुसत्ता और अखंडता की रक्षा की जा सके; हमने श्री गुप्त के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है। अतः मेरा उनसे अनुरोध है कि वे इस विधेयक को वापस ले लें।

श्री नन्द कुमार सोमानी (नागौर) : मेरा विश्वास है कि निन्दनीय अथवा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिये ही नहीं बल्कि हमारे राष्ट्रीय जीवन को भ्रष्ट करने वाली अन्य गतिविधियों को रोकने के लिये भी गृह मंत्रालय के पास काफ़ी शक्तियां हैं। गृह मंत्री को इस बात की पूरी जानकारी है कि गत चुनावों तथा अन्य अवसरों पर विदेशी धन का किस प्रकार उपयोग होता है। यह अलग बात है कि वह उन तथ्यों को हमारे सामने न रखना चाहें।

यदि भारत में सभी राजनीतिक दलों के लेखों की लेखा परीक्षा अनिवार्य करने का सुझाव दिया जाता तो हम निश्चय ही इस प्रस्ताव का स्वागत करते। क्योंकि इस प्रकार उस दल के धन संबंधी संसाधनों का पता चल सकता है। अब जहां तक ईसाई धर्म प्रचारकों का सम्बन्ध है मैंने यह देखा है कि ईसाई समाज बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। राजस्थान

तथा भारत सरकार जो कार्य नहीं कर सकी वह कार्य उन्होंने अकाल के समय राजस्थान में किया था। मैं यह दावे से कह सकता हूं कि सी० ए० एस० ए० की गतिविधियों के फलस्वरूप एक भी व्यक्ति ईसाई नहीं बनाया गया है। फादर फरेर के साथ मनमाड में कई घण्टे तक हमारी बातचीत हुई थी। हम उनकी गतिविधियों को भली भांति समझते हैं जब वहां से जाने के लिये उन्हें विवश किया गया था तो हजारों किसानों की आंखों में आंसू भर आये थे। अब वह रायलसीमा (आन्ध्र प्रदेश) में आश्चर्यजनक कार्य कर रहे हैं। अतः इस प्रकार सब की निन्दा करना अनुचित है। निःसंदेह उनमें बुरे आदमी भी हो सकते हैं। हमें आशा है कि गृह मंत्रालय ऐसे तत्वों पर कड़ी नजर रखेगा।

दूसरी बात यह है कि स्वामी विवेकानन्द भी यदि धर्म प्रचारक नहीं थे तो और क्या थे। इसी प्रकार महर्षि महेश योगी भी धर्म प्रचारक हैं जो अन्य देशों का दौरा कर रहे हैं। क्या वह उनको वहां जाने की अनुमति नहीं देंगे ? वह केवल अपने धर्म का प्रचार ही नहीं करते बल्कि अन्य धर्मों को समझते भी हैं। राम कृष्ण मिशन से सम्बद्ध स्वामी रंगनायानन्द वर्ष में से 9 महीने अन्य देशों में हिन्दू संस्कृति के आदर्शों का प्रचार करते हैं। यदि उनको भी अन्य देशों में जाने की अनुमति न दी जाये तो मेरी समझ में नहीं आता कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा।

वर्ष 1962 में चीन के आक्रमण के दौरान टाटा ब्लड बैंक की श्रीमती लीला मुलगांवकर को रक्त परीक्षण के लिये उपकरण चाहिये थे तो मैंने लास एंजिल्स में तार देकर उपकरण की व्यवस्था कर दी थी। अतः कुछ संस्थाए बहुत उपयोगी है और उन्हें एकदम बन्द नहीं कर देना चाहिये। हमें सभी सांस्कृतिक गतिविधियों पर प्रतिबन्ध नहीं लगा देना चाहिये। अभी हमारा देश सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर नहीं हुआ है। फिर यदि रूस या चीन से कुछ धन राशि प्राप्त होती है तो यह आवश्यक नहीं कि सम्बन्धित व्यक्ति गृह मंत्री को उसका ब्यौरा दें। इस प्रकार इस विधेयक के उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। बल्कि इस से ऐच्छिक संगठनों को जिन्हें अनुसंधान के लिये अनुदान, छात्रवृत्तियां आदि मिलती हैं, नुकसान पहुंचेगा।

यदि रुपयों के चलन की जांच करने के बारे में कोई अर्धन्यायिक बोर्ड स्थापित करने की बात की जाती तो इस बात पर विचार किया जा सकता था। भारत रूस मैत्री समिति जैसी संस्थाओं का काम निर्बाध रूप से चलने दिया जा रहा है। अतः मैं यह नहीं चाहता कि एक या दो गन्दी संस्थाओं के कारण सभी संस्थाओं की निन्दा की जाये। इसलिये मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ।

श्री बेदब्रत बरुआ (कलियाबोर) : मेरे विचार में इस विधेयक में निहित भावना अच्छी है और मैं श्री सोमानी के विचारों से सहमत नहीं हूं। मैं श्री गुप्ता के इन विचारों से भी सहमत नहीं हूँ कि हम अन्य देशों के लिये अपने देश के द्वार बन्द कर दें। अन्य देशों के विद्वानों के विचार में भारत सभी प्रकार की विघटनकारी शक्तियों का मुकाबला कर सकता है। उनका कहना है कि शायद भारत में कुछ अवधि के लिये तानाशाही हो और पश्चिम के देशों को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि यह तानाशाही दक्षिण पक्षी हो, वामपक्षी नहीं क्योंकि उनका विचार है कि जिस भारतीय सभ्यता ने सभी प्रकार की विघटनकारी शक्तियों का मुकाबला

किया है वह वामपक्षी शक्तियों का भी मुकाबला कर सकती है । अतः हमें किसी को अपने विचारों का प्रचार करने से नहीं रोकना चाहिये । मैं भावुक नहीं बनना चाहता ।

श्री कंवर लाल गुप्त : माननीय सदस्य उनकी विचारधारा अपना सकते हैं परन्तु उनका धन नहीं ।

श्री बेवब्रत बरुआ : यदि यहां पर लोग विदेशी विचार अपनाते हैं तो इसका अर्थ यह नही कि वे विचार बहुत सुदृढ़ हैं अथवा कोई अन्य व्यक्ति उनके प्रचार के लिये धन खर्च करता है बल्कि इसका कारण यह है कि उन विचारों को रोकने की हमारी शक्ति कम हो गई है । कोई देश किसी बड़े देश के साथ चाहे जितनी मित्रता रखता हो, परन्तु यदि उसमें ऐसे बड़े देशों के प्रभाव को रोकने की शक्ति नहीं है तो वह उस देश को दबाने का प्रयत्न करेगा । चेकोस्लोवाकिया और हंगरी के उदाहरण हमारे सामने हैं । यदि कोई बड़ा देश किसी अन्य देश की अर्थव्यवस्था में अथवा राजनीतिक जीवन में अपना अधिकार जमा लेता है और इस प्रकार उस देश में अपने एजेंट रखने में समर्थ हो जाता है तो यह बात उस देश की स्वतंत्रता के लिये बहुत ही गम्भीर खतरा है ।

जब विदेशी धन आता है तो उसकी जानकारी सब को नहीं मिल जाती । हमें इस बात का पता लगाना होगा कि उसको कैसे रोका जा सकता है । इस सम्बन्ध में हमें जनमत तैयार करना होगा । पी० एल० 480 के धन का दुरुपयोग हो रहा है । संसद के सदस्यों को विदेशी धन के प्रयोग को प्रश्रय नहीं देना चाहिये । ऐसे कार्य के प्रति उनके मन में घृणा होनी चाहिये अन्यथा स्वतंत्रता की रक्षा करना कठिन हो जायेगा ।

यह मैं मानता हूं कि यह बिधेयक इस समस्या का समाधान नहीं है तथापि इस मामले की जांच की जानी चाहिये जिससे यह पता चल जाये कि वास्तव में कितने व्यक्ति विदेशी धन प्राप्त करते हैं और कितने लोगों पर उसका प्रभाव पड़ता है ।

हम चाहते हैं कि रूस और अमरीका के साथ हमारी मित्रता बनी रहे परन्तु हमें नासर अथवा टीटो की मित्रता की ओर भी ध्यान देना चाहिये । अतः मेरे विचार में यह प्रश्न राष्ट्रीय प्रभुसत्ता का है । बड़े-बड़े देश मित्रता के नाम पर अन्य प्रकार की गतिविधियों को प्रोत्साहन देते हैं । हमें इन गतिविधियों को रोकने के लिये जनमत तैयार करना चहिये ।

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : The mover has not suggested any means to stop this Inroad but he has objected to the foreign money only to the extent that no account is maintained. He has not condenned the receipt of foreign money. We should have comprehensive view of the effects of the incoming of foreign money. There was a time when there was no disparity between rich and the poor. We should maintain our civilisation. At present our democracy is a capitalist democracy. I think we should keep a watch over foreign trade transactions which can help incoming of foreign money.

[श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए
Shri K. N. Tiwari *in the Chair*]

It is well known that a number of capitalists in this country are in collusion with foreign capitalists and they are standing in the way of development of national industries. Moreover there capitalists are keeping their hold over the press. It will not be out of

place to mention that foreign money has corrupted not only politics but even our services. A retired military officer has admitted in his book that he had been war correspondent of a big newspaper of America. In view of the position stated above we should discuss this matter in a comprehensive manner and resist the entry of foreign money from all the four corners. I would request the honble Home Minister to take effective steps in this matter.

Shri Tulshidas Jadhav (Baramati) : The Mover desires that an account should be maintained for the foreign money received some persons and institutions in the form of assistance and that account should be sent to the Government who should place the same before the Parliament. In order to maintain our cultural relations with other countries institutions like Indo-Soviet cultural society and Indo-German cultural society are functioning just as Rama Krishna Mission is working in other countries No body has raised this question in this House. In case foreign money is used for undesirable activities, then the Ministry of Home Affairs should take necessary action in the matter. Our country cannot be isolated from other countries in cultural, economic and political fields particularly in this age of science and technology. I want to tell the hon'ble Member that the world is changing fast and in view of this he has to change himself accordingly. He has stated in the statement of objects and reasons that it is necessary to keep Indian life away from the foreign influence. Today various countries of the world are coming so close that they are found to be influenced by one another.

It has been alleged that foreign missionaries influence our people by giving them money. In case we stop the foreign missionaries from working in our country than other countries may also take similar action against our missions. In order to stop the misure of foreign money Government can use its power under normal law of the land which is quite sufficient for this purpose.

The hon'ble Member has objected to the sale of castly books at cheap rates. I think we should not have any objection to it because the poor people of country can also afford to purchase and read such books. In this manner they find an appartunity to compare and contrast various types of ideologies.

The hon'ble Member has also alleged that some officers are working as agents of U. S. A. I would suggest that he should not make any such allegation in the absence of a documentry proof. He should not make any wild allegations because he is holding responsible position as a Member of Parliament.

Shri Kanwar Lal Gupta : On a point of personal explanation. I have never alleged that all the officers in the country take money from U. S. A. or U. S. S. R. I had stated that there are some officers who have some inclination towards U. S. A. or U. S. S. R. He should not refer to the things which I have not stated.

Shri Tulshidas Jadhav : I have not reffered to any such things. I mean to say that we should not make our country as a water tight compartment. It is always better to exchange cultural and religious views so that we may be benefitted by new ideologies.

मातृ वंशावलि विधेयक

MOTHER'S LINEAGE BILL

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the right to trace one's lineage from the side of one's mother.

Mr. Chairman : The question is :

"That leave to introduce a Bill to provide for the right to trace one's lineage from the side of one's mother be granted."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

Snri Madhu Limaye : I introduce the Bill.

संविधान संशोधन विधेयक

CONSTITUTION AMENDMENT BILL

(अनुच्छेद 168 के स्थान पर नये अनुच्छेद का रखा जाना तथा अनुच्छेद 169 आदि का हटाया जाना)

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the constitution of India.

Mr. Chairman : The question is :

"That leave to introduce a Bill further to amend the constitution of India" be granted.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

Shri Bhogendra Jha : I introduce the Bill.

न्यायाधीश (कतिपय मामलों में सुनवाई पर प्रतिबन्ध) विधेयक

JUDGES (PROHIBITION ON HEARING IN CERTAIN CASES) BILL

श्री अमर सिंह सहगल (बिलासपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उच्चतम न्यायालय अथवा किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उस विषय की सुनवाई और उसपर निर्णय से प्रतिषिद्ध करने की, जिसमें कि उनका पक्षपात पूर्ण दृष्टिकोण हो, प्रक्रिया विनयमित करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उच्चतम न्यायालय अथवा किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस विषय की सुनवाइ और उसपर निर्णय से प्रतिषिद्ध करने की, जिसमें कि उनका पक्षपात पूर्ण दृष्टि कोण हो, प्रक्रिया विनयमित करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री अमर सिंह सहगल : विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में वृद्धि का प्रभाव*

IMPACT OF INCREASE IN FOURTH FIVE YEAR PLAN**

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मन्दसौर) : सरकारी क्षेत्र के परिव्यय में 1473 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है और गैर-सरकारी क्षेत्र के परिव्यय में 1016 करोड़ रुपये की कमी की गई है। ऐसा राजनीतिक दबाव में आकर किया गया है।

योजना परिव्यय में वृद्धि करने से मुद्रा स्थिति बढ़ती है जिसका साधारण व्यक्ति पर बहुत बुरा असर पड़ता है। यही कारण है कि आज देश में इतना असंतोष व्याप्त है। विदेशी सहायता प्राप्त होने की सम्भावना बहुत कम है। अतः हमें कर या घाटे की अर्थव्यवस्था का ही सहारा लेना पड़ेगा।

सभी संसाधनों का जोड़ चतुर्थ योजना के परिव्यय जोड़ की तुलना में 5000 करोड़ रुपये से भी अधिक बैठता है। यदि हम यह भी मान लें कि 2700 करोड़ रुपये के कर लगाये जायेंगे तो भी 2300 करोड़ रुपये की कमी रह जाती है। यदि 2300 करोड़ रुपये की कमी को नोट छाप कर पूरा किया गया तो इससे इतनी बड़ी मुद्रा स्फीति हो जायेगी कि वह काबू से बाहर चली जायेगी। गत वर्ष ही मूल्यों में लगभग 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

जहां तक करों का सम्बन्ध है 1969-70 में राष्ट्रीय आय पर 13 प्रतिशत कर था और 1973-74 तक इसे 15 प्रतिशत तक बढ़ाया जायेगा। अब तक प्रत्यक्ष करों का भार अधिकांशतः नगरीय क्षेत्र पर ही पड़ा है। भारत में व्यक्तिगत तथा कारपोरेशन टैक्स संसार में सब से अधिक हैं। और अधिक कर लगाने से गम्भीर समस्याएं पैदा हो जायेंगी।

सरकार उत्पादन शुल्क में भी प्रायः वृद्धि करती रही है। 1960-61 में उत्पादन शुल्क 901 करोड़ रुपये था। 1967-68 में यह बढ़कर यह 2,758 करोड़ रुपये हो गया है। वस्तुओं की लागत में 15 से 45 प्रतिशत भाग उत्पादन शुल्क का ही होता है। रेल के माल-भाड़े और किराये में वृद्धि से भी मुद्रा स्फीति बढ़ेगी।

राज्यों का परिव्यय 6,066 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 6,583 करोड़ रुपये कर दिया गया है। अब राज्यों को 1,600 करोड़ रुपये अपनी ओर से लगाने होंगे। चतुर्थ योजना के पहले वर्ष में 8 राज्यों ने केवल 23 करोड रुपये के साधन जुटाये हैं। अतः राज्य इतनी मोटी राशि, जुटाने की स्थिति में नहीं हैं। परिणाम यह होगा कि नोट छाप कर इस कमी को पूरा किया जाएगा।

कुल योजना परिव्यय का बड़ा भाग सरकारी क्षेत्र के कारखानों को जायेगा। सरकारी क्षेत्र में 3500 करोड़ रुपये लगे हुए हैं और उनमें प्रतिवर्ष 35 करोड़ रुपये की हानि होती है। अतः मेरा सुझाव है कि सरकारी क्षेत्र का प्रसार करने की बजाय इसमें सुधार किया जाना चाहिये।

---

*आधे घण्टे की चर्चा।

**Half-an-hour discussion.

सरकार की नीतियों के कारण गैर-सरकारी क्षेत्र संकट-ग्रस्त है। इसमें विनियोजन गिरता जा रहा है। मुझे सन्देह है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में 8984 करोड़ रुपये के विनियजन का लक्ष्य पूरा हो जायेगा। जापान में 2 वर्ष में एक नया कारखाना स्थापित हो जाता है जबकि भारत में 2 वर्ष लाइसेंस प्राप्त करने में ही लग जाते हैं।

सरकार समाजवाद का नारा लगाती है किन्तु इसके साथ ही मध्य वर्ग के व्यक्तिगत कर में वृद्धि करती है।

श्री स० कुन्दू (बालासौर) : मैं नहीं समझता कि हम देश की वर्तमान अर्थव्यवस्था पद्धति में चतुर्थ योजना के लिये अपेक्षित साधन जुटा सकेंगे। क्योंकि हमारी वर्तमान अर्थव्यवस्था गतिरोध की स्थिति में है। यदि सरकार ने साधन जुटाने के लिये कड़े उपाय किये तो उनका साधारण व्यक्ति पर बहुत भार पड़ेगा। 1968-69 में प्रति व्यक्ति आय में 0.6 प्रतिशत कमी हुई थी जबकि उससे पिछले वर्ष उसमें 6.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

हमारी राष्ट्रीय आय का 50 प्रतिशत भाग कृषि से आता है। कृषि क्षेत्र में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पादन स्थिर ही रहा है। इसके साथ ही साधारण व्यक्ति का वास्तविक उपयोग घटता जा रहा है और अमीर लोगों की विलास की आवश्यकता बढ़ती जा रही है।

वर्ष 1968 में खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धि वर्ष 1965-66 से 3.7 प्रतिशत कम थी। 1964-65 की तुलना में सूती कपड़े, तेलों और चीनी की प्रति व्यक्ति उपलब्धि क्रमशः 11, 14 और 17 प्रतिशत घट गई थी।

समापति महोदय : आप तो भाषण कर रहे हैं। अब अपना प्रश्न पूछिये।

श्री स० कुन्दू : मोटरकारों, एयर-कण्डीशनरों और अन्य विकास सामग्रियों के उत्पादन में क्रमशः 27 प्रतिशत और 292 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मुझे इसमें सन्देह है कि ऐसी आर्थिक स्थिति में योजना के लिए धन जुटाया जा सकेगा।

मैं जानना चाहता हूँ कि क्या धन को जुटाने के बारे में वित्त मंत्रालय और योजना आयोग में मतभेद था, और क्या योजना आयोग ने कहा था कि क्या संशोधित योजना में लिए साधन जुटा पाना सम्भव नहीं होगा।

दूसरे, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या संशोधित योजना में रोजगार की समस्या को ध्यान में रखा गया है।

आप नये इस्पात के कारखानों पर 700 करोड़ रुपये लगा रहे हैं। जब आप इस्पात के उत्पादन पर अधिक धन लगाते हैं तो आपको आश्चर्य होगा कि रोजगार के अवसर एक तिहाई घट जाते हैं। हमें बताया गया है कि हम जर्मन, जापान और अमरीका के अर्थ तन्त्रों को अपने यहाँ अपना रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हम अपनी योजना को रोजगार देने वाली बना रहे हैं और हमारी योजनाएं लोगों को न्यूनतम सुविधाओं को जुटाने के लिए पर्याप्त हैं ?

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Fifty six percent of power is being consumed in the cities of Delhi, Bombay, Madras and Calcutta. One seventh of the country's wealth is being sepent in Bombay alone. There is large disparity between the cities and the

villages. The village boys and girls who are educated are eager to go to cities. There is a feeling that one become's cultured man by living in a city and on the other hand living in a village make one wild.

Most of the development schemes are made for the cities electrify the villages and start Agro industries and cottage industries in the villages and construct roads in the villages. You have dumped 4000 crores of rupees in public undertakings. If only 2000 crores of rupees is invested in the villages, there would be a lot of production and the country would became prosperous.

I want that the fourth plan be made village oriented. What percentage of electricity has gone to villages ? What is the percentage of investment on irrigation. Agro-industries and roads for villages ? Would you give some more importance to the villuges ?

Our large population lives in the villages but there is a great disparity. I want that the standard of living in the villages be improved. If you do not give attention to what I have said your big plans would go futile.

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) . The private sectors has prospered in the three five year plans. It has exceeded it set target in these plans and it is likely that it would exceed the target set for the fourth plan.

In spite of the so-called green revolution, May I know whether the price index has not risen above the last year's ? Deficit financing is on the increase and it is hoped to reach 1000-1100 crores of rupees in five year time. What attempts have been made in the plan to check it ?

It is apparent from the fourth plan that dependence on foreign aid is on the increase What would be the foreign aid in the fourth plan vis-a vis in the third plan.

You are maintaing a huge establishment on the planning commission. But may I know that when this responsibility would be shifted to states and how long the economic condition would remain in an sustained position ?

Your economic pragramme of 1954 has tatally became out of date. In fact your plan is far from socialistic pattern and is more near to capitalistic pattern. You cannot bring socialism by such a Five Year Plan.

श्री श्रद्धाकार सूपकार (सम्बलपुर) : चौथी योजना 1 अप्रेल, 1970 से प्रारम्भ होती है और उसके बारे में अभी तक हम अन्धकार में हैं। उसे अन्तिम रूप देने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक कब हो रही है ? प्रस्तावित बड़ी योजना के लिए धन के कौन से स्रोत हैं ? हम 1971 से अन्न के बारे में आत्म-निर्भर हो रहे हैं। पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयातों की प्रतिपूर्ति कैसे होगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : यह आध घंटे की चर्चा 23, फरवरी 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 195 के सम्बन्ध में दिये गये मेरे उत्तर से उत्पन्न हुई .

योजना परिव्यय पर भले ही योजना आयोग और मन्त्रीमण्डल में विचार किया जा चुका है परन्तु अभी उस पर राष्ट्रीय विकास परिषद् में विचार किया जाना है। इसमें 1600 करोड़ रुपये की वृद्धि करने का प्रस्ताव है जिसे राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अन्तिम समझा जायेगा ?

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : यह योजना 1 अप्रेल 1969 से प्रारम्भ होनी थी।

श्री प्र० चं० सेठी : इसका अन्तिम रूप उक्त परिषद् की बैठक के बाद ही स्पष्ट होगा।

इस स्थिति में मैं नहीं बता सकता कि इसमें घाटे की कितनी अर्थ व्यवस्था होगी। आर्थिक समीक्षा सदन में प्रस्तुत कर दी गयी है। कल बजट प्रस्तावों में सदस्यों को वार्षिक योजना का ब्यौरा मिल जाएगा।

मैं मानता हूँ कि स्वीकृत योजना का वर्षवार अनुपालन किया जाना चाहिये। मैं यह भी मानता हूँ कि हमारी योजना में औद्योगिक और ग्रामीण क्षेत्रों को समान महत्व मिलना चाहिए। कृषि और उद्योग अन्योन्याश्रित हैं इसलिए उद्योगों और इंजीनियरिंग उपकरणों को भी महत्व दिया जाना चाहिए।

यह सच है कि कृषि, गांवों का विद्युतिकरण उनकी सड़कों आदि के विकास को उचित ध्यान दिया जाना चाहिये। योजना प्रस्तुत होने पर सदस्यों को उस पर विचार करने का प्रर्याप्त अवसर मिलेगा। इस समय इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं कहना है।

इसके पश्चात् लोक-सभा शनिवार, 28 फरवरी, 1970/9 फाल्गुन, 1891 (शक) के सांयकाल पांच बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till seventeen of the Clock on Saturday, the 28th February, 1970/9 Phalguna, 1891 (Saka).

Printed at Akashdeep Printers, 20 Daryaganj, Delhi-6.